राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 4

बुधवार,

03 जुलाई, 1996

(विक्रम सम्वत् 2053, आषाढ़ बदी 3)

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-87 श्री दलजीत सिंह जी।

प्रश्न संख्या 87

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल इन्दौरा।

केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में पदस्थापित अधीक्षक

88. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में माह मार्च, **1994 से आज तक कौन-कौन** अधीक्षक पदस्थापित रहे?

(2) क्या इन अधीक्षकों के बारे में आज तक मुख्यालय स्तर व राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें या जानकारी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान अधीक्षक बीकानेर का श्रीगंगानगर में पदस्थापन के समय आतंकवादियों से मिले होने एवं उन्हें नाजायज सुविधाएं प्रदान करने के कारण दो बार श्रीगंगानगर से तबादला किया गया? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विवादास्पद अधीक्षक के विरुद्ध आतंकवादियों से सांठ-गांठ रखने के सम्बन्ध में कोई जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखे।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अधीक्षक ने बंदियों की नाजायज मुलाकात और बंदियों को अपात्र होते हुए भी सी. ओ., सी. एन. डब्ल्यू. पदोन्नत कर विभाग के परिपत्रों एवं जेल नियमों की अवहेलना कर खुले आम भ्रष्टाचार किया है?

(6) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त अधीक्षक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री श्रीकिशन सोनगरा) : (1) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर दिनांक 2.3.94 से आज दिनांक तक श्री मिट्ठूलाल चौहान, अधीक्षक पदस्थापित हैं।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(2) जी, हां। श्री मिट्ठूलाल चौहान के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है, इनमें से 4 शिकायतें जांच के उपरान्त असत्य पायी गयीं तथा 5 शिकायतों की जांच जारी है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(3) दिनांक 8.4.86 को श्री चौहान का स्थानान्तरण गंगानगर जेल से जहां आतंकवादी भी थे, उचित नियंत्रण नहीं रखने के कारण किया गया। दूसरी बार दिनांक 10.9.91 को कारागृह में बन्द आतंकवादियों के विभिन्न गुटों में हुए झगड़े पर नियंत्रण में शिथिलता बरतने के कारण स्थानान्तरण किया गया।

(4) जी, नहीं। श्री चौहान के विरुद्ध आतंकवादियों से सांठ-गांठ रखने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है।

(5) केन्द्रीय कारागृह में पदस्थापित वर्तमान अधीक्षक के सम्बन्ध में इन बिन्दुओं पर जांच जारी है।

(6) जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने की स्थिति में अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अधिकारी के प्रति 9 शिकायतें हुई। 4 शिकायतें तो असत्य पायी गयीं, जैसा उन्होंने बताया और 5 शिकायतें अभी पेंडिंग हैं। जो 5 शिकायतें अभी पेंडिंग हैं वो किन-किन तारीखों में आपके पास आई उनका समय क्या हुआ है और अब तक पेंडिंग क्यों हैं? दूसरा बिन्दु मेरा यह है कि सी. एन. डब्ल्यू. और सी. ओ. बनाने के लिये जो जेल मेन्युअल है, उसकी पूर्णतः अवहेलना की गयी है। नियमों के मुताबिक और जेल मेन्युअल के मुताबिक जो नार्म्स बने हुए हैं उन नार्म्स के मुताबिक ही सी. एन. डब्ल्यू. और सी. ओ. बनना चाहिये। लेकिन उनकी पालना नहीं की गयी है। इससे साफ जाहिर है कि ऐसे लोग जो सी. एन. डब्ल्यू. के काबिल नहीं थे, सी. ओ. के काबिल नहीं थे उनको लाभ पहुंचा कर ड्यूटी पर लिया गया और उनके द्वारा मनमाने तरीके से जेल में आवागमन, पत्राचार और दूसरी बातें की जाती रहीं उसका लाभ इस अधिकारी को भी मिलता रहा। ये दो जवाब दीजिए बिन्दुवार।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच जो जारी है वह जन हितकारिणी समिति, जयपुर द्वारा की गयी निविदाओं से सम्बन्धित शिकायत है और उसके लिये वहां से टिप्पणी मंगायी गयी। उन्होंने जो टिप्पणी भेजी उसके बाद भी हमारे निदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार ने वापस बाजार दरों से जो उसमें डिफरेंस था, शिकायत के आधार पर उसमें अंकित कराया गया, उसको बाजार दरों के आधार पर वापस भेजा गया कि वहां की बाजार दरें—

श्री हीरालाल इन्दौरा : शिकायतें आपको कब प्राप्त हुई, उनका ड्यूरेशन क्या है, जांच का कोई टाइम भी तो होता होगा?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : दो शिकायतें जन-हितकारिणी समिति, जयपुर की ओर से दिनांक 2.3.95 एवं 6.5.95 को प्राप्त हुई। दूसरी शिकायत की जो जांच जारी है, वह बंदी गुरदीपसिंह की शिकायत दिनांक 18.1.96 को प्राप्त हुई, एक शिकायत बंदी हरभजन सिंह की 3.4.96 को प्राप्त हुई और हीरालाल, सदस्य, भारतीय मजदूर संघ की शिकायत है—

(3)

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह गुरदीपसिंह कौनसी जेल में है अभी?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह 1.5.96 को प्राप्त हुई। इस तरह ये तारीखें हैं। —(व्यवधान) यह जो इन्होंने पूछा है न, जो प्रश्न वह बता दिया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : शिकायतें किस तरह की हैं, ये बीकानेर जेल की शिकायतें हैं या गंगानगर जेल की शिकायतें हैं?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैंने आपको परिशिष्ट दे दिया है, उसमें लिखा हुआ है। फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : परिशिष्ट में तो आपने सारा गोलमाल में दिया है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं पढ़ देता हूं आप सुन लीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इसमें कुछ भी नहीं दिया है, असत्य है किस वास्ते असत्य है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह जनहितकारिणी समिति, जयपुर द्वारा की गयी शिकायत निविदाओं में अधिक दरें मंजूर करने के सम्बन्ध में है। इसी तरह बंदी गुरदीपसिंह द्वारा रिश्वत न देने के कारण उसकी पिटाई आदि करने बाबत जो शिकायत प्राप्त हुई, उसके सम्बन्ध में है और उसकी जांच जिला कलेक्टर कर रहे हैं। बंदी हरभजन सिंह द्वारा पेरोल में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में है, उसकी जांच भी जिला कलेक्टर कर रहे हैं। इसी तरह से श्री हीरालाल, सदस्य भारतीय मजदूर संघ द्वारा जो शिकायत की गयी है, उसकी जांच निदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार द्वारा की जा रही है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक सुन्दरलाल धोबी ने 1994 में शिकायत की थी कि उसका अपाइंटमेंट पैसा लेकर किया गया? 1994 से 1996 चल रहा है, आपकी जांच का अभी तक निस्तारण नहीं है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : सुन्दरलाल धोबी ने जो शिकायत की है उसकी भी जांच की जा रही है और उस जांच के आधार पर उसको एक चार्ज शीट भी दे दी गयी है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : क्या इस अधिकारी ने पदोन्नति जो ली है वह अनुसूचित जाति का उम्मीदवार बन कर के ली है?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मिट्ठूलाल जो आज वर्तमान में अधीक्षक है, उनकी जब पदोन्नति हुई थी तब जो डी. पी. सी. बैठी थी उसमें गलती से अनुसूचित जाति लिख दिया गया था मगर उसके बाद में ज्यों ही तथ्य ध्यान में आया—(व्यवधान) हां, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। मैं कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप—(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : इतनी बड़ी गलती है, प्रमोशन ले गया (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपको संतुष्ट करूंगा पूरी तरह से। जो डी. पी. सी. हुई उसमें गलती से अनुसूचित जाति लिख दिया गया और उसके कारण वह जो बात आप कह रहे हैं वह खड़ी होती है मगर ज्यों ही वह विभाग के ध्यान में आया, विभाग ने रिव्यू डी. पी. सी. करके उस गलती को सुधार दिया है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब व्यक्ति नौकरी में आता है उस समय उसने अपने सम्बन्ध में जो भी लिखकर

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

दिया है उसमें कहीं भी अनुसूचित जाति लिखा हुआ नहीं है। मगर जो एक गलती हुई, मगर रिव्यू डी. पी. सी. के बाद उसको सुधार दिया गया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह आपका सरकारी डाकुमेंट है, 25.2.94 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मणसिंह जी...(व्यवधान)...मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, परमिशन ले लें और उसके बाद ही बोलें। सब एक साथ बोलना प्रारम्भ कर देते है, आप विराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है और यह प्रश्न देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी जिस प्रकार इस प्रश्न का हल्के-फुल्के से जवाब दे रहे हैं वह इस प्रश्न की गंभीरता को समाप्त करता है। इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए तो इस प्रश्न का जवाब मेरे विचार से स्थगित किया जाये और मुख्य मंत्री जी दें। लेकिन अगर सक्षम मानते हैं तो कृपया मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने स्पष्ट रूप से अधीक्षक के लिये कहा है कि दो बार गंगानगर से हटाया गया है, शिकायतों पर हटाया गया है। इतने संवेदनशील क्षेत्र में 2 बार शिकायतों पर हटाने के बाद में इनको क्यों बीकानेर लगाया गया? क्या शिकायतें थीं? **और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आतंकवादियों को क्या** नाजायज सुविधाएं वहां दी जा रही हैं? एक देशद्रोही जैसे व्यक्तित्व को अगर आप बैल्ट के अन्दर रखेंगे और उसको यहां पर संरक्षण देने का प्रयास करेंगे तो इससे बढ़कर के दुःख और विडम्बना की कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिये मेरे विचार से इस प्रश्न को स्थगित किया जाए और मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देवें।

श्री अध्यक्ष : श्री खोईवाल साहब।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट तौर से एडमिट किया है कि विभाग को कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई। 9 में से 4 शिकायतें सही पायी गयीं और 5 की अभी तक जांच हो रही है, 9 शिकायतें अलग-अलग प्राप्त हुई हैं। जो शिकायतें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, उन शिकायतों पर जो कार्यवाही कर लेनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं की, वह क्यों नहीं की? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मंत्री महोदय।

दूसरा, यह है कि इस विभाग में दुर्भाग्य से डी. जी. नोन-डिपार्टमेंटल, आई. जी. नोन-डिपार्टमेंटल, यानि विभागीय अधिकारी नहीं होने के कारण उनको विभाग के कामकाज का पूरा ज्ञान है नहीं। इस कारण इस विभाग का सत्यानाश हो रहा है। इसमें जगह-जगह जैसे एक चेतनदेव उपाध्याय को अभी उदयपुर सैण्ट्रल जेल से सस्पैंड किया था। उसको आधार यह बनाया गया था कि इन्होंने एक्स्ट्रा मूरल गेंग में लाइफर्स को बाहर निकाल दिया। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की ऐसी कौनसी जेल है जहां पर लाइफर्स को एक्स्ट्रा मूरल गेंग में बाहर नहीं निकाला जाता? यदि एक व्यक्ति के विरुद्ध **इस तरह की कार्यवाही हुई है, तो फिर विभाग के सारे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ** इतना है कि इस विभाग में उपर्युक्त नियंत्रण नहीं है, कानूनी कायदों की अधिकारियों को जानकारी नहीं है। यह करेक्शनल सर्विसेज हैं और करेक्शनल सर्विसेज में यदि आप आई. पी. एस. को डी. जी. बना देते हैं, आर. पी. एस.

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

को आई. जी. बना देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह का करेक्शन सर्विसेज में आउटपुट होना चाहिये, वह इस तरह के अधिकारी दे सकें। इसीलिये पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण विभाग बिलकुल समाप्त होता जा रहा है और आज जिस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब। एक मिनट विराजिये साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : मंत्री महोदय, आतंकवादियों को गंगानगर की जेल में जिस प्रकार की बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं इस व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध करवायी गयीं और उसके बाद भी बीकानेर मण्डल में ही क्यों रखा गया? पहला सवाल।

दूसरा सवाल यह है कि सन् 1991 में आपने जैसा बताया कि 5 जांच आज तक उनके खिलाफ जेरकार हैं, बरी किया है आपने सिर्फ 4 में एक 4 और 5 में सिर्फ एक अन्तर है। 5 जांच जेरकार होने के बाद में आपने सन् 1991 में इसे ही नहीं बल्कि इसके साथी को, जो आतंकवादियों को सुविधाएं पहुंचाने में मदद कर रहा था, भैरोंसिंह, उसका तबादला कर दिया और तबादला करने के फौरन बाद ही आपने उसकी पदोन्नति कर दी और पदोन्नति करने के बाद कहां लगाया, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में सर्कल आफिसर के बतौर, जिसके अण्डर में यह गंगानगर की जेल भी आती है। अब ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने गम्भीर आरोप हों, जांच जेरकार हो, उसको पदोन्नति देकर के उसी जगह पर लगाना सीधे-सीधे आतंकवादियों को खुली मदद करना है।...(व्यवधान)

अब मैं यह कहूं कि इसमें क्या तो हुआ, कैसे हुआ, कितना मिला, कब मिला, क्यों हुआ तो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं यह अच्छा नहीं लगेगा, मंत्रीजी खुद ही बता दें कि कितना मिला?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री मोरदियाजी।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि तत्कालीन कलेक्टर रामलुभाया ने उनको 48 घण्टे में हटाया। अध्यक्ष महोदय, इतने सीरियस चार्जेज कलेक्टर ने लगाये कि आतंकवादियों से ये मिले हुए हैं और उनको नाजायज सुविधाएं दे रहे हैं, इसको तत्काल हटाया जाए। कलेक्टर महोदय ने डी. ओ. लैटर लिखा है और 48 घण्टे में उसको हटा दिया।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी हुई नहीं, श्री दुग्गड़ ने इंक्वायरी की है। आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि इंक्वायरी पेश कर दी इसके खिलाफ और भ्रष्टाचार साबित कर दिया। आप कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है, श्री दुग्गड़ ने इंक्वायरी की है, आप मालूम कर लें इस बात को। श्री दुग्गड़ ने इस बात को स्पष्ट माना है कि इसने भ्रष्टाचार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जिला डी. आई. जी. अंसारी थे, 9 लाख रुपये का भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा, जिसको डेढ़ हजार रुपये की झूठी रिश्वत फैंक करके, ए. सी. डी. से मिल करके क्योंकि वह राजस्थान में भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ देगा, उसको सस्पैंड कर दिया। भारत में एक नम्बर का ख्याति प्राप्त डी. आई. जी. जिसको डेढ़ हजार रुपये टेबल के अन्दर फैंक करके ए. सी. डी. से मिल करके उसको इसलिये सस्पैंड

(6)

(श्री परसराम मोरदिया)

किया कि वह पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का मामला खोल देगा। इससे ज्यादा गम्भीर मामला क्या हो सकता है। आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि कलेक्टर महोदय ने उसका ट्रांसफर कराया, इसके बाद आप जांच पेंडिंग करवा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जांच चल रही है? क्यों नहीं इसको सस्पैंड किया? सर्टिफिकेट देकर के उसका प्रमोशन किया है? (व्यवधान) उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?—(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : सर्टिफिकेट देकर के प्रमोशन दिया और ऐसे आदमी को सस्पैंड नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय उसकी वकालत मत कीजिए, आप सस्पैंड करके कार्यवाही कीजिए—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये।—(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप सस्पैंड करके कार्यवाही कीजिए। आप सस्पैंड करने की घोषणा कीजिए।—(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : जबकि आपने स्वयं इस बात को माना है कि—

श्री शांतिलाल खोईवाल : जब सीरियस चार्जेज हैं—(व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : विराजिये। जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्यों ने यहां बताया, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी दोषी को बचाने का कोई सवाल नहीं है—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और किसको बचा रहे हो?—(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : तो सस्पैंड कर दीजिए ना।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मेरी बात सुन लीजिए आप। (व्यवधान) बात तो सुनें।—

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप सस्पैंड कर दीजिए, फिर कार्यवाही शुरू कीजिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल : साबित हो चुकी है, आप कह रहे हैं—(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है—(व्यवधान) इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?—

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बात पूरी सुन लीजिए, बाद में बात करें। (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : एक बात जो यहां सामने आयी, विशेष तौर से अभी माननीय सदस्यों ने इस बात के लिये कहा कि इनको 1986 में यहां से बदला गया और फिर वर्ष 1989 में इनको वापस क्यों लगा दिया? अब मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि 1986 में जो तत्कालीन सरकार थी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उसने वहां पर, इस सारी स्थिति के बाद कि वहां इनके नियंत्रण का अभाव था और जो वहां पर स्टाफ था, उसमें

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

आपस में गुटबंदी थी, उसको मानते हुए इनका स्थानान्तरण किया गया था और उसके बाद में 1989 में भी तत्कालीन सरकार ने ही वापस इन्हें वहां लगाया और यह मानते हुए लगाया कि गंगानगर की जो जेल है, हमारे यहां तीन श्रेणी की जेलें हैं एक श्रेणी में तो यह जो हमारी सैण्ट्रल जेल के अधिकारी__(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : ऐसे हुआ, यूं हुआ__(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप इसे छोड़ दीजिए। __(व्यवधान) आप उस पर लीपापोती मत कीजिए। आप पहले सस्पैंड कीजिए फिर जांच कीजिए।__

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आपने जो सवाल पूछे हैं उन्हीं का तो आपको जवाब दे रहा हूं। पहले आप सुने तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले पूरा जवाब तो सुनें आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरे प्रश्न कौनसे हैं? मेरे प्रश्नों का जवाब दिया ही नहीं है आपने।__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, 1991 में हुआ। 1991 में कौनसी सरकार थी?__(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : गंगानगर कलेक्टर उसके अगेंस्ट में 20-20 चार्जेज लगाता है__(व्यवधान) और फिर उन चार्जेज के अगेंस्ट में भी आप कार्यवाही करते हैं, फिर वापस उन्हीं जिलों में लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1989 में तत्कालीन सरकार और उसके जो काम करने वाले थे उन्होंने इनको वापस यह सोचते हुए लगाया कि यह जो कारागृह, गंगानगर है, यह "ए" श्रेणी की जेल है और वहां जो पहले पद-स्थापित थे, जैसा उन्होंने इसमें दर्शाया है, वे उससे नीचे की श्रेणी के थे, तो ये जो कारागृह जेल "ए" श्रेणी की होती है, वहां अधीक्षक ग्रेड सैकण्ड लगाये जाते हैं। इस नाते से इसमें यह आधार लेते हुये उस वक्त की सरकार ने इन्हें वहां पर पुनः स्थापित किया। अब मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थानान्तरण उस वक्त की जो सरकार थी उसने किया। इस सबके बाद में 1991 में वापस इनका स्थानान्तरण हुआ, उसके पीछे वहां 15 अगस्त, 1991 को वहां के बंदियों के दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया, इस कारण इनको वहां से हटा दिया गया। इसके पीछे मोटा-मोटा यह सारा कारण है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : 1991 में हटाया__

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह फोर्जरी की जा रही है (व्यवधान) जो इनको पदोन्नति दी गयी है__(व्यवधान) शिड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बनाते हुए इनको प्रमोशन दिया गया__(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय__(व्यवधान)__नहीं दिये गये और जो सहायता उसको मिलती है वह सहायता आज तक नहीं दी गयी और जो मेरे क्षेत्र का सहायक अभियन्ता है__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति किस स्तर पर दी गयी? बीकानेर केन्द्रीय कारागृह में उनको कब रखा गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 89.

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को इतने हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कब उनको रखा गया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी साहब, आप विराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पिछले पांच साल में यह सरकार आतंकवादियों को शरण देने वाले अधिकारियों को बचा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। एक प्रश्न में ही इतना समय लगा दिया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने पदोन्नति की है। ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पूछा था कि...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : 1989 की बात कर रहे हैं। 1990 और 1996 के बीच में क्या किया?

श्री हीरालाल इन्दौरा : (व्यवधान) सी. ओ. के नाम क्या हैं (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इनकी गणित अगर आती है तो यह तो 1990 से 1996 के छह साल निकल गये इन छह साल में उन्होंने क्या किया? आतंकवादियों को शरण देने वाले अधिकारियों को यह सरकार बचा रही है। 1985 से 1990 तक का तो + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आपने सारी बात ध्यान में ला दी, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : 1990 से 96 के बीच उन्होंने क्या किया? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। किसी अधिकारी को, जो इस प्रकार से आतंकवादियों को वहां सुविधाएं दे रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप न्याय दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आतंकवादियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह छोटी-मोटी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह देश की रक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इतने सीरियस चार्ज हैं मंत्री महोदय पर और वे आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह जवाब दिलवाइये कि उनकी पदोन्नति किस सरकार में की गयी? यह बताइये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आतंकवादियों को बचाने का सरकार ने ठेका ले लिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनकी पदोन्नति किस सरकार ने की है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अधिकारी आतंकवादियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

उन अधिकारियों को यह सरकार बचा रही है और + + + 1985 से 1990 तक की बात कर रहे हैं। छह साल में क्या किया + + + उसकी बात करो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आई. जी. ने भ्रष्टाचार मान लिया है, उन्होंने इसकी इंक्वायरी की। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन (कामां) : आई. जी. जेल ने भी रिकमण्ड की है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पदोन्नति कौनसे साल में दी गयी? बीकानेर कारागृह में कब लगाया गया?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरा यह निवेदन है कि जब आई. जी. ने खुद ने मान लिया है, आई. जी. ने इंक्वायरी की है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी, आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मगर आतंकवादियों को आप मदद तो मत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। अब अंकित मत करें। अब आप विराजिये अब दूसरा प्रश्न आने दें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : आई. जी. की रिपोर्ट तो मानो। आपके डिपार्टमेंट का आई. जी. है। आई. जी. जेल ने यह कहा है कि यह वाकई में सही तथ्य है। उसके आधार पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब आई. जी. ने खुद ने मान लिया है। आपके डिपार्टमेंट का आई. जी. है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, केवल आतंकवादी का नाम आ गया, इसीलिए यह प्रश्न सीरियस हो गया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नहीं-नहीं, आतंकवादी का नाम नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सीरियस जो चार्ज लगे हैं हम उनकी बात करते हैं....(व्यवधान) यह आपके डाकुमेंट हैं। आफिशियल डाकुमेंट हैं।

श्री अध्यक्ष : बात तो सुनें आप। बात भी नहीं सुनेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस अधिकारी के खिलाफ 9 शिकायतें हुई हैं। चार शिकायतों में वह बरी हो गया, उसके खिलाफ शिकायत साबित नहीं हुई। पांच की इंक्वायरी पेंडिंग है, वह आपको बता दी गयी और उसको लगाने का काम 1986 में हुआ फिर 1989 में लगाया....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : शिडयूल्ड कास्ट का फर्जी डाकुमेंट दिया है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1991 में वहां से हटाया। अभी तक उसके खिलाफ जांच होकर कोई भी शिकायत साबित नहीं हुई है। जो चार शिकायतों की जांच हुई वह असत्य पायी गयीं, वह बरी हो गया और जब तक वह शिकायतें

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उसकी जांच होकर साबित नहीं हो जातीं...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको कोई जानकारी तो है नहीं...(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तब तक उसमें एक्शन लेना...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको जानकारी नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको कतई जानकारी नहीं है। आप उन दोनों के नाम बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं समझता हूं कि आप सारे इस बात को समझते हैं इसलिये इस प्रश्न को ख्वामख्वाह बहुत गम्भीर है, बहुत गम्भीर है, यह कोई बात नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बहुत गम्भीर है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नाम बता दीजिये...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बहुत गम्भीर है। आपके लिए गम्भीर नहीं होगा लेकिन हमारे लिये गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सिम्पल तथ्य हैं, जो हमने आपको बता दिये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह बताइये कि क्या बीकानेर की जेल में आतंकवादी नहीं रहते हैं, क्या गंगानगर की जेल में आतंकवादी नहीं रहते हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत गम्भीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : और उसको उस वक्त माना कि भ्रष्टाचार किया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर ने और आई. जी., श्री दुग्गड़ ने क्या जांच की? जिला कलेक्टर की तो क्या शिकायत है और आपके जिला कलेक्टर ने इस अधिकारी के खिलाफ डी. ओ. लैटर से जो शिकायत की है, जिसको आधार बनाया गया है, वह क्या शिकायत है, वह पढ़कर सुनायी जाए? नम्बर वन। आई. जी. श्री दुग्गड़ ने जो इसकी जांच की है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? वह बताइये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष जी, जो सी. ओ. एण्ड सी. एन. डब्ल्यू. के बारे में शिकायतें हैं, उसके लिये हमारे डी. जी., श्री दुग्गड़ पिछले पखवाड़े वहां गये थे। उसके सम्बन्ध में सारा रिकार्ड उन्होंने यहां पर मंगवाया है, कुछ साथ लेकर के भी आये थे और वह सारी की सारी जांच चल रही है। अब इस सारे सन्दर्भ में मैं यह निवेदन कर रहा था, कि उनका वहां पर नियंत्रण का अभाव भी था और वह इसलिये था कि स्टाफ में जेलर और मिठ्ठूलाल चौहान, जो अधीक्षक ग्रेड-II था, उनके बीच में जो गुटबाजी थी, उसकी वजह से नियंत्रण का अभाव था इसलिये उनको हटाया गया था। यही इसका मोटा-मोटा सार है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कलेक्टर ने क्या लिखा है?

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी।

श्री कुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सरकार बराबर...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : अब कोई अंकित नहीं हो। आप विराजिये।

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री रूपारामजी।

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय रूपारामजी। विराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री अध्यक्ष : आप कहां की बात कर रहे हैं। आप विराजिये। बिना अनुमति के माननीय जुबेर खानजी नहीं बोलें। विराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा चैलेन्ज नहीं करें। उस दिन भी मैंने कहा था। अंकित नहीं होगा। आप विराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आधा घंटा हो गया एक प्रश्न में, आप दूसरे प्रश्न भी आने दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री रूपारामजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : अब अप विराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा हो गया। माननीय सदस्य, तीन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, रोजाना आप ऐसे ही कर रहे हैं, दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न नहीं आते हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री तैयब हुसैन : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री ख़ेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, आधा घंटा हो गया आपको बोलते हुए। विराजें आप। श्री रूपाराम जी।

श्री ख़ेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(12)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सब विराजें अब। चर्चा आतंकवाद पर नहीं हो रही है। केवल जेल अधीक्षक के बारे में सूचना चाही गयी है। _(व्यवधान)_विराजें आप। _(व्यवधान)_ आप बैठ जाओ, यहां आ जाओ, बैठ जाओ आप। _(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं अब, विराजें आप। _(व्यवधान)_ अच्छा आप बाकी रह गये तो आप भी बोल लो। इसमें और कोई माननीय सदस्य बाकी रह गया हो तो वह भी बोल लें। _(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे गम्भीर मामले के अन्दर_(व्यवधान)_

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक सैकण्ड का मामला है_(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा :_(व्यवधान)_ आदमियों को मार दिया, उसमें बच्चे मार दिये_(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप आदेश करवा दीजिये दो मिनट में बात खतम हो जाएगी। _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो आल राउण्डर हो कहीं से बोलो, वहां से बोलो और इधर से बोलो। _(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन का कीमती समय है_(व्यवधान)_सस्पैण्ड कर दें, सदन का कीमती समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? _(व्यवधान)_

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार इस बात के लिये जवाब दे कि आतंकवाद को रोकने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है;_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। एक मिनट विराजें आप।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के अन्दर पिछले वर्ष निरन्तर_

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री रामनारायण डूडी : जो आतंकवादी गतिविधियां पैदा हुई_

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री रामनारायण डूडी : और जेलों के अन्दर लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कुछ तो आसन का सम्मान करना सीखिये।

मैं निवेदन कर रहा हूं यह क्वेश्चन सुपरिंटेंडेंट से मुतल्लिक है कि उन्होंने कब क्या किया। उनकी इंक्वायरियां चल रही हैं और यह इसमें कहीं नहीं आया है कि आतंकवादियों की वजह से यह सारा का सारा हो रहा हो।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

—(व्यवधान)—आप सुनिये पहले। यह आतंकवाद पर चर्चा नहीं है जिसके लिये बार-बार हैम्पर किया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, तो यह कह रहे हैं कि जांच पेंडिंग है और इंक्वायरी करेंगे। —(व्यवधान)—

श्री हीरालाल इन्दौरा : मंत्रीजी तो वकालत कर रहे हैं उनकी। —(व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सुविधा दी जा रही है आतंकवादियों को उस जेल में कौन-कौन बंद हैं ? आप यह बताइये —(व्यवधान)—

श्री जुबेर ख़ान : क्या उस जेल में आतंकवादी नहीं रहते हैं और अगर अधीक्षक थे तो —(व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उस जेल में कौन-कौन बंद हैं ? —(व्यवधान)—

श्री अमराराम (धोद) : इससे ज्यादा और क्या होगा। —(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कितने आतंकवादी बीकानेर जेल में बंद हैं, कितने आतंकवादी गंगानगर जेल में बंद थे और उनको सुविधा जेल अधीक्षक प्रदान करता है। —(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, विराजें आप —(व्यवधान)—

श्री जुबेर ख़ान : क्या बीकानेर सैंट्रल जेल में आतंकवादी मौजूद नहीं हैं ? —(व्यवधान)—

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि श्री मिठूलाल चौहान को अनुसूचित जाति का मानकर उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको प्रमोशन दिया गया। यह आर्डर है राजस्थान सरकार—

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुनना चाहते हैं तो पूरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मामला इसमें कहीं पर भी आतंकवाद को लेकर शिकायत नहीं है, नम्बर एक। पहले आपको बता दिया है कि इसका 1986 में गंगानगर से तबादला हुआ फिर 1991 में तबादला हुआ। 1993 में इस व्यक्ति की भूल से हरिजन कोटे में पदोन्नति हुई —(व्यवधान)—

श्री अमराराम (धोद) : भूल किसने की, इसको ही बता दें। —(व्यवधान)—

एक माननीय सदस्य : भूल से हमें मंत्री बना दीजिये। —(व्यवधान)—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राष्ट्रपति शासन में। —(व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : भूल से सिफारिश हो गयी—

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उस समय गवर्नर शासन था, राष्ट्रपति शासन था उस समय। —(व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें एक मिनट।

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, विराजें। ...(व्यवधान)...अध्यक्ष के खड़े होने का कोई मायना होता है। ...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री अध्यक्ष : इंदिरा मायारामजी...(व्यवधान)...आराम से यहां आकर के खड़े होकर भाषण दो आप। ...(व्यवधान)...फिर क्या मतलब हुआ अध्यक्ष की व्यवस्था का। ...(व्यवधान)...मैं जो आपको कह रहा हूं, आप सब जने बार-बार एजिटेड कर रहे हैं, इस प्रश्न पर पौन घंटा लगवा रहे हैं। ...(व्यवधान)... माननीय उप मुख्य मंत्री कोई बात कहना चाह रहे हैं, आप उनको पूरा सुनेंगे भी नहीं। माननीय मुख्य सचेतकजी, आप अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों को कम से कंट्रोल में तो करें।...(व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य : हम कंट्रोल में हैं।...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप सुन तो लीजिये।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : हम कोई गलत बात नहीं कह रहे, हम कंट्रोल में हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें आप।...(व्यवधान)...आप विराजें पहले।... (व्यवधान)...आप पहले यह स्पष्ट करो कि आप क्या कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...आप विराजें। रामस्वरूपजी, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं आप विराज जाएं।...(व्यवधान)... रास्वरूपजी, आप विराज जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आतंकवाद पर कंट्रोल करो पहले। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कोई अर्थ नहीं है इसका तो।...(व्यवधान)...आप बैठ जाओ फिर यहां आकर। ...(व्यवधान)...

जब माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कोई बात पूरी कर रहे हैं, उनकी बात आप सुनें पूरी उसके बाद कोई बात करें। आप पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं और खड़े हो रहे हैं जैसे कोई और दूसरा तो समझदार है ही नहीं यहां। ...(व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य : आप जवाब दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यह भी बतायें कि **उसका प्रमोशन कब हुआ और उसके लिये कौन जिम्मेदार था?**

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 1994 में, आई. एम. सारी, 1993 भूल से निकल गया था, 1994 में भूल से पहले इनकी हरिजन कोटे में पदोन्नति हुई।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जब इस बात का विभाग को पता चला तो 15 दिन बाद में उसका रिव्यू हुआ और जो बाद में पदोन्नति हुई वह जनरल कोटे में हुई। हरिजन कोटे में नहीं हुई, जनरल कोटे में हुई है और उस समय तक उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। सारी शिकायतें 1994 के बाद में आयीं हैं। 1994, 1995 और 1996 में सारी शिकायतें आयी हैं। उस समय कोई शिकायत नहीं हुई थी। इसलिये आर्डिनेरी तरीके से, आर्डिनेरी सोर्स से 1994 में ही इनकी जनरल कोटे में पदोन्नति हुई। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कुछ केसेज के अंदर हरिजनों के हितों के ऊपर कुठाराघात किया है। ऐसे भूल करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो पदोन्नति हुई, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि डी. पी. सी. में जो प्रपत्र रखे उनमें कहीं किसी से मिस्टेक हुई है और अनुसूचित जाति (व्यवधान) लिख दिया गया (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। पूरी बात सुनें आप।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप पूरी बात तो सुनें। उसके बाद उसकी पदोन्नति हुई। पदोन्नति के बाद उस व्यक्ति ने मिट्ठूलाल चौहान ने खुद ने विभाग को यह लिखकर दिया कि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूं और उसके आधार पर उसकी रिव्यू डी. पी. सी. 21.5.94 को हुई और फिर वह जनरल कोटे में अपनी योग्यता के अनुसार आ गया। इसमें कहां क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ।— (व्यवधान)—

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कैसे नहीं हुआ? पहले उसने गलत (व्यवधान) कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि वह जनरल कोटे में आने वाला है तो उसने लिखकर दे दिया। पहले उसने जो सर्टिफिकेट दिया था उसके ऊपर क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : रिव्यू हुआ और रिव्यू होने के कारण फिर वापस रिव्यू डी. पी. सी. हुई और उसके आधार पर उसकी खुद की शिकायत पर वापस वरीयता के आधार पर पदोन्नति की गयी। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट विराजें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक मिनट मैं आपसे निवेदन कर दूं। आपने प्रमोशन दिया। उसमें कोई एतराज नहीं अगर काबिल होगा तो दे ही सकते हैं। लेकिन जब डी. पी. सी. होती है तो हरेक आदमी की फाइल उसके सामने आती है। उस फाइल पर निश्चित रूप से अनुसूचित जाति लिखा हुआ होगा तभी उन्होंने अनुसूचित जाति का मानकर उसको पहले प्रमोशन दे दिया। फिर वह जनरल कोटे में भी प्रमोशन में

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आ रहा था तो उन्होंने कह दिया कि नहीं। यह **गलती से लिखा गया है, मैं तो** जनरल कोटे का हूं। इसमें चार सौ बीसी तो हुई है, मुख्य मंत्रीजी, अब आप कार्यवाही करें या नहीं करें यह आपकी मर्जी है। बाकी इसकी निश्चित तौर पर जांच करवायें और जांच करने से आपको सही हालत मालूम हो जाएगी। वैसे यह सस्पैण्ड होने लायक केस है। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) एक मिनट विराज जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, सोनगरा जी ने जवाब दिया और अब चतुर्वेदी जी जवाब देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि यह + + + सिवाय सी. एम. साहब के कोई जवाब नहीं दे सकता। इनको इस बात की जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री शिवनाथ सिंह : XXX

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने डी. ओ. पी. से सम्बन्धित विषयों का उत्तर देने के लिये मुझे अधिकृत किया है इसलिये आपकी आज्ञा से इस विषय के बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट्स प्रमोशन की जो कमेटी होती है वह डी. पी. सी. करने वाली कमेटी, जो एप्लिकेंट होता है, उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। उस डी. पी. सी. को करते समय जो उसकी पिछले पांच या सात साल की ए. सी. आर. होती है उनको अपने पास मंगवा कर राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य डी. ओ. पी. सैक्रेटरी और एक सैक्रेटरी उस विभाग का तथा विभागाध्यक्ष होता है, ये चारों मिलकर डी. पी. सी. करते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 25.2.1994 के दिन पहले डी. पी. सी. हुई। उस डी. पी. सी. में यह बात सच है कि अनुसूचित जाति उसके आगे लिखा हुआ था__(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसने लिखा? __(व्यवधान)__

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बात कह रहा हूं। बात तो कम्पलीट कर लेने दीजिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात की निश्चित रूप से जांच करायेगी कि अनुसूचित जाति किसने वहां **लिखा और जिसने भी लिखा है उसको निश्चित रूप से दण्डित किया जाएगा। किन्तु इसमें मिट्ठूलाल चौहान कहीं पिक्चर में नहीं** आता। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जब डी. पी. सी. की फाइन्डिंग्स मिनिट्स अप्रूव

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

होने के लिये गयीं और इसके विधिवत् आदेश हुए उस समय एप्लीकेंट को जानकारी हुई कि मुझे शिड्यूल्ड कास्ट के कोटे में डी. पी. सी. द्वारा प्रमोशन दे दिया गया है तो उस समय उसने प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे यह जो लिखा गया है यह किसने लिखा है, मुझे पता नहीं है किन्तु यह बात गलत है। इस आधार पर 21.5.1994 को, 2 मार्च के बाद रिव्यू डी. पी. सी. हुई और रिव्यू डी. पी. सी. में फिर इस बात को इंकित करते हुए सारा किया गया। और उस समय उसका प्रमोशन जनरल कोटे में किया गया। (व्यवधान) पूरी बात तो कर लेने दीजिये, एक मिनट पूरी बात कर लेने दीजिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस विषय में मिट्ठूलाल चौहान, प्रार्थी, जिसका प्रमोशन हुआ है वह कहीं डी. पी. सी. की दृष्टि से फाइन्डिंग्स में, पिक्चर में नहीं है। इतना मैं सच कहना चाहता हूं कि जिसने पहले से डी. पी. सी. के रेकार्ड में अनुसूचित जाति लिख दिया राज्य सरकार उसकी निश्चित रूप से जांच कराकर उस अधिकारी को दण्डित करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिट्ठूलाल चौहान आपसे कब मिले, मान्यवर, यह तो बताइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे क्यों मिलेगा? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपसे जब नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे क्यों मिलेगा?

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह प्रश्न हाउस में नहीं आता, क्योंकि...(व्यवधान) यह प्रश्न तो आज आया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रूपाराम जी, प्रश्न संख्या 89.

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो डी. ओ. पी. के इन्चार्ज हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मिट्ठूलाल चौहान ए. सी. आर. वहां पेश की गयी, उनकी फाइल पेश की गयी और उसमें यह बात थी ही नहीं और मिट्ठूलाल चौहान ने यह भी कहा कि मैं शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं हूं, मिट्ठूलाल चौहान ने यह भी बताया कि साहब मेरा प्रमोशन ड्यू है। आपने सारी बात इस तरह से कही कि मिट्ठूलाल चौहान ने आपको एक्सप्लेन किया हो और आप कहते हैं कि एक्स्प्लेन तो किसी ने किया ही नहीं...(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आप भी बहुत पुराने मिनिस्टर रहे हैं। डी. पी. सी. की प्रोसीडिंग्स की फाइन्डिंग्स की पूरी आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें प्रार्थी कहीं पिक्चर में नहीं आता, ए. सी. आर. पिक्चर में आती हैं, कमेटी पिक्चर में आती है, उन्होंने प्रमोशन किया, प्रमोशन की फाइन्डिंग्स हो गयी, मिनिट्स बन गये। मिनिट्स बनने के बाद जब आदेश हुए तब उसको मालूम हुआ, मालूम होने के बाद अनुसूचित जाति का मैं नहीं हूं, इसका प्रार्थना पत्र उसने दिया इसीलिए रिव्यू डी. पी. सी. हुई। मुझे कहां मिलेगा? मुझे मिलने का कारण क्या है?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ए. सी. आर. में नाम लिखा हुआ होता है। उसके आगे अनुसूचित जाति जरूर लिखा हुआ था या लिखा हुआ नहीं था? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :...(व्यवधान) और एक माह रह गया या नहीं रहा।

(18)

श्री अध्यक्ष : अब तो आगे का प्रश्न आने दें आप।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री है_(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय चतुर्वेदी साहब_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश है, अब आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ए. सी. आर. देखने वालों की आंख_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी, प्रश्न संख्या 89.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : क्या इसने प्रमोशन कोटे का लाभ नहीं उठाया? डी. पी. सी. के पहले शिड्यूल्ड कास्ट के कोटे में जब प्रमोशन दिया था, इस प्रमोशन का फायदा इस व्यक्ति ने उठाया या नहीं उठाया? यह कह दे आप तो बस_(व्यवधान) रिव्यू डी. पी. सी. के पहले उसने पद को जोइन किया या नहीं किया?_(व्यवधान) यह बता दीजिये कि रिव्यू डी. पी. सी. के पहले पद का लाभ इस व्यक्ति ने लिया या नहीं लिया?_(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आपने तो इसको निर्दोष करार दे दिया_(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय शक्तावतजी, आप भी मंत्री रहे हैं। रिव्यू डी. पी. सी. होने के बाद, आप बता दें_(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत :_(व्यवधान) क्या वह नौकरी में शिड्यूल्ड कास्ट कोटे में आया और उसका प्रमोशन शिड्यूल्ड कास्ट कोटे में हुआ? एक तरफ तो आप कहते हैं कि वह निर्दोष है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं_(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस विषय में_(व्यवधान) डी. पी. सी. के विषय में_(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नौकरी के अन्दर उसका सलेक्शन कैसे हुआ, पहले का प्रमोशन कैसे हुआ? क्या शिड्यूल्ड कास्ट कोटे के अन्दर हुआ है? वह पहले दोषी नहीं है यह बात_(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, उसके आदेश में लिखा हुआ है और यदि आदेश की पालना में उसे ड्यूटी जोइन करायी_(व्यवधान) हम नहीं आने देंगे आप बताइये इसका_(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अब यह स्पष्ट है कि + + +

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब यह स्पष्ट हो गया है कि उसे शिड्यूल्ड कास्ट का गलत सर्टिफिकेट देना स्वयं ने स्वीकार किया है। उसने स्वयं ने स्वीकार किया है फिर भी आप उसको बचाना चाहते हैं_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 28 प्रतिशत होना चाहिये_(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : **माननीय मुख्य मंत्री जवाब दें इस बात का, यह बात समझ में नहीं आयी, आप जवाब दें इस बात का_(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + यह साफ जाहिर हो गया है कि + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं सुन पाया हूं, मैंने कागज नहीं देखे हैं लेकिन जो कुछ सुन पाया हूं, उसके आधार पर मैं आपको सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। मिट्ठूलाल चौहान नामक व्यक्ति को डी. पी. सी. के द्वारा अनुसूचित जाति के कोटे में प्रमोशन दिया गया जब प्रमोशन होने के आर्डर्स हो गये तो उसी आदमी ने एप्लाई किया कि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं कहा...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहर जाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको पूरा मालूम नहीं है माननीय मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महादेय, ये डी. पी. सी. वाले...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात नहीं सुनेंगे तो स्पष्ट ही नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप : जो प्रमोशन से वंचित रह गये हैं अनुसूचित जनजाति के उनको अब लाभ मिलेगा क्या?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। पूरी बात सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, चाहे एक महीने के बाद में दिया, एक महीने की बात मैं मंजूर करता हूं डेढ़ महीना भी हो सकता है, दो महीने भी हो सकते हैं, जब भी उसका प्रमोशन हुआ उस प्रमोशन के बाद में उसने सूचना दी कि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : ड्यूटी जोइन की या नहीं की सीधा सा सवाल है? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहर जाइये आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?

श्री शिवनाथ सिंह : हमें जवाब दिलवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब जवाब दूंगा, जल्दी न करें। उसके ऊपर रिव्यू डी. पी. सी. हुई और रिव्यू डी. पी. सी. होने के बाद वह जनरल कोटे में आया। अब क्वेश्चन केवल इतना सा है कि क्या वह पूर्व में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कोटे से नियुक्त हुआ था? नम्बर एक। क्या उसने रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति कहीं लिखा था और बाद में यह क्यों बदला? जिस समय उसने यह लिखा कि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूं, क्वेश्चन तो इतना सा ही है।

श्री शिवनाथ सिंह : इतना सा नहीं है साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक मिनट बैठ तो जाओ आप क्यों जल्दी कर रह हो? इस तरह पूर्व रिकार्ड में अनुसूचित जाति का होना बताया गया है वह सही है या नहीं पहला क्वेश्चन तो यही है और सही है, तो उसका डी. पी. सी. के द्वारा प्रमोशन होने के बाद उसने वापस लिखकर क्यों दिया कि मैं अनुसूचित

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(20)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाति का नहीं हूं_(व्यवधान) आप अजीब बात कर रहे हैं_

श्री हीरालाल इन्दौरा : इससे पहले_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन दोनों में विरोधाभास है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है, तो फिर क्वेश्चन क्या है?

श्री रूपाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब टाइम हो गया है इस प्रश्न को स्थगित करें आप।_(व्यवधान) चर्चा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : सवाल यह है कि रिजर्व कोटे से जोइन किया कि नहीं?

श्री जुबेर खान : इनके आतंकवादियों से सम्बन्ध हैं इसकी भी जांच कराई जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्वेश्चन यह है मुख्य मंत्रीजी कि उसने अनुसूचित जाति का फायदा उठाया पहले और जब देखा कि जनरल कोटे में नम्बर आने वाला है, तब लिखकर दिया। पहले अनुसूचित जाति के कोटे के आधार पर प्रमोशन का लाभ उस व्यक्ति ने उठाया अगर यह लाभ नहीं उठाता तो दूसरे व्यक्ति का हक मारा गया दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन मिलता, यह जो बेईमानी दो महीने की, तीन महीने की है, उसकी जांच करवा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो शब्द कहे हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर मैं जांच करवा लूंगा।

श्री जुबेर खान : इनकी आतंकवादियों से सांठ-गांठ है।_(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले पूरा प्रश्न पढ़ने दीजिये_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 89.

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इनकी आतंकवादियों से साठ-गांठ है_(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : दो साल का समय निकल गया, दो साल में क्या कार्यवाही हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 1994 को यह घटना हुई_

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। 31 मई, 1995......(व्यवधान)

श्री रूपाराम (मकराना) : मैं तो पहली बार ही बोला हूं, मंत्रीजी जवाब देंगे दो-ढाई साल में पहली बार तो नम्बर आया।

श्री जगदीप धनखड़ : यह समय मिलीभगत से निकला है।

श्री रूपाराम : आपकी तो रोज ही सुनते हैं, अपनी कोई नहीं सुनता है_(व्यवधान) प्रश्न संख्या 89.

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना अहम मसला है और आपने यों ही डिसीजन दे दिया, इस प्रश्न को स्थगित करायें आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उसका नौकरी में प्रमोशन लेना यह सैकण्डरी चीज है मैं फिर कहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब_(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी_(व्यवधान) बीकानेर और गंगानगर की जेल के अन्दर आतंकवादियों से_(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप इसको पढ़ें।

श्री रूपाराम : इस प्रश्न को स्थगित_(व्यवधान) ऐसे कैसे कह दिया आपने।

श्री रामस्वरूप : आतंकवाद के बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया और इसमें साफ लिखा है_(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको सस्पैण्ड करवा दीजिये उसके बाद उसकी जांच करवा लीजिये। _(व्यवधान)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में जो सरकार ने जवाब दिया है उसी को वापस पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दिनांक 8.4.86 को श्री चौहान का स्थानान्तरण गंगानगर जेल से, जहां आतंकवादी थे, उचित नियंत्रण नहीं रखने के कारण किया है_(व्यवधान) दूसरी बात दिनांक 10.9.91 को कारागार में बन्द आतंकवादियों के विभिन्न गुटों में हुए झगड़ों पर नियंत्रण में शिथिलता बरतने के कारण किया गया है और फिर 1994 में लगा दिया इनको और आप कह रहे हैं कि यह आतंकवादियों से मिले हुए नहीं हैं।_(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सरकार को यह_(व्यवधान) पहले आतंकवाद वाली बात से_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की व्यवस्था आप ही बनाने वाले हैं। ढाई साल में कम से कम सौ-डेढ़ सौ क्वेश्चन लगाने के बाद पहली बार ही तो मेरा नम्बर आया है। आपने पुकारा, मैंने कंटीन्यू कहा है प्रश्न संख्या 89, मैंने आठ दफा कहा प्रश्न संख्या 89, अध्यक्ष महोदय, सदन के नियम और शालीनता के अनुसार चलने वाले विधायक का तो ध्यान कीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला धौलपुर में वसूली गयी अवैध रायल्टी

87. श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर जिले में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कितनी रायल्टी अधिकृत पट्टेधारी एवं अनधिकृत से वसूल की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एम. एम. सी. आर. 1986 के तहत अनधिकृत खनिज पर एक गुना रायल्टी वसूल करने का कानूनी प्रावधान है? यदि नहीं, तो रायल्टी नियमानुसार बारह गुना वसूल क्यों नहीं की जा रही है? यदि हां, तो बारह गुनी रायल्टी के रूप में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अब तक कितनी राशि वसूल की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अनधिकृत खनिज से बारह गुना रायल्टी वसूल करने के स्थान पर एक गुना वसूल करने से सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में खननपट्टों के स्थिर भाटक एवं रायल्टी से वर्ष 1995-96 में रुपया 94.58 लाख एवं 1996-97 में (जून, 96 तक) रुपया 22.93 लाख वसूल किये गये। अनधिकृत खनन कार्य व अनधिकृत खनिज वाहनों से वर्ष 1995-96 में रुपया 31,400/-

(खनिज मंत्री)

की राशि वसूल की गई है तथा वर्ष 1996-97 में अब तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ (I)(II) संलग्न है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995-96 में भी जून, 95 तक कोई राशि वसूल नहीं की गयी थी।

(2) जी नहीं। जब भी अनधिकृत खनन कार्य एवं निर्गमन का मामला पकड़ा जाता है तो एम. एम. सी. आर. 1986 के अनुसार रायल्टी की 10 गुनी रायल्टी वसूल की जाती है। वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अनाधिकृत खनन एवं निर्गमन से वसूली की सूचना प्रश्न के भाग-1 में दी गयी है।

(3) जी, नहीं। अनधिकृत रूप से खनन किए गए खनिज की मात्रा पर रायल्टी की दस गुना राशि वसूल करने का नियमों में प्रावधान है। इस प्रावधान में धौलपुर जिले के लिये कोई शिथिलता नहीं दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवीपुरा (सीकर) के मकानों का आबंटन

118. श्री अमराराम (धोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवीपुरा के दो सैक्टरों को पूर्ण हुए कितनी अवधि हो चुकी है?

(2) इस स्कीम के आवेदनकर्ताओं में से कितने आवेदनकर्ता, जिन्हें आबंटन नहीं हुआ है, किस-किस वर्ग के शेष रहे हैं? उन द्वारा किस वर्ष में आवेदन किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि देवीपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सीकर के निर्मित सभी मकानों का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवीपुरा को पूर्ण हुए दस वर्ष हो गये हैं।

(2) हाउसिंग बोर्ड ने देवीपुरा स्कीम विशेष के लिये कोई भी पंजीकरण नहीं खोला गया था। किन्तु सीकर हेतु अवेदनकर्ताओं में से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 250, वर्ष 1976 से 1985 तक अल्प आय वर्ग के 42 वर्ष 1981 से 1985 तक मध्यम आय वर्ग "अ" के 59 वर्ष 1981 से 1985 तक मध्यम आय वर्ग "ब" के 97 वर्ष 1981 से 1985 तक उच्च आय वर्ग को एक वर्ष 1987 के बेचे हुए हैं।

(3) देवीपुरा हाउसिंग कॉलोनी, सीकर में निर्मित 323 मकानों में से 313 मकानों का आबंटन किया जा चुका है। जिन आबंटियों को मकान आबंटन किया है उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका बूंदी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं रूपान्तरण

119. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी नगरपालिका की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नगरपालिका

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

के माध्यम से की गयी है? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई और कब समाप्त हुई? विलम्ब किन कारणों से हुआ और वर्तमान में क्या स्थिति है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी हुई? यदि नहीं, तो भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही में देरी के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान कई खातेदारों ने भूमि बेचान की है? यदि हां, तो किस-किस ने? नाम व खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगरपालिका बूंदी पूरी जमीन नहीं लेना चाहती है? यदि हां, तो कितनी जमीन नगरपालिका एवं आवासन मण्डल लेने जा रहा है? विवरण मय खसरा नम्बर एवं नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहंण की कार्यवाही संबंधित प्रक्रिया दिनांक 5.6.1990 को प्रारम्भ की गयी एवं अधिनियम की प्रक्रियात्मक का अनुसरण करते हुए दिनांक 20.9.95 को प्रस्तावित अवार्ड आदेश जारी कर दिये गये।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) मामला नवगठित बोर्ड के विचाराधीन है एवं इस सम्बन्ध में अभी तक नगरपालिका बूंदी द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिविल लाइन्स जयपुर स्थित कोठी नं. 7 का बेचान प्रकरण

120. श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (औसियां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिविल लाइन्स जयपुर, में मुख्य मंत्री निवास के समीप कोठी नम्बर 7 का बेचान किया गया है?

(2) यदि हां, तो बेचान किसे, किस नाम से एवं कब किया गया?

(3) बेचान की शर्तें क्या थीं तथा यह जमीन और कोठी कितनी राशि में बेची गयी?

उत्तर

(1) इस सम्पत्ति का राज्य सरकार द्वारा बेचान नहीं किया गया एवं न ही विक्रय कर दस्तावेज पंजीयन हेतु प्राप्त हुआ।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

नगर परिषद्/नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानदण्ड

121. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने नगर परिषद्/नगर निगम में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं? यदि हां,

(श्री विष्णु मोदी)

तो उक्त मानदण्ड कब निर्धारित किये गये और क्या सरकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनको परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

(2) अजमेर शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है और वर्तमान में कितने सफाईकर्मी उसके अनुपात में नियमित/अनियमित सेवा में हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था में वर्तमान में कार्यरत सफाईकर्मी कम होने से सफाई व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है ?

(4) क्या सरकार अजमेर शहर के अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए इसकी सफाई व्यवस्था का स्तर सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने नगर परिषद् व निगम में सफाईकर्मियों की नियुक्ति के लिये प्रति एक हजार की आबादी पर 4 सफाईकर्मी तथा 16.5 प्रतिशत लीव रिजर्व रखने का प्रावधान नियमों में किया हुआ है। यह मापदण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-24 (2) एसएमई/डीएलवी/66/4644 दिनांक 6.2.67 द्वारा निर्धारित किया गया है। इस मानदण्ड में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) अजमेर शहर में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4,02,700 है। वर्तमान में 1105 सफाईकर्मी नियमित सेवा में तथा 350 सफाईकर्मी अनुबन्ध पर रखे जाकर सफाई व्यवस्था की जा रही है।

(3) जी, नहीं। नियमित एवं अनुबंधित सफाईकर्मियों के अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर बड़े नालों में जे. सी. बी. द्वारा सफाई करायी जाती है। साथ ही शहर के अन्दर एवं बाहर कचरा उठाने का कार्य निजी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। जिस पर लगभग 87 लाख रुपये वार्षिक व्यय हो रहा है। अतः सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था हेतु समुचित व्यवस्था की हुई है।

मानसरोवर (जयपुर) के मकानों पर अवैध कब्जे

122. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल जयपुर द्वारा मानसरोवर जयपुर के मकान नम्बर 52/150 से 52/160 तक किस-किस व्यक्ति को कब-कब आबंटित किये गये? नाम व आबंटन के दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन मकानों का मण्डल द्वारा आबंटन नहीं किया गया? यदि हां, तो उक्त मकानों में कौन-कौन व्यक्ति कब से निवास कर रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि इन व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से पानी के कनेक्शन ले लिये हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? क्या यह भी सही है कि इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही कब-कब, किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथूराम अहारी)

(4) क्या सरकार इन अनधिकृत कब्जाधारियों को यहां से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उक्त मकान नं. 52/10 से 52/160 कुल 151 मकानों की वांछित सूचना संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उक्त मकानों का आबंटन मण्डल द्वारा किया गया है।

(3) जी, नहीं। इन्हें जल सम्बन्ध राजस्थान आवासन मण्डल ने करा कर दिये हैं।

(4) ये सभी मकान आवासन मण्डल द्वारा आबंटित हैं इसलिये अनधिकृत कब्जे की श्रेणी में नहीं हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उप खण्ड कार्यालय भोपालगढ़ में लगी आग की जांच

123. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य उपखण्ड भोपालगढ़ के कार्यालय में लगी आग से कार्यालय का रेकार्ड जल गया?

(2) यदि हां, तो क्या-क्या रिकार्ड जला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आग लगने की प्राथमिकी पुलिस थाना भोपालगढ़ में दर्ज करवायी गयी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? रिपोर्ट किसने दर्ज करायी? प्राथमिकी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी व किन-किन अधिकारियों ने मौका मुआयना किया तथा जांच किस स्तर पर चल रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्राथमिकी रिपोर्ट सहायक अभियंता की श्यामलाल तंवर द्वारा दर्ज करवायी गयी जिसकी पुलिस द्वारा जांच के पश्चात अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी। प्राथमिकी रिपोर्ट की वांछित प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा इसकी विभागीय जांच हेतु अधिशासी अभियंता जिला खण्ड प्रथम जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उपरोक्त अधिकारी ने खण्डीय लेखाकार एवं सम्बन्धित अंकेक्षक के साथ मौके का निरीक्षण किया। जांच अधिशासी अभियंता के स्तर पर प्रगति में है।

(प्रति/विवरण अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील रामगढ़ (अलवर) के ग्रामों हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प

124. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में तहसील रामगढ़ (अलवर) के ग्राम बेरे, बूजाका, नगलीवाल में हैण्ड पम्प लगाने की

(28)

(श्री जुबेर खान)

स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हैण्ड पम्प अभी तक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इन हैण्ड पम्पों के लगाने में हुई देरी के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम बास की ढाणी बेरे में, बुजाका की ढाणी मट्ठू का बास में, तथा ग्राम नगलीवाल में वर्ष 1995-96 में नहीं परन्तु 1994-95 में हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे। स्वीकृत हैण्ड पम्पों का वांछित विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं. ग्राम का नाम	स्वीकृत हैण्ड पम्प	
	संख्या	स्वीकृति तिथि
1. बास की ढाणी बेरे में	1	20.3.95
2. बुजाका की ढाणी में	1	20.3.95
3. नगलीवाल में	3	20.3.95

(2) उल्लेखित ग्रामों में चट्टानी एवं बोल्डरयुक्त भूमि है। चट्टानी एवं बोल्डर युक्त भूमि में ड्रिलिंग हेतु विभाग में **ड्रिलिंग मशीनों की संख्या कम है तथा उपलब्ध ड्रिलिंग मशीनें अन्यत्र कार्यरत होने के कारण बोरिंग करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।**

(3) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी नहीं है। आवश्यक ड्रिलिंग मशीन की व्यवस्था की जाकर शीघ्र ही बोरिंग की जा रही है।

उपखण्ड नैनवां के श्रमिकों की बकाया मजदूरी प्रकरण

125. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड नैनवां (खण्ड बूंदी) में मार्च, 1994 से जून, 1994 तक मस्टररोल पर कार्यरत रहे व्यक्तियों का वेतन (मजदूरी) भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? मस्टररोल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उल्लेखित अवधि का तीन कर्मचारियों श्री सुरेश कुमार भारती, श्री नरेश कुमार एवं श्री रामेश्वर को पारिश्रमिक का भुगतान उनके द्वारा राशि लेने से मना करने के कारण नहीं किया जा सका है। कर्मचारियों के भुगतान की राशि क्रमशः श्री सुरेश कुमार भारती (374 रुपये), श्री नरेश कुमार (1716 रुपये), श्री रामेश्वर (572 रुपये) कोष कार्यालय में जमा करा दी गयी है। मस्टररोल की प्रति संलग्न है।

(2) कर्मचारी उनकी बकाया राशियों का **भुगतान जब चाहें आवश्यक आपैचारिकताएं पूर्ण कर प्राप्त कर सकते हैं।**

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-126

(स्थगित)

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में स्वीकृत कार्य

127. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 व 1995-96 में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्षों में नाड़ियां व तालाबों की स्वीकृति भी हुई थी व स्वीकृत होने के 10 व 15 दिनों में ही वर्षा हो गयी जिससे नाडियां व तालाब भर गये ?

(3) क्या इन कार्यों की एम. बी. भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी गयी थी ? यदि हाँ, तो एम. बी. की कार्यवार प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 व 1995-96 में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। उक्त वर्षों में तालाब खुदाई के 12 कार्य स्वीकृत हुए थे। स्वीकृति एक जून, 94 को जारी हुई थी एवं कहीं-कहीं जून के अन्तिम सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो गयी थी।

(3) जी हां। इन कार्यों की एम. बी. भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी गयी थी। एम. बी. की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-"ख")

(विवरण/प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला टोंक के अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

128. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिला अकाल पीड़ित घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव किस-किस तहसील के कितने-कितने खराबे के घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अकाल पीड़ित क्षेत्रों में क्या व्यवस्था कर रही है जिससे वहां के लोगों को अकाल से निपटने में मदद मिल सके ?

(3) क्या यह सही है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य खोले गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से काम कितनी श्रमिक संख्या के साथ मंजूर किये गये ?

(4) मंजूरशुदा कार्यों में से कौन-कौन से काम पूर्ण कर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। अभाव घोषित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य एवं अन्य विभागीय योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(3) जी हां। खोले गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम अभिकरण	स्वीकृत कार्यों की सं.	स्वीकृत श्रमिकों की सं.
1	2	3	4
1.	सा. नि. विभाग	51	10310
2.	सिंचाई	40	2985

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

1	2	3	4
3.	भू-संरक्षण	9	880
4.	पं. स. टौंक	136	3750
5.	पं. स. निवाई	120	3140
6.	पं. स. उनियारा	154	5150
7.	पं. स. देवली	126	3880
8.	पं. स. मालपुरा	123	3330
9.	पं. स. टोडारायसिंह	118	3155
	योग	877	36580

(4) टौंक जिले में अभाव सम्वत् 2052 के स्वीकृत कार्यों में से निम्न कार्य पूण कर दिये गये हैं :—

क्र.सं. नाम पंचायत समिति	कराये गये पूर्ण कार्यों की संख्या
1. टौंक	40
2. निवाई	53
3. उनियारा	26
4. देवली	25
5. मालपुरा	16
6. टोडारायसिंह	44
योग	204

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नालोट (श्री माधोपुर) के राहत कार्यों पर व्यय की जांच

129. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नालोट ग्राम पंचायत जोरावर नगर तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में ओलावृष्टि से हुई क्षति के लिये राहत स्वरूप राशि दी गयी थी ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी ?

(2) क्या उक्त राशि वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर जांच होकर राशि का गलत वितरण होने के तथ्य भी सामने आये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि ?

(3) इस सम्बन्ध में उप जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना द्वारा की गयी जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस सम्बन्ध में गलत वितरित की गयी राशि की वापस वसूली की जानी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इस राशि की अब तक वसूली नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जिन काश्तकारों को राहत स्वरूप राशि दी गयी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां प्रकरण की जांच पर हुनमान, भूरा, गोपी, नारायण पुत्र गंगूराम गुर्जर निवासी नालोट को 200 रुपये की राशि का गलत भुगतान किया गया है।

(3) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना द्वारा की गयी जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी, हां।

(5) सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी। अब निर्णय किया जाकर सम्बन्धितों को दण्डित

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

किया जाकर तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को गलत भुगतान हुई राशि सम्बन्धित काश्तकार से वसूल करने के निर्देश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटडा (उदयपुर) का छात्रावास

130. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर विभाग का छात्रावास संचालित है? यदि हां, तो यह छात्रावास कितने छात्रों हेतु स्वीकृत है?

(2) क्या यह भी सही है कि यह छात्रावास राजकीय भवन में संचालित है? यदि हां, तो इस भवन में कुल कितने कमरे, स्टोर, रसोई आदि कब से निर्मित हैं?

(3) वर्तमान भवन कितने छात्रों के आवास हेतु पर्याप्त है एवं क्या भवन की स्थिति आवास योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्या छात्र संख्या के अनुरूप भवन निर्माण एवं मरम्मत व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर एक अनुसूचित जनजाति का बालक छात्रावास संचालित है। जिसकी स्वीकृत छात्र संख्या 125 है।

(2) यह सही है कि छात्रावास राजकीय भवन में संचालित है। इस भवन में सात कमरे हैं। रसोई आदि की पृथक व्यवस्था है।

(3) भवन 125 छात्रों के आवास हेतु अपर्याप्त है। भवन पुराना होने से मरम्मत योग्य है। छात्र संख्या के अनुरूप भवन का विस्तार एवं मरम्मत के कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर करवाये जायेंगे। मरम्मत का तखमीना बना लिया गया है। मरम्मत का कार्य भी यथाशीघ्र करवा लिया जायेगा।

आदर्श ग्रामों को उपलब्ध सुविधाएं

131. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में किस-किस गाँव की जनसंख्या का आधा एवं उससे अधिक भाग अनुसूचित जाति का है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जिस गांव की जनसंख्या का आधा या उससे अधिक भाग अनुसूचित जाति का होगा को आदर्श गांव घोषित करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो घोषित किये जाने वाले आदर्श गांवों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के घोषित आदर्श गांव में अब तक क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार घोषित आदर्श गांव में पर्याप्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 एवं 1991 की जनसंख्या के आधार पर विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में निम्लिखित गांवों की जनसंख्या

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

का आधा एवं उससे अधिक भाग अनुसूचित जाति का है। ग्रामवार सूची निम्न प्रकार है जो सदन के पटल पर रख दी गयी है :—

तहसील	ग्राम	कुल जन-संख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत
अ. 1981 की जनगणना के आधार पर—				
राशमी	रामपुलिया	98	63	64
	करजिया	201	108	54
	करास	215	113	53
गंगरार	पीपलियां कलां	418	254	61
	गैलिया	602	333	55
	बख्तपुरा	88	46	52
ब. 1991 की जनगणना के आधार पर—				
राशमी	रामपुरिया	85	43	51
	करजिया	205	117	57
	उत्तमपुरा	197	197	100
	चमनपुरा	352	341	97
गंगरार	पीपलियां कला	481	289	60

(2) 1981 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांव को 1994-95 में सम्बल ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है तथा प्रत्येक जिले में 1 से 3 गांव तक सम्बल ग्राम को आदर्श सम्बल ग्राम घोषत किया गया है। राशि की उपलब्धता के आधार पर आदर्श सम्बल ग्रामों में निम्न सुविधाएं प्रदान किया जाना प्रस्तावित था :—

1. खंरजा/कातला पत्थर के रास्तों का निर्माण एवं आन्तरिक सड़क निर्माण।

2. चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जनोपयोगी सुविधाएं, डाकघर, तारघर आदि का आवश्यकतानुसार निर्माण सम्बन्धी विस्तार कार्य।

3. पाठशाला में विस्तार/मरम्मत एवं अधिकतम दो कमरों का आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य।

4. सामुदायिक सुविधा केन्द्र आदि।

5. अनुसूचित जाति के परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना।

6. जलोत्थान एवं अन्य सिंचाई योजनाएं।

7. स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य कोई कार्य।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव पीपलियां कलां (पंचायत समिति गंगरार) तथा रसूलपुरा (पंचायत समिति निम्बाहेड़ा) का चयन आदर्श सम्बल ग्राम के रूप में किया गया है। इन ग्रामों में सुविधाएं विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करवायी जानी थी, किन्तु कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद की राशि को मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, सम्पर्क सड़क आदि पर व्यय किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण अभी तक चयनित आदर्श गांवों में निगम द्वारा कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकी हैं।

(4) राशि की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में सम्बल ग्रामों में आधारभूत सुविधाएं हेतु राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से धनराशि प्रदान की जा रही है। ग्रामों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

जोधपुर में संचालित निराश्रित गृह

132. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में अनुदानित निराश्रित गृह में 62 बालकों के होते हुये भी एक यूनिट (25 बालकों) का ही अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निराश्रित गृह (बाल शोभा गृह) द्वारा द्वितीय यूनिट स्वीकृति हेतु करीब छह माह पूर्व कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों/निराश्रित गृहों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें जो अनुदान व वेतनमान दिया जाता है वह कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को अनुदानित विद्यालयों (शिक्षा विभाग) द्वारा शिक्षकों के वेतनमान के बराबर दिया जा रहा वेतन दिये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग के आदेश क्रमांक 17477 दिनांक 30.3.88 द्वारा संस्था को एक यूनिट (25 बालकों की) स्वीकृत की गयी थी, इसलिये एक ही यूनिट (25 बालकों की) के लिये अनुदान दिया जा रहा है।

(2) विभाग द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे निराश्रित बाल गृह हेतु 82 यूनिट ही स्वीकृत हैं। स्वीकृत यूनिटों के अन्तर्गत ही आवश्यक कार्यवाही कर संस्था के लिये अतिरिक्त यूनिट स्वीकृत की जानी है जिसकी कार्यवाही जारी है।

(3) नीति निर्धारण के अनुसार निराश्रित बालगृह की प्रत्येक इकाई के लिये 200.00 रुपये प्रति बालक प्रतिमाह तथा गृह संचालन हेतु सुपरवाइजर को रुपये 300, गृह माता को रुपये 600, कुक को रुपये 350 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

अनुदानित छात्रावासों में कार्यरत अतिरिक्त अधीक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जाता है। उन्हें रुपये 250 प्रतिमाह के अनुसार मानदेय भत्ता दिया जाता है तथा अनुदानित छात्रावास में कार्यरत अंशकालीन रसोईया को रुपये 600 प्रतिमाह प्रति सत्र में 10 माह के लिये दिया जाता है।

उदयपुर में उचित मूल्य की दुकानों से वितरित सामग्री

133. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न जिलों में उचित मूल्य की दुकानों से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौनसा राशन दिया जाता है तथा प्रति व्यक्ति यह राशन कितना दिये जाने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति शक्कर प्रति माह 425 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम ही दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर में अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों से प्रति माह शक्कर, गेहूं एवं केरोसिन ही दिया जाता है ? यदि हां, तो अन्य सामग्री नहीं दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सभी जिलों में उचित मूल्य की दुकानों से सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 15

(32)

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

किलो व चयनित क्षेत्रों में 20 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, चावल 6 किलो ग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह, चीनी 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं केरोसिन तेल 5 लीटर से 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्धता के अनुसार देने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं, जिला कलेक्टरों द्वारा चीनी के आबंटित कोटे को एवं जनसंख्या को मध्यनजर रखते हुए वितरण की जाने वाली मात्रा में कमी बेशी राज्य सरकार से जारी आदेशों के अनुसार करते हैं।

(3) जी नहीं। उदयपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन तेल के अलावा उपभोक्ता संघ से प्राप्त चाय, नमक, साबुन का भी वितरण कराया जाता है।

राजस्थान खादी बोर्ड को केन्द्र से प्राप्त अनुदान राशि

134. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक राजस्थान खादी बोर्ड को केन्द्रीय सरकार से कितनी-कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह सही है कि **केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु अनुदान राशि बन्द किये जाने का** निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो अनुदान राशि बन्द किये जाने से इस क्षेत्र में लगी इकाइयों/कर्मियों के हितों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार से सीधी राज्य बोर्ड को अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई से राज्य बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग के विकास हेतु निम्न अनुदान राशि प्राप्त हुई :—

वर्ष	अनुदान (राशि लाख रुपये)
1993-94	12.12
1994-95	01.11
1995-96	01.32

(2) यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कंसोरटियम बैंक वित्त योजना को दिनांक 1.4.1996 से लागू कर दिये जाने के कारण ग्रामोद्योगों में उपकरणों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि बंद कर उसके स्थान पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ब्याज रहित ऋण के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ऋण व ब्याज की राशि समय पर अदायगी के पश्चात मर्जिन मनी को अनुदान में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान है। इससे इस क्षेत्र में लगी इकाइयों/कर्मियों के हितों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। खादी उद्योग में उपकरणों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि कंसोरटियम योजना से प्रभावित नहीं है।

रैफरल चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड

135. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रैफरल हास्पिटल खोलने के क्या मानदण्ड हैं तथा रैफरल हास्पिटल में सरकार द्वारा रोगियों को किस-किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ?

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

निर्धारित मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हिण्डौली में कोई रैफरल हास्पिटल सरकार द्वारा घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो क्या वह सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करता है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त अस्पताल को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कब तक मूर्त रूप देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रैफरल अस्पताल) प्रत्येक पंचायत समिति में एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर स्थापित किये जाते हैं। हालांकि कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं फिर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबोरेटरी, एक्सरे, रोगी वाहन व ई. सी. जी. की सुविधाएं साधारणतः प्रदान की जाती हैं। उक्त चिकित्सालय कम से कम 30 रोगी शैय्यायुक्त होता है।

(2) जी हां। मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। वर्ष 1995-96 में रोगी वाहन एवं ई. सी. जी. मशीन उपलब्ध करायी गयी है एवं लेबोरेटरी की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है। एक्सरे रूम, डार्क रूम हेतु 0.90 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। निर्माण पूर्ण होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक्सरे मशीन समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर

136. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल स्थित मोर्चरी में पोस्टमार्टम या अन्य कारणों से रखे जाने वाले शवों के लिए क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि वातानुकूल संयंत्र न होने से शवों की स्थिति खराब हो जाती है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए इस मोर्चरी के विस्तार एवं वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना के बारे में कोई विचार रखती है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर स्थित मोर्चरी के स्थान पर नये आउटडोर ब्लॉक बनाये जाने के कारण वर्तमान में शवों को मोर्चरी में रखे जाने की अस्थायी व्यवस्था की गयी है। नयी मोर्चरी बनाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। आवश्यकतानुसार शवों को मथुरादास माथुर अस्पताल में बनी हुई मोर्चरी में रखा जाता है।

(2) शवों को वर्तमान में मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखा जाता है जहां वातानुकूलन संयंत्र लगे हुए हैं। अतः शवों की स्थिति खराब होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(3) महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में नयी मोर्चरी बनाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा इसमें वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना की जायेगी। इसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनसिनी, भरतपुर के रिक्त पद

137. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अरुण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनसिनी जिला भरतपुर के भवन में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो उनका पदस्थापन कहां है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भवन निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा सुविधाएं उक्त भवन में वर्तमान में नहीं चल रही हैं।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व डिस्पेन्सरी के भवन में कार्यरत है।

(3) जी हां। डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की हुई है। वे सिनसिनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही पदस्थापित हैं।

मेडिकल कॉलेज जोधपुर की सी. टी. स्केन मशीन

138. श्री राजेन्द्र चौधरी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 5 वर्षों में सी. टी. स्केन मशीन क्रय की गयी है ? यदि हां, तो उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कितनी थी एवं इस मशीन एवं इससे सम्बन्धित उपकरणों पर कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या उक्त मशीन क्रय में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या उक्त प्रकरण की विशेष ऑडिट करायी गयी ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1993-94 में सी. टी. स्केन मशीन क्रय करने के लिये 84,92,787.00 रुपयों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके विरुद्ध प्रधानाचार्य ने 99,74,816.00 रुपयों की एल. सी. खुलवाली। अभी तक रुपये 97,09,844.00 का भुगतान फर्म को किया गया है तथा 10% राशि रु. 9,67,193.00 का भुगतान बकाया है।

(2) जी हां। प्राप्त शिकायतों के आधार पर मेडिकल कॉलेज के लेखों की विशेष ऑडिट करायी गयी थी।

(3) जी हां। प्रकरण में दोषी पाये गये श्री एस. एल. हर्ष, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है एवं डॉ. ओ. पी. गर्ग तत्कालीन प्रधानाचार्य को सी. सी. ए. नियमों के नियम-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये हैं। विभागीय जांच कार्मिक विभाग के विचाराधीन है।

मृतक राज्यकर्मी के आश्रित को सेवा में नियुक्ति का विचाराधीन प्रकरण

139. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा अवधि में मृतक कर्मचारी के आश्रित को सेवा में लेने के नियम हैं? यदि हां, तो 1 अप्रेल, 1995 से 31 मई, 1996 की अवधि में स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में लिया जा चुका है? यदि हां, तो कितनों को? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों में से किन्हीं को राजकीय सेवा में अभी तक नहीं लिया गया है? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों के आश्रितों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्री बृजेन्द्रसिंह एम. पी. डब्ल्यू की मृत्यु 21 अक्टूबर 1995 को हुई है और उसके आश्रित को राजकीय सेवा में ले लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजकीय सेवा अवधि में मृतक आश्रित नियुक्ति नियम है। दिनांक 1.4.95 से 31.5.96 की अवधि में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 166 मृतक कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा में लिये जाने की प्रक्रियाएं जारी हैं। उक्त अवधि में 54 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को लिया गया है। उनकी सूची संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में जिन मृतक राजकीय कर्मचारियों को सेवा अवधि में नहीं लिया गया है, उनकी सूची संलग्न है। उन्हें सेवा में लेने की प्रक्रिया जारी है।

(4) जी हां। स्वर्गीय श्री बृजेन्द्र सिंह, एम. पी. डब्ल्यू. के आश्रित उनके पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह को राजकीय सेवा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर लिया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सीमल्या (कोटा) की चरागाह भूमि से चोरी का विचाराधीन प्रकरण

140. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीमल्या (कोटा) द्वारा चम्बल फर्टीलाइजर के प्रबन्धक एवं उनके द्वारा नियुक्त दो ठेकेदारों के विरुद्ध ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि पर से मिट्टी, मोरम तथा पेड़ों को काट कर चोरी छिपे ले जाने सम्बन्धी प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज करवाया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण कब दर्ज करवाया गया तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई?

(2) क्या जिला प्रशासन ने इस प्रकरण के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री अब्दुल रईस, सरपंच ग्राम पंचायत सीमल्या ने दि. 7.1.1996 को थाना सीमल्या पर रिपोर्ट दर्ज करवायी है कि ग्राम सीमल्या कराडिया की चरागाह भूमि खसरा नं. 629 तथा ग्राम कराडिया की चरागाह खसरा नं. 42 में कुछ समय पूर्व चम्बल फर्टीलाइजर

(गृह मंत्री)

गठेपान कोटा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस. एम. भल्ला तथा अन्य अधिकारी के निर्देशन पर कान्ट्रेक्टर अमरनाथ व विजय कुमार तोषनीवाल द्वारा अपने डम्पर तथा अन्य मशीनों के द्वारा उक्त चरागाह के समतल स्थान से मिट्टी तथा मोरम लगभग 9-10 हजार ट्रक लोड भरकर ले गये जिससे 10-10 व 15-15 फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं। इस रिपोर्ट पर मु. नं. 3/96 धारा 379 भा. दं. सं. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्षियों के बयान लिये गये व भू अभिलेख लिये जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

(2) चूंकि अनुसंधान जारी है अतः जिला प्रशासन द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अनुसंधान पूर्ण होने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरादड़ा की ढाणी (पाली) में जब्त हथियार

141. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव गिरादड़ा की ढाणी तहसील पाली में एक बारह बोर की बन्दूक जिला प्रशासन द्वारा जब्त की गयी थी? यदि हां, तो किस आधार पर, किसके आदेश से, किस तिथि को और वर्तमान में उस बन्दूक की क्या स्थिति है एवं बन्दूक किससे जब्त की गयी?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम गिरादड़ा की ढाणी में गोली चलाने की कोई घटना हुई थी? यदि हां तो इस झगड़े में गोली किसने, किस पर चलायी और गोली चलाने वाले एवं मारपीट करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(3) ग्राम आई. जी. पी. की ढाणी तहसील पाली के किन-किन निवासियों के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हैं जिनकी जांच विचाराधीन है एवं ये आपराधिक मामले किस दिनांक व किस धारा के अन्तर्गत पंजीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त जब्तशुदा बन्दूक लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह बन्दूक दो पार्टियों के बीच जमीन विवाद की रंजिश व दर्ज मुकदमों तथा आइन्दा इससे अपराध नहीं करें इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट पाली के आदेश क्रमांक-2208 दि. 24.6.96 की पालना में धारा-17 आर्म्स एक्ट में दि. 28.6.96 को थाना गुडाएंदला जिला पाली पर एम. के. एल. 54/86 दि. 28.6.86 को जमा की गयी थी जो पुलिस लाइन पाली के कोष में दिनांक 30.9.1986 से जमा है। यह बन्दूक अजीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति सिख निवासी गिरादड़ा की ढाणी के पास से जब्त की गयी थी।

(2) जी हां। गोली श्री बख्तावर सिंह पुत्र श्री दीपसिंह सिख निवासी गिरादड़ा की ढाणी ने श्री अजतीसिंह पुत्र अमरसिंह सिख नि. गिरादड़ा की ढाणी पर चलायी थी। इस पर अभियोग सं. 82/89 धारा-307, 304 भादसं व 25, 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर चालान दि. 30.11.85 को पेश अदालत किया गया है जो जैर ट्रायल पर चल रहा है।

(3) ग्राम आई. जी. पी. ढाणी तहसील पाली के निवासियों के विरुद्ध आपराधिक

(गृह मंत्री)

मामले पंजीकृत की सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है। ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(4) जिला प्रशासन उपरोक्त जब्तशुदा बन्दूक अभी लौटाने में असमर्थ हैं क्योंकि अजीतसिंह व बख्तावर सिंह के आपस में अभी भी मनमुटाव चल रहा है और दोनों ही एक-दूसरे की जान लेने को आतुर हैं। इन दोनों के मुकदमें अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक इन मुकदमात का निस्तारण न्यायालय से नहीं हो जाता एवं दोनों पक्षों में मनमुटाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक बन्दूक वापस दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

थाना पाटन जिला सीकर में दर्ज मुकदमा नं. 22/96

142. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला सीकर के थाना पाटन में श्री प्रवीण कुमार गुप्ता ने दिनांक 13 फरवरी, 1996 को इस मामले की एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि श्री मुकेशसिंह, श्री महेन्द्रसिंह, श्री रामबीर सिंह, रायपुर पाटन उन्हें कुएं में डाल कर खतम कर देने की मंशा से ले गये? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में मुकदमा नं. 22/96, अन्तर्गत धारा 323, 341, 364 दर्ज किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में थानेदार ने किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया? यदि हां, तो क्या पुलिस की लापरवाही के कारण मुलजिमान ने अग्रिम जमानत की दरख्वास्त कोर्ट में पेश की जो खारिज हो गयी?

(3) उक्त प्रकरण में आज तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करने में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में विलम्ब के कारणों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, हां। अन्वेषण के दौरान आरोपीगण ने न्यायालय ए. डी. जे. कोर्ट नीमकाथाना में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज हुआ। इसमें किसी पुलिस कर्मचारी की गलती नहीं है। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है। अनुसंधान पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(4) अनुसंधान में पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर अभियोग पत्रावली की समीक्षा कर अनुसंधान अधिकारी को कतिपय बिन्दुओं पर अनुसंधान करने के निर्देश दिये गये। अभियोग पत्रावली मुलजिमान की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर तलब करने पर कार्यालय ए. पी. पी. एडीजे कोर्ट नीमकाथाना में दिनांक 26.2.96 से 11.3.96 तक रही। परिवाद प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी अनुसंधान की समीक्षा की

(38)

(गृह मंत्री)

गयी। इस प्रकार समय-समय पर प्राप्त परिवादों में अंकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रख समीक्षा तथा न्यायालय में कार्यवाही के कारण अनुसंधान लंबित रहा है। अनुसंधान अधिकारी को अतिशीघ्र अनुसंधानपूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

नशीले पदार्थों की तस्करी के विचाराधीन प्रकरण

143. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत दो वर्षों में नशीले पदार्थों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गये ?

(2) इसमें कितने मुलजिमों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये ? कितने गिरफ्तार किये गये ? कितने मामले अन्वेषणाधीन हैं ?

(3) सरकार उक्त तस्करी को रोकने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1994 एवं 1995 में क्रमशः 883, 575 मादक पदार्थों के मामले पकड़े गये हैं।

(2) वर्ष 1994 में 1019 मुलजिमों व 1995 में 805 मुलजिमों के विरुद्ध मामले दर्ज कर गिरफ्तार किये गये हैं। इनमें कोई मामला अन्वेषणाधीन नहीं है।

(3) मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु राजस्थान राज्य में निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1. पुलिस बल को आधुनिक हथियार दिये गये हैं।

2. नाकाबन्दी चैक पोस्ट कायम की गयी है।

3. पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) राजस्थान का नया पद सृजित किया गया है।

4. तस्करी में लिप्त पुराने अभ्यस्त अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

5. ऐसे अपराधी की सूचना देने वालों को उचित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

6. मादक पदार्थ तस्करी के सम्बन्ध में पकड़े गये अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधान है जिनके अन्तर्गत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की रोकथाम हेतु उक्त के अलावा निम्न उपाय किये हुए हैं :—

1. सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ व फ्लड लाइट लगायी गयी है।

2. सीमा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी किया गया है।

3. बी. आई. पोस्टों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

माडली (डूंगरपुर) के साधु की हत्या सम्बन्धी प्रकरण

144. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के माडली ग्राम में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में जेठोला हनुमान मन्दिर पर रहने वाले साधु की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो साधु का नाम क्या था ? क्या सरकार द्वारा हत्या करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो वे अभियुक्त कौन-कौन हैं

(श्री शंकरलाल अहारी)

तथा आज तक उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दिनांक 2.2.1995 को पुलिस थाना धम्बोला पर रिपोर्ट पेश हुई कि गांव के पास हनुमानजी के मन्दिर के पुजारी वैष्णवदासजी की लाश नदी में मिली। प्राथमिक जांच पश्चात् मु. नं. 55/95 धारा 302, 201, भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। लेकिन अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है। अभियोग का पुनः अनुसंधान उप महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के निर्देशन में गहनता से किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

पाली, जालौर एवं सिरोही जिले की खानों का आबंटन

145. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली, जालौर, सिरोही जिलों में कौन-कौन से खनिज की खानें हैं? किन-किन व्यक्तियों को, किस-किस तरह की खान का ठेका किन नियमों के तहत दिया हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली, जालौर व सिरोही जिलों में मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 के अन्तर्गत लैड, जिंक, कॉपर और टंगस्टन, फ्लोराइट, केल्साइट, क्वार्टज, जिप्सम, वोलोस्टोनाइट, गारनेट व लाइमस्टोन की तथा राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1986 के अन्तर्गत मार्बल ग्रेनाइट, लाइमस्टोन तथा मैसेनरी स्टोन की खानें स्वीकृत हैं। विभिन्न व्यक्तियों को स्वीकृत खनन पट्टों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रामचन्द्रपुरा बांध निर्माण प्रकरण

146. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामचन्द्रपुरा बांध पर किया गया कार्य एक ही बारिश में बह गया तथा उसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो क्या सरकार, उसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांध निर्माण कार्य में तकनीकी कठिनाइयों के कारण उक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका?

उत्तर

(1) जी, नहीं। रामचन्द्रपुरा का कार्य एक वर्षा में नहीं बहा। इसका पुनरुद्धार 1982 में हुआ एवं यह बांध 1992 की अतिवृष्टि में टूटा। वर्ष 1995 में वर्षा के उपरान्त गांव वालों ने अपने स्तर पर खेतों में पानी लेने के लिये नाले में डोली बनायी जो शीतकालीन वर्षा के दौरान टूटने से नाले में पानी बढ़ गया। जिससे गोनेर काजवे पर पानी आ गया जिसके कारण एक स्कूटर सवार की मृत्यु हो गयी जिसमें विभाग का कोई दोष नहीं है।

(2) विस्तृत तकनीकी अध्ययन के बाद इस कार्य का तखमीना 164.75 लाख रुपयों का स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु न्यायालय सिविल जज, जयपुर में एक जनहित

(सिंचाई मंत्री)

वाद इस बांध को नहीं बनाने की मांग हेतु लम्बित है एवं जिला कलक्टर जयपुर द्वारा इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की गयी है जो प्रदूषण आदि बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। वर्तमान स्थिति में न्यायालय का अन्तिम निर्णय एवं उक्त कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त ही निर्माण कार्य के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

शिवगंज (सिरोही) के ओडा बांध की डूब में आयी भूमि

147. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले के शिवगंज तहसील में ओडा बांध का निर्माण कब हुआ? उक्त बांध की डूब में कुल कितने काश्तकारों की कितने बीघा भूमि आयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उक्त डूब में आयी भूमि के बदले में भूमि चाही थी और उनमें से अभी तक कितने प्रकरण लम्बित हैं?

(3) क्या सरकार उन काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ओडा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1956-57 में पूर्ण हुआ। इस बांध के डूब क्षेत्र में 133 काश्तकारों की कुल 2540.70 बीघा भूमि डूब में आयी है। (सूची संलग्न है)

(2) इस विभाग में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार काश्तकारों की डूब में आयी जमीन के बदले जमीन की कोई मांग नहीं की थी। नियमानुसार काश्तकारों को उनकी डूब में आयी जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया था। अतः कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि मुआवजा दे दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर बांध परियोजना में संशोधन

148. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर बांध योजना कब बनायी गयी तथा इसका मूल स्वरूप क्या था? इससे क्या लाभ होना था तथा इसकी कुल लागत क्या थी तथा इसका कार्य कब शुरू होना था और कब शुरू किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना में कब-कब, क्या-क्या संशोधन किये गये तथा संशोधनों के कारण क्या थे? इसकी लागत कब-कब, कितनी-कितनी बढ़ायी गयी?

(3) इसकी भराव क्षमता शुरू में कितनी थी तथा अब कितनी है? पानी के आवक क्षेत्र में एनीकट बनाने के बारे में क्या-क्या निर्देश थे तथा अब क्या हैं तथा अब यदि एनीकट बने हैं, तो कहां पर, कितने और क्यों? क्या इससे पानी के भराव पर असर पड़ेगा?

(4) क्या सरकार द्वारा इस बांध के भराव क्षेत्र में एनीकट बनाने की इजाजत दी गयी है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की तथा आगे इस विभाग की क्या नीति रहेगी?

उत्तर

(1) बीसलपुर पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई परियोजना का प्रारूप 1982 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया था जिसके अन्तर्गत 1500 करोड़ घनफुट पानी द्वारा 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा 850 करोड़ घनफुट पेयजल उपभोग हेतु प्रस्तावित था तथा 1982 के मूल्यों पर परियोजना की लागत 91.60 करोड़ रुपये थी। परियोजना का कार्य 1987 में शुरू किया गया।

(2) इस परियोजना में केवल वर्ष 1991 में पीने के पानी की आवश्यकता की मात्रा में बढ़ोत्तरी करने के कारण इसकी लागत 91.60 करोड़ से बढ़कर 328.00 करोड़ रुपये हो गयी। पीने के पानी की मात्रा के संशोधन के कारण बांध की कुल भराव क्षमता 3870 करोड़ घनफुट रखी गयी जिसके फलस्वरूप बांध की ऊंचाई आर.एल. 318 मी. से बढ़ाकर आर.एल. 324.0 मी. संशोधित की गयी।

(3) इसकी शुरू की भराव क्षमता 2400 करोड़ घनफट थी तथा अब कुल भराव क्षमता 3870 करोड़ घनफुट है। एनीकट निर्माण बाबत परियोजना के प्रारूपों में कोई उल्लेख नहीं था किन्तु अब राज्य सरकार द्वारा मई, 1994 से पानी के आवक क्षेत्र में 2 मीटर की ऊंचाई तक के एनीकट बनाने की आज्ञा प्रदान की गयी है। पानी के आवक क्षेत्र में एनीकट बने हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। इनके निर्माण से भूमिगत जल स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। 2 मीटर ऊंचे एनीकटों के निर्माण से बीसलपुर बांध की पानी की भराव क्षमता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

(4) जी, हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1994 में 2 मीटर ऊंचाई तक एनीकट बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गंगरार (चित्तौड़गढ़) के सिंचाई के तालाब

149. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत चौगावड़ी के पास तीन छोटे-छोटे तालाब बने हुए हैं ?

(2) क्या सरकार उस स्थान का सर्वे कराकर बड़ा तालाब बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) नहीं, क्योंकि यह तीनों छोटे तालाब बीसलपुर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं एवं इनका जलग्रहण क्षेत्र कम होने के कारण सिंचाई विभाग के निर्धारित मापदण्ड में नहीं आता है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास का सड़क निर्माण प्रकरण

150. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सड़क विहीन क्षेत्र की जनता की समस्या के निराकरण हेतु वर्ष 1996-97 में विश्व बैंक परियोजना में कौन-कौन-सी सड़कों को सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह सही है कि सरकार की सड़क नीति के अनुसार वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान मार्च, 1997 तक का है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कौन-कौनसे गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 96-97 में विश्व बैंक परियोजना में निम्न दो सड़कों को डामर की सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है :—

1. सम्पर्क सड़क उदगांव (1053) पीपल्दा से वाया दतूली (9 किलोमीटर)

2. सम्पर्क सड़क मामडोली (1198) जस्टाना बोली सड़क से (5 किलोमीटर)

(2) जी, हां। बामनवास विधान सभा क्षेत्र में डामर की सड़क से जोड़े जाने वाले गांवों की सूची संलग्न हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मकराना शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें

151. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मकराना शहर की मुख्य-मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं? यदि हां, तो इनको कब तक दुरुस्त कराने का सरकार का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि मकराना शहर विश्व प्रसिद्ध मार्बल की मण्डी होने के कारण बाहर से मार्बल व्यापारी आते हैं?

(3) क्या यह सही है कि इन सड़कों के निर्माण के लिये नगरपालिका मकराना द्वारा सरकार से स्वीकृति मांगी गयी है? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। मकराना शहर की 3 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की रख-रखाव सूची पर है। यह सड़कें समुचित ड्रेनेज व्यवस्था न होने के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन तीन सड़कों को दुरुस्त करने की योजना निम्न प्रकार है :—

(क) मकराना से बोरावड।

एस. आर. प्रोग्राम 96-97 के अन्तर्गत इस सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य 10.00 लाख की राशि स्वीकृत कर दिया गया है। निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। यह कार्य दिनांक 30.6.97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ख) मकराना बाईपास।

इस सड़क के किलोमीटर 0/600 से किलोमीटर 2.00 में रेजिंग व ड्रेनेज हेतु प्लान योजना वर्ष 95-96 में 8.00 लाख रुपये की राशि एवं 5.00 लाख की राशि निर्बन्ध योजना में लेवलिंग व ड्रेसिंग के कार्य के लिये किलोमीटर 0/0 से किलोमीटर 5.50/00 तक स्वीकृत है। दोनों कार्य प्रगति पर हैं एवं दि. 30.6.97 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

(ग) मकराना जूसरी सड़क।

यह सड़क 4 किलोमीटर लम्बी है। मकराना शहर में 2 किलोमीटर सड़क का भाग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आता है। शेष आगे के 2 किलोमीटर में पैच का कार्य कर दुरुस्त कर लिया गया है। शहर की 2 किलोमीटर सड़क पानी की निकासी न होने के कारण क्षतिग्रस्त है, पानी की निकासी के उपरान्त सड़क पर मरम्मत कार्य कर दिया जावेगा।

(2) जी, हां।

(3) नगरपालिका मकराना ने निर्माण विभाग से धनराशि की मांग की थी किन्तु बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति सम्भव नहीं हो सकी।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की अपूर्ण सड़कें

152. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत क्षेत्र की 13 पंचायतों के क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का विवरण तैयार है? यदि हां, तो स्थिति दर्शाते हुये विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन सड़कों के अधूरे कार्य पुलिया सहित पूरा कराने की योजना एवं नीति रखती है? यदि हां, तो काम कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय तथा 1000 की जनसंख्या के ग्रामों को जोड़ने की कोई नीति एवं योजना रखती है? यदि हां, तो इस निर्वाचन क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़कें पंचायत मुख्यालय तथा ग्रामों से जोड़ी जानी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन पंचायत मुख्यालयों तथा ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों को बनाने का इरादा रखती है यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार 1991 की जनसंख्या पर आधारित पंचायत मुख्यालयों/ग्रामों को जोड़ने का कोई मास्टर प्लान/योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार आठवीं योजना में विश्व बैंक अथवा अन्य सहायता से इन सड़कों को प्राथमिकता देते हुए हर पंचायत ग्राम को सड़कों से जोड़ने की नीति एवं योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। सड़कों का निर्माण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा करा दिया जायेगा।

(3) जी हां। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालय किसी न किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के पांच गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य की सड़क नीति के अनुसार मार्च, 1997 तक बनाने की योजना है।

(5) जी हां। राज्य की सड़क नीति के अनुसार सभी पंचायत मुख्यालय व 1000 से अधिक आबादी (1991 की जनगणना के आधार पर) के सभी गांव को सन् 2002 तक डामर सड़क से जोड़ने की नीति है।

(6) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

महिला महाविद्यालयों को अनुदान

153. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या महिला महाविद्यालयों को विशेष अनुदान राशि प्रदान करने की सरकार की नीति है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नियम है? अब तक विगत 3 वर्षों में किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया? नियमों की प्रति तथा देय अनुदान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसी संदर्भ तथा प्रक्रिया के तहत भीलवाड़ा जिले की महिला संस्थाओं को भी अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस संस्था को, कितना-कितना व कब से? विगत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी नये महिला महाविद्यालय को भी यह अनुदान दिये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार महिला महाविद्यालयों का नियमानुसार पैनल निरीक्षण करवा कर अनुदान सूची पर लेती है विगत तीन वर्षों में जिन महिला महाविद्यालयों को जो अनुदान स्वीकृत किया गया है उसका विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

इन महिला महाविद्यालयों को अनुदान, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं (मान्यता, अनुदान, सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालयों को आवर्तक अनुदान उनके अनुमोदित व्यय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है।

(2) जी नहीं। भीलवाड़ा जिले के किसी भी महिला महाविद्यालय ने अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन नहीं किया है।

(3) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक-संस्था (मान्यता, अनुदान, सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के नियम 14 के (प) के अन्तर्गत मान्यता या सम्बद्धता की तारीख से बालक महाविद्यालय के मामले में कम से कम तीन शैक्षणिक सत्र और महिला महाविद्यालयों के मामले में दो शैक्षणिक सत्र पूर्ण करने के पश्चात् उन्हें अनुदान सूची पर नियमानुसार लेने हेतु विचार किया जा सकता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता

154. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में नियमित छात्रों के लिये परीक्षा में बैठने के लिये उपस्थिति की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित है, यदि हां, तो कितनी? सम्बन्धित नियम अथवा आर्डिनेन्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न कक्षाओं में उपस्थिति के लिए बने नियमों/अध्यादेशों को व्यवहार में लागू किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय ने इस निर्देश की पालना सत्र 1995-96 की परीक्षाओं में की?

(3) वर्ष 1995-96 में कितने नियमित छात्रों को उपस्थिति में कमी के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोका गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से कुछ दिनों पूर्व ही कुछ छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गयी? यदि हां, तो ऐसे छात्रों के नाम, कुलपति द्वारा प्रदान की गयी अनुमति की तिथि तथा ऐसी अनुमति के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाओं जैसे बी. जे. एम. सी., एल. एल. बी., डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित कक्षाओं में प्रवेश हुए बिना ही विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कुछ विद्यार्थियों को सीधे परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी गयी? यदि हां, तो ऐसे छात्रों की सूची, सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का विवरण तथा ऐसी अनुमति प्रदान करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कला, विज्ञान, फाइन आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत संकायों तथा विधि संकाय की कक्षाओं में न्यूनतम उपस्थिति 66 प्रतिशत है। एम. बी. बी. एस. कक्षाओं में यह 75 प्रतिशत है। आर्डिनेन्स 144, 145 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। इस विषय में विश्वविद्यालय ने पत्र संख्या : परीक्षा/4/95/17646-250 दिनांक 13.11.95 तथा परीक्षा/4/96/68491-600 दिनांक 23.3.96 समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा विश्वविद्यालय विभागाध्यक्षों को भेजा है।

(3) सूचनानुसार परीक्षा में किसी भी नियमित छात्र को बैठने से नहीं रोका गया।

(4) जी नहीं। कुलपति द्वारा दी गयी सूचनानुसार कोई अनुमति नियम/परम्परा के विरुद्ध दिया जाना नहीं पाया गया।

(5) दी गयी सूचनानुसार इस प्रकार का कोई प्रकरण कुलपति के ध्यान में नहीं है, परन्तु इस विषय में कुछ शिकायतें विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। जिनकी जांच की जा रही है।

(आर्डिनेंस की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(12.00)

अनुपस्थिति–अनुमति

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) सदस्य विधान सभा को 1 जुलाई से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत अनुमति।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण 1 जुलाई, 1996 से सत्रान्त तक बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की सहमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने व्यवस्था नहीं दी इस पर।

श्री अध्यक्ष : आप अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने स्थगित किया है इसको ? इस पर आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास कई जरिये हैं उनके जरिये उठाइये आप। आप विराज जाइये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो आपके हुक्म पर विराज जाऊंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : यह प्रश्न स्थगित होना चाहिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप को बिगड़ने से रोके जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सीकर के थाना सदर फतेहपुर में दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 78/95 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय के एक कनिष्ठ लिपिक द्वारा स्टाफ से तंग आकर आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था से दुःखी होकर वाक आउट करता हूं।

(श्री रूपाराम सदस्य द्वारा सदन से बर्हिगमन)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है :—

(1) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति, अलवर में कार्यरत एक महिलाकर्मी के साथ कथित देह शोषण प्रकरण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में राजनेताओं और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से महिलाओं का यौन शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। आज इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी की ओर से सदन में वक्तव्य दिया जाएगा। प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यों को उस समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा छीपाबड़ोद में रोडवेज की बसों का आवागमन ठीक प्रकार से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुन्झुनूं की पंचायत समिति अलसीसर के सरपंचों को विकास कार्य हेतु भुगतान में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना के तहत पौधे लगाने हेतु खोदे गये लाखों खड्डों के समतल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में डामरीकृत सड़कों की हालत अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले, विशेषकर तहसील डेगाना की सड़कों की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कतिपय सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रूपाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना क्षेत्र स्थित बोरावड़ कुमारी की खान संख्या 49/ए को बहाल नहीं करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री घनश्याम जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज सुबह-सुबह जब अखबार पढ़ा तो सबसे पहला तोहफा मिला वह यह मिला कि पैट्रोल, रसोई गैस, डीजल और नेफ्था के दामों में बहुत भारी वृद्धि की गयी है। जबकि लोक सभा का अधिवेशन 10 जुलाई से होने वाला है। ऐसे समय में रात को बारह बजे हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता पर अचानक जो टैक्स लगाया गया है, यह टैक्स बहुत निंदनीय है और बजट की भावनाओं के प्रतिकूल है।

अध्यक्ष महोदय, डीजल का 20 प्रतिशत रसोई गैस का 30 प्रतिशत, पैट्रोल का 25 प्रतिशत पैसा बढ़ा है। डीजल का पैसा बढ़ने से किसानों को नुकसान होगा, आवागमन के जो साधन हैं, यातायात जो है गरीब आदमी का, उस गरीब आदमी के यातायात पर असर पड़ेगा। उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल का पैसा बढ़ने से, पचास प्रतिशत पैट्रोल तो हिन्दुस्तान के आंकड़ों में है कि सरकार के वाहनों पर खर्च होता है। लेकिन बाकी का बचा हुआ जो पचास प्रतिशत है उसमें अधिकांशतः जो स्कूटर और छोटे मोटर व्हीकल्स का प्रयोग करते है, उन पर उसका खर्चा आएगा। रसोई गैस का तीस प्रतिशत बढ़ने से आम आदमी की रसोई गैस और भी महंगी हो जाएगी और यह सारा काम जो किया गया है वह काम रात को बारह बजे किया गया है कि कोई राजनीतिक दल का नेता अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर सके और इसके कारण से सुबह पहले यह खबर मिली, 10 जुलाई को जब लोक सभा का अधिवेशन होने वाला है, उसकी अधिसूचना जारी हो गयी है। उसके पश्चात् हिन्दुस्तान की जनता पर इस प्रकार का टैक्स थोपना एक जबर्दस्त अन्याय का काम है और इसकी निन्दा की जानी चाहिये हर कीमत पर।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है यह पैसा

48

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो थोपा गया है उसके लिये हरदन अली देवेगौड़ा की सरकार नहीं, इस पैसे के लिये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता पर जो अत्याचार करा रहे हैं उसमें तिवाड़ी कांग्रेस भी है,उसमें कांग्रेस भी और सी. पी. एम. भी शामिल है और सबने मिलकर इस प्रकार का गलत काम किया है। कल चन्दनमल जी हाथ ऊंचा कर करके भाषण दे रहे थे_(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी यह कर रही है_(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पहले और तो पूछ लीजिये। अपराधीकरण जो बढ़ा है_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, अपराधीकरण के बारे में डर के मारे नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन को सर्वसम्मति से इसकी निन्दा करनी चाहिये कि जब लोक सभा का अधिवेशन आने वाला है तब कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर यह टैक्स क्यों लगवाया है और कांग्रेस पार्टी अगर इसकी निन्दा करती है, तो कांग्रेस पार्टी को विरोध करना चाहिये और विरोध करके कहना चाहिये कि यह टैक्स गलत है। यहां पर तो कहते हैं **कि राजस्थान की सरकार ने टैक्स लगाये नहीं।**

श्री जगदीप धनखड़ : आप अपनी पार्टी से तो निन्दा करवा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम तो विरोध कर रहे हैं आप भी कर लो_(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप अपने दल की मीटिंग में करो, प्रतिपक्ष के नेता से कराओ_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। अपनी बात जीरो आवर में कह दें।

श्री जगदीप धनखड़ : आप अकेले की ही हैसियत से बोल रहे हैं। आपके दल ने नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम :_(व्यवधान)_ नाम तो मत लीजिये किसानों का अगर उनको कुछ दे नहीं सकते हो तो उनका नाम तो मत लो।

श्री अमराराम (धोद) : किसानों का हितैषी एक-एक आदमी लाखों रुपये ले रहे हैं, अरबों रुपये ले लिये_(व्यवधान)_

श्री जगदीप धनखड़ : (व्यवधान)_सारा घनश्याम जी तिवाड़ी के ही जिम्मे आ गया_(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : जब घनश्याम जी बोल लें उसके बाद एक मिनट का समय हमको मिले। हम बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : यह कोई मुद्दा नहीं है_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में आप एक कोई मर गया उसके लिये तो कह रहे हैं और डीजल और_(व्यवधान)_

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस को आर्डर में चलाना चाहते हैं। जो इश्यू घनश्याम जी ने रेज किया है वह बोल लें उसके बाद में आप हमें एक-एक मिनट बोलने का समय जरूर दीजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुबेर ख़ान : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने इस कुर्सी से कहा था कि वह महत्वपूर्ण मामले जीरो आवर में उठाये जाएंगे जिनके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्रीजी या राजस्थान की सरकार_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रीसेंट आकरेंस के। विराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : यह राजस्थान की सरकार कीमतें कम कर देगी? यहां इस सदन का समय खराब करने से क्या फायदा? आप बाहर जाकर वक्तव्य दीजिये, बाहर जाकर धरना दीजिये। आप केन्द्रीय सरकार से मिलिये। क्योंकि यहां पर जीरो आवर में वही मुद्दे उठाये जाने चाहिये जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार से हो, इस विधान सभा से हो_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, आपके लिये कोई महत्त्व नहीं है इसका?

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को प्रीमियम बोनस मत दो_(व्यवधान)_अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को प्रीमियम बोनस देने का कोई अधिकार नहीं है। इनको कोई एडवान्टेज इसलिये नहीं है कि यह सत्ता पक्ष के लोग हैं इसलिये इनको बोनस अंक मिलें। इनको बढ़ावा मिला है, इनको ज्यादा तरजीह आसन की तरफ से नहीं दी जानी चाहिये_(व्यवधान)_मेरा आपसे निवेदन है कि इनको ज्यादा बोनस मत दीजिये, ज्यादा बढ़ावा मत दीजिये_(व्यवधान)_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह प्रमाणित कर रहे हैं कि किसानों पर जो डीजल का पैसा बढ़ाया गया है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है।

श्री जुबेर ख़ान : क्या मुख्य मंत्री इन बढ़ी हुई कीमतों को कम कर देंगे? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जो पैसा बढ़ाया गया है यह कांग्रेस पार्टी की सहमति से बढ़ाया गया है_(व्यवधान)_

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : किसानों को बिजली नहीं मिली_(व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी केन्द्र में सरकार नहीं बनी इसलिये + + +

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसान आपकी सरकार को रो रहे हैं। न पीने का पानी है, न कुछ है_(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिजली के दाम बढ़ा दिये, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये, सरकार ने हर मद में दाम बढ़ा दिये, उसके बारे में बोलो_(व्यवधान)_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 25-30 प्रतिशत जो पैट्रोल पर पैसा बढ़ाया गया है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, यह प्रमाणित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने हिन्दुस्तान और राजस्थान_(व्यवधान)_मैं उसकी निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी :_(व्यवधान) राजस्थान के आम उपभोक्ताओं के लिए_(व्यवधान) कर रहे हैं। + + +......(व्यवधान)

श्री जुबेर ख़ान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो शब्द बाढ़ के ऊपर बोलते, इस प्रान्त की जनता बाढ़ से तबाह हो गयी_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मैंने अभी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

विष्णुजी को कहा है। __(व्यवधान)__आप विराज जाएं माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : इस मंच को गलत बात के लिए इस्तेमाल करने की जगह__

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरियां, डकैती, बलात्कार हो रहे हैं__(व्यवधान) यहां लगातार होते जा रहे हैं। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। कलक्टर ने कहा__(व्यवधान)__

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री बनने के तो और भी कई तरीके हो सकते हैं। यह जरूरी थोड़े ही है कि इस तरह + + + की जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सदस्य अपना समर्थन पेश कर रहे हैं क्या? हम इसकी निन्दा करते हैं, आपके समर्थन की भी और उनके एक्शन की भी हम निन्दा करते हैं। आप इस तरह की बात करते हो। आपको + + + इस तरह से बैंकडोर एन्ट्री करके पीछे के दरवाजे से आकर__(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं आपकी क्या सहानुभूति है? आपने महिला प्रतिनिधि होने के नाते क्या किया? आपकी संवेनदशीलता कहां गयी? __(व्यवधान)__बलात्कार करवाये जा रहे हैं? (व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री कालूलाल गुर्जर : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री अध्यक्ष : मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कोई अंकित नहीं हो रहा है। एक-एक माननीय सदस्य खड़े होकर के परमीशन लेकर बोलें तो सारी बात समझ में आ जाएगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। मोदीजी ने सबसे पहले कहा है। मैं उनको बुलवा रहा हूं। मैंने सबको कह दिया है कि कोई अंकित नहीं हो रहा है। किसी भी पक्ष का। श्री रघुवीर सिंह जी विराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री अध्यक्ष : मोदी जी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चौमूं से आने वाले माननीय विधायक ने एक अहम मुद्दा उठाया है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि वह एक सजग और जागरुक विधायक हैं। सभी सरकारों ने, जिसमें राजस्थान की सरकार भी शरीक है, राजस्थान के जो मुख्य मंत्रीजी हैं वह तो इस बात को बजट भाषणों में और प्रेस में जगजाहिर कर चुके हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को अपने आप अपने पैसे तय करने का अधिकार होना चाहिये। जैसा अभी आपने भारत सरकार का दाम बढ़ाने का, रात के बारह बजे दाम बढ़ाने का विरोध किया। राजस्थान

XXX माननीय अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

सरकार ने इस विधान सभा का सत्र आहूत होने के बाद में इण्डस्ट्रियल पावर के ऊपर 37 पैसे की रेट बढ़ा दी। आप रात को बारह बजे की बात करते हो। इस राजस्थान सरकार ने__(व्यवधान)__आपने दिल्ली की सरकार__(व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : विराजें।

एक माननीय सदस्य : माननीय मोदीजी वह उद्योगों के काम आने वाली बिजली पर बढ़े होंगे लेकिन यह किसानों का मामला है आप किसान नहीं हैं। आप किसान की दुःख-तकलीफ को क्या जानते हैं, आप तो उद्योगपति हैं__(व्यवधान) किसान का बुरा कहां हो सकता है, किसान कहां है इफेक्ट होता है इस बात को आप क्या जानते हैं। आपने किसानों की तुलना उद्योगपतियों से कर दी। __(व्यवधान)__

श्री विष्णु मोदी : विधान सभा सत्र आहूत होने के बाद में राजस्थान सरकार ने उद्योगों में काम आने वाली बिजली पर दाम बढ़ाये। यह परिपाटी सभी सरकारों की रही है। पूर्व में जो केन्द्र सरकारें रही हैं उनकी रही है। अभी आदरणीय घनश्यामजी ने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी की जो यह दाम बढ़े हैं उसमें कहीं कोई साझेदार नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं कि डीजल और गैस के ऊपर दाम नहीं बढ़ाने चाहिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : मैं इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा कि भाव बढ़ाने की बात पर जो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध प्रकट किया है हम उसका विरोध करते हैं किन्तु जिस-जिस राज्य सरकार ने__

श्री अध्यक्ष : विधान सभा का सब्जैक्ट नहीं है पर जीरो आवर में आप कैसे बोलते हैं कि एक बकरी मर गयी उसका मुआवजा नहीं हुआ, उसका वह नहीं हुआ__(व्यवधान) विराजें आप__(व्यवधान)__

श्री किशन मोटवानी : यह सर्वसम्मति से पारित किया जाए। बिजली सम्बन्धी तथ्यों पर राज्य सरकार ने__(व्यवधान)__

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय घनश्यामजी ने जो बात कही है उसका मैं आंशिक रूप से समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक प्रस्ताव पारित कर ही लेना चाहिये। प्रस्ताव यह है कि डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसका हम समर्थन नहीं करते और विरोध करते हैं और यह भी प्रस्ताव पारित कर लेना चाहिये कि किसानों और मजदूरों के हित में राजस्थान की सरकार भविष्य में अपने कार्यकाल तक कोई टैक्स नहीं लगाएगी। पैट्रोल और डीजल के अलावा बिजली के ऊपर कोई रेट नहीं बढ़ाएगी। इस सम्बन्ध में हम घनश्यामजी का सहयोग करते हैं। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी विराजें। __(व्यवधान)__

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : लाइये, प्रस्ताव लाइये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परमीशन दी है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो डीजल, पैट्रोल और रसोई गैस की कीमतें केन्द्र सरकार ने बढ़ायी हैं उसके बारे में यहां चर्चा की है। निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की जनता पर असहनीय बोझ डाला गया है यह नहीं डाला

(52)

(श्री अमराराम)

जाना चाहिये था। हम इसके सख्त विरोध में हैं। यह पैसा हिन्दुस्तान के एकाधिकार प्राप्त पूंजीपतियों और बड़े लोगों पर डायरेक्ट टैक्स लगाकर वसूल किया जाना चाहिये, इस घाटे की पूर्ति की जानी चाहिये और आम जनता से जो की जा रही है वह नहीं की जानी चाहिये।__(व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा कि इस सरकार को आप भी समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। लेकिन जहां तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन देने का सवाल है उसने भारतीय जनता पार्टी को जो इस देश की एक साम्प्रदायिक पार्टी है, जिसने इस देश के हजारों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं उसको सरकार से बाहर रखने के लिये देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन किया है। किसानों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के इतिहास में__

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : इस सदन को यह सूचित कर दें कि कौनसी ऐसी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे और सरकार रही हो किस सरकार ने एक पोल का 11 हजार और 9 हजार रुपये लिया है? मैं चैलेन्ज देता हूं इस सदन में राजस्थान के मुख्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों की बात करती है 1 रुपया 50 पैसे हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में किसान से लिया जाता है तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। अगर हिन्दुस्तान में कहीं नहीं लिया जाता है तो राजस्थान की सरकार इस्तीफा दे दें। किसान की बात करती है। हम सर्वसम्मति से तैयार हैं कि जो किसानों से नर्सरी के नाम से पैसा लिया गया है, जितना वन पोल और टू पोल में लिया गया है वह सरकार वापस लौटाएगी और उसी दर पर जिस दर के लिये श्री भैरोंसिंह शेखावत, जनतादल और राजस्थान के किसानों ने जेल भरी थी, उस 28 पैसे में राजस्थान की सरकार देगी जिसमें बालूराम ने अपना खून बहाया था, जिससे आप सरकार में आये हैं। उस पर दें तो हम सर्वसम्मति से इस विधान सभा की ओर से प्रस्ताव पास करने को तैयार हैं। उनको यह दीजिये फिर सर्वसम्मत प्रस्ताव लीजिए। किसानों की बात करने से नहीं, किसानों को सबसे बड़ी लूटने वाली कोई पार्टी इस देश में है, उनकी एकता को भंग करने वाली है यदि वह कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। __(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की चोरी का आरोप लगाया जाता है। मैं इन्कार नहीं करता__

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की और कम्युनिस्ट पार्टी की हालत यह हो रही है कि साथ रहें और मुंह छिपायें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अछूत पार्टी, अछूत पार्टी है।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय शिवनाथ सिंह जी।__(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अछूत पार्टी है__(व्यवधान) आपकी पार्टी को अछूत पार्टी का नाम दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साम्प्रदायिकता का जवाब तो अभी बहस की गयी तब दे देंगे__(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप दीजिये न 9 हजार पोल का जवाब__एक पोल का 9 हजार, आप दो जवाब।__(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दुओं पर ही नहीं लगेगा वह मुसलमानों पर भी लगेगा...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसानों की हत्या कर दी, किसानों को लूट लिया, 9 हजार का एक पोल, कोई बात हो तो जवाब (व्यवधान) आप तो अछूत हो। राजनीतिक पार्टियों ने आपको कौने में रख दिया और अछूत सिद्ध कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया कि जिन माननीय सदस्यों को अनुमति दी जाए वही बोलें। माननीय शिवनाथ सिंह जी, विराजें आप।...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नर्सरी योजना का 9 हजार का जो चार्ज लगा रहे हैं उस नर्सरी योजना का समर्थन आप लोगों ने क्यों किया था? जब गयी बार समाप्त कर रहे थे नहीं तो नर्सरी योजना उस वक्त ही समाप्त कर दी गयी थी...(व्यवधान) राजनीति की आड़ में यह जो डीजल का भार है, पैट्रोल का भार है जो देश की पब्लिक पर पड़ा है, उसका आप समर्थन कर रहे हो इसकी भर्त्सना करनी चाहिये आपको। नर्सरी योजना में 9 हजार पोल का आपने समर्थन किया था। आपने सर्वसम्मति से ही विधान सभा में प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव पारित किया गया और आज जवाब में आप यह कह रहे हो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, श्री रघुवीर सिंह जी, विराजें आप। श्री शिवनाथ सिंह जी की बात सुन लें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही उनके मैरिट्स-डीमैरिट्स में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी पर्ची सिस्टम पर, चिट सिस्टम पर परसों-परले रोज माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत पीड़ा हुई थी, हम भी उस पीड़ा में शामिल हैं। यह माननीय सदस्य ने एक सवाल उठा दिया और उसको डिबेट का सब्जैक्ट बनाकर हम सदन का समय इस प्रकार से जाया करें मैं इसको अच्छा नहीं मानता। आप सदन के कस्टोडियन हैं और सदन के कस्टोडियन के नाते मैं आपसे माननीय सदस्यों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विषय जिस तरह से उठाया जाना चाहिये उसको उसी तरीके से उठाना चाहिये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य इस मामले को किसी प्रस्ताव के रूप में और किसी रूप में उठाते तो एक बात थी और यहां सब कंफ्यूजन हो गया और उस कंफ्यूजन को आपने डिबेट का सब्जैक्ट बना दिया। इसके लिये...

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं बनाया। आपने हाथ खड़ा किया इसलिये बुलवाया। विराजिये आप। श्री उगमराज जी।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको कन्ट्रोल कीजिये ताकि सदन का समय जाया नहीं हो। मैं आपसे इस प्रकार की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : ...नहीं, इतने लोग बोल चुके तो मैं क्यों नहीं बोल सकता?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने माननीय शिवनाथ सिंह जी की बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने डिबेट नहीं बनायी है।

(श्री अध्यक्ष)

कई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं—(व्यवधान) कई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। धनखड़ साहब भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शिवनाथ सिंह जी की बात को स्वीकार कर लिया है और आपसे प्रार्थना करता हूं कि नियमों में आप शिथिलता प्रदान करें और जो मैंने प्रस्ताव दिया है उसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव सदन के सामने रखें। कांग्रेस भी चाहती है, सी. पी. एम. भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि यह प्रस्ताव दे दिया है मैंने—(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : क्या कह दिया। आपने बोलकर कह दिया और हमने—(व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलकर कह दिया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमारा भी प्रस्ताव रखें इसके अन्दर कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान की यह + + + सरकार आने वाले 2 वर्षों में कोई टैक्स नहीं लगाएगी और बिजली की रेट नहीं बढ़ाएगी—(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बिजली के पैसे कम किये जाएं, हमारा प्रस्ताव भी शामिल किया जाए इसमें—(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव आप सदन के सामने पढ़ दें—(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बिजली की बात करते हो। राजस्थान की बात करिये—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा प्रस्ताव आप सदन के सामने पढ़ दें आप नियमों में शिथिलता कर सकते हैं और नियमों में शिथिलता करके प्रस्ताव को ले सकते हैं तो आपके अधिकारों का प्रयोग करते हुए—(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप :—और बिजली के ऊपर यह लगातार जो पैसा बढ़ रहा है। किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसका भी प्रस्ताव लाया जाए। बिजली के एक खम्भे की रेट बढ़ायी किसानों के कनेक्शन की रेट बढ़ायी और आज सारा किसान वर्ग—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें साहब।

श्री रामस्वरूप : + + + इसका क्या कारण है? किसानों के साथ में राजस्थान की सरकार ने भी अन्याय किया है। उस अन्याय को रोकने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। खेतसिंह जी कुछ बात कहना चाहते हैं आप विराजें—(व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय कोई बात कहना चाहते हैं रामस्वरूप जी, जिद् मत करिये, माननीय सचेतक महोदय को बोलने दीजिये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह भी उन्होंने मेरा जहां तक ख्याल है कि न तो इन्होंने सैन्ट्रल लीडरशिप से पूछा है और न किसी और से बात की होगी। अगर की होगी तो वह जाने। हम तो इस प्रस्ताव को बिना सैन्ट्रल लीडरशिप से डिस्कस करने के पहले नहीं करेंगे। क्योंकि देश में

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न तो किसी पार्टी ने इसका विरोध किया है और न इसका सपोर्ट किया है। एक रेट्स आई है कि रेट्स इतनी रहनी चाहिये, कम रहनी चाहिये। शाम तक हमारे भी गाडगिल साहब बोल जाएंगे और कोई नुमाइंदे बोल जाएंगे। आपकी पार्टी के भी, श्री अटल जी बोलेंगे या श्री आडवाणी जी बोलेंगे। उनके बयान के बाद में यह बात होती है। आप और हम हैं कौन कि यहां से कोई रिजोल्यूशन पास करके भेज दें। यह मेरा ख्याल है कि न तो मुख्यमंत्री जी इससे एग्री होंगे और हम भी इससे अभी एग्री इसलिये नहीं हो रहे हैं कि पहले सबकी प्रतिक्रिया आ जाए और उसके बाद में रिजोल्यूशन ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो इन्होंने उठायी है बात। विराजें आप।

श्री जुबेर ख़ान : अगर प्रस्ताव रखें जाएं तो सब रखें जाएं। सब पर चर्चा कराई जाए और सभी पर वोटिंग करा ली जाए।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मेरा नाम पुकारा गया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रकरण पर बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि जब 1994-95 को बजट आया था, उसके बाद मैं इन्फ्लेशन रेट, जो मुद्रास्फीति कहलाती है वह 13 पर्सेन्ट पहुँच गयी थी इस देश में और बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गयी थी। उसके बाद में जो जिस प्रकार के कृत्रिम तरीके कहियेगा उसको जो मेजर्स उसके लिये गये उससे जब 1995-96 का बजट आया तो मुद्रास्फीति घटकर 5 पर्सेन्ट पहुंच गयी। जब 5 पर्सेंट पहुंच गयी तो वह वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक दोनों के लिये एक तरह की बात थी कि यह जो 5 पर्सेन्ट मुद्रास्फीति है, जहां 13 पर्सेन्ट, दो डिजिट में होना सारे संसार के लिये गड़बड़ होता है वहीं 5 पर्सेन्ट पहुंचना भी गलत बात है उससे प्रोग्रेस रुकती है। तो उन्होंने कहा कि 5 पर्सेन्ट जो है यह ठीक नहीं है। परन्तु चुनाव आ रहे हैं लोक सभा के इसलिये इस समय मुद्रास्फीति 5 पर्सेन्ट से ऊपर नहीं बढ़ाई जा सकती है। रिजर्व बैंक ने और वर्ल्ड बैंक ने यद्यपि राय दी थी कि गेहूं पर जो समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाया जाए। गेहूं पर समर्थन मूल्य बढ़ जाता तो 5 पर्सेन्ट से आगे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। लेकिन गेहूं पर समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया। आज स्थिति यह है कि अभी भी गेहूं पर समर्थन मूल्य तो नहीं बढ़ाया गया जिससे कि मुद्रास्फीति बढ़ती पर पैट्रोल पर भाव बढ़ा दिये गये। किसानों का डबल नुकसान किया जा रहा है। किसानों को एक तरफ समर्थन मूल्य नहीं और दूसरी तरफ डीजल का पैसा बढ़ा कर किसानों को मारा जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब पुनः सैन्ट्रल लीडरशिप से बात करें तो इस विषय पर भी बात करें।

श्री अध्यक्ष : उगमराज जी

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : चुनाव हुए और चुनाव के 2-3 दिन पहले जोधपुर में एक बहुत बड़ा जैन समाज, ओसवाल समाज है उसकी दादाबाड़ी है और वहां कम से कम 10 मन्दिर हैं उस एरिये में पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया। समाज वाले माननीय मुख्य मंत्रीजी से आकर मिले तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि चुनाव के बाद में आपको वापस कब्जा दिला दिया जाएगा।

(56)

(श्री उगमराज मेहता)

400 वर्ष पुराना उनका कब्जा है, जोधपुर दरबार की बहियों में उनका कब्जा लिखा हुआ है, जो उनकी सम्पत्ति है। वहां दादाबाड़ी है, वहां मन्दिर है और अभी तक मैन गेट पर प्रभावशाली व्यक्तियों को कब्जा है। वहां पर एक कमरे में साध्वीजी महाराज विराजी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, भरतसिंह जी।

श्री उगमराज मेहता : उनके निकलने के लिये पीछे से रास्ता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रभावशाली व्यक्तियों से उस समाज को कब्जा दिलाया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने जो प्रस्ताव दिया था। मेरा स्थान प्रस्ताव आपके समक्ष पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री भरतसिंह जी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, आपका प्रस्ताव लिया जाएगा। हां, बोलिये।

श्री भरतसिंह : झालावाड़ जिले में पिछले 35 साल से समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त छात्रावास चल रहे थे। स्वर्गीय माणिक्यलाल जी वर्मा ने 2 अक्टूबर, 1960, 35 साल पहले आदिम जाति छात्रावास का उद्घाटन किया था। वह छात्रावास वहां चल रहा है। जो छात्रावास पिछले 35 साल से चल रहा है उसकी अनुदान राशि जो समाज कल्याण विभाग से मिलती है उसको बन्द किया है और क्यों बन्द किया है उसके लिए वहां के छात्रों ने, 25 छात्र हैं, इस साल उसका रिजल्ट 90 पर्सेन्ट रहा था। इन छात्रों ने गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा है, उसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : आप तो वैसे ही फरमा दें, जीरो आवर है। वैसे ही फरमा दें। (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) आप वैसे ही फरमा दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गवर्नर साहब का पत्र है, कोई मामूली पत्र है क्या? इससे सदन को पूरी जानकारी मिलेगी।

श्री भरतसिंह :इससे जल्दी पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि बैठिये। दो पन्ने का है और इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप अपने आप निर्णय कर लें। मुख्य मंत्रीजी उस पर ध्यान देंगे।

"परम श्रद्धेय, परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर के चरणों में आदिवासी छात्रावास, झालावाड़ के गरीब आदिवासी बालकों का प्रणाम स्वीकार हो। हम आदिवासी बालक आपसे निम्न निवेदन करते हैं :—

झालावाड़ नगर में जिला आदिम जाति सेवक संघ, झालावाड़ द्वारा संचालित एक अनुदानित आदिवासी छात्रावास 2 अक्टूबर, 1916 से चल रहा है, जिसे स्वर्गीय लोकनायक माणिक्यलाल वर्मा ने खुलवाया था और तभी से यह छात्रावास सफलतापूर्वक आदिवासियों का कल्याण कर रहा है। इसमें 25 छात्र की स्ट्रेंथ है। हमारे पिता, बाबा, भाई, बन्धु, कई बुजुर्ग इस छात्रावास में पढ़ चुके हैं और जो ऊंचे-ऊंचे पदों पर राज्य सेवा कर रहे हैं, कोई अपना उद्योग-धन्धा, खेती बाड़ी चला रहे हैं, कुछ पंच, सरपंच हैं और कुछ मिलिट्री में भर्ती

(श्री भरतसिंह)

होकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सभी के पीछे संघ की मंत्री श्रीमती चन्दादेवी शर्मा का सहयोग व आशीर्वाद है। श्रीमती चन्दा देवी जी जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है। उनके पति श्री संतरामजी अभी इस वर्ष नगरपालिका चुनाव में वार्ड मेम्बर का चुनाव लड़ा था जिसमें भा. ज. पा. के उम्मीदवार को हराया। यहां की नगरपालिका में कांग्रेस महिला चेयरमैन है।—

श्री अध्यक्ष : विराजें—(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनना ही नहीं चाहते आप बात को। फैक्ट्स तो आने दीजिये। कितना बड़ा अत्याचार, आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें धारीवाल साहब।

श्री भरतसिंह : तभी से भा. ज. पा. के लोग और माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री मदनजी दिलावर नाराज हैं। माननीय मंत्री महोदय ने राजनैतिक द्वेष व बदले की भावना से छात्रावास पर अनियमितता एवं अव्यवस्था का असत्य निराधार आरोप लगाकर छात्रावास को मिलने वाला सरकारी अनुदान बन्द कर दिया है (व्यवधान)। जबकि छात्रावास में हम छात्रों की कोई तकलीफ नहीं है। हमें सभी सुविधाएं ठीक प्रकार से मिल रही हैं, हमें दोनों समय अच्छा भोजन मिलता है, नाश्ता मिल रहा है, प्रत्येक छात्र को तेल सरसों, डाक्टर सोप एवं लाइफबाय की बटियां प्रत्येक माह मिल रही हैं।—

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री भरतसिंह : बाल कटिंग हो रही है, प्रत्येक छात्र को एक टेरीकोट की फुल पैंट, एक शर्ट, एक टावल, एक गर्म जर्सी, एक जोड़ी—

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। हो गयी बात।

श्री भरतसिंह : हैण्ड पम्प, पानी के लिए टंकी, टी. वी. की अनुमति दे दी गयी है—

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री भरतसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने सभी आरोप राजनैतिक व बदले की भावना से इसलिये लगाये हैं कि आदिम जाति सेवक संघ की मंत्री श्रीमती चन्दा देवीजी जिनका अच्छा प्रभाव है व अच्छी छवि रखती है। हमारे छात्रावास में एक समिति बनी हुई है और सभी छात्र मिलजुल कर व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक माह बैठक होती है। संघ की मंत्री श्रीमती चन्दा देवीजी हमें मां का प्यार देती है। हमारे अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शर्मा, बी. एस. सी. व डबल एम. ए. हैं।—

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री भरतसिंह : जो हमारी देखरेख करते हैं। छात्रावास को अनुदान नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं। हम छात्रों को किसी राजनैतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। हमारी मार्च में बोर्ड की परीक्षा है ओर अप्रेल में लोकल परीक्षा है।—

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, हो गयी बात। श्री अमराराम जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दिलावरजी का नाम आया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : जो अनुदान मिल रहा था उसको बन्द क्यों किया गया? इनसे जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : यह मंत्री आदिवासियों के विरोधी मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री नाथूराम अहारी : राजस्थान में कई जगह पर इस तरह के मामले हुए हैं। डूंगरपुर में भी—

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की असलियत आपके सामने आ गयी है। इतने छिनौने बलात्कार हो रहे हैं और मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो। सारे जनों की बात अंकित भी नहीं हो पायेगी। विराजें आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : XXX

श्री शंकरलाल अहारी : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : पहले बात तो सुनें, सुनने का माद्दा रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये। बात ही नहीं सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बोल दिया, अब आप क्या बोलना चाहते हैं? विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। कुछ लिख दिया हो, तो एक्सपंज करिये।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न करें।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री जुबेर ख़ान : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है—

श्री शिवनाथ सिंह : जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है इसलिए आप बैठें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पाइंट आफ आर्डर बाद में, अध्यक्ष महोदय, यह महिला 25 साल पहले से चला रही है छात्रावास को और मैं भी इस छात्रावास में गयी हूं। यह मेरी कार्यकर्ता भी रही है। अध्यक्ष भी रही है महिला कांग्रेस की (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : संरक्षण दे रहे हैं, वहां

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की रखने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं।—

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वोच्च हाउस—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बार पत्र लिखा है कि इस छात्रावास को आप दलगत राजनीति से बन्द नहीं करें।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के यहां से जो लैटर जारी हुआ है। 25.1.96 को उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय—

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्रीजी के चेहरे पर अबोध बालकों ने + + + इसलिए न स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और न आपके पाइंट आफ आर्डर की आवश्यकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, पहले आप बात सुनिये।

श्री शिवनाथ सिंह : जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इस छात्रावास में मैं वहां गयी, वहां की फोटो मेरे पास मौजूद है, आप चाहे तो मैं फोटो भी लाकर यहां पर दिखा सकती हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो कुश्ती का टाइम है महावीरजी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस रूल में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता, आप बता दें। कोई व्यवस्था आपने पूर्व में दी हो तो वह बता दें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक तरफ बच्चों के साथ ज्यादती और दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार + + +

श्री शिवनाथ सिंह : यह टाइम पाइंट आफ आर्डर का नहीं है, यह + + + का है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसे मंत्री पर—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक तरफ बच्चों के साथ ज्यादती और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण + + +

श्री अध्यक्ष : विराजें। एक्सपंज करिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक तरफ बच्चों के साथ ज्यादती करते हो—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है। बीनाजी विराजें।

श्रीमती बीना काक : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

60

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नोटिस नहीं, कोई विचाराधीन विषय नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं__(व्यवधान) आप व्यवस्था कायम करिये। मेरा निवेदन यह है कि हाउस की प्रक्रिया के अनुसार (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अध्यक्ष : वह सब रिकार्ड नहीं किया है। आप विराजें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अध्यक्ष : वह सब रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन :__(व्यवधान)__ सदन के कुछ नियम हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जिस किसी के खिलाफ भी इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाये, यदि किसी के पास प्रमाण है तो निश्चित रूप से लगाने चाहिये__(व्यवधान)__।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह लैटर मंत्री का लिखा हुआ है__(व्यवधान)__आप लोग परम्पराओं की दुहाई दे रहे हो__(व्यवधान)__

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि यही परम्परा रही तो मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि आप कुछ नहीं बोल सकते__(व्यवधान)__

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : पिछले चालीस वर्षों में सारी जमीन बेच करके खा गये__(व्यवधान)__

श्री जुबेर खान : + + +...... (व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : जुबेर खान जी आपको क्या हो गया है ? विराजिये आप।

श्री जुबेर खान : इनका आज का वजन करा लो और मंत्री बने तब का करा लो, इनका वजन बढ़ा है, इसका फैसला हो जाएगा__(व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : प्रमाण है इसके__(व्यवधान)__।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री) : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने__

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये।

एक माननीय सदस्य : उस संस्था का अनुदान वापस चालू किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये इंदिराजी, क्या बार-बार खड़ी हो रही हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले भी इनको सदन से निकाला जा चुका है। सदन की परम्पराओं को तोड़कर इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। बड़े-बड़े लोग सब यदि नीची गर्दन किये देखते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता__(व्यवधान)__।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने एक बार नहीं हजारों बार परम्पराओं का उल्लंघन किया है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आप परम्पराओं की बात करते हैं। —(व्यवधान)—।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आप विराज जाइये।

श्री रामस्वरूप : बलात्कार जैसी घटना में मंत्री का नाम आ गया और वह कह रहे हैं कि किस नियम के तहत यह घटना घटित हुई है। आपका बलात्कार में नाम आया है, लांछन लगा रहे हैं आपके ऊपर और आप कह रहे हैं कि कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं, क्यों नहीं आपकी सदस्यता के बारे में विचार किया जाये ? —(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : कौनसे नियम में नाम आ गया—(व्यवधान)—

श्री जुबेर खान : आज ये तमीज की बात कर रहे हैं, कानून कायदे की बात कर रहे हैं—(व्यवधान)—।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इन्होंने हाउस में जूता दिखाया था। नवीं विधान सभा में चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य रामेश्वर प्रसाद जी के ऊपर इन्होंने जूता दिखाया था—(व्यवधान) और आज ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी क्या हो गया है आपको ? आज आप कम से कम 36 बार खड़े हो गये। आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप : हमारे लिये सारे नियम लागू होते हैं—(व्यवधान)—।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, हमें यह बताया जाये कि कितने मंत्री कितने स्केण्डल में लिप्त हैं। मुख्य मंत्रीजी इसका स्टेटमेंट दीजिये आप तो इस हाऊस में बहुत ज्यादा कहते आये हैं, विपक्ष के नेता की हैसियत से बहुत बोले हैं—(व्यवधान)—।

श्री अध्यक्ष : विराजिये रामनारायणजी, सदन का माहौल मत बिगाड़िये आप।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि कितने मंत्री कितने स्केंडल में लिप्त हैं। यही तो जानने का अधिकार है इस सदन में ताकि राजस्थान की जनता भी इस बात को जाने।

श्री रामस्वरूप : जनता को पता तो लगे—(व्यवधान)—।

श्री रामनारायण मीणा : गरीबों के साथ अत्याचार किया, किन परम्पराओं की दुहाई देते हो, इतने ज्यादा स्केंडल हो रहे हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अनगिनत स्केंडल।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : बैठ जाइये। + + + आप जैसा कोई महान् व्यक्ति ही नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अनुदान बंद कर दिया—(व्यवधान)—आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई से वंचित कर दिया आपने। यह आश्वासन दिया था कि आज चर्चा करायेंगे, शालिनी काण्ड पर आपको जरा + + + है या नहीं—(व्यवधान)—।

श्री अध्यक्ष : इंदिराजी विराजिये आप। चालीस बार खड़ी हो चुकी है—(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : + + + मंत्री को नहीं सुनेंगे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। इस तरीके का आरोप नहीं लगायें। एक्सपंज करिये इसको। मर्यादा भी कोई चीज होती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बलात्कार हुआ है तो भी नहीं कहें आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप है, आप इस तरह के स्ट्रिक्चर्स पास नहीं करें कि + + + को नहीं सुना जाये। मैं समझता हूं इस सदन की कुछ मर्यादाएं हैं। आप बोलते हैं तो इनकी जुबान पर भी ताला लगा हुआ नहीं है। माननीय सदस्य भरतसिंह जी ने एक प्रश्न उठाया, उसका जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं, अब वह जवाब सुनने में आपत्ति क्या है ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आप ही दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं क्यों दे दूं। मैंने दीपेन्द्रसिंहजी आपको भी देखा है। इस हाउस में बहुत से मंत्री हैं उन सबको देखा है, जो बोलना बिलकुल ही नहीं जानते थे उन्होंने भी इसी हाउस में जवाब देना सीखा है। इसी हाउस से उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। आप सबसे ज्यादा योग्य होंगे लेकिन मैं समझता हूं कि हाउस को मर्यादाओं के अनुसार चलाइये। जो बोल रहे हैं (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

एक प्रश्न उठा दिया, अब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दें तो भी ठीक नहीं है, उत्तर दे रहे हैं मंत्रीजी तो आप सुन लीजिये। आपको संतोष होता है तो ठीक है। आप दूसरी विधि से इसी प्रश्न को दुबारा सदन में रख सकते हैं आप केटेगरीकल प्रश्न बनाकर उसको दे सकते हैं, जवाब सुन लीजिये, जवाब आप नहीं सुनेंगे तो केवल आरोप लगाना मैं समझता हूं कि लक्ष्मणसिंह जी के लिए शोभा की बात नहीं थी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी वे मेरा नाम लेकर के कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मणसिंह जी विराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नाम लेकर के कह रहे हैं, मुझे यह बता दीजिये कि यहां पर क्या-क्या आरोप मुख्य मंत्रीजी ने लगाये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने जो आरोप लगाये थे क्या वे सही थे—।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे। आप बैठ जाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने किन-किन तथ्यों के आधार पर 1985 से 1990 के बीच में चीफ सेक्रेटरी पर यहां आरोप लगाये थे, क्या हुआ था हाउस में, क्या आपने सदन में तथ्य प्रस्तुत किये थे? हमको शिक्षा देने के लिये खड़े होते हैं पहले अपने गिरेबान में झांककर तो देखिये। आपको पूरा राजस्थान जानता है। आपको सम्मान से सुनते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं लेकिन जो गलत है मुख्य मंत्रीजी वह गलत ही रहेगा, आप कितना भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें गलत सही नहीं होगा और सही कभी गलत नहीं होगा। इनकी पूरी कहानियां पूरे राजस्थान में चर्चित है और आप इनका प्रोटेक्शन करते हैं, यह बहुत ही दुख की बात है। आप इनको केबिनेट मंत्री बना दीजिये—(व्यवधान)—।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आपके पास

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आरोप है, मैं इसीलिये आपको कहता हूं, आप मेरी सुन लीजिये, बैठिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : जुबरेजी बैठिये आप। आज व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन में किसी भी मैम्बर के आचरण के सम्बन्ध में__

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहूंगा + + + क्यों प्रोवोक कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य खड़ा होता है तो 5 खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा निवेदन करना इतना ही है कि इस सदन में नियमों और प्रक्रियाओं में सब प्रकार की व्यवस्था है। यदि मिनिस्टर के आचरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आरोप है तो उस मामले को इस सदन में उठाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो उसके बाद उनका जो सेटिस्फेक्शन हो वह हो जाए तो वह मामला आ सकता है। कौन व्यभिचारी है, कौन चोर है, कौन डकैत है, यह जनरली अपन बोलना शुरू कर देंगे तो मैं नहीं कहता, आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि इस प्रकार की भाषा का हमें यूं ही प्रयोग कर लेना चाहिये। यदि एक्सपंज भी कर दें, आजकल मैं पक्ष में नहीं हूं। अभी लोक सभा में एक चर्चा हुई तो स्पीकर ने यह कहा कि "लेट दी पोस्टेरिटी सी टू इट", हमारे मैम्बर्स किस प्रकार के थे। इसलिये यदि आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो कीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बीस बार बोलिये लेकिन एक तरीका है। इसी हाउस में हमने परम्परायें डाली हैं। यदि आपको उचित लगता है कि इस परम्परा के अनुसार हम किसी के आचरण के विरुद्ध यहां पर सदन में चर्चा कर सकते हैं तो चर्चा कर सकते हैं लेकिन एट रेंडम खड़े होकर इस प्रकार की चर्चा करना, उसका नतीजा क्या होगा। आप बोल गये, कोई दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा। तो इस हाउस में हम एक-दूसरे को कन्डेम करके जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आपने हमें चुनकर गलती की, हम यहां पर सब किस आचरण के आदी हैं और हमको आपका सुनना नहीं चाहिये। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं चले तो बहुत ठीक है। आप किसी पर भी आरोप लगायें नियमों में आरोप लगाये कोई आपत्ति नहीं है। जवाब दिया जाएगा। अभी जो प्रश्न खड़ा हुआ माननीय सदस्य ने एक छात्रावास के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। अब गवर्नमेंट की तरफ से उसका जवाब दिया जाए, जवाब सुन लें और आपको सन्तोष होता है तो ठीक है। असन्तोष होता है तो नियमों में फिर प्रक्रिया है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, काल अटेंशन नोटिस दे सकते हैं, एडजोर्नमेंट मोशन दे सकते हैं, आधा घण्टे की चर्चा ला सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। इससे तो किसी चीज का निराकरण होगा और यों ही बोलें तो निराकरण कुछ नहीं होने वाला है। लोग यह समझेंगे कि विधान सभा में कोई चर्चा नहीं होती, कोई गरीबों के लिये या जनता के महत्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। इसलिये मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मणसिंह जी के सम्बन्ध में। एक बार मैंने इन पर आरोप लगाया था और आरोप यह लगाया था कि इनको किसी एक आदमी के साथ साफा बंधा और आपको याद होगा और इसी तरह का एक आरोप__

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने नहीं लगाया था। स्वर्गीय पुष्पाजी ने लगाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी ने लगाया हो लेकिन आरोप लगाया था—

एक माननीय सदस्य : वह एक ही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : बात एक नहीं है। माननीय सदस्या पाली से थीं और आप वहां से नहीं थे। आप यहां से थे। एक कैसे है। श्री लक्ष्मणसिंह जी की बात को एक्सपंच किया जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने मैम्बर्स की मीटिंग में यह बात कही थी कि किसी के साथ साफा बंधाना, फोटोग्राफ खिंचाना, आटोग्राफ देना, किसी किताब का विमोचन करना यह राजनीतिज्ञों के लिये मौत का कारण हो सकता है। आप कहीं भी जाकर खड़े हों, तो आपकी फोटो खिंचवा ली। उस फोटो में कौन भला है और कौन बुरा है किस-किस को रोकें कि तुम मेरे साथ फोटो मत खिंचावाओ, तुम मत खिंचाओ। यही मामला एक बार कमला जी के बारे में भी आया। आपको याद होगा कि इसी सदन में चर्चा हुई थी कि कमला जी जैसलमेर गयी थीं और कुछ लोगों ने इनके साथ फोटो खिंचवाई। मैंने इसी हाऊस में खड़ी होकर कहा कि एम. एल. ए. मिनिस्टर यह जहां भी जाते हैं फोटो भी खिंचवाते हैं, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं और बच्चे आकर कहते हैं कि इसके ऊपर आपके हस्ताक्षर करो, कई बार किताबों का मिनिस्टर को विमोचन भी करना पड़ता है। उस विमोचन वाली पुस्तक को पढ़ते नहीं हैं, उसमें भगवान जाने क्या लिखा हुआ होता है उसका भी विमोचन कर दिया जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : ट्रेक्टर कम्पनी का उद्घाटन भी हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कम्पनियों का उद्घाटन हो जाता है। बिलकुल सही है। मैं कह रहा हूं। कम्पनी का ही नहीं कहीं शाल उढ़ाने का, कहीं साफा बंधाने का ऐसे कई कार्यक्रम होते है तो यदि इन चीजों को लेकर आप चलेंगे तो तब तो कोई अंत नहीं है। सोसायटी में गिरावट आएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कम से कम विधान सभा उसमें पार्टी नहीं हो मेरा तो इतना ही निवेदन करना है। —(व्यवधान)—

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : श्रीमती नरेन्द्र कंवर को या श्रीमती शशी दत्ता जी को दे दीजिये। कम से कम महिलाओं और बच्चों का ध्यान तो रखेंगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती बीना काक : पोर्टफोलिया बदलकर इन दोनों को दे दीजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह बात सही है कि मुझ पर आरोप लगाये थे माननीया पुष्पाजी ने। मुझे भी उस वक्त आशा थी, उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध विपक्ष के नेता माने जाते थे उस वक्त वह उनको रोकेंगे लेकिन उन्होंने उस वक्त उनको नहीं रोका।—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोका है मैंने।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने उनको बोलते वक्त नहीं रोका। आपके बिलकुल पीछे बैठा करती थीं। जहां पर आप विराजते थे वह बिलकुल पीछे बैठा करती थीं। और आपने मुख्य मंत्रीजी उनको रोका नहीं। उम्मीद थी,

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

आप प्रोसिडिंग्स निकालकर देख लीजिए पूरे तीन चार सैट्स उन्होंने कम्पलीट किये और उसके बाद में मैंने उठकर जब नहले पर दहला मारा तो मुख्य मंत्रीजी बात बिलकुल ठिकाने आई। तो कृपया अपने सदस्यों को आप स्वयं पहले रोकिये, हम रुकने के लिये तैयार हैं। लेकिन अपने सदस्यों को बताइये वह राज में हैं, सत्ता में हैं, सत्ता में कुछ सहनशीलता होनी चाहिये। विपक्ष तो अपनी बात कहेगा। राज तो आपको करना है लेकिन राज करने में आप सहन शीलता नहीं रखते हैं तो यह गलत उदाहरण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मत रुकिये। मैंने तो आपसे कहा है। आप जिस तरह का आचरण उचित समझते हैं करिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यह समझें कि इस प्रकार के आचरण से यह सदन डर जाएगा या हम डर जाएंगे, या तो कोशिश हम यह करेंगे कि मर्यादित ढंग से चलें और यदि आप अमर्यादित आचरण करेंगे तो जो उसका प्रत्युत्तर होगा वह मिलेगा।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने झालावाड़ छात्रावास के बारे में चर्चा की जो कि अनुदानित है। झालावाड़ छात्रावास जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कई वर्षों से वह संचालित हो रहा था और पिछले दो साल से वहां की शिकायत जिला अधिकारी को मिली। जिला अधिकारी ने उसका निरीक्षण किया और उसके आधार पर वहां के संयुक्त निदेशक ने उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट डायरेक्टर के थ्रू होती हुई सैक्रेटरी के पास और मेरे पास आई। उसमें मैंने देखा कि वहां जो मकान है वह पूरा मकान इस प्रकार का है कि उसमें पूरा परिवार रहता है और केवल एक या दो कमरों में 25 बालक रहते हैं जो कि बरसात के समय टपकता है। मैं इतना कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जानवर भी उसमें नहीं रह सकते और 25 बालकों की जगह 10 बालक वहां रहकर भोजन करते हैं। वहां ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने का वातावरण नहीं है और जब मैं गया, क्योंकि झालावाड़ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास पड़ता है जब मैं दौरे पर गया तो इस फाइल के आधार पर मैंने उस छात्रावास को भी देखा। देखने पर लगा कि वहां जानवर भी नहीं रह सकता ऐसी भयंकर स्थिति इस छात्रावास की थी। इसलिये आवश्यक था कि बच्चों के हितों को देखते हुए और उनकी पढ़ाई को देखते हुए आज उनका अनुदान बंद करना चाहते हैं और मैंने उसकी आल्टूनेट व्यवस्था की है। जो पास में ही हमारे एक सारोला छात्रावास था वह बन्द पड़ा था। उसका मैंने वहां अस्थाई तौर पर झालावाड़ से ट्रांसफर करके उसके बालकों को निवेदन किया कि यदि वह चाहें तो इस छात्रावास में एडमिशन लेकर अपनी विद्या हासिल कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बालकों के प्रति किसी प्रकार का भी वहां उनका नुकसान नहीं हुआ है। उनकी पढ़ाई चल रही होगी जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा उसके अनुसार। इसलिये माननीय सदस्य का आरोप मिथ्या है और ये बिना जानकारी यहां चर्चा कर रहे हैं। इनको वहां जाकर देख लेना चाहिये क्योंकि आप झालावाड़ जिले के निवासी हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई चर्चा नहीं...(व्यवधान)...

श्री भरतसिंह : मैंने कोई आरोप नहीं लगाये हैं...(व्यवधान) मैंने वहां जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया है यह राजनैतिक कारणों से सिर्फ चुनावों के बाद...

श्री अध्यक्ष : सारा जो होना था हो गया। विराजिये आप। खतम हो गयी बात। और कोई बात है तो दूसरे माध्यम से आइये आप। श्री अमराराम जी आपको कुछ कहना है ? —(व्यवधान)— आपने अपनी बात कह दी और उन्होंने अपनी बात कह दी। —(व्यवधान)— विराजिये आप। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीकर जिले में अभी बरसात होते ही, इस बाढ़ से पहले जो बरसात हुई थी, तो सीकर जिले में एन. एस. सी. सीड कम्पनी जो कि हिन्दुस्तान की सबसे बेहतरीन बीज वितरण करने की कम्पनी है और जिसके ऊपर किसानों का बहुत विश्वास है उस कम्पनी ने सीकर जिले के किसानों को नकली मोठ का बीज सैंकड़ों क्विंटल देकर नकली थैलों में भरकर और एन. एस. सी. की छाप लगाकर चौले का बीज देकर किसानों को लूटा है। जब अखिल भारतीय किसान सभा का एक प्रतिनिधि मण्डल कृषि उप निदेशक से मिला तो उसके बाद बहुत सा बीज जो बिक चुका था, किसानों ने बो दिया था लेकिन कृषि विभाग आराम से नींद में सो रहा था। जो चवले और मोठ 7-8 रुपये किलो आता है उसको 24 रुपये किलो के हिसाब से बेचा और जर्ब डेपुटेशन उप निदेशक से मिला उसके बाद वहां इस बात को रोकने के निर्देश भी जारी किये गये और एन. एस. सी. ने एक विज्ञप्ति निकाली कि जिनके पास बीज बचा हुआ है उनसे वह वापस ले लिया जाए और उनको पैसे दे दिये जाएं। लेकिन बहुत सा बीज जो किसानों ने बीज दिया था तो ऐसी बात सरकार के ध्याम में लाने के बाद भी ऐसे अधिकारी जो कि इसके मैनेजर थे सीकर में, जिनको दो दिन पहले ही पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार की किसानों के साथ जो इतनी बड़ी हेरा-फेरी हुई है। मैं यह तथ्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही से जो बीज देने वाली कम्पनी का विश्वास गिरा है, किसानों को लूटा है उसके खिलाफ निश्चित कानूनी कार्यवाही की जाए और आगे से कृषि विभाग को इस बात के लिये सतर्क किया जाए कि वह बिकने वाला बीज, खाद और नकली दवाइयां सीकर जिले में बिकती हैं उनके नमूने लिये जाएं और सतर्कता से जांच की जाए ताकि यह मामला आगे नहीं बढ़े।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(13.00)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है, राजस्थान के किसानों से सम्बन्धित है। माननीय अमराराम जी ने जो बात कही है, बहुत धड़ल्ले से नकली बाजरे का बीज, नकली मोठ का बीज, नकली चवले का बीज, नकली खाद और नकली रासायनिक अनाप-शनाप कीमतों में दुकानदार बेच रहे हैं और कृषि विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झुन्झुनूं जिले के अन्दर बहुत भारी तादाद में नकली बीज, नकली खाद, नकली रासायनिक जो बेचा जा रहा है उससे काश्तकार तबाह हो गये हैं। वह ऐसा नकली बीज है कि कई जिलों में तो उगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ऐसी दुकानों की वह चैकिंग करवाये, उनके ऊपर रेड करवायें, उनका नमूना लेकर जांच करवाकर के कानूनी कार्यवाही करें और उनको सजा दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में एक महीने के अन्दर तीन मर्डर हुए। एक तो 1.6.96 को हुआ जिसका केस दर्ज हुआ है। दूसरा 15.6.96 को दर्ज हुआ और तीसरा 16.6.1996 को। ये तीन केस मर्डर के कोटपूतली थाने में दर्ज हो गये लेकिन कोटपूतली थाने के अधिकारी ने अब तक किसी भी मुजरिम को इन तीन केसों के अन्दर गिरफ्तार नहीं किया और उसकी तफ्तीश के लिये कहते हैं कि हमारी तफ्तीश चालू है। वह तफ्तीश चालू इस बात की है कि वह जनता को बुलाते हैं और यह कहते हैं कि हम तफ्तीश करते हैं और रात को बिठाकर उनसे पैसा लेकर छोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : एक मिनट साहब। दूसरे केस में लाते हैं और रात को बिठाकर उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां एडीशनल एस. पी. की पोस्ट है, डिप्टी की आपने पोस्ट कर रखी है और सी. ओ. दफ्तर कर रखा है। इसके बावजूद वहां पुलिस नाकाम है और पुलिस वहां धन लूट रही है जनता से। तीनों केसों के अन्दर वह किसी भी केस की छानबीन नहीं कर रही है, एक महीने में ट्रेस आउट नहीं कर सकी है तो ऐसी पुलिस का हम क्या करें। गृह मंत्रीजी, आप जो अधिकारी गलती कर रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कीजिये और उनको निर्देश दीजिये कि जल्दी से जल्दी जो हत्यारे हैं उनको सजा दिलवाये।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह जी। 295.

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे यह मामला उठाना है।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई नहीं है।

श्री परसराम मोरदिया : मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बहस हो रही है—(व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा छीपाबड़ौद में रोडवेज की बसों का आवागमन ठीक प्रकार से नहीं होने की वजह से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगार प्रबन्धक बारां को बार-बार कहने पर भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रबन्धक रोडवेज, बारां व्यवस्था सुधरे इसके प्रति गम्भीर नहीं है।

सालपुरा रेलवे स्टेशन से छीपाबड़ौद के लिये ट्रेन टाइम पर कोई बस उपलब्ध नहीं रहती है, कभी मिलती भी है तो दो चार घण्टे के इंतजार के बाद। छीपाबड़ौद से कोटा बस जो छीपाबड़ौद से सुबह 5 बजे चलती थी वो भी बन्द कर दी है जिससे जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बस को तुरन्त चालू करवाया जाये।

छबड़ा से रोडवेज बसों का आवागमन नहीं

68

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

रहता है। पूर्व में जो छबड़ा बसें चलती थी, बन्द कर दी हैं, उन्हें भी तुरन्त चालू करवाया जाये जैसे छबड़ा से रामगंज मण्डी, छबड़ा से झालावाड़, छबड़ा से बारां। इस बारे में बार बार अधिकारियों से मिलने पर भी कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं।

अतः मैं माननीय यातायात मंत्री जी से मांग करता हूं कि छबड़ा छीपाबड़ौद की जनता को आ रही परेशानी से निजात दिलावें।

जनहित में निम्न बसों को चलवाने के आदेश प्रदान करें।

1. छीपाबड़ौद से जयपुर।
2. बारां भोपाल वाया छीपाबड़ौद।
3. बारां से इन्दौर वाया छबड़ा।
4. छीपाबड़ौद सालपुरा शटल बस
5. बारां छबड़ा शटल बस
6. जोधपुर भोपाल वाया छबड़ा।
7. बारां-ब्यावर वाया छबड़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, दिया है_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। स्थगन प्रस्ताव कहां लिया? कह तो दिया। **सरकार से सूचना मंगवाने के लिये कहा है। (व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं जितने मामले हैं उन पर बहस चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाओं के जो मामले हैं_(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि_(व्यवधान)_ मामले में सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : _(व्यवधान)_यह जयपुर का मामला है। 13 साल की लड़की को_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। (व्यवधान) मैं आपको नम्र निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं यह चाह रही थी _(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : _(व्यवधान)_आपने एक माननीय सदस्य को कहा है और यह _(व्यवधान)_आसन को बहुत अधिकार है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, लड़की को ले गये। (व्यवधान) बजाज नगर में पड़ी मिली है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : नैनवां में _(व्यवधान)_आप दिलाये नहीं_(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बागड़ा सदन से 13 साल की लड़की गांधी नगर से परसों ले गये_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। इन्दिरा जी मैंने आपको अलाऊ नहीं किया। यह 42वीं बार आप खड़ी हो गयी हैं। मैं बराबर काउंट कर रहा हूं। यह कोई तरीका भी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह जीरो आवर_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं अनुमति नहीं दूं, आप इस तरह से खड़ी नहीं हो। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह बहुत सीरियस मामला है, गम्भीर है। 13 साल की लड़की को ले गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया करके विराज जायं। मैं 295 बोल रहा हूं और आप फिर खड़ी हो गयीं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, बागड़ा सदन से 13 साल की लड़की को परसों ले गये और वह सब्जी मण्डी में पड़ी मिली है—

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा है कि गृह मंत्रीजी से मिलें आप। (व्यवधान) आप विराज जाएं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज ही इस मामले को उठाना है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + आसन की लगातार अवहेलना हो रही है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : और आप यह—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम स्वरूप जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं—(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की लगातार अवहेलना हो रही है यह कैसे बर्दाश्त होगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जीरो आवर में एक ही सवाल—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह 43वीं बार है। आप बिना अनुमति के 43 बार—(व्यवधान)—बैठ जाइये आप। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : 13 साल की बच्ची को लेकर गये हैं और आप कह रहे हैं बैठ जाइये। कैसे, कौन ले गया, क्या गुजर रही है उसके मां-बाप पर और आप कह रहे हैं बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने साथियों को बरजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 13 साल की बच्ची को ले गये थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, व्यवस्था चलानी है या नहीं। मैं एडजोर्न कर दूंगा। (व्यवधान) मैं आपसे कह रहा हूं 44 बार आपके लोग खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) बार बार खड़े हो रहे हैं बिना अनुमति से इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है। कृपया समझायें इनको। विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये हमारी पार्टी की नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये कांग्रेस तिवारी की हैं और कांग्रेस तिवारी की महामंत्री हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तिवारी कांग्रेस की हैं हमारी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब। रामनारायण जी फरमा रहे हैं। एक मिनट आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाह रहे हैं। एक स्थगन प्रस्ताव मैंने फतेहपुर थाना, जिला सीकर के सम्बन्ध में पेश किया था कि एक अनुसूचित

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतार कर उसकी मार पिटाई की गयी। उसकी एफ.आई.आर. __

श्री अध्यक्ष : वह आ जायेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आपने सरकार से जवाब मांगने वाली बात कही है। सरकार के पास__

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। फिर बोलने लग गये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में कह देना। आप मुझसे अलग में कह देना। (व्यवधान) आप मुझे चैम्बर में आकर मिलें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार के पास सूचना है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने नाम पुकार दिया तो फिर क्या डिस्कशन हो रहा है उनसे। Why should you argue about this thing? आप उनका अंकित क्यों करते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिनका नाम बोला उन्हीं को सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिनको नाम से पुकारा। (व्यवधान) बिना प्रस्ताव के कोई भी कुछ बोले यह माननीय अध्यक्ष महोदय कैसे चलेगा? (व्यवधान) गृह मंत्रीजी से__(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसके बाद में __(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विधान सभा को + + + बना दिया है कोई मर्यादा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक महीना हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह 295 की बात कर रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं आप? आप यह कहते हैं तो नहीं चलेगा हाउस (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई मंत्रीजी से __(व्यवधान) मुलजिम पक्ष को गिरफ्तार करवाइये। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, पुलिस उनको दबा रही है कि राजीनामा कर लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। कोई अंकित नहीं करें।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री टीकमचन्द कान्त : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। रामनारायण जी बोलें वह लिखें आप। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जायं परसराम जी।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।
XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। यह क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे हो आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति बनायें। क्या हो रहा है? कृपया बिराज जायं। परसराम जी बिराज जाएं।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री हरिसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं। रामनारायण जी 295 का पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। कृपया विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री टीकमचन्द कान्त : XXX

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बैठ जाइये आप। अब आप बिराजें। मैं किसलिए खड़ा हुआ हूं, कोई बात कहने के लिए खड़ा हूं। कुछ तो मर्यादा मानिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिये आप। आप बिराज जायं पहले।

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : न मैं बैठे बोल सकता हूं, न खड़े होकर बोल सकता हूं। XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बिराजिये आप। कृपया बिराजें। आप बिराज जायं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : दोनों ही पक्ष चढ़ रहे थे। कृपया विराज जायं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि विराज जायं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री अध्यक्ष : 295 की बात चल रही थी। उसके बाद में बात कह देते आप। 295 की बात चल रही थी। इसमें कोन सा इतना वह हो गया। 295 सुन लेते। आपको कोई व्यवस्था मैंने पहले दे दी, नहीं हुई है और सरकार से जवाब नहीं आया है तो आ जाएगा, उसमें कौन सी बात हो गयी। मैं 295 पढ़वा रहा था रामनारायण जी साहब से।

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : XXX

श्री अध्यक्ष : दोनों ही पक्ष खड़े हुए थे। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से चल रही है, हम सब को, कम से कम मुझे तो बहुत बड़ा खेद है और आसन की भी अपनी सीमाएं हैं, आसन की भी मर्यादाएं हैं। यदि नियंत्रित तरीके से सदन नहीं चल सकता है तो मेरा निवेदन है, सदन के नेता मौजूद हैं, प्रतिपक्ष के नेता मौजूद हैं, सदन को कुछ समय के लिए आप एडजोर्न कर दीजिये, एक व्यवस्था कायम हो, बैठकर बात कर लीजिये दोनों पक्षों से और दोनों नेता मौजूद हैं, यह अपने-अपने पक्षों को थोड़ा नियंत्रित करें और मैं मानता हूं कि आपकी भी कठिनाई है लेकिन फिर भी आप आसन के, इस सदन के कस्टोडियन हैं, सर्वोपरि हैं, आपको भी इस प्रकार का कि इस सदन में नियंत्रण रहे, हम लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, इस प्रकार की व्यवस्था सदन में कायम करने की आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन को एडजोर्न कर सकते हैं। दोनों नेताओं को आपस में बैठाकर बात कर सकते हैं दूसरी बात कर करके और यह व्यवस्था कायम हो सदन में, इस प्रकार की जाय। यहां इधर से हाथ, माला मारा जाता है, इधर से माला मारा जाता है, यह तो कोई सदन का चलने का तरीका नहीं है अध्यक्षजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। कृपया विराजें आप। नहीं, आप विराज जायं। मदेरणा साहब फरमा रहे हैं पहले। विराजिये आप।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : एक मिनट साहब। मेरा और हरिसिंह जी का स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष पेश कर दिया था कल ही। हमने इतनी सी व्यवस्था चाही थी कि उन मुलजिमों को जिन्होंने हरिजन दूल्हों को नीचे घोड़ी से पटका, उनके साथ मारपीट की और आज भी उनके गांव के अन्दर चारों तरफ घेरा लगा हुआ है, पुलिस उन से मिली हुई है, उनको पुलिस धमका रही है, उन हरिजनों को कि आप राजीनामा कर लो। गृह मंत्रीजी बैठे हैं, मैं तीन बार डेपुटेशन लेकर इनसे मिला हूं। सारी जानकारी गृह मंत्रीजी के पास है। उसके बाद भी वह मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। कोर्ट से उनकी तीन बार एन्टी सिपेटरी बेल खारिज हो गयी। पुलिस उनको मौका दे रही है—

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। मैंने आपको कहा है कि मैंने सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा है। कल आपने दिया, आज हमने सूचना के लिये भेजा है कि भई सूचना मंगवाई जा रही है। और तो क्या कर सकता हूं मैं। मैंने इसमें व्यवस्था दी है, उसके बाद आप—

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन मुख्य सचेतक का बांह चढ़ाना, यह कहां तक उचित है?

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो क्षमा मंगवाते साहब।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जीरो आवर है और जीरो आवर में मण्डावा से आने वाले

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य 295 में अपने मुद्दे को यहां पर पढ़ रहे थे।

एक माननीय सदस्य : नहीं, खड़े हुए थे।

श्री रामनारायण चौधरी : पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ने के लिए खड़े हुए थे पर पढ़ें क्या, बाद में हल्ला हो गया जब यह खड़े थे। मैं देख रहा था। और महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य दो माननीय सदस्यों ने रूल 50 में जो एडजोर्नमेंट मोशन, जिसके सम्बन्ध में स्टेटमेंट दिलाने की बात थी, आपसे वह अनुरोध कर रहे थे। कोई भी माननीय सदस्य को अगर आसन पुकार लेता है तो उन्हें 295 में जो रिटन उन्होंने नोटिस दिया है उसको पढ़ने देना चाहिये। क्योंकि अब जीरो आवर है, 50 में आप बाद में अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी ले सकते थे आसन से।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं दे चुका।

श्री परसराम मदेरणा : और आसन भी बोल लिया कि आज मेरे पास में फैक्ट्स आये नहीं हैं। फैक्ट्स नहीं आने के उपरान्त ही, मैं सदन में बैठा था, माननीय चीफ व्हिफ आफ द गवर्नमेंट खड़े होकर के नियमों का हवाला दे रहे थे, कल ही इन्होंने कुछ नियमों की बात कही थी, मैं खुद देखता रहा, उसकी खोज भी करता रहा, मैंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कण्डक्ट आफ बिजनस को भी उठाया कि यह किस नियम से बोल रहे हैं। न तो आपने पाइंट आफ आर्डर रेज किया, और गवर्नमेंट चीफ व्हिप को आल परवेडिंग और आमनी पोटेंट पावर है कि चाहे जब रूल का हवाला ही नहीं देवें और यहां खड़े हो जायं। हाउस के नेता तो पाइंट आफ आर्डर नहीं रेज करे तो यहां की परम्परा है, शायद वह नहीं करते और उनको फर्स्ट प्रिफरेंस मिलता है। लेकिन आप जो कोई भी बात कर रहे हैं, आपको चीफ व्हिफ इसलिए बनाया है कि आप रूल्स एण्ड प्रोसीजर से अपने दल को ही गाइड नहीं करें बल्कि हमारा भी मार्गदर्शन करें। आज जिस प्रकार से आपने मार्गदर्शन किया, और मुझे यह सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे आश्चर्य यह हुआ कि एक दफा यह घटना 1992 में आगे हो चुकी है—(व्यवधान) हो चुकी, हो चुकी। आप बैठे हुए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब नीचे आ गये हो। लेकिन मुख्य मंत्रीजी को यहां पर, उस समय मुख्य मंत्रीजी की शायद इतनी गलती नहीं थी जितना यहां से चैलेंज किया गया कि बाहर आओ तो इन्होंने कहा कि बाहर आ जाओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं कि कौन थे। आपको तो बहुत, इनकी रेमिनिसेंसी बहुत स्ट्रांग है। खेतसिंह जी की लेकिन आज मैं देख रहा था कि बाहर आने की जो चुनौती दी थी, कल मेरे दल के एक सदस्य शाम को मुझे बता रहे थे कि हमारे एक व्यक्ति को मेरे वहां पर लोग हैं, मेरे फालोअर्स भी हैं, लेकिन मैं महाजन जाति से हूं, महाजन जाति के लोग वह हिम्मत नहीं बटोर सकते, आज मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्य भी नहीं हुआ, It is 9th wonder or, may be, 10th wonder, कि हो, न हो, गवर्नमेंट चीफ व्हिफ हेमू की औलाद है। हेमू लड़ा था बहादुरी से। अब यह तो बात है कि हेमू लड़ा था और बहादुरी से लड़ा था। एक ही एग्जाम्पल मिलता है, बाकी नौ रत्नों में तो आप शामिल होते हों या नहीं होते हों, लेकिन यह मुक्के तानने की बात मैंने कभी सुनी नहीं आप

(श्री परसराम मदेरणा)

लोगों की तरफ से। और मुक्के तान करके अपन, मुक्के तानने की बात थी तो अखाड़े बहुत हैं, वहां लड़ रहे हैं, तमाम चीज कर रहे हैं। यह सदन है और राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों से हमारे मतदाता और मतदाता नहीं है तो भी पांच करोड़ के ऊपर जनता हम से कुछ उम्मीद रखती है। इस प्रकार का कोई भी आचरण करेंगे कोई भी कंडक्ट हो मैं तो खुद कह रहा हूं मुझे कई दफा यह शोकिंग भी लग रहा था। मैंने दोनों ही दिन कांफिडेंस मोशन की डिबेट पार्लियामेंट की सुनी। कोई आधे पौन घंटे का बीच में गेप रह गया हो तो मैं कह नहीं सकता। जब से शुरू हुई है वो मैंने बराबर उसकी सुनी थी। 27-28 की भी सुनी थी और 11-12 की भी सुनी थी। वहां पर जो हल्ला हो रहा था कई दफा किसी मैम्बर को बोलने नहीं दिया। बहुत अखबारों ने जो है लोक सभा के इंस्टीट्यूशन की गरिमा को कितनी ठेस पहुंची है फोर्थ जो है पिलर, प्रेस ने बहुत हाइलाइट किया उसको। आज अब कुश्ती-वुश्ती लड़ने की बात कर रहे हैं। कुश्ती आप जब लड़ने की बात करोगे तो ये लोग मुझे कहेंगे कि वो चैलेन्ज कर रहे हैं चीफ व्हिप और आप जाइये। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी आपसे कैसे लड़ेगा और अगर फिर बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे यहां पर भी दो-चार ऐसे मुक्केबाज हैं फिर मुझे उस टाइसन को भेजना पड़ेगा बाहर और अभी जो टाइसन का किससे किसका मुकाबला हुआ था मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक मिनट के अन्दर ही फैसला हो गया तो अगर यह फैसला भी करना है तो अपन हाउस में बैठे रहें। मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और हम बैठे रहें। एक आप पधार जायं। अगर इसी तरह से अपने को नीचे के स्तर पर आना है, तो बात यह है कि अब आप में जोश भी है, नयी बात भी है और हम यह समझ रहे हैं कि ऐसी कोई गलत परम्परा मुख्य मंत्री जी आप भी उससे सहमत होंगे कि इतने लम्बे अरसे तक इस सदन में रहे। सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ परम्पराएं हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। अपनी बात कहने का माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिये लेकिन सभी को साइमलटेनियसली और समानान्तर मौका तो मिल नहीं सकता। कई दफा उत्तेजना भी हो जाती है। इस सम्बन्ध में भी अपनी चेष्टा रहती है कि उत्तेजना न हो। इस हाउस को सहज और आसान तरीके से चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय आपके मजबूत कन्धों पर है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो हंस-हंस कर बात कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमसे तो नहीं करते हो। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके बावजूद भी दो-चार माननीय सदस्य कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यही आपने राज की बात कह दी है। आपको डिफ्यूज करना चाहिये कि जैसा अभी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अगर ऐसी इन्फ्यूरिएटिंग कंडीशन हो जाती है, उत्तेजना ज्यादा है और हाउस में शान्ति स्थापित करनी है, तो कुछ मिनट के लिये, इसलिये मैंने उनसे कहा था कि मैं तीन दफे लोक सभा में नीलम संजीवा रेड्डी को ऐज ए स्पीकर सिचुएशन को बैठे-बैठे डिफ्यूज इस तरह से करते थे कि मैम्बर भी सेटिसफाई हो जाता एक मैम्बर इंसिस्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिये माननीय सदस्य मैं आपको मौका दूंगा लेकिन मैं मौका दूंगा आप अभी मेरे चैम्बर में आ जाइये। मैं 15 मिनट में चैम्बर में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे मौका अभी दीजिये तो उन्होंने कहा कि नहीं एक दफा मेरे चैम्बर में आने की तो कृपा करें। You Kindly just, please, come to my chamber and I will satisfy. And then you come out of my chamber satisfied.

तो इसलिये कई दफा हो भी जाता है तो मैम्बर नहीं है तो उनको बुला करके अध्यक्ष महोदय आप अपने चैम्बर में सेटिसफाई कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन कर दिया था। नहीं किया?

श्री परसराम मदेरणा : मारवाड़ी में एक कहावत है—"कुम्हार कुम्हारी हूं बैराजी होवे और गधेरा कान टूटे।" इनकरी मुख्य मंत्री जी कांई चूट्यो-वूट्यो भरयो है कांई करयो है? चीफ व्हिप यू ही खड़ो ऊबो मुक्को बतावण लागयो अठ हाउस मायने। अपने को ऐसा नहीं करना चाहिये। आप बहुत रेस्पोंसिबिल आदमी हैं। चीफ व्हिप मुख्य मंत्री के बाद में—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैम्बर्स को बाहर नहीं आने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, उन्होंने कहा कि आओ, आओ इधर-आओ —(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इन्होंने जगह नहीं छोड़ी ये यहीं खड़े-खड़े बोल रहे थे। मगर ये बाद में जाने लगे—जब मैदान में जाने लगे—

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, जगह छोड़ी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देखिये आप अगर कंडेम करते हैं तो उनको भी कंडेम करिये जो बाहर चले गये।

श्री परसराम मोरदिया : उन्होंने खुद बुलाया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, तो वो बाहर निकल गये।

श्री चन्दनमल बैद : वे तो मार्शल रेस हैं वे बनिये थोड़े ही हैं ये मार्शल रेस हैं। अगर चैलेन्ज करेंगे तो आएंगे। बनिये थोड़े ही हैं वो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उन्होंने कहा कि बाहर आओ। अगर चैलेंज करेंगे तो आएंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसका मतलब यह है कि वो खुद समझदार नहीं हैं। दोनों तरफ समझदार ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं। इन्होंने कहा और वे बाहर निकल गये तो समझदार वो भी नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : चैलेंज करेंगे तो आएंगे ही।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय उप मुख्य मंत्री जी इधर देख रहे थे। माननीय चीफ व्हिप महोदय अपने स्थान को छोड़कर के, मैं यह नहीं कहूंगा कि ज्यादा चले गये थे एक या दो फीट आगे निकले थे। मैं देख रहा था। दो फीट ही ज्यादा नहीं गये और हम तो खड़े होते नहीं, बाहर जाकर के चैलेन्ज देते नहीं। बैद जी ने यह बात कह दी। अभी जब बनिये वाली मैं बनिये वाली बात तो नहीं कहता अगर बनिये वाली बात भी कहना चाहते हैं तो—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चन्दनमल जी पर भी लागू होती है।

श्री परसराम मदेरणा : चीफ व्हिप जो हैं मैं बैद जी से कहता हूं कि आप आ जाओ और आप भी आ जाओ, क्योंकि चन्दनमल जी का

(76)

(श्री परसराम मदेरणा)

भी मुक्का बहुत मजबूत है। अपने को नहीं करनी चाहिये ऐसी बात आपस में। यह मुक्का तानने की बात, बाहर आने की बात इटसेल्फ में भी उस वक्त हुई थी जब मैंने स्पीकर साहब से कहा था कि हाउस के अन्दर और बाहर चैलेंज करना कि जैसे मान लो कुश्ती लड़ेंगे या मसल पावर यूज होगी तो फिर सदन चल ही नहीं सकेगा। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का उस दिन से डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाएगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कुछ रेस्ट्रेन्ड वो भी रहे मैं मेरे दल के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी थोड़ा इस पर नियंत्रण रखना चाहिये और कोई बात नहीं भी आयी है मैं बैठा हुआ था अगर मान लो नहीं भी होते। कल कोई ऐसा ही एडजोर्नमेन्ट मोशन था मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कब दिलवा रहे हैं और मिनिस्टर साहिबान ने भी खड़े होकर कहा जो प्रभारी मंत्री थे कि मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। कई दफा ऐसा हो भी जाता है। आपसे आपके चैम्बर में बात कर लेंगे। यह बाहर जाने वाली जो बात है, मैं समझता हूं यहां समाप्त की जानी चाहिये। हाउस का वातावरण जो है, कहने को सब बात कहिये लेकिन मर्यादा में कहिये, ऐसी कोई भी चीज नहीं हो जो हाउस में उत्तेजना पैदा करे। क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसिजर है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो भी नियम हैं और नियमों और मर्यादाओं के अन्दर, उनकी सीमाओं में बात रखने का अधिकार है। क्योंकि हर आदमी हर बात हर वक्त नहीं रख सकता। इसके लिए अलग-अलग प्रोसिजर है और स्पीकर साहब की भी इसमें मजबूरी है, वे सब सदस्यों को साथ तो नहीं बुला सकते। कई मैम्बर्स हैं उन्होंने आज काल अटेंशन भी दिये, एडजोर्नमेंट मोशन भी दिये हैं, एक ही आदमी ने, 10-10 भी दिये हैं तो, अध्यक्ष महोदय, वो भी हाउस बिजनेस का है तो बिजनेस का जो हाउस है कार्यसूची को भी उन्हें समापन करवाना है और जीरो आवर में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो जनसमस्याएं हैं उनमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मैं समझता हूं कि, मुख्य मंत्री जी, मैं मेरे दल के सदस्यों से यह निवेदन करुंगा कि अपने को बाहर ले जाने में कोई चैलेन्ज करता है तो अपने को यहां शांति ही रखनी चाहिये, क्योंकि अपन को अपनी शक्ति यहां नहीं दिखानी है। उधर मुख्य मंत्री जी भी उनके यहां कोई बहुत बड़ा मेंढा कूद रहा है अन्दर तो उसको भी थोड़ा शान्त रखिये ताकि शांति से सब मामले भी चलें।

श्री माधव सिंह दीवान : ये खेद तो प्रकट करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कुछ कहा, मैं 1980 से माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये कभी कमेटी के चैयरमेन रहे तो, आप मंत्री रहे तो, और जब हम सरकार में रहे तो , और आज जब मैं मुख्य सचेतक हूं उस समय भी काफी मैं आपके साथ रहा हूं। मेरे व्यवहार के बारे में आप जानते हैं और पिछले दो दिन से मुझे काफी पीड़ा इस बात की है कि यह सर्वोच्च सदन किस प्रकार चले। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सशपथ निवेदन करता हूं कि हमको विशेषाधिकार प्राप्त है, दुनिया की कोई अदालत, यहां किसी के ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगाये जाएं, किसी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार किया जाए, कोई प्रसंग ज्ञान नहीं ले सकता। इसलिये यहां पर जो बड़े-बड़े नेता लोग विराजमान हैं, उन्होंने इस हाउस की कुछ परम्पराएं, मर्यादाएं कायम कीं, कुछ रूल्स और प्रोसीजर बनाये, कुछ अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हुई। उनके अन्तर्गत जब हम यह देख रहे हैं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि कोई भी माननीय सदस्य कभी भी खड़ा होकर, कई माननीय सदस्य प्रश्न के माध्यम से अपने सवाल उठाना चाहते हैं, कई माननीय सदस्य 295 के अन्तर्गत अपने विशेष उल्लेख के प्रस्ताव उठाना चाहते हैं, कई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये अपनी बात को कहना चाहते हैं, कई माननीय सदस्य 131 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि किसी भी पीड़ित मानव की यदि हम यहां पर बात करें और उसके लिये किसी सीमा तक भी जाना पड़े तो हमको जाना चाहिये लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं, जो इस सदन में किसी प्रकार का जवाब नहीं दे सकते, उन पर ऐसे आरोप लगा जाते हैं, सत्य होंगे मैं नहीं कहता कि कोई असत्य आरोप लगाते हैं, सही कहते होंगे लेकिन उन सही आरोपों को कहने की एक प्रक्रिया है।बाकायदा नोटिस देना चाहिये, ताकि सरकार उनके बारे में जानकारी करके आये और उनका कोई समाधान निकले। लेकिन उसके बिना ही हम किसी के बारे में किसी को कहें यह डाकू है,वह फलाना चोर है,फ़लाने ने डकैती डाली, उसने हत्या कर दी, उसने बलात्कार कर दिया। हमारा कहना यह है कि ये सर्वोच्च सदन इसके कहने पर कोई अदालत इस पर फैसला नहीं कर सकती केवल हमारे अलावा।

विषय यह है कि क्या हम लोगों को न्याय दें या नहीं दें? अब न्याय कैसे मिलेगा, न्याय तो यहां पर चर्चा करेंगे तब ही मिलेगा, यदि हम हा-हुल्लड़ करेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। मैं इस समय पीड़ित हूं, मैंने आपको पत्र भी टाइप कर रखा है, मैं लिख रहा हूं कि यह सदन मर्यादाओं में चले और हमको विशेषाधिकार है इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के बारे में कुछ भी कह दें। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने कल यह चर्चा की थी कि अनरिप्लाइड चले जाएं और हम किसी पर आरोप लगा कर चले जाएं तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसलिए हम न्याय नहीं करेंगे, यह मेरी मान्यता है। यदि मैंने गलती की है तो मुझे क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई यह कह कर कि मैं बनिया हूं और आपके किसी एक बनिये ने विधायक दल में यह कह दिया हो कि बनिये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि यह मान्यता ठीक नहीं है और इस मान्यता के आधार पर हमको चैलेंज किया जाए (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको कौन कह सकता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा का प्रभाव है कि इस प्रकार की बातें यहां पर आई और जो कहा गया, यह स्थिति क्यों आई? माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जीरो आवर्स में भी बहुत सारी बातें आई, चल रही थी। मैंने बार-बार निवेदन किया और मैंने पाइंट ऑफ आर्डर के जरिये से भी ये कहा कि देखो इस सदन को मर्यादाओं में चलाइए। जब माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी बोल रहे थे 295 की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय भी मैंने कहा कि आप माननीय सदस्य को पुकार चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं, आप माननीय सदस्य को रोकिये कि वह जो पढ़ रहे हैं लोग सुनें, प्रेस भी सुने। सारा प्रेस यहां विराजमान हैं, बहुत से माननीय सदस्य क्या महत्वपूर्ण मसले उठा रहे हैं तो कम से कम हम क्या कह रहे हैं यह बात तो राजस्थान की जनता को जाननी चाहिये। मैं बार-बार कह रहा था कि आप सुनिए, मैं पाइंट ऑफ आर्डर के जरिये से उठा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रहा था कहा कि आप पाइंट ऑफ आर्डर उठा ही नहीं सकते, यह भी बात आई। जब ये बात आई उसके बाद जब ये अपना—

श्री खेतसिंह राठौड़ : नाराजगी तो इस बात पर हुई थी कि आपने यूं उठाया, मुक्का बताया और कोई झगड़ा नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भी बता रहा हूं। 295 का प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी ने पढ़ दिया उसके बाद श्री रामनारायण जी चौधरी पढ़ने के लिये खड़े हुए और पढ़ना शुरू किया। तब अन्य कोई अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में, किसी के बारे में भी कहने लगे। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप व्यवस्था करिए, इस हाउस को कंट्रोल करिए, आपकी परमिशन के बिना कोई बोलता चले जाए, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता जाए, यह ठीक नहीं है। इसी बीच—

श्री चन्दनमल बैद : इन्होंने आरोप क्या लगाया? इन्होंने क्या आरोप लगाया, यह बता दीजिए। इन्होंने तो कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनकी बात नहीं है, रामनारायण जी खड़े थे।

श्री चन्दनमल बैद : आप बहुत बोल रहे हैं कि शांति से, नियमों से काम हो और उसके लिये आपने प्रार्थना भी की और हम लोगों को आपने बहुत कहा कि नियमों से काम करो, शांति से काम करो और नहीं किया इस वास्ते आपने बाहें चढ़ा लीं कि नहीं किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या जस्टिफाई कर रहे हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहां कहा, माननीय चन्दन मल जी उस कांग्रेस दल की मीटिंग में यह क्या कह दिया कि बनिये तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे ऊपर मुसीबत आ गयी।

श्री परसराम मदेरणा : किसने कहा?

श्री महावीर प्रसाद जैन : —और इसलिए आपने कहा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा—

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो यह कहा था कि बनिये शांतिप्रिय होते हैं, आप यह क्या कर रहे हैं। इसमें क्या बुरा कहा मैंने?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं कि मैंने न तो चैलेंज दिया, जब इन्होंने यह कहा कि हम यों कर देंगे, मैंने कहा क्या कर दोगे? एक मिनट हाउस नहीं चलने देंगे यदि ऐसा करोगे तो, आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। मैंने यह कहा, तो इन्होंने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ। मैंने यह कहा और मैं यों ही कर रहा था कि आज सभी लोग—

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह गलत कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : —स्वयं देख रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं जानता हूं कि आपकी बहुत मजबूरी हैं, आपको किसी दबाव में और किसी प्रकार से अपने नेतृत्व का दायित्व—

श्री परसराम मदेरणा : आप गलतफहमी में हो, बिलकुल गलतफहमी में हो। मेरे पर कोई दबाव नहीं है। आपका कहने का अभिप्राय यह है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहूंगा—

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी पार्टी का अगर

(श्री परसराम मदेरणा)

एक सदस्य कम है तो वाजपेयी जी ने तो यह कहा कि मैं नहीं रह रहा हूं, अभी जा रहा हूं लेकिन मैं एक सैकण्ड नहीं रहूंगा, एक बात। दूसरी बात, मैं दबाव में अपनी जिन्दगी में किसी के नहीं आया हूं और आप देखिए मैम्बर्स के अन्दर आप बराबर के मैम्बर हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। इस वक्त का यह काम जो है अगर मान लो मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको भी व्यवधान हो रहा था, मैं देख रहा था वो चुप हो गये। जब ये बोलने लगे। यह काम तो आसन का था—

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आसन से ही निवेदन कर रहा था।

श्री परसराम मदेरणा : —और आसन को आपको निवेदन करके बैठ जाना चाहिये था। हम नहीं बोलने देंगे, हम यह नहीं करने देंगे, इस तरह से आप नहीं कर सकते और यह करते हो तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मैं देख लूंगा और यहां आकर के एक मुक्का, आपने राइट हैंड का मुक्का यों किया। मैं तो यहां-बैठे-बैठे डर रहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने—

श्री परसराम मदेरणा : आप अध्यक्ष के पावर्स अपने हाथ में मत लीजिए। गवर्नमेंट चीफ व्हिप का मतलब अध्यक्ष की जो व्यवस्थाएं हैं सदन में, आप उनको पाइंट आउट कर सकते हैं। हम भी अध्यक्ष महोदय की तरफ, मैं खड़ा हुआ अभी, वह आपकी तरफ देख रहे थे। अब मैं उनकी आईज कैच कैसे करूं। अब इन्होंने आईज कैच करी। अध्यक्ष महोदय की आइज कैच नहीं करेंगे तो बोलने ही नहीं देंगे, मुझे भी नहीं बोलने देंगे। आप आइज कैच करते। जिस वक्त आप कुछ कह रहे थे अध्यक्ष महोदय इधर देख रहे थे। इसलिऐ आप अध्यक्ष की आइज कैच करके कोई निवेदन करना है, तो रुल्स के अनुसार सदन का संचालन हो, यह रिक्वेस्ट इनको करनी चाहिये। आप तो वहां से सदन का संचालन नहीं कर सकेंगे। यह तो इस आसन को ही करना पड़ेगा और आसन का यह अधिकार है। आप पाइंट आउट कर सकते हैं कि हाउस में शांति नहीं है, शांति स्थापित होनी चाहिये। एक-एक माननीय सदस्य को बोलना चाहिये, यह पाइंट आउट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। यह चीफ व्हिप का काम भी है कि हाउस ठीक तरह से चले। कल ही मैं देख रहा था कि आप जोर-जोर से बोल रहे थे। मैं तो दबाव में हूं या नहीं हूं लेकिन आपके ऊपर जरूर दबाव है। दबाव इस बात का है कि गवर्नमेंट चीफ व्हिप जो है। वह कुछ बोलता ही नहीं है। पहले ऐसे चीफ व्हिप होते थे जो बिलकुल हाउस के अंदर होते ही पाइंट ऑफ आर्डर रेज करते थे। कल आपने नियमों का एक लैक्चर दिया, 8 घंटे का और मुझे मालूम नहीं कि आप कौनसे नियम में खड़े हो गये। आपने पाइंट ऑफ आर्डर रेज किया नहीं और नियमों की रामायण पढ़नी शुरू कर दी और हमको सब नियम पढ़ा रहे हैं। जैसे सम्बोधन का कैम्प लगाया था ना भाभड़ा जी ने, उसमे ट्रेनिंग हुई थी, तो आप प्रबोधन कम कीजिए और आप अध्यक्ष महोदय की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कीजिए। अध्यक्ष महोदय का कार्य है सदन में शांति रखना, किसी मैम्बर को बोलने दे रहे हैं, नहीं बोलने दे रहे हैं और हाउस के अंदर इस हाउस का संचालन सही तरीके से नहीं होता है, सहजता से नहीं हो रहा है, आसानी से नहीं हो रहा है तो अध्यक्ष

(श्री परसराम मदेरणा)

महोदय सदन में दूसरी कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) नहीं, मार्शल की बात बाद में आएगी। अध्यक्ष महोदय के पास में और भी विकल्प हैं। इन सब विकल्पों के एग्जास्ट होने के बाद में यदि और भी आवश्यकता है तो, मार्शल को कई वर्षों में कम समय मिला है, ये भी तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कुछ न कुछ हो। अब रिटायर भी होने वाले हैं। इसलिए मार्शल तो यह चाहेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय मार्शल की पावर्स को बहुत कम रेअरली यूज करते हैं। करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के सदन के अन्दर बैठकर के, मैं समझता हूं सदन के नेता महोदय, जो कुछ भी मैंने अपना अभिमत व्यक्त किया है उससे वे सहमत होंगे। सदन के ठीक संचालन के अन्दर इस और उस ओर बैठने वाले, सत्तापक्ष भी, दोनों मिलकर के सदन को ठीक तरीके से संचालित करेंगे।

यह बजट सैशन है और राजस्थान की विधान सभा में सबसे लम्बी अवधि का बजट सैशन होता है और जब बजट सैशन इतनी लम्बी अवधि का है, तो हमें जनता की समस्याओं को रखने के लिये हर माननीय सदस्य की यह राय होती है कि शोर्ट सैशन में हम नहीं रख सकते हैं, सभी बातों को यह लम्बा सदन है आज बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में बिजस भी तय हो जाएगा कि कब तक सदन चलेगा। माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं। स्टेटमेंट नहीं आया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ कहा तो था। क्या कहा? क्योंकि मैं सुन नहीं पाया हल्ला हो रहा था, आप कुछ बोले जरूर थे। आप वक्तव्य के सम्बन्ध में बोले जरूर थे। जो कुछ आपने कहा, मैंने खुद ने भी नहीं सुना क्योंकि हाउस में थोड़ी सी उत्तेजना थी। सरकार से मैंने कल बात की है, जो स्टेटमेंट दिलवाना है। 5-7-8 दिन कालिंग अटेंशन का जवाब न दें मुझे मालूम है कि 1983 में 3 कालिंग अटेंशन लगे हुए थे और जो मेरे विभाग के सैक्रेटरी थे, उन्होंने मेरे पास उनके उत्तर नहीं भेजे। यहां पर मुझे लताड़ पड़ी कि तीन दिन हो गये, आपने अभी तक फेक्चुअल रिपोर्ट क्यों नहीं दी है? मैंने वहीं पर बुलाकर के कहा कि शाम को पांच बजे से पहले रिपोर्ट मेरे पास आ जानी चाहिऐ यहां पर मैं करेक्ट कर लूंगा और यहां हाउस में प्रस्तुत कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को भी चाहिए। वे जब तक नहीं देते हैं, अध्यक्ष महोदय, बार बार चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने के बाद में यहां से रिमांइडर्स चले जाते हैं और उधर देखते हैं कि जितने दिन टलता है उतने टलने दें। उसको लेकर के यह नहीं होना चाहिए। सरकार को भी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कोई रिमोट एरिये में भी होगा, कहीं से फैक्स मंगवाने होंगे। जल्दी से जल्दी मंगवाकर के कई दफे क्वेश्चन के सभी फेक्ट्स मंगवाकर के मैं देखता था। मैं डायरेक्ट कलेक्टर से बात करता था और उनसे कहता था कि आप ऑफिसर को लाकर बाउण्ड डाउन करो कि मिनिस्टर से बात करो। सप्लीमेन्ट्री मुझे लिखा दो, मुझे असेम्बली में जाना है। असेम्बली के बिजनिस को टाप इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए और जल्द से जल्द फेक्चुअल रिपोर्ट और फेक्चुअल नरेशंस अध्यक्ष महोदय के सचिवालय में पहुँचने चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा—

श्री विश्वनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब काफी हो चुका है और अब इस किस्से को समाप्त कीजिए। किसने क्या कहा (व्यवधान) जवाब आप देंगे और हम देंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, बिलकुल समाप्त जो जाए। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि मेरे व्यवहार से किसी एक व्यक्ति को भी यदि आघात पहुंचता है तो मुझे असहनीय वेदना हाती है। इसके लिये मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इस सदन की जो उच्च परम्पराएं हैं, वह कायम करने के लिये मेहरबानी करके, यह अच्छी बात है कि आप किसी दबाव में नहीं हैं, आप दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने तो कई बार देखा है की आपके जो मुख्य सचेतक जी हैं, वे हेलमेट की आवश्यकता महसूस करते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नेता महोदय, इन्हें समझाइये, अब क्या बाकी रह गया है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं हेलमेट की ज़रूरत समझता हूं या टोप की जरूरत समझता हूं या किसी और की समझता हूं लेकिन आप क्यों परेशान हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : चुप बैठने वाले हम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से, मुख्य सचेतक महोदय से—

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्यादा बोलोगे तो हार्ट-अटैक हो जाएगा, बैठ जाओ।

श्री जगदीप धनखड़ : हेलमेट की जरूरत क्यों आने लग गयी—(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और सदन के नेता महोदय से, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूं कि यह हाउस परम्परा और नियमों के आधार पर चले—(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मुख्य सचेतक महोदय, आप बिराज जाओ। आपका ज्यादा बोलना आपके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपका बोलना गलत है। आप उल्टे सदन के अन्दर उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं, आप बहादुर हैं। आप काहे के बहादुर हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मोहनलाल जी मोदी साहब, आपकी और मेरी ऐज क्या है, आपकी ओर मेरी एक ही तो राशि है और एक ही जाति के हैं—(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप अपने लिये तो करवा ही लो हेलमेट की व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी और मेरी एक ही तो राशि है और एक ही जाति के हैं और आपको बड़ी शर्म आ रही है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि यदि आप मुझे बोलते भी देख लें और यदि हाउस का टाइम खराब होता है तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। हाउस तय कर लें।

श्रीमती बीना काक : मत बोलो, बिराज जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या प्रतिपक्ष के नेता महोदय यह महसूस करते हैं कि यह हाउस जिस प्रकार से चलना चाहिये, वह चल रहा है—(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण मुद्दा जीरो अवर में उठा रही थी, उसके लिये तो आपने मुझे दो मिनट का समय नहीं दिया और आप एक घण्टे से बहस कर रहे

(82)

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

हैं। (व्यवधान) आज मामला हुआ, आज आग लग रही है और मुझे बोलने के टाइम में, आज ही (व्यवधान) डांट रहे हैं। मैंने आपसे जीरो अवर में एक मिनट मांगा। तेरह साल की लड़की गायब होने का, वह तो आपने मुझे समय नहीं दिया और अब इतना भाषण देने के लिये समय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम राजस्थान की जनता के प्रति न्याय कर रहे हैं क्या? किसी को अपना प्रस्ताव नहीं देना चाहिऐ, जहां तक सवाल इस बात का है कि मैंने कुछ मुद्दा उठाया, मैंने ऐसे ही नहीं उठाया। हुआ यह प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय कि जब ये मेरी ओर लपके तो मैंने यह कहा कि मेरे हाथ में चूड़ियां नहीं हैं। मैंने केवल यही कहा है।

श्रीमती बीना काक : यह चूड़ियां नहीं है से क्या मतलब है आपका? यह चूड़ियां नहीं है से क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके लिये अलग व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : चूड़ियों को कमजोर समझ रखा है आपने? क्या चूड़ियों को कमजोर समझते हैं आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे लड़ते अच्छा नहीं लगूंगा (व्यवधान) चूड़ियों वाली हैं हमारे यहां। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इधर की भी मिला लीजिए, उधर की भी मिला लीजिए और आ जाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपको अच्छा लगे, वैसा आप करें। (व्यवधान) हमको कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती बीना काक : आप कड़े पहन लीजिए, चूड़ी नहीं कड़े पहनिये आप। हम तो चूड़ी आप कड़े पहन लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रतिपक्ष के लिये अच्छा है कि यह सदन ठीक प्रकार से चले और सरकार सब बातों का जवाब दे। यह सदन चलेगा तो प्रतिपक्ष को लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : सचेतक बदल दो। आपके मुख्य सचेतक को बदल दो।

श्री परसराम मदेरणा : यह आषाढ़ चल रहा है, यह आषाढ़ का महीना है।—

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब क्या करना है इसमें, कोई डिबेट नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट मैं निवेदन कर रहा हूं। ऐसा है चेहरे पर मूंछें रख रखी हैं, बदनाम मैं होता हूं और खोट दूसरे करते हैं, बदनाम मैं होता हूं। (व्यवधान) मेरे और आपके बीच का मामला था, और ये बीच में कहां से कूद पड़े।

श्री परसराम मदेरणा : **हाउस में कोई बदनाम नहीं होता।**

ऐसा है कि यह आषाढ़ का महीना है। जैन धर्म का मूल मंत्र है, दया, अहिंसा और क्षमा। भादवा में मुझे कई पोस्टकार्ड मिलते हैं सवतसरी पर। क्षमा मांगते हैं, मैं उन सबको जवाब देता हूं। उन्होंने क्षमा मांगी है तो मुझे क्षमा मांगनी चाहिये। मैं कोई दबाव में आ

(श्री परसराम मदेरणा)

गया तो, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझे आज मालूम हो गया कि यहां इस सदन के अन्दर एक जनरल हेमू भी है, तो आप मेरे बचाव में आना। You kindly come to my rescuce. I shall be grateful to you. इसलिये बात यह है कि आप कोई बात भी कहिये। इतनी जोर से मत बोलिये। क्योंकि आपके उत्तेजित होने के बाद में तो, आपसे तो सब अनुसरण करते हैं कि चीफ व्हिप बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं। कोई ऐसी बात हो जाए किसी वक्त तो जोर से बोलना पड़ता है। लेकिन आप तो सिद्ध श्री से लेकर इति श्री तक बराबर जोर-जोर से बोलते हैं कि चीफ व्हिप ने आज लंग पॉवर को यूज कर लिया। तो कुछ बातें शांति से कह दीजिये इस सदन के अन्दर। मैं समझता हूं कि इस मामले के अन्दर अपन को यूं और यह करने वाली बात, यह सदन के सदस्यों का आचरण नहीं है। इस सदन में जो कुछ भी कहना है, अपने को जो अभिव्यक्ति देनी है और अभिव्यक्ति जनहित में देनी है। हम यहां पर पर्सनल किसी से एनिमिटी या पर्सनल किसी से नाराजगी नहीं है लेकिन जन-समस्याओं को रखने का हरेक माननीय सदस्य का कर्तव्य है और उससे यह अपेक्षा और आशा उसके इलेक्टोरेट करते हैं। इसलिये सदन में वे ही मुद्दे रखे जाते हैं जो जनता के अन्दर आज उद्वेलितता पैदा करते हैं। यह किसी मामले को लेकर, मेरे ख्याल से मर्डर का केस होगा?

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, एक घोड़ी से अनुसूचित जाति के दूल्हे को उतारने का है। एक महीना हो गया, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री परसराम मोरदिया : पुलिस एंटीसिपेटरी बेल के लिए टाइम दे रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अखबार में भी आया है?

श्री परसराम मोरदिया : हां, अखबारों में भी आया है।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे मामलों में, जो काफी अखबारों में आ चुका है, दूसरी बात है। उस सम्बन्ध में आपके पास में आपने फेक्टस पहले ही मंगवा लिये होंगे और चार जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं एकदम। आपने किसी सीनियर ऑफिसर को अलग-अलग लगाया था शायद। तो इसमें तो फेक्ट्स वगैरह सब आ गये होंगे आपके पास में? उसी वक्त ही आपको सचिवालय को भेज देना चाहिये था। नहीं-नहीं, बहुत इन्होंने, he has taken very pre-emptive and timely step. I read in the papers. Very senior officers have been appointed to, simultaneously, make preliminary inqiry and as to what actually are the facts. और वे होम मिनिस्टर आपके पास में निश्चित तौर से आये होंगे। तो उसमें भेजने में कलेक्ट करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी—

Already facts are with you. तो आप उसको भेजने के लिये और मैटर में स्टेटमैंट के लिये अध्यक्ष महोदय कोई तारीख मुकर्रर कर देंगे और मामला समाप्त हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : प्रतिपक्ष के नेता के आने से पूर्व जो भाव आपने व्यक्त किये है, उसी प्रकार की मैं चर्चा कर चुका हूं। यह सही है कि विधान सभा में माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की या पूरे देश की, पूरे प्रदेश की समस्याएं जो उनके नोटिस में आती हैं, उनको वे विधान सभा में उठाना चाहेंगे। इसमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई रोक-टोक नहीं है। समस्याएं किस प्रकार **से उठायी जाएं, इस सम्बन्ध में** नियम भी बने हुए हैं, प्रक्रिया भी है और अध्यक्ष की व्यवस्था भी हैं। उनके अन्तर्गत कोई माननीय सदस्य यदि किसी प्रश्न को उठाना चाहेंगे, निश्चित रूप से उनको उठाने का अधिकार है और सरकार की ओर से उनको निश्चित रूप से उत्तर दिया जाना चाहिये। उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उसमें सरकार कोताई करती है तो निश्चित रूप से सरकार की गलती होगी। सरकार सदन से तथ्यों को नहीं छुपा सकती।

प्रश्न यह आता है एक साथ कितने मामलों को इस विधान सभा में उठाया जाए और उनका उत्तर दिया जाए। उसके लिऐ नियमों में व्यवस्था है। यहां कभी जीरो आवर की एक व्यवस्था, जो पहले नहीं थी, कई वर्षों से चालू हो गयी। कल भी आप उपस्थित थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं है, मैंने जीरो आवर के सम्बन्ध में निवेदन किया था कि चिट सिस्टम द्वारा अध्यक्ष को तो सूचना मिल जाती है, सरकार को सूचना नहीं मिलती है। सरकार को चाहिये कि तत्काल उसका उत्तर दे लेकिन हाउस में सूचना मिले तो प्रतिपक्ष के नेता, यह कोई आशा नहीं की जा सकती कि उसी समय तथ्यों के आधार के ऊपर उस चीज का उत्तर दिया जाए। इसलिये कल हमने अध्यक्ष महोदय से भी रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास इस प्रकार की चिट आती हो तो उसकी **जानकारी सत्ता पक्ष को भी मिल जाए ताकि उस जानकारी के आधार पर माननीय** सदस्यों को भी संतोष हो कि इस बात का उत्तर सरकार की ओर से मिला है।

अब दो-तीन प्रश्न आते हैं। आज क्वेश्चन आवर चलने के बाद यह जीरो आवर प्रारम्भ हुआ और जीरो आवर में कई मामले उठे। उठने की व्यक्तिशः किसी को जानकारी हो तो कोई मंत्री खड़ा होकर जवाब दे दे, वह बात दूसरी है। लेकिन व्यक्तिशः जानकारी देने में वह तथ्य सामने नहीं है, जो सरकारी स्तर पर जांच हुई है या किसी प्रकार की जांच हुई, किस प्रकार का परिणाम निकला, क्या एक्शन लिया गया, वह पूरे तथ्य सामने नहीं होते हैं। पूरे तथ्य सामने नहीं होते तो जवाब देने में संकोच होना स्वाभाविक है।

अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यहां से विवाद खड़ा नहीं हुआ। विवाद खड़ा हुआ, माननीय सदस्य जो खानपुर से आये हैं, उन्होंने एक छात्रावास के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। पर्सनल उन्होंने अपनी तरफ से गर्वनर को जो लेटर लिखा था किसी पीड़ित ने उस लेटर को पूरा पढ़कर सुना दिया। सुनाने के बाद में हमारे दो-तीन मंत्रियों को इसकी व्यक्तिशः जानकारी थी। अब व्यक्तिशः जानकारी के आधार पर वे कहना चाहते थे कि इसकी जांच हुई और जांच के परिणाम से इस प्रकार की कार्यवाही की गयी। यह विवाद वहां से शुरू होता है। उस विवाद में कई माननीय सदस्य कई प्रकार की बातें कह गये। जो मैं समझता हूं कि मैं उनको टोकूं या नहीं टोकूं, वे खुद ही इस बात को सोचेंगे कि उनको यह बात कहनी चाहिये या नहीं कहनी चाहिऐ। यह विवाद वहां से चलता गया। चलते-चलते एक माननीय सदस्य बोल गये, बोलते वक्त वे पढ़ कर सुना रहे थे अपना 295 का नोटिस या कुछ था। **उनको बोलने नहीं दिया। धीरे-धीरे विवाद चला और आपसे जब मैं बात कर रहा था, शायद उस समय की** घटना है, जिसका जिक्र आपने भी किया और हमारे मुख्य सचेतक ने भी किया है। मैंने तो देखा भी नहीं है लेकिन कई बार सदन में इसी प्रकार की उलझन हो जाती है। लोग कहते हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाहर आओ। आपने पार्लियामेंट की डिबेट, उन दो तीन दिनों की देखी होगी। एक सदस्य ने तो खड़े होकर यहां तक कह दिया कि आपकी दो आंख निकाल कर मैं पेट में रख देऊंगा। यह पार्लियामेंट की बात है। उसको मैं एप्रिशिएट नहीं करता। कोई भी इसको एप्रिशिएट नहीं करेगा। दूसरे ने कहा कि बाहर आ जाओ, मैं बाहर वजह बता देऊंगा। इस सदन में भी इस प्रकार की उत्तेजना की स्थिति कई बार पैदा हुई है। यहां मैम्बर कह देते हैं कि बाहर आओ और और बाहर आओ तो वे बाहर जाने वाले_(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपन जैसे बुढ़ों का बुरा हाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बुरा हाल क्या, अपन को छोड़कर दूसरी जगह भागना पड़ेगा। तो उस समय बाहर आओ तो मैंने कई बार देखा है कि एक सदस्य ने हाउस में कहा बाहर आओ और दूसरा बाहर चला गया और बाहर जाकर चाय पी रहे हैं और वह बाहर जाने की स्थिति कहां है और कहा तक नहीं है, कोई पान खा रहे हैं, कई विपक्ष के नेता के पास जाकर लड्डू खा रहे हैं, कोई कहां चाय पी रहे हैं तो इस बात की तो खुशी है कि इतनी उत्तेजना होने के बाद में भी मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है। यह दुर्भावना इस प्रकार से नहीं रहे इसकी आवश्यकता है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे भी चर्चा करूंगा और लीडर ऑफ का अपोजीशन से भी बात करना चाहूंगा कि इस सारी व्यवस्था में एक बार थोड़ा पुनर्विचार करे कि कितने मोशन किस समय लिये जा सकते हैं, किस प्रकार की चर्चा किस समय की जा सकती है। यह अगर एक साथ बीस-बीस आ गये तो यह सबके सामने समस्या खड़ी होगी, मानंनीय सदस्य को संतोष नहीं होगा, सरकार की तरफ से पूरा उत्तर नहीं जाएगा, आदमी कोई दोषी है, उसको दंड नहीं मिलेगा तो उसकी चर्चा को किस प्रकार से संयत किया जाए, मैं चाहूंगा आप और चाहे जिनको साथ ले लें, हम भी तीन-चार बैठकर इस बात पर एक बार विचार कर लें कि कहां-कहां किस-किस रूप में यह मामले उठाये जाएं। किस प्रकार का उत्तर आये और उत्तर देने के समय किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं हो। जो कुछ हुआ है, उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आज की सारी घटना से हम सबक ले ओर हाउस में सुचारू रूप से काम चले, यह आपकी इच्छा भी है और हमारी भी इच्छा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव जो है, उसे पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री राजेन्द्र जी गहलोत (अनुपस्थिति) श्री शंकरलाल जी अहारी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : पढ़े हुए मान लिये, सबको पढ़े हुए मान लिये।

(विशेष उल्लेख के उपरान्त प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : पढ़े हुए मान लिये ?

86

श्री अध्यक्ष : मैं बराबर पुकार रहा हूं, कोई नहीं बोल रहे हैं।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : मैं पढ़ रहा हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप भी तो सुनें। आपकी जानकारी में कैसे आयेंगे अगर पढ़े हुए मान लेंगे तो।

श्री अध्यक्ष : अहारी जी, बोलें।

डूंगरपुर जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में डामरीकरण सड़कों की हालत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

डूंगरपुर जिले में डामरीकरण सड़कों की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। कई सड़कों पर समय पर दुरुस्ती नहीं होने से सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गये हैं। रोडों की साईडें बड़ी खराब हो रही है, जिससे आम आदमी व आम साधनों, वाहनों को आने-जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी दुर्घटना भी घटती है। आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि निम्न सड़कों की अतिशीघ्र ही मरम्मत की राशि दिलाकर सड़कों पर कार्य प्रारम्भ कराने की कृपा करें।

(14.00)

1. डूंगरपुर से मेवाड़ा वाया थाना, माड़ा गामड़ी रोड,

2. डूंगरपुर से पीठ वाया झोथरी, करावाड़ा,

3. करावाड़ा से रास्ता रोड,

4. डूंगरपुर से बीछीवाड़ा रोड,

5. सीमावाड़ा से माडली,

6. पीठ से सरथूना,

7. पीठ से पुनावाड़ा,

8. झोथरी से सूराता,

9. डूंगरपुर से बोखला वाया घुघरा साबली,

10. दोवड़ा से आसपुर वाया पुनाली,

11. दोवड़ा से आसपुर वाया गणेशपुर,

12. डूंगरपुर से देवसोमनाथ वाया माथूगामड़ा,

13. डूंगरपुर से सागवाड़ा वाया आदरी,

14. दोवड़ा से आतरी वाया दोजा एवं

15. दोवड़ा से सागवाड़ा वाया माण्डव आसौर।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह।

डेगाना (नागौर) तहसील की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं नागौर जिले, विशेषकर तहसील डेगाना की सड़कों की खस्ता हालत के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नागौर में सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है जिसकी वजह से

(श्री रिछपाल सिंह)

आवागमन में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों में मुख्यतया नागौर से मेड़ता सिटी सड़क वाया कुचेरा-मूण्डवा-रेण सड़क, जो रेण और मेड़ता के बीच में दो वर्ष पूर्व पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, उसकी मरम्मत पिछले दो वर्ष में पूरी तरह से नहीं की गयी। अभी अतिवृष्टि से यह सड़क फिर कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है। कुचेरा से खाटु सड़क, जो सबसे पुरानी सड़कों में से है तथा अभी तक यह सड़क भावला फंटा से कालवी फंटा तक करीब 7 किलोमीटर में ग्रेव तथा सांजू से खाटु तक 20 किलोमीटर ग्रेवल है। बरसात के मौसम में यह सड़क बंद हो जाती है जिससे हजारों लोगों को भारी असुविधा होती है। तहसील डेगाना को जोड़ने वाली यह सड़क मुख्य सड़क है। स्टेट हाई-वे नम्बर 18 पर सांजू से डेगाना के बीच 71 से 80 किलोमीटर के बीच तथा बाद में डेगाना जंक्शन रेलवे स्टेशन से होकर अजमेर रोड पर 3 किलोमीटर तक, बाद में कीतलसर से जावला के बीच 8 किलोमीटर, डेगाना गांव से पुंदलोता के बीच 3 किलोमीटर, नीमड़ी कलां से सूर्यास के बीच 4 किलोमीटर व सूर्यास से भरूंदा के बीच 2 किलोमीटर में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसी प्रकार डेगाना से ईडवा सड़क पर वामडोली से किलानेस तक 3 किलोमीटर, ईडवा से पालियास तक 2 किलोमीटर, बग्गड़ से लांपोलाई के बीच 3 किलोमीटर तक सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है। इसी प्रकार ईडवा से रेण सड़क, वाया बंवरला, सिरासना, देवला सड़क जो 19 किलोमीटर है उसमें 4 किलोमीटर बंवरला तक डामर तथा आगे कई स्थानों पर कुटाई हो चुकी है, परन्तु स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी देवला से रेण के बीच 5 किलोमीटर तक डामर के अभाव में डामरीकरण नहीं हुआ जिससे बरसात के मौसम में थोड़ी बरसात होने पर भी इस सड़क पर आवागमन पूर्णतया ठप्प हो जाता है।

सांसद क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत सड़कें तहसील डेगाना में ग्राम कीरड बस स्टेण्ड से जाजून्दा की ढाणी शिव मंदिर तक करीब एक किलोमीटर तक, ग्राम बुटाटी बस स्टेण्ड से चतुर्दासजी के पवित्र स्थान तक करीब एक किलोमीटर तक, ग्राम टेहला से बुगालियों की ढाणी तक करीब एक किलोमीटर, यह तीनों सड़कें 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थीं। परन्तु आज तक इनका डामरीकरण नहीं हुआ जबकि नयी लोक सभा का गठन हो चुका है। इसी प्रकार सिंघलास कांटा से बाबाजी की पोह तक जो सड़क करीब 8 किलोमीटर है, पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। वहां पर गाड़ी तो क्या बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती।

उपरोक्त सड़कों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से अनेकों बार सम्पर्क करने एवं पत्र लिखकर अवगत कराने के बावजूद इन सड़कों पर कार्य मरम्मत कार्य नहीं किया गया। अतः आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि इन सड़कों की मरम्मत व जहां पर डामरीकरण की स्वीकृति है, उन सड़कों पर डामर उपलब्ध करवाकर उनका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करावें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की नीति के मुताबिक बाकी बचे पंचायत मुख्यालयों को शीघ्र सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जावे ताकि आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी मोदी।

नीम का थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मंत्रीजी का

(३४)

(श्री मोहनलाल मोदी)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि उस क्षेत्र **में सड़कों के अभाव व संचार** साधनों की अपर्याप्त स्थिति से अवरुद्ध विकास व पिछड़ापन दूर हो सके। यह सड़कें निम्न प्रकार से हैं :—

1. दलपतपुरा से हरियाणा राज्य सीमा तक 4 किलोमीटर,

2. टोडा से चांदोली जयपुर जिला बोर्डर तक 6 किलोमीटर,

3. टटेरा से छापड़ा जयपुर जिला सीमा तक 3 किलोमीटर,

4. रायपुर जागीर से छापड़ा जयपुर जिला सीमा तक 4 किलोमीटर,

5. सिरोही से झुन्झनूं जिले तक 3 किलोमीटर,

6. हसामपुर से लादीकावास, 10 किलोमीटर,

7. काचरडा से हसामपुर, 4 किलोमीटर एवं

8. भराला मोड़ से महावा वाया ढाणी खारड़ा, 5 किलोमीटर।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी।

बोरावड़ कुमारी (मकराना) की खान की बहाली के आदेश

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के जरिये खान संख्या 49/ए अथवा 50 बोरावड़ं कुमारी को बहाली नहीं करने बाबत माननीय खान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव पढ़ा हुआ मान लिया जाये लेकिन मैं इसके बजाए डेढ़ मिनट आपसे चाहता हूं। सिर्फ डेढ़ मिनट, आप घड़ी देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में कर्तव्य के अलावा भावना का भी सर्वोच्च स्थान है। माननीय, मैं मानता हूं कि आप कर्तव्यपरायण हैं। ढाई साल से मेरा प्रश्न लगा, पहली बार मैंने बोलना चाहा। आपने 7-8 बार नाम लिया, मैं हर बार बोलता रहा और सात-आठ बार मैं खड़ा होकर बोला नहीं। मेरी आपने कम से कम 20 ऊठ-बैठ करवा दीं। अगर इनमें से बूढ़ा आदमी जो 20 ऊठ-बैठ करे तो सांस उठने लग जाए। उसके बावजूद भी आप चाहे जो व्यवस्था कर सकते थे। एक तो मुझे उस समय दुःख हुआ। दूसरा, जब बाहर निकलने की बात सुनी तो भी मुझे दुःख हुआ। शायद डेढ़ मिनट होने वाली है, इस पर मैंने जो चार लाइन लिखी हैं वह तो सुनाऊंगा आपको :—

"आज कार्यवाही कुछ अजीब सी होती,
टूटते हाथ-पैर या आंख की जाती ज्योति,
हंसती पूरी जनता घर में औरतें रोतीं,
आज एक ताकतवर से एक कमजोर पिट जाता,
हो जाता अगर जोर आजमाइश तो भ्रम तो मिट जाता,
नतीजा जब जनता के सामने आता,
हर पहलवान चुनाव लड़कर सदन में आता।

आपकी और मेरे बूढ़े अधिकारियों और बूढ़े नेताओं की छुट्टी हो जाती। धन्यवाद नमस्कार।

(विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

याचिका का उपस्थापन

ग्राम साथा (पाली) में भीलों की बस्ती में जी.एल.आर. बाबत

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा ग्राम साथा पंचायत समिति रोहट जिला पाली में भीलों की बस्ती में अतिरिक्त जी.एल.आर. बनवाने बाबत् एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम साथा पंचायत समिति रोहट जिला पाली में भीलों की बस्ती में अतिरिक्त जी.एल.आर. बनवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

वापस लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, वापस लिया जाने वाला विधेयक।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नियमों में प्रावधान होते हुए भी यहां परम्परा आम तौर से यह है कि विधेयक वापस लेने की बात हो, तो उस पर चर्चा नहीं होती है। मैं इस अपवाद को तोड़ते हुए इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधेयक वापस लेने के लिये अपने यहां रूल्स 90 में है उससे पहले उसमें यह प्रावधान है कि जो बिल इस सदन में आ गया उसको वापस लिया जाता है दो या तीन कंडीशंस में ही। या तो उस बिल के बदले दूसरा बिल सदन में हम लाना चाहते हैं या उसकी भावना के अनुरूप और प्रावधान उसमें डालना चाहते हैं आदि-आदि। मैं उस रूल को पढ़कर समय नहीं लेना चाहूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक है, आवासन बोर्ड की गतिविधियों के सम्बन्ध में हमारे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। आवासन बोर्ड की गतिविधियों के सम्बन्ध में सदन के सभी माननीय सदस्य और यह जनता, जिसका करोड़ों-करोड़ों रुपया आवासन मण्डल के पास है, सब चिन्तित हैं। हम चाहते थे कि यह विधेयक यहां आये, हमको अवसर मिले चर्चा करने का। विधेयक की चर्चा के साथ आवासन मंडल के कार्य-कलापों की भी यहां चर्चा होती। माननीय मंत्री महोदय वापस लेने के प्रस्ताव के समय स्टेटमैंट देते कि इन-इन कारणों से हम विधेयक को, इस बिल को वापस लेते हैं और नया बिल इन प्रावधानों के साथ मैं सदन में पेश करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी मौन हैं। किन कारणों से तो उन्होंने यह पेश किया था उस वक्त स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स में इन्होंने कुछ लिखा था। आज जब यह विधेयक वापस लेने की बात कर रहे हैं, आपने प्रस्ताव रखा एक भी शब्द इन्होंने नहीं कहा कि हम क्यों इसको वापस ले रहे हैं। पूरा सदन चिन्तित है आवासन बोर्ड की गतिविधियों पर इसलिये उसके कार्य-कलापों पर यहां चर्चा हो। आज आवासन बोर्ड के पास न किसी का हिसाब है, जिन लोगों को मकान अलाट हुए हैं उनका कितना रुपया जमा है, कितना किसमें बाकी है

(श्री शिवनाथ सिंह)

कोई स्टेटमैंट नहीं है। आज भी मैं चेलेंज के साथ निवेदन करना चाहता हूं उनके खातों को देख लीजिए। उनके स्टेटमैंट्स को देख लीजिए। किसी का हिसाब दुरुस्त नहीं है। इस प्रकार की जहां अकर्मण्यता हो उस हाऊसिंग बोर्ड में, उसके कार्य-कलापों पर चर्चा करने का जब अवसर आया तो माननीय मंत्री महोदय स्लिप कर जाते हैं बहुत चुपके से इनोसेंट वे में, कि मैं इसको वापस लेता है। सदन को वह कार्य-कलापों के बारे में चर्चा करने से महरूम रख रहे हैं।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक वापस लेने के संकल्प का विरोध करता हूं इस आशा से, कि माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे, बतलाएगें कि किन कारणों से वे वापस ले रहे हैं और कौन-कौनसे नये अमेंडमेंट वह रूल्स में है, उसके हिसाब से इसमें वह रखना चाहते हैं। इन सब बातों को वह सदन की जानकारी में लाएंगे तो मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करूंगा वरना मैं इनके प्रस्ताव का विरोध करूंगा।

(14.15)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इन परिस्थितियों में बिल वापस लिया जाता है। मैं आपसे **निवेदन करना चाहता हूं मैं दूसरा बिल ला रहा हूं। इसमें कुछ कमियां रह गयी हैं आपको ध्यान होगा पिछली बार भी चेयरमैन के** अपाइंटमेंट को लेकर और आपने भी कहा था कि इसको दुबारा रि-ड्राफ्ट करना चाहिये। उसी के अनुरूप रि-ड्राफ्ट हो रहा है और इसी सत्र में, दो-चार दिन में ही दुबारा इसको पेश करेंगे। तब आप पूरी चर्चा भी करिये और हां, यह भी अधूरा नहीं है हमारे हिसाब से। इसमें जो कमियां रह गयी हैं वह जोड़कर दुबारा मैं बिल ला रहा हूं और इसलिये इसको वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को वापस भी लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को वापस लेता हूं।

शासकीय वक्तव्य

अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति की पदाधिकारी के देह शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति की पदाधिकारी के देह शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुमारी रचना गुप्ता पुत्री श्री **ओमप्रकाश गुप्ता प्लाट नं. 211 स्कीम नं. 10, अलवर ने पुलिस अधीक्षक, अलवर के समक्ष दिनांक 16.6.1996 को एक शिकायत श्री राजेश शर्मा व श्रीमति शालिनी शर्मा के विरूद्ध** पेश की। पुलिस अधीक्षक, अलवर ने इसे तुरन्त कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली अलवर को भिजवाया। दिनांक 17.6.1996 को पुलिस थाना कोतवाली ....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कौनसी तारीख थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : 16.6.1996 को। जरा सुनिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसकी कापी सर्कुलेट करवा दें।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप चल रहा हूं। दिनांक 17.6.1996 को पुलिस थाना कोतवाली, अलवर ने पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्रस्तुत शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 328/96 अन्तर्गत धारा 328, 376, 294, 420, 114 व 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत श्री राजेश शर्मा एवं श्रीमति शालिनी शर्मा के विरूद्ध दर्ज की गयी। शिकायत में मुख्य रूप से अभियुक्तगण के विरूद्ध धोखे से शराब पिलाना, ब्लैकमेल करना, बलात्कार करना, प्रार्थिया से मारपीट करना, संस्था की राशि को हड़पने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाये गये हैं। मुकदमा तत्काल कायम करने के तत्काल पश्चात् पर्चा एफ.आई.आर. वास्ते अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, अलवर को भिजवाया गया। दिनांक 19.6.1996 को मुस्तगीसा पीड़िता कुमारी रचना गुप्ता का आयु व बलात्कार के सम्बन्ध में मेडिकल मुआयना कराया जाकर नतीजा प्राप्त किया गया। मेडिकल जूटिस्ट ने अपनी राय में मुस्तगीसा कुमारी रचना गुप्ता की आयु 19 वर्ष से अधिक होना व्यक्त किया है एवं बलात्कार के सम्बन्ध में राय व्यक्त की है कि बलात्कार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। दिनांक 25.6.1996 को मकान नम्बर 38, आर्य नगर, जो मुलजिमान का निवास स्थान बताया गया है को, तलाशी ली गयी, मौका पर्चा बनाया गया एवं कुछ पत्र आदि व बैंक के कागजात जब्त किये गये। दिनांक 28.6.1996 को कुमारी रचना गुप्ता के बयान धारा 164 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध करवाये गये। कुमारी गुप्ता ने इन बयानों में अंकित कराया कि उसके साथ राजेश शर्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बलात्कार अथवा अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। अनुसंधान हेतु परिवादिया उल्लेखित लड़कियों को तलाश किया जा रहा है। नवोदय समाज विकास समिति के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का विवरण प्राप्त किया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी व समाज कल्याण विभाग से भी लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक स्कूल तथा नवोदय समाज कल्याण विकास समिति के सम्बन्ध में अन्य तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं। अभियुक्तगण राजेश शर्मा तथा उसकी पत्नी श्रीमति शालिनी शर्मा की तलाश निरन्तर जारी है। उसके निवास स्थान की खुफिया निगरानी रखी गयी तथा बैंक खाते की जानकारी ली गयी है। पीड़िता के बयानों में लिखे स्थानों से जानकारी प्राप्त करने व रिकार्ड लेने दिल्ली, जयपुर व भरतपुर के लिये दल भिजवाये गये हैं। मुलजिमान की तलाश करने हेतु अलवर, मकराना, आगरा, दिल्ली, अलवर, एवं जयपुर के लिये 6 दल अलवर पुलिस द्वारा बनाये गये हैं। इसके अलावा उप अधीक्षक पुलिस (स्पेशल जांच) सहित जयपुर के तीन पुलिस दल मुलजिमान की तलाश निरन्तर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें प्रथम वक्ता हैं श्री शांति कुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महिलाओं के मामलों में भी आप बोलेंगे तो फिर पुरुष किन मामलों में बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का शोषण,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उनका उत्पीड़न और मुकदमें का भक्षण इस मामले में_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं ॥

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्री महोदय, आज पूरे देश में राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है किसको मुबारकबाद दूं, कुछ समझ में नहीं आता ॥ उपाध्यक्ष महोदय, 1985 में जब रूप कंवर अपने मृत पति की चिता पर अमानवीयता से जला दी गयी, सारी दुनिया उस वाक्य को सुनकर हिल उठी थी और राजस्थान के कुछ सैक्शंस में, कुछ सैक्टर्स में उस सती प्रथा को महिमा मंडित किया जा रहा था माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उस सती प्रथा के वक्त जब नाथूराम मिर्धा जैसा आदमी म्यूजियम पर चिल्ला-चिल्ला कर सती प्रथा के खिलाफ भाषण दे रहे थे, आप चुप थे_(व्यवधान) और कहीं-कहीं _(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : इसे तथ्यात्मक तो करो, असत्य बोलना कोई आवश्यक होता है क्या ?_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये कौनसे प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?_(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अपनी याद-दाश्त का ईलाज कराओ आप_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मूल विषय पर आ जाइये माननीय सदस्य ॥

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मूल विषय ही तो है मैं भटक रहा हूं क्या कहीं_(व्यवधान) आप भी कैसी बात कर रहे हो ॥ "सब्जैक्ट है महिलाओं का उत्पीड़न ॥" अगर मैं अपने पूरे भाषण में कहीं पर भी भटकूं, तो आप टोकना ॥

श्री उपाध्यक्ष : यह अलवर में जो घटना हुई है उसी पर बोलें ॥

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, उसी बाबत आ रहा हूं_(व्यवधान)

आप कभी तो चुप रहे और कभी आप चुपचाप समर्थन करते रहे ॥ उसी समय यह स्पष्ट हो गया था बल्कि देश की कई महिला संगठनों ने यह अपनी राय बना ली थी कि जब कभी ये लोग सत्तासीन होंगे, प्रतिष्ठित महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रह पाएगी_(व्यवधान) और आज, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी महिलाएं तैयार की जा रही हैं जो दूसरी भोली-भाली महिलाओं को, कमसिनों को ब्लैकमेल करके या तो पद दिला दें या खुद ले लें या पैसा बना लें या खुद बना लें ॥ अजमेर ब्लैकमेल काण्ड हुआ_(व्यवधान) हमारे वक्त में हुआ, मैं स्वीकार करता हूं और वही नहीं हुआ, नीना हत्याकाण्ड_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य को बोलने दें आप ॥

श्री शांतिकुमार धारीवाल : _जिसमें युवक कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा आज भी जेल में है, हमारे वक्त, हमारे संगठन का आदमी था, हुआ, स्वीकार करते हैं, मना नहीं करते हैं ॥ मैं पूरी व्यवस्था की बाबत बात करना चाहता हूं ॥ आज जो राजनैतिक व्यवस्था है वह किस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें योगदान **आपका भी है, आपका ज्यादा है, हमारा कम है, यह स्वीकार करना चाहता हूं_(व्यवधान) हां, है। देखो, आप मारने वाले वरा अपनी** + + + निवेदन यह है कि जिनके हाथ काले हैं वह आज बोलो ही मत **(व्यवधान)** आप भी मत बोलिये ॥

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ॥

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : + + +

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कालीचरण जी मैं आपको क्या बताऊं, आपसे क्या कहूं ?_(व्यवधान) अजमेर ब्लैकमेल काण्ड हुआ मुख्य मंत्रीजी। पचास युवतियां यौन शोषण की शिकार हुई_(व्यवधान)_और आज जितने भी मुलजिम हैं वे सब स्वतंत्र घूम रहे हैं किसकी कृपा से ? सरकार की कृपा से। अगर सरकार सख्ती से काम लेती तो मुलजिम सींखचों के पीछे होते लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं, राजनीतिक शक्ति की कमी, यही कारण है कि आज वे स्वतंत्र घूम रहे है_(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मानव अधिकार संगठन ने सर्वे करवाया। वह सर्वे बताता है कि ये जितने भी यौन शोषण के काण्ड हुए हैं ये सब प्रशासन और पुलिस की हमदर्दी से हुए हैं। जब भी इनमें बढ़ोतरी हुई है, पर्सेन्टेज जब भी बढ़ा है, मेघवाल साहब, पुलिस की हमदर्दी से बढ़ा है_(व्यवधान) माउण्ट आबू को ले लें, कोटा को ले लें, जयपुर को ले लें, उदयपुर को ले लें, अलवर को ले लें और भरतपुर को ले लें, प्रतिष्ठित जाने-माने लोग अपने गुर्गों के साथ अपना व्यवसाय चलाने का माध्यम बनाते हैं इस यौन शोषण को और जयपुर के नारी सुधार गृह का मामला तो हाई कोर्ट में उठ ही चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इनके नामकरण की तारीफ करना चाहता हूं कि क्या लुभावने नाम ये लोग देते हैं—सुधार गृह, सेवा गृह, कल्याणकारी संस्थाएं, इन्हीं के दिये हुए ये नाम हैं और होता क्या हैं ज्यादातर जगहों पर महिलाओं का यौन शोषण_

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इस वक्तव्य के बारे में सवाल पूछिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, साहब, सवाल ही तो पूछ रहा हूं आगे आऊंगा कम्लीमेंट करूंगा तभी तो सवाल पूछूंगा_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भूमिका बहुत लम्बी-चौड़ी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिर यह एडजोर्नमेंट मोशन है, काल-अटेंशन मोशन नहीं है, जिसमें मैं सवाल ही सवाल पूछता रहूं उपाध्यक्ष महोदय। आखिर मैंने एडजोर्नमेंट क्यों मांगा इस सदन का, इसके पीछे क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से आप क्या चाहते हैं ? ये पूछिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं इनके दिये हुए स्टेटमेंट को डिटो नहीं करूंगा अपनी बात कहूंगा, एडजोर्नमेंट मोशन है और यह दुराचार के अड्डे बने हुए हैं मुख्य मंत्री महोदय, राज उजागर न हो जाय, जवानी में या लाचारी में की हुई गलती आम न हो जाय, यह ख्याल और लोक-लाज कइयों का मुंह रोक लेता है और वह बेचारी ऐसी युवतियां सैकड़ों आंसू बहा-बहाकर रोती रहती हैं कि जिन्दगी खराब हो जाएगी, घर बरबाद हो जाएगा, जात में बदनाम होंगे, समाज में बदनाम होंगे। जफर ने कहा है कि—"हजारों साल बीते, तेरा खारापन नहीं जाता न जाने किसके आंसू मिले हैं, ऐ समुद्र तेरे पानी में, पता ही नहीं लगता।" नब्बे प्रतिशत ऐसे काण्डों का कोई जिक्र ही नहीं हो पाता, दबे रह जाते हैं समाज के प्रतिबन्ध से।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मुख्य मंत्री महोदय, शालिनी शर्मा 1990 में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्त्ता के बतौर उभरी और आप ही के मंत्रिमण्डल के सदस्य और तत्कालीन खाद्य एवं रसद मंत्री + + + की कृपा पात्र हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : इस नाम को एक्सपंज किया जाए। आपको सूचना देनी चाहिये थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कोई आरोप तो लगाया नहीं और मैं आरोप लगाऊंगा भी नहीं किसी पर मैं आज तय करके आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका आशय क्या है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आशय, नाम लेते ही आपको मेरा आशय पता लग गया। वाह, महामहिम जगत, ला-होल-वला-कुव्वत खैर साहब, उस तत्कालीन खाद्य मंत्री की वह कृपा पात्र बन गयी और बतौर इनाम उनको अलवर का उपभोक्ता संरक्षण मंच का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। उपभोक्ता मंच की सदस्या के रूप में वो पूरे पांच साल तक काम करती रही, बहुत सारी फाइलें निपटाती रही। इसी बीच चित्तौड़ से आने वाले आनरेबल विधायक नरपत सिंह जी राजवी अलवर पधारे। ये जब वहां पधारे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने शालिनी के अपाइंटमेंट का कंज़्यूमर सैल में विरोध किया, उनका घेराव किया, उनसे जवाब मांगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वह पहली चेतावनी थी। जनता के द्वारा, बी.जे.पी. के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा मुंह जबानी लिखायी गयी एक एफ.आई.आर. थी, फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट की कि आपने किस करेक्टर की औरत को कंज़्यूमर सैल में सदस्य बनाया जिससे हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा गिरी है। पहली इन्फार्मेशन रिपोर्ट थी और मेरा ख्याल है जब राजवी साहब तक बात पहुंचती तो जरूर बात मुख्य मंत्री जी तक भी पहुंची होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।—(व्यवधान) अब आप देखिये कि

उपाध्यक्ष महोदय, मंच की सदस्यता बरकरार है। वक्त के क्या पर लगते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देखी गयी, कल्चरल एक्टिविटीज में उसका पार्टीसिपेशन देखा गया, फिट पायी गयी और 9 फरवरी, 1994 को राजस्थान सरकार के समाज कलयाण विभाग ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को एक अभिशंसा लिखकर के भेजी कि शालिनी शर्मा को इसका सदस्य बना दिया जाए और 31 जून, 1995 को समाज कल्याण मंत्री माननीय, श्रद्धेय श्री मदन दिलावर साहब ने उसको समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य बनवा दिया।—(व्यवधान) सदस्य बनवाने के थोड़े दिन बाद ही फिर उसको कोई न कोई कल्चरल एक्टिविटीज के पार्टीसिपेशन में महारथ देकर के और उसको उपाध्यक्ष बनाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती बीना काक : माननीय धारीवाल जी, यह बहुत सीरियस मामला है। कृपया इसको हंसी मजाक का मुद्दा न बनायें। बहुत तसल्ली से, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विवाद इस बात का पैदा हुआ कि राजस्थान समाज कल्याण—

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : **खेद की बात है की हम सबके लिये। बात में कोई गंभीरता नहीं है, हंस रहे हो, निर्लज्जता की बात कर रहे हो।**

श्री शैलैन्द्र जोशी : आपके लिये सम्मान की बात है ?

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन सब बातों को देखते-देखते उपाध्यक्ष बनवा दिया गया और फिर यह विवाद पैदा कर दिया कि जो प्रजेण्ट राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा है, राजस्थान सरकार उनको नहीं मानती, क्योंकि हमारे हिसाब से उनका वक्त खत्म हो चुका है, टर्न खत्म हो चुका है। सैण्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड लिखता है कि हमारी तरफ से सारिया खान रहेंगी। यह कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ से-तो शालिनी शर्मा रहेगी, क्योंकि एक अभिशंसा का पत्र मदन दिलावर साहब ने फिर भेज दिया कि अध्यक्ष की सीट हमारे हिसाब से खाली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मदन दिलावर कौन है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : समाज कल्याण मंत्री। और काहे का कल्याण,

श्री उपाध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री। आप समाज कल्याण मंत्री बोलिये।

श्री जुबेर खान : आप चिन्ता मत करिये, अलवर वाले मदन दिलावर नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : समाज कल्याण मंत्री जी ने एक अभिशंसा पत्र और भेज दिया कि चूंकि हम इस पद को रिक्त मानते हैं अध्यक्ष को, इसलिये हमारी शालिनी शर्मा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। केन्द्रीय बोर्ड ने इनको मना लिख दिया कि नहीं, आपकी अभिशंसा हम स्वीकार नहीं करते। पता नहीं किन कारणों से अब आप देखिये, इसी 11 जून को समाज कल्याण मंत्री अलवर पधारे। एक समारोह में विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि के बतौर श्री मदन दिलावर, समाज कल्याण मंत्री रावण देवरा के अरावली महोत्सव में पधारे। आप जब सर्किट हाउस पहुंचे तो कुछ पत्रकार आपसे मिले। पत्रकारों के साथ यह पीड़ित लड़की रचना गुप्ता आपसे मिली।

श्री उपाध्यक्ष : किस से ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : समाज कल्याण मंत्री से आप से थोड़े ही साहब, हो, हो ला-होल-वला-कुव्वत (व्यवधान) वहां उसने समाज कल्याण मंत्री के, मदन दिलावर साहब के समारोह में जाने से पूर्व उन पत्रकारों ने उस पीड़ित, भ्रमित रचना गुप्ता ने, जिसकी उम्र आपने तो 19 साल बतायी है। मेरे पास खबर यह है कि वह 21 साल की हो चुकी है, उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी इनको सुनायी।

पत्रकारों ने कहा कि जिस संस्था के निमंत्रण पर आप आये हो यह संस्था दुराचार का अड्डा है। यहां क्या क्या नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने पूरे किस्से सुनाये कि शालिनी शर्मा पर इस संस्था से जो कई लड़कियां जुड़ी हुई हैं, शालिनी शर्मा उनको घर पर बुलवाती है, उनको धमकियां देती है, उनको बीयर पीने पर मजबूर करती है, कई पुरूष वहां पर होते हैं, जिनके साथ उनको कहीं न कहीं अन्धेरे में डालने की कोशिश होती है, उनके फोटो खींचे जाते हैं और यह सारी बात आपकी जानकारी में आ गयी। लेकिन ये सूट बूट पहनकर के, दिलावर साहब, यह कहकर के तैयार हो गये कि जांच करवा लूंगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और गाड़ी में बैठ गये। वह समारोह जो आयोजित किया गया था जिसमें आप विशिष्ट अतिथि होकर पधारे थे। शालिनी शर्मा उन आयोजकों में से एक थी। जब समारोह समाप्त हो गया तो उसने धन्यवाद भी माइक पर दिया और समारोह जब शुरू हुआ तो ज्यों ही दिलावर साहब वहां पर पहुंचे, उनके गले में माला भी उसी ने डाली। शालिनी शर्मा ने माला डाली।

(96)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सब बात आपकी जानकारी में आ चुकी थी। जिस संस्था को आपने कुछ दिन पहले साढ़े तीन लाख रूपये आपके विभाग ने अनुदान के दिये और जिस शालिनी शर्मा को आप प्रमोशन पर प्रमोशन देते चले आ रहे थे कई सालों से, आपका और उनका न जाने क्या था, मैं नहीं जानता। लेकिन आपने जो आश्वासन वहां पर दिया कि जांच करवाता हूं जाते ही। 11 जून से लेकर आज तक आंपके विभाग का कोई समाज कल्याण अधिकारी वहां पर उस संस्था की जांच के लिए नहीं पहुंचा। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अगर आप अपने आप को बेकसूर बताते हैं, आप यह कहते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, मैं उसकी हिस्ट्री नहीं जानता था, उसके कार्यकलापों के बाबत मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो जब जानकारी आ गयी तो आपने फोरन यहां सह जांच दल क्यों नहीं भेजा? साढ़े तीन लाख रूपये आपने उसी वक्त विथड्रा क्यों नहीं किये? उसको उपाध्यक्ष पद से 6 और 7 रोज बाद क्यों हटाया, उसी वक्त क्यों नहीं हटाया जब खुलासे में यह बात अखबार छाप चुके थे। 17 जून को, उपाध्यक्ष महोदय, यह पीड़ित लड़की एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए थाने पर पहुंची तो थानेदार ने यह कह कर उसको टाल दिया कि एस.पी. साहब के पास जाओ। एस.पी. साहब को उसने पत्र लिखा। एस.पी. साहब भी उस पत्र को देखकर सीधे जयपुर आ गये और बामुश्किल 16 के बजाय 17 को उसकी एफ.आई.आर. दर्ज की गयी। एफ.आई.आर. में जो लिखा है वह तो दीपेन्द्र जी बतायेंगे। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एफ.आई.आर. की काफी बातें ऐसी है__

श्री उपाध्यक्ष : इसमें काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कोई आधे से ज्यादा कम्पलीट कर चुका हूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा आप चिन्ता मत करिये।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 17 जून को उसने एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। अगर 17 जून को एफ.आई.आर. दर्ज कराते ही सरकार हरकत में आती, पुलिस विभाग आपका हरकत में आता तो मीडिया को खुली छूट नहीं मिलती स्टोरीज बनाने की। चाहे जिसके नाम पद छाप रहे हैं, कोई अखबार किसका छाप रहा है, इससे ताल्लुक था, कोई किसका छाप रहा था कि इससे ताल्लुक था। एक अखबार ने तो यह भी छापा है कि उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे कोटा के हरि कुमार जी, जिनके चरित्र को मैं खूब जानता हूं, तारीफ करता हूं उस व्यक्ति की दागी नहीं हैं। __(व्यवधान) बात तो सुनो। वह उस संस्था के फंक्शन में गये तो आपने यह चेतावनी दी कि हरिकुमार जी ऐसी संस्थाओं के फंक्शन में मत जाया करो आप। अखबार ने छापा है। कहां तक सत्य है और कहां तक नहीं मुझे पता नहीं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शालिनी को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता और रचना के 164 के बयान उसी वक्त होते तो आज जिन लोगों के अखबरों में बराबर नाम आ रहे हैं, ज्यादातर आपकी ही इलेवन के लोग हैं, हमारी इलेवन का कोई नहीं है। हो, तो बताओ आप कौन-कौन हैं। वरना मैं बोलना चालू करूं। नहीं, नहीं आप फरमाओ। अगर कम है हम में तो चलते हैं। एक ही बता दो। बोलो दिलावर साहब, आ रहे हो क्या आप? __(व्यवधान)__

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया आसन के माध्यम से बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस तरीके से टोका-टाकी करते हैं, नहीं तो काहे का लांछन लगायें।

उसको मौका नहीं मिलता अगर उसी वक्त उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। 17 जून को एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी होम मिनिस्टर साहब, 5-6 रोज तक मियां और बीबी, शालिनी और उसका राजेश अलवर के बाजारों में घूमते रहे, घूमते रहे। उनको इतना मौका दिया गया कि वह सारे सबूत लेकर के सारे फोटोज लेकर, डाक्यूमेंट लेकर जो कुछ नष्ट करने थे वो नष्ट कर करा करके आराम से भाग ले। पीछे खुद भाग गयी, उसका पति उसके साथ चला दिया एक नौकर था वह चल दिया और बरामदे में एक कुत्ता छोड़ गयी। पुलिस ने पांच रोज बाद मकान की तलाशी ली। क्या मिला, क्या नहीं मिला यह तो आपने अपने स्टेटमेंट में न तो बताया, न बताओगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये सब चीजें सदन के पटल पर रखनी चाहिये, क्योंकि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि सारे लोगों की निगाह में यह बातें आनी चाहिये। रचना ने सब बातें एफ.आई.आर. में लिखवायीं, एक-एक बातें एफ.आई.आर. में लिखवायी कि किस प्रकार से क्या हुआ करता था। मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, शुरू-शुरू में कोल्ड ड्रिंक्स में कोई न कोई चीज मिला कर के फिर मेरे साथ बलात्कार किया, फिर मुझे यहां भेजा गया, वहां भेजा गया। हर तरह की बात उसने कही। लेकिन आपकी पुलिस ने कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं किया, जाने क्यों नहीं किया।

आज एक अखबार ने खबर छापी है कि उसको जान करके भगाया गया। पुलिस जानती थी कि वह मकराना में एक उद्योगपति के घर पर बैठी हुई है। लेकिन अलवर की पुलिस मकराना चली गयी, जिला पड़ता है नागौर। नागौर के पुलिस अधीक्षक को या नागौर के पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट को अलवर की पुलिस ने इत्तला तक नहीं की कि हम मकराना में किस की तलाश करने आये हैं, आप लोग हमारी मदद कीजिये। चुपचाप छापा डाला दिखाने के लिऐ कि हम बराबर उसकी तलाश में घूम रहे हैं, कोई तलाश नहीं थी और ना आज भी है, खुली छूट है। यह सब आपकी व्यवस्थाओं का कसूर है।

आप देखिये गजब की बात है। एक औरत और एक आदमी दोनों फरार ओर लोग कहते हैं कि यह पुलिस गद्दार है, क्या जवाब देगी आपकी सरकार। वातावरण इतना दूषित कर दिया कि जिन प्रतिष्ठित लोगों के नाम उसके साथ जोड़े गये, मेरी दुश्मनी है किसी से राजनैतिक तो मैंने किसी का नाम ले दिया कि यह भी था। नाम किसका बचेगा, बचेगा कौन। भाभड़ा साहब क्या वह आपसे नहीं मिलती थी? यहां आकर के? क्या ललित जी से नहीं मिलती थी?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपसे जरूर मिलती थी। यह मुझे बताया है। आपसे जरूर मिलती थी? क्योंकि + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा है, सैकड़ों लोग कहते हैं कि वह यहां पर बाकायदा इन चैम्बर्स में आकर बैठा करती थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या हो गया तो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो-हो क्या हो गया, आपको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार दिया कि घनश्यामजी तिवाड़ी को कि भई नगरपालिका के चुनाव धौलपुर में हो रहे हैं जाकर टिकट बांट आओ + + + और क्या

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

98

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हो गया? वाह भाई वाह, क्या हो गया?__(व्यवधान)__

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + इस प्रकार की बात शुरू कर दी ना तो + + + यहां पर समझे आप। आप अपना शब्द वापस लें। पहले शब्द वापस लें__(व्यवधान)__ऐसे नारियों की मजाक + + + नहीं उड़ा सकते हैं__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बर्दाश्त नहीं होता__(व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : __ उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी__(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बहुत सीरियस मामला है। मेरी सदन से नम्र निवेदन है कि इसकी गंभीरता को समझें और यह आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर के मुद्दे की बात करें__(व्यवधान) आरोप-प्रत्यारोप न करके जो मुद्दे की बात है पर आए। महिलाओं के शोषण का मामला है। यह कोई मखौल का मामला नहीं है (व्यवधान) मेरी सदन से हाथ जोड़कर, उपाध्यक्ष महोदय__(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : यह तो महिलाओं की मजाक उड़ा रहे हैं__(व्यवधान) बोलने में गंभीरता ही नहीं है। **आप तो महिलाओं की मजाक उड़ा रहे हो__(व्यवधान)**

श्रीमती बीना काक : यह आरोप प्रत्यारोप की कोई सीमा नहीं है। कृपया मुद्दे की बात पर आएं__(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : __ नहीं होना चाहिऐ यहां पर__(व्यवधान) एक दूसरे पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं__(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपने शब्द वापस लीजिए__(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गण, जो भी बोलें। वह जिम्मेदारी के साथ बोलें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : भाभड़ा जी ने नहीं कहा शांति कुमार जी को__(व्यवधान) वह कैसे कहा कि + + +

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : नहीं बोलने देंगे आपको। सदन की कार्यवाही__(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप किसी पर चार्ज लगाएं तो सुनने की हिम्मत रखो। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, भाभड़ा जी ने क्या फरमाया था__(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने ठेका नहीं ले रखा है हर किसी का__(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने सोच-समझ कर कही कि यह बात__(व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) : कौन किसके साथ है__(व्यवधान) आरोप लगाये हैं उस टाइम वो कोई बोले नहीं और यह कह दिया__(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही तब तक नहीं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

चलने दी जाएगी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, धारीवाल जी अपने शब्दों को वापस लें...(व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : सदन को + + + समझ रखा है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, 30 सरपंच महिलाएं पंचायत में है इस तरह से कोई महिला किसी के साथ होगी तो उस पर चार्ज लगेगा...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी बात सुन लें। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि धौलपुर गये और कुछ नहीं कहा...(व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : आप शब्दों को वापस लें। किसी को नहीं बोलने देंगे। हम नहीं बोलने देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री जुबेर ख़ान : कौन होता है हमें नहीं बोलने देने वाला। आप भी बोलकर के देख लें।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : मजाक समझ रखा है। हर किसी के ऊपर आरोप लगा रखे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठे-बैठे न बोलें (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा यह आप करने वाले हैं क्या?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति कुमार जी धारीवाल ने माननीय घनश्याम जी के बारे में...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या कहा मैंने साहब?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य के बारे में...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, क्या कहा?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पूरा करने दीजिये। जो आक्षेप लगाये हैं मैं उसको एक्सपंज करता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आक्षेप कहां है, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने जो आक्षेप लगाये थे + + + उसका क्या होगा। उप मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है + + + उसका क्या होगा?...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : भाभड़ा जी को + + +......(व्यवधान) आपको कहां से हो गयी जानकारी है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट सुनिये। विराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं चलेगा मैडम। सदन में ऐसे नहीं चलेगा। आपका तरीका नहीं है बोलने का...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इन्होंने जो आरोप लगाया है उसका क्या होगा? उसका आप निकलवा नहीं सकते। उप मुख्य मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे मामले को साफ करना चाहते हैं ये (व्यवधान) मजाक बनाना चाहते हैं उसको (व्यवधान) हर आदमी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(100)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हर आदमी को (व्यवधान) सारे मामले को आगे लिया जाना चाहिये।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, सारे गंभीर मसले को इतना सरल बना गये इस तरह से_(व्यवधान) इसके ऊपर गंभीर चर्चा होनी चाहिये सदन में_(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, गंभीरता तो इन्होंने स्वयं ही समाप्त कर दी। हर बात को मजाक में बोलते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैंने कोई आक्षेप किसी पर भी नहीं लगाया है और मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही निवेदन कर दिया था।

श्रीमती कमला (बैराठ) : ऐसा है कि माननीय भाभड़ा जी ने जो आरोप लगाये हैं वह भी एक्सपंज किये जाने चाहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राजनीति में महिलाएं सभी पार्टियों में है। मैंने क्या आरोप लगाये हैं आप बताइये? बोलिये, बोलिये क्या आरोप लगाये हैं मैंने उन शब्दों को रिपीट करिये जो मैंने बोले हैं। मैंने क्या आरोप लगाये हैं, बताइए तो सही_(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने स्पष्ट आरोप लगाया है इनके ऊपर।

श्री किशन मोटवानी : कितना गंभीर मामला है कि महिलाओं के साथ_(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक चरित्रहीन महिला जिसकी आप चर्चा कर रहे है फिर आप कह रहे हैं कि वो उसमें मिली के उससे मिली_(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + यह नहीं चलेगा।

श्री किशन मोटवानी : आप इतने जोश में क्यों हो रहे हैं? इन्होंने शब्द क्या कह दिया_(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताऊं कि पोल इनकी। किस-किस की चर्चा करना चाहते हो बताओ_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो स्पष्ट हो गया कि + + +_(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपराधियों को सजा दिलाना चाहते हैं। सदन को मजाक बनाने चाहते हैं। किस-किस की चर्चा करना चाहते हो आप यहां पर।

श्री किशन मोटवानी : इसमें क्या तकलीफ है आप कम से कम (व्यवधान)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे मामले को साफ करना चाहते है। अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्याम जी, कृपया विराजें_(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, साहब, रुकिये एक मिनट। आप नारी जाति का अपमान कर रहे हैं, नारी जाति की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यौन शोषण के खिलाफ हैं हम। अपराधियों को सजा दिलाना चाहते हैं और इन्होंने इसे मजाक बना दिया। इस काण्ड को जोक के रूप में ले रहे हैं। Speaking like a joke. सारे सदन में नारियों की मजाक उड़ाई जा रही है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सी.बी.आई. से जांच करवा दें। हम अपनी बात खत्म करते हैं।

(15.00)

सी.बी.आई. से जांच करवा दीजिये और इनका इस्तीफा दिलवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन में नारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री जुबेर खान : आप अगर सच्चाई सामने लाना चाहते हो तो सी.बी.आई. से जांच करवाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप + + + का काम कर रहे हो, + + + हो गये हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धौलपुर जब ये टिकट बांटने गये तो—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप लोगों के भाषण में एक शब्द नहीं बोला गया—(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ये डिप्टी आब्जर्वर बनकर गयी कोई मना करेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं आप, इस संदर्भ में आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कहिये, बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : डिप्टी सी. एम. ने जो शब्द कहे हैं वह शब्द एक्सपंज करिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। नियम के अन्तर्गत माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस काण्ड की जांच हो (व्यवधान) सुनिये, इस काण्ड की जांच हो, अपराधियों को सजा मिले इसलिये हम सुन रहे थे, हम इस सदन के साथ हैं लेकिन जिस प्रकार से (व्यवधान) सुनिये, साहब।

श्री जुबेर खान : सी.बी.आई. से जांच करवा लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जांच, जांच करवा लो। हां, हां—(व्यवधान) करवा लो

श्री जुबेर खान : आप करवाने को तैयार है तो सी. बी. आई. से करवा लें अगर हिम्मत हो तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर हम चर्चा खतम कर देंगे, आप सी. बी. आई. से जांच करवा लें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई आपत्ति नहीं है, किसी से करवा लो।

श्री कालीचरण सराफ : आपने कितनी सी.बी.आई. से जांच करायी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं। इन्होंने जान बूझकर के—

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सी.बी.आई. से जांच कराईये चर्चा की जरूरत नहीं है अगर हिम्मत हो, तो तैयार हो जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : तंदूरी काण्ड वाले क्या बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : तंदूरी काण्ड हो, तो क्या इनको अधिकार मिल गया कि इस तरह के काण्ड यह भी करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तंदूरी काण्ड तो हुआ लेकिन यह इससे—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इनको प्रश्न

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(102)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूछने की इजाजत दीजिये, चरित्र हनन का नहीं सिर्फ प्रश्न पूछें, चरित्र हनन का नही; मंत्रीजी का जवाब दिलायें और इसके बाद—

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र जी शेखावत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, मुझे तो कम्प्लीट करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र जी शेखावत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे कम्प्लीट तो करने दीजिये।,

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त नो-नो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इतना समय नहीं दिया जा सकता। समय समाप्त।

श्री जुबेर खान : वह कोई बात रिपीट नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिये, एक मिनट का समय है आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, अगर उनका बयान वक्त पर हो जाता, रचना गुप्ता कह रही थी, उसका पिता कह रहा था कि हम परेशान हो गये एफ.आई.आर. दर्ज करवा कर न तो हम जीने के रहे हैं और न हम मरने के रहे हैं। इच्छा तो यह होती कि हम अलवर छोड़ कर चले जावें। किस-किस का नाम लें और वाकई सही बात है जिस तरीके से अखबारों में लोगों के नाम छपे हैं। तो घनश्याम जी कुमार बाराबंकी ने कहा है कि—चेहरा किसी का साफ गिरेबान में नही, यह जो बात आइने में है—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। घनश्याम जी आप बैठें—(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं तो एक मिनट का समय और लूंगा, सिर्फ एक मिनट का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट का समय और लूंगा। क्योंकि न तो ये पुलिस को बरदाश्त करें और न ये और किसी को बरदाश्त करें। अब क्या पता हमारा राज आ जाए तो पुलिस को बरदाश्त करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक मिनट का समय लिया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो तरफे की बात मत करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्री महोदय, यह एक संगीन और सामाजिक दुराचरण का प्रकरण है, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री उपाध्यक्ष : कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस कुचक्र के खिलाफ एक पीड़ित और भ्रमित लड़की ने अपना मुंह खोला है ओर जो कुछ भी हुआ, यह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुशार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सब आज जो राजनीति में व्यवस्थाएं हैं चाहे वह कुछ आपकी बनायी हुई हों और चाहे हमारी बनायी हुई हों—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं उस व्यवस्था को दोष देना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र जी शेखावत। धारीवालजी कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + आप ख्वाम खाह में छेड़े जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + मि. माइन्ट इट.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय घनश्यामजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देखिये, आप बोलिये मत—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ठीक नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या ठीक नहीं है? जो हुआ वह तो सामने है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो व्यवस्था भा.ज.पा. ने आज कायम कर रखी है, क्योंकि व्यवस्था को कायम करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है हमारी नहीं है। गलतियां निकालने की हमारी जिम्मेदारी है लेकिन जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से शालिनी शर्मा को उपभोक्ता संरक्षण का मेम्बर बनाया गया—

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसको समाज कल्याण का उपाध्यक्ष बनाया गया। जो व्यवस्था आज आपकी है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : सबकी जांच होनी चाहिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो व्यवस्था आज आपने कायम की है और जिसे आप चुपचाप देखते रहे हो—

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये बातें हो चुकी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अब क्या जल्दी हो रही है। मुझे डिस्टर्ब करके मेरा टाइम खराब किया है उस पर आपका एतराज नहीं है। क्या व्यवस्था देना चाहते हैं आप? मुझको कितना डिस्टर्ब किया है, कितना वक्त मेरा खराब किया है। मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय अभी दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। आप इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास नहीं करें।—(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और जिस व्यवस्था को मुख्य मंत्री महोदय आज आप चुपचाप देखते रहे हो, उसके सबसे बड़े कसूरवार आप हो, क्योंकि व्यवस्था को बदलना प्राथमिक जिम्मेदारी है, वह आपकी है। यह नियुक्तियां किस प्रकार हुई, किसके दबाव से हुई, किस के प्रभाव से हुई?—,

श्री उपाध्यक्ष : यह सब कुछ हो चुका, यह सब कुछ आ चुका है। श्री दीपेन्द्रजी शेखावत, आप बोलना चाहते हैं? आप बोलिये।

+ + + : अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, तो मैं खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैंने आपसे निवेदन कर दिया है, आप विराज जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यही निवेदन करता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब लिखा नहीं जाएगा। अब जो कुछ आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र जी शेखावत साहब।—(व्यवधान)—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई जरूरी नहीं है + + + है ये + + + उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल नहीं चलेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जबकि + + +......(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. से क्या इनका लेना देना है—

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. का कहा है इसको कार्यवाही से निकालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सारा का सारा जो शालिनी शर्मा के अलावा प्रकरण की बात है उसको सारा का सारा एक्सपंज कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आर. एस. एस. से इनका क्या लेना-देना है। कैसे इन्होंने कहा + + +

एक माननीय सदस्य : इन शब्दों को कार्यवाही से निकालिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप बैठिये, आप बैठिये। मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. से क्या मतलब है, इनका कोई लेना देना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. से इस प्रकार—(व्यवधान) माननीय सदस्य आपका क्या मतलब है, इन्हें खड़ा करो।

एक माननीय सदस्य : इन शब्दों को निकाला जाए, कार्यवाही से निकाला जाए इन शब्दों को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मदेरणा जी यहां पर बैठे हैं—(व्यवधान) यह क्या बोल रहे हैं—(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आर. एस. एस. के बारे में क्या बोल रहे थे।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आर. एस. एस. से कोई लेना देना नहीं है—

श्री उपाध्यक्ष : विराजें कृपया।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनका सारा का सारा इन्होंने जो कहा है उसको एक्सपंज कीजिये और + + +

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : इनसे माफी मंगवाइये।

अनेक माननीय सदस्य (सत्ता पक्ष) :+ + +

श्री गुलाबचन्द कटारिया : + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + +

श्री नरपतसिंह राजवी : पांइट आफ आर्डर, सर।—(व्यवधान)—

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये समाज की महिलाओं के बारे में कुछ समझते नहीं हैं और आर. एस. एस. के बारे में बोल रहे हैं। —(व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये, शांत रहिये। पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर विषय पर जिस प्रकार की चर्चा की उम्मीद हमने की थी उसको डायल्यूट करके जिस स्तर पर ले गये हैं, अगर सदन के समय को इसी प्रकार से उपयोग में लाना है, कुछ माननीय सदस्य बार-बार कह रहे थे कि सदन की सीटिंगे कम हो रही हैं उनको बढ़ाया जाये, क्या यही सुनने के लिये सीटिंगे बढ़ाना है? नारी समाज के प्रति जो अपराध हुआ है, मैं तो मुख्य मंत्रीजी से यही चाहता हूं कि सदन की सर्वसम्मति से राय बने कि—(व्यवधान)—।

श्री राजेन्द्र पारीक : सी. बी. आई. से जांच हो—(व्यवधान)—।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको बोलने का अधिकार है इसका मतलब यह नहीं है कि जो मर्जी आये वह बोल दो—(व्यवधान)—आर. एस. एस. का क्या मतलब समझते हो—(व्यवधान)—आर. एस. एस. की ए. बी. सी. डी. भी नहीं जानते—(व्यवधान)—।

श्री रामप्रताप कासनियां : व्यवस्था का प्रश्न है।—(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + यह मंत्री महोदय बतायें।—(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझसे पूछो, क्या पूछते हो, आर. एस. एस. के बारे में मैं जवाब दूंगा सदन में—(व्यवधान)—।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो + + + में आते हो—(व्यवधान)।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +...... (व्यवधान)—।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह + + + सरकार है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अच्छी बात तो बोलिये—(व्यवधान)—।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय + + +

श्री जुबेर ख़ान : जब उनको श्रद्धांजलि दे सकते हो तो सदन में, जब बुराई करते हैं तो + + + लगते हैं। —(व्यवधान)—।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + ... (व्यवधान)।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(106)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। एक सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, उसको आप सुन लें, आप विराजिये।_(व्यवधान)_।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्या पाइंट आफ आर्डर है? किस नियम के तहत है। नियम बना हुआ है_(व्यवधान)_।

श्री उपाध्यक्ष : वह आसन तय करेगा। आप तय नहीं करेंगे। आसन पैरों पर है, आप बैठ जाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से हमको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हमारी आलोचना को नहीं रोक सकते_(व्यवधान)_।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये, पाइंट ऑफ आर्डर सुनिये पहले आप।

श्री जुबेर खान : जब श्रद्धांजलि अर्पित की तो बैठे रहे और जब बुराई करते हैं तो + + + लगते हैं। _(व्यवधान)_।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठिये। आप पाइंट ऑफ आर्डर सुनिये।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत गम्भीर विषय है_(व्यवधान)

श्री राजेन्द पारीक : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है। मैं यह कह रहा हूं कि ये आर. एस. एस. + + + किस नियम के अन्तर्गत पाइंट ऑफ आर्डर है_(व्यवधान)_।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जबर्दस्ती खड़ा कर दिया पाइंट ऑफ आर्डर_(व्यवधान)_।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर विषय है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम कहें तो पाप और आप कहें तो पुण्य। + + + और दूध के धुले का सर्टिफिकेट चाहते हो आप हमसे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, आसन की सुनें, माननीय सदस्य बैठें। परम्पराओं का ध्यान रखें, बैठे हुए न बोलें_(व्यवधान)_।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +...... (व्यवधान)_।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : ये तो गांधीजी की बात कर रहे हैं, + + +......(व्यवधान)_।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप बैठिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हाउस चलाना चाहते हैं या नहीं?_(व्यवधान)_।

श्री राजेन्द्र पारीक : आर. एस. एस. का कार्यालय नहीं बनने देंगे इसको।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है। मन में आये तब खड़े हो जाते हो, यह कौनसा तरीका है? बार-बार खड़े हो जाते हो, कुछ नियमों का पालन करिये। आप बैठिये, आसन पैरों पर है।

श्री जुबेर खान : नेहरूजी की बुराई हो जाए तो आर.एस.एस. क्या चीज है। जिसकी बुराई हम नहीं कर सकते_(व्यवधान)_। इस सदन में + + + को श्रद्धांजलि देने की परम्परा नहीं डाली जाए_(व्यवधान)_।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सुझाव नम्बर दो, भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में परिवर्तन करना होगा और एक महिला प्रकोष्ठ खोलना होगा जिसकी अध्यक्षा श्रीमती शालिनी शर्मा को बना दें_(व्यवधान)_।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शांतिकुमारजी, आप बैठ जाइये।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, हम इनका कोई सुझाव सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ये हाउस की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं। मुझे प्रस्ताव करना पड़ेगा कि इस हाउस की गरिमा को कम करने के क्या परिणाम हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय पहले आपको इनको प्रताड़ना देनी चाहिये। हमें कोई प्रस्ताव लाना पड़ेगा।...(व्यवधान)...।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है इस सदन में 200 में से केवल 9-10 महिलाएं हैं उनके उत्पीड़न का मामला है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यदि गम्भीर मसले को आप नहीं उठाना चाहते हैं...(व्यवधान)...।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : उन्होंने तो पहले ही व्यवस्था दे दी कि इसकी जांच कराकर, पता नहीं कहां-कहां से ला रहे हैं, + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शांतिकुमार जी धारीवाल ने आर. एस. एस. के बारे में जो आक्षेप किये हैं उनको मैं एक्सपंज करता हूं। ...(व्यवधान)।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : + + + ओम शांति, ओम शांति।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह जी शेखावत।

श्री अमराराम (धोद) : जहां राजस्थान सरकार के मंत्री यह कहें कि ये + + + इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मदन दिलावर यह बात कहे और वह तो सदन से नहीं निकाली जाए और यह कहते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती बीना काक ; उपाध्यक्ष महोदय यह गम्भीर विषय है इसे आरोपों का प्रत्यारोपों का मामला न बनाया जाए प्लीज।

श्री जुबेर खान : यह तो + + + माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान मत डालिये। अब आप विराजिये, बैठिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : देखिये वक्तव्य है 290 के अन्तर्गत केवल आप सवाल पूछ लें। इसमें भाषण देने की आवश्यकता नहीं है...

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उसी के अन्तर्गत बोलूंगा। आपको शिकायत नहीं रहेगी और न सदन के किसी सदस्य को शिकायत रहेगी...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : फिर आप बोलने ही नहीं दे...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान : आपने कह दिया कि एक्सपंज कर दो आप रूलिंग से निकाल दें, कार्यसूची से निकाल दें...

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे आने वाली संतति आपकी व्यवस्थाओं को पढ़ेगी...(व्यवधान)...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को पावर है आपको निकाला भी जा सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जुबेर ख़ान : निकलने के लिये तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, आप निकाल दीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : निकाल दीजिए, सबको निकाल दीजिए। हम सदन के माननीय सदस्य हैं__(व्यवधान)__

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + +......

श्रीमती बीना काक : एक को निकालिये सब निकल जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि इस चर्चा को समाप्त कर दिया जाए? क्या आपकी राय है?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं__(व्यवधान)__।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर बोलने दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + + __(व्यवधान)__

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस गम्भीर मसले को मेहरबानी करके गम्भीरता से रहने दें__(व्यवधान)__।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनें माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं इस बात का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि उसमें पूर्ण रूप से गम्भीरता हो और सरकार और सदन से भी निवेदन करूंगा कि वह इस गम्भीर मसले पर कार्यवाही कराने में मेरी बात में सहयोग देकर गम्भीरता बरते। __(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं। बार-बार क्या कर रहे हैं यह आप?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : कुछ समय पहले माननीय गृह मंत्रीजी ने सरकार की ओर से वक्तव्य पढ़ा। वक्तव्यों के तथ्यों के बाहर मैं नहीं जाना चाहता हूं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्य सामने आये हैं कि 17 जून को एफ. आई. आर. दर्ज हुई लेकिन क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी आप इसकी जानकारी करेंगे कि सबसे पहले ये तथ्य आप लोगों के समक्ष कब उपस्थित हुए?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली 22 मई को, 17 जून करीब एक महीने बाद आती है, 22 मई को अलवर के सर्किट हाउस में उस बेचारी अबला की करुण कथा राजस्थान सरकार के एक मंत्री के साथ में गये हुए एक वरिष्ठ अधिकारी जिनसे कि यह उम्मीद की जा सकती थी कि न्याय मिलेगा उनके सामने यह प्रकरण पहले रखा जा चुका है, करीब एक माह पहले। उसके पश्चात् जैसी कि मुझे उस व्यक्ति, प्रताड़ित महिला ने स्वयं सूचना दी है मुख्य मंत्री के कार्यालय को पोस्ट के द्वारा इस बात की चिट्ठी डाली जा चुकी थी मई के महीने में। आपको मिली या नहीं मिली मैं यह आरोप नहीं लगाता लेकिन उसकी जुबानी कही हुई यह बात है। उसके पश्चात् 4 जून, 1996 को अलवर के एस. पी. तक भी यह शिकायत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

मौखिक रूप से पहुंच गयी है कि अन्याय हो रहा है अलवर में सुनिये। उसके पश्चात् भी सुनवाई नहीं हुई। एक रजिस्टर्ड लैटर के माध्यम से इन सब घटनाओं की जानकारी समाज कल्याण बोर्ड को भी दी जा चुकी है। उसके पश्चात् फैक्स उसी युवती के भाई श्री नरेन्द्र कुमार के द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को 3 लाख 85 हजार का घपला होने के बारे में फैक्स द्वारा सूचना दी जा चुकी है और उस पर कार्यवाही होकर वह राशि रुकी भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात जैसा मेरे साथी ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री जब अलवर गये तो उनके सामने भी यह चर्चा आई और वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या इस सम्बन्ध में आपको शिकायत मिली है? अलवर के पत्रकारों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी दी है कि माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि इस बात की शिकायत तो मुझे मिली है और जांच करवा ली जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से उसके पश्चात् आज तक समाज कल्याण मंत्री की जांच का मौखिक आदेश होने के बाद भी यह कहा गया था कि अकाउन्ट्स ऑफिसर आकर जांच करेगा सारे प्रकरणों की और घपलों की। कोई जांच नहीं हुई और कुकृत्य करने वालों के हौसले बढ़ते चले गये। उसके पश्चात् मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसका नाम लेना शायद आप उचित नहीं समझें, जयपुर के महापौर के पास इस करुण कथा को लेकर गया। लड़की के पिता श्री गुप्ता के रिश्तेदार के पास वह गये। महापौर को लेकर उनके साथ गये। राजस्थान सरकार के जयपुर के एक मंत्रीजी के पास महापौर स्वयं लेकर पहुंचे और लड़की के पिता ने मुझे जानकारी दी है कि उन मंत्री ने सारी करुण कथा सुनकर समाज कल्याण मंत्री जी को टेलीफोन भी किया यह पिता का कहना है। जांच के अन्दर जब यह स्थिति सामने आई तो मुझे भी यह रखने को मजबूर होना पड़ा।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहा गया एफ. आई. आर. 17 की दर्ज हुई। एस. पी. को जब अवसर मिला, पता लगा उसने एफ.आई. आर. दर्ज करने के आदेश दिये। माननीय गृह मंत्री जी आप तक तथ्य या तो सही नहीं पहुंचाये गये और यह आप दुबारा वैरीफाई कर लें। एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए युवती के पिता 15 जून को पुलिस थाने पर जाते हैं और युवती के नाम से लिखी हुई दरख्वास्त एफ. आर. आई. के रूप में दर्ज कराने की प्रार्थना करते हैं। उसके ऊपर शहर कोतवाल दरख्वास्त को पढ़ने के बाद जवाब देते हैं कि एस. पी. साहब के पास चले जाइये मेरे बस का मामला नहीं है। 15 जून को क्यों उसने मना किया। क्यों उसने मना किया उन तथ्यों को मैं आपके सामने उस करुण कथा लिखी हुई बालिका के हाथ के दस्तखतों से जो दरख्वास्त दी गई थी उसकी 4 पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं। इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि एफ. आर. आई. क्यों नहीं दर्ज हो पाई कोतवाली में। उसने लिखा है-"इस पूरे एक वर्ष की अवधि में मुझे संस्था के कार्य से घर वालों को कहकर दिल्ली जयपुर तक संस्था की स्मारिका के विज्ञापन हेतु जिलाधीश अलवर के पास, तथा उद्योगपतियों के पास ले जाया गया और संस्था की स्मारिका के लिये एडवरटाइजमैन्ट्स इकट्ठे किय गये। 25 हजार रुपये इलाहाबाद बैंक के अकाउंट में जमा हुए हैं चाहें तो उसके अकाउंट नम्बर मेरे पास हैं, इसमें लिखे हुए हैं, आपको दे दूंगा। जब

(११०)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कलेक्टर का नाम आता है, जब उद्योगपतियों के पास ले जाकर मजबूरी से एडवरटाइजमेंट इकट्ठा करने की सूचना कोतवाल को मिलती है, माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान की पुलिस में इतना दम नहीं है कि कोतवाल कलेक्टर के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कर सके। उसके पश्चात् दूसरे दिन 16 जून को कलेक्टर, अलवर के घर पर यह एफ. आई. आर. जो मैंने आपको पढ़कर सुनायी, लड़की के हाथ से ये दी गयी। ज्यों ही यह तथ्य लोगों ने एस. पी. को बताये, एस. पी. की हिम्मत नहीं पड़ी कि कलेक्टर के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करे। इस व्यवस्था में एक आई. ए. एस. के खिलाफ आई. पी. एस. की हिम्मत नहीं पड़ सकती है एफ. आई. आर. दर्ज करवाने की।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री आप भी रहे हैं?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 16 जून को जब एस. पी. को दरख्वास्त मिल गयी, एस. पी. ने देखा कि मामला बढ़ेगा, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के नाम इन्वाल्व हैं जिनको पकड़ने की राजस्थान की पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकेगी। एस. पी. जयपुर भागकर आये, किससे मिले, किससे नहीं मिले यह मुझे पता नहीं लेकिन उसके बाद मजबूर होकर 17 तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज होती है। 15 तारीख को कोतवाल के हाथ में जाने के बाद 16 तारीख को एस. पी. के हाथ में जाने के बाद फिर 17 तारीख **को एफ. आई. आर. क्यों दर्ज हुई? दो दिन के लिये आप** किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? **यह मेरा सवाल** आपके सामने है।

उसके पश्चात् मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी कहा गया कि 164 के बयान हो गये और 164 के बयानों में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम नहीं हैं जो अखबारों में छपे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल करना चाहता हूं कि 17 तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज होती है और 164 के बयान कितने दिनों के अन्तराल के बाद आपने करवाये? इन 10 दिनों में कौनसा मेनिपुलेशन आप नहीं कर पाये। उस परिवार को कितनी धमकियां कहां-कहां से मिलीं इसका आंकलन क्या मंत्रीजी करवाएंगे? उपाध्यक्ष महोदय, 164 के बयान को छोड़िये, मैं न तो 164 की बात करता हूं, न 161 की बात करता हूं, यदि सरकार में जमीर है और हिम्मत है गृह मंत्रीजी में, तो 19 जून को प्रताड़ित युवती का एडमिशन एस. पी. द्वारा 161 में वीडियो कैसेट और ऑडियो कैसेट के सामने लिया गया बयान सदन में पेश करने की हिम्मत का नमूना पेश कर दें, क्योंकि उस बयान में कलेक्टर का नाम था। एडिशनल एस. पी. घबराकर पांच दिन की छुट्टी लेकर जयपुर भाग गया। मैं गया हूं एस. पी. से मिलने, जब पता लगा एस. पी. को कि कांग्रेस के कोई पदाधिकारी बात करने आ रहे हैं तो वह अलवर छोड़कर भाग गये। आज भी वह कैसेट अलवर एस. पी. की कस्टडी में मौजूद है। यदि ज़मीर हो, हिम्मत हो पकड़ने की कल्पना आपके दिमाग में हो और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने की यदि मन्शा, शक्ति आपमें हो, आप स्वयं उस वीडियो कैसेट को देख लीजिये, 164 को छोड़िये, जो बयान वीडियो पर है वह अपने आप में सफिशिएंट है। फिर उसके बाद में पांच दिन **तक अलवर के पुलिस के अन्वेषण भवन में ही वह बयान हुए हैं, पांच दिन तक उस फोटोग्राफर को रोककर रखा गया कि इस बयान में कुछ** परिवर्तन करो। कोशिश की गयी कि महत्त्वपूर्ण लोगों के नाम हटा दो, नाम नहीं हटा पाये, वीडियो कैसेट चैंज नहीं कर पाये। तब क्या करें? तब गृह मंत्रीजी नहीं कहेंगे कि वीडियो

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कैसेट तैयार भी हुई थी, 164 के बयान में कोई नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें केवल एक अबला के साथ अत्याचार नहीं हुआ है, आपने कह दिया तीन टुकड़ियां भेज दी गयीं, गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। किसको गिरफ्तार करना चाहते हैं आप? यह तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आसन को और अध्यक्ष जी को जिन्होंने इस पर सदन में चर्चा रखी वरना सरकार चाहती थी कि कुछ और टल जाए तो खानापूर्ति गिरफ्तार करके, क्योंकि मुलजिम इसकी नजर में है, मैटर इज सबज्युडिस बता देंगे और रफा दफा हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा सरकार ने ही करवायी है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपको मैं निवेदन करूं, एडजोर्नमेंट हमारा है, जिद्द हमारी थी, मजबूरी इनकी थी इसलिए करानी पड़ी। अपना चेहरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी गैंग है। बार-बार नाम आया उस रामू नौकर का जो इन सारे कुकृत्यों का चश्मदीद गवाह है। क्या उसको पकड़ने का आपने प्रयास किया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी एफ. आई. आर. की मूल प्रति जो सबसे पहले लिखकर दी गयी, इसमें नाम आया है राजेश शर्मा का, इसमें नाम आया है राजीव का, इसमें नाम आया है नारायण का। और भी बहुत हैं। इसलिये कितने लोगों की गिरफ्तारी का आपने प्रयास किया? सवाल इस बात का नहीं है कि शालिनी शर्मा गिरफ्तार हो जाए, राजेश शर्मा गिरफ्तार हो जाए, उनका चालान हो जाए। सवाल इस बात का भी नहीं है कि बी. जे. पी. का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, गुण्डों की कोई जात और जमात नहीं होती। लेकिन टटोलना पड़ेगा हमारे मानस को कि कितनी क्षमता, कितनी दृढ़ता हमारे मन में अत्याचार के खिलाफ लड़ने की है। हम न्याय का तराजू लेकर अपने और पराये का कितना फर्क देखना चाहते हैं।

मैं आपसे निवेदन करूं, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन जिस प्रकार से मेरे साथी वक्ता ने जिक्र किया, एक साधारण कार्यकर्ता को जिले के महत्वपूर्ण मंच पर न्याय करने की जगह बिठा दो, जिस प्रकार से उसको सोशल वेलफेयर बोर्ड के एक महत्वपूर्ण पद, उपाध्यक्ष के पद पर नामिनेट कर दो उसकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी उस पर दयालू हो जाएं और उसकी जगह प्रस्ताव किसी और उर्वशी का बना और आखरी वक्त उसको काटकर के शालिनी का नाम एड कर दें। यह तथ्य कुछ चौंकाने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस अबला ने यहां तक कहा है कि जिन लोगों के जाल और चंगुल में मैं फंसी हूं उनके हाथ बहुत लम्बे हैं, वह बहुत ताकतवर है, उनकी ताकत का अन्दाजा उसने इस बात से नहीं लगाया कि वह शालिनी शर्मा कहती थी कि मेरे सम्पर्क किस-किससे हैं। यदि मैं नाम लूंगी तो कईयों के मुंह पर कालिख नजर आएगी। लेकिन जब यह पता लगता है इस बात के सबूत से कि रचना गुप्ता को समाज कल्याण बोर्ड की एक यूनिट का बानसूर का अध्यक्ष भी बनवा दिया अपने सम्पर्कों से, तो

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

इस अबला को यह गलतफहमी हुई कि इसका **कितना बड़ा सम्पर्क हो सकता है।** इन प्रश्नों में बहुत से प्रश्न उभरे हैं। इन प्रश्नों में बहुत सी चर्चाएं अधूरी रह जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं बहुत कम समय में, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या परिस्थिति उस अबला की रही होगी, यह चार पंक्ति उसने लिखी है जो मैं आपको सुनाकर अपनी बात को इस सन्दर्भ में समाप्ति करना चाहता हूं। अपने हाथ में लिखी है उसने–"मजबूर होकर मुझे इनके कहे अनुसार कार्य करना पड़ा था।"

श्री उपाध्यक्ष : किसके कहे अनुसार?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एफ. आई. आर. में नाम दिये हैं, नाम मैं इनके लेना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वह शालिनी, हसबैंड एण्ड वाइफ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं मर्यादापूर्वक जितनी बात कह रहा हूं कहना चाहूंगा। इससे आगे आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको कईयों के कच्चे चिट्ठे चैम्बर में बता दूंगा वरना यहां अभी आग लग जाएगी। आप जानना चाहते हैं तो मुझे छूट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : **मैं आपसे इतना** अवश्य निवेदन करूंगा, आप भी अलवर से हैं और निश्चिंत रहिये आपका इसमें कोई वास्ता नहीं है, मैंने जानकारी कर ली है। लेकिन आप से कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। इसमें लिखा है उस अबला ने, उस व्यथित ने कि "मजबूर होकर मुझे इन लोगों के कहे कार्य करना पड़ता था। साथ ही मुझे यह भी कहा गया कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा, हमारे पास तुम्हारे फोटो हैं। इसी मजबूरीवश राजेश शर्मा द्वारा घृणित कार्य के लिये भी मुझे मजबूर किया जाता था। साथ ही अन्य लोगों के साथ घृणित कार्य करने के लिये भी मुझे मजबूर किया गया।" यह व्यथा है उसकी, यह कथा है। और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। उस अबला ने 164 के बयान में कहा है कि इन-इन के साथ में क्या किया गया। नाम दिये हैं उनके। और मुझे अलवर में जानकारी मिली है, बहुत बड़े, प्रतिष्ठित परिवारों की युवतियों को कितना बरबाद किया गया, उनकी शादियों के बाद भी उनसे रोज निचोड़-निचोड़ कर धनराशि वसूल की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, 164 के बयान में जो कहा गया है, इसको गौर करेंगे। कुछ सेठों के नाम लिये गये हैं। मार्च के दौरान जिलाधीश शालिनी के घर आये थे।

एक माननीय सदस्य : किसलिए?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : 164 के बयान कह रहे हैं इसलिये आये। उपाध्यक्ष महोदय, वह अबला कहती है, जहां इन्होंने मुझे पिताजी **के लाने की बात करने के लिये कहा, फिर मुझे रसोई में जाकर हाथ बंटवाने के लिये कहा। शालिनी ने वहां पिकनिक पर चलने का प्रस्ताव रखा जिसे जिलाधीश ने स्वीकार कर लिया।** किन्तु मेरे मना करने पर उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। 164 के बयान कहते हैं, मैं नहीं कहता। उपाध्यक्ष महोदय, 164 के बयान कहते हैं, लड़कियों के मैं नाम नहीं लूंगा, इसमें

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

यहां तक कहा गया है कि बुआजी की लड़की के साथ भी उसके ऐसे सम्बन्ध थे। 164 के बयान कहते हैं। 164 के बयानों में कहा गया है कि मुझे मारपीट कर, धमकी देकर अपने साथ पिंकसिटी नर्सिंग होम लाया गया जहां इन्होंने मेरा अबोर्शन करवाया। कौन लोग हैं वो? क्या उस डाक्टर से आज तक पूछताछ की आपने? शालिनी के साथ और कौन लेकर आये थे? क्या डॉक्टर दोषी नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, इसमें कहा गया है, वह स्वयं एक दिन पहले चली गयी। नहीं, सॉरी। कुछ समय पश्चात् मैं गर्भवती हो गयी। जब मैंने यह बात शालिनी शर्मा को बतायी, मुझे जयपुर चलने के लिये कहने लगी। वह स्वयं एक दिन पहले चली गयी। दूसरे दिन मुझे वहां मिलने के लिये कहा गया किन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि वहां के. के. बंसल आया हुआ है जिससे शालिनी शर्मा के अवैध सम्बन्ध हैं, मैं नहीं कहता, 164 का बयान कहता है, वह मार्बल का व्यापारी है मकराना में। उपाध्यक्ष महोदय, मकराना का माइन्स का व्यापारी जिसके यहां कमल अपार्टमेंट में फ्लैट हैं, क्योंकि शालिनी शर्मा के पति राजेश का भी मकराना के पत्थर की खराद में गुलदस्ते बनाने का धन्धा है इसलिये दोस्ती है। राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री का नाम भी जोरों से लिया जा रहा है। एक झिरी के खान के मालिक का नाम भी आया है, दौसा के रहने वाले सज्जन का, करोड़पति का। एक अलवर के बहुत बड़े उद्योगपति का नाम भी आया है। किस उद्योगपति का नाम आया है उपाध्यक्ष महोदय? आप चाहें तो मैं बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : समाप्त ही कर रहा हूं। आपको भी पता है, शायद आप उसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नाम लेने की इजाजत तो मैं नहीं दे पाऊंगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्यों नहीं नाम लेने देना चाहते, यह भी आप जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन की मर्यादा है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आसन की मर्यादा को बरकरार रखते हुए, लेकिन मुझे इतना कहने की इजाजत तो आपको देनी ही पड़ेगी कि वह सज्जन वही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता की आम सभा अरेंज कराने के लिए अलवर में धन की व्यवस्था की थी। उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी घटनाओं को देखते हुए, बड़े लोगों के इन्वोल्वमेंट को देखते हुए, केन्द्रीय नेताओं के कृपापात्र लोगों को देखते हुए, राजनीतिज्ञों के सम्पर्क और सम्बन्धों को देखते हुए, उस घिनौनी हरकत करने वाली महिला के राजनीतिक सूत्रों, सम्बन्धों और सम्पर्कों को देखते हुए राजस्थान की इस + + + सरकार से मैं न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। इन हालात में मेरी एक ही मांग है, यदि यह सदन दूध का दूध और पानी का पानी चाहता है, यदि गृह मंत्रीजी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर जांच चाहते हैं, सदन न्याय करना चाहता है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर, तो इस सारे प्रकरण की सी. बी. आई से मैं जांच की मांग करता हूं।

दूसरा, निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि बार-बार समाज कल्याण मंत्रीजी, जो

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

शायद गायब हो गये, उनकी चर्चा आयी। समाज कल्याण मंत्रीजी के विभाग का सम्बन्ध रहा है। उन्होंने नार्मों का समर्थन करके बड़े-बड़े पद दिलाने की कृपा की है। अच्छे सर्टिफिकेट उन्होंने जांच लिये होंगे शालिनी के, उसकी संस्कृति से वह वाकिफ होकर प्रसन्न हुए होंगे। इस सारे मामले में मैं सदन से और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी समाज कल्याण विभाग से संबंधित तथ्यों की, राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री से मैं मांग करता हूं, मदन दिलावर अपना इस्तीफा दें सदन में आज। अपना त्याग पत्र दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में इतना उछला, मुझे बड़ा दुःख हुआ। बहुत से तथ्य मुझे मजबूरीवश आपके सामने पेश करने पड़े और क्यों करने पड़े, क्योंकि 164 के बयान में जगजाहिर हो गये। मैंने मर्यादा और संयम का पूरा पालन करने की चेष्टा की है। अखबारों में जो छपा है, जो रोज अखबारों में आया है, शर्म से नाक नीची हो गयी। अलवर जब हमको भेजा गया, भाई शैलेन्द्र जोशी मेरे साथ थे, अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश के साथ थे। जब अखबारों में छपा कि हम जांच के लिये जाएंगे, अलवर के लोग उमड़े हैं, अलवर में पत्रकार आये हैं, सार्वजनिक संस्थाओं के लोग आये हैं, सारी सीमाओं को तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक दलों के लोग एक स्वर में बोल रहे थे। हालांकि मैं इस बात से भी इन्कार नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी के जिन अलवर के लोगों में जमीर है उन्होंने हमको टेलीफोन कर कहा, हमारी मजबूरी है, मामले को दबने मत देना। लेकिन जो अखबारों में छपा है, गर्दन मत हिलाइये लाटरी मंत्रीजी—

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें कृपया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : हकीकत है, जो अखबारों में छपा है। सिर्फ आधा मिनट लूंगा। जो अखबारों में छपा है, जो प्रचारित किया गया है, जो इन बेगुनाहों को और गुनाहगारों को चौराहे पर लाकर खड़ा किया गया है इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड़यन्त्र है। यह अखबार वालों की मर्जी से नहीं हुआ। इतना घिनौना कृत्य यदि कहीं हुआ है तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं समाचार पत्रों के पत्रकार बंधुओं से भी, उजागर तो करें लेकिन मर्यादाओं को तोड़कर महिलाओं की इज्जत को चौराहे पर न लायें। किन्तु वह भी क्या करें, उनकी मजबूरी थी। अलवर में नेकर और बिना नेकर के झगड़े ने इस काण्ड को तूल दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। आप कृपया शार्ट में कहें और आपसे यह भी निवेदन है कि आप संयम से बोलें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शालीनता से, शिष्टता से, संयम से, संक्षिप्तीकरण से बोलूंगा लेकिन जो सारगर्भित है वह तो बोलकर ही रहूंगा चाहे जान भी चली जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह मामला अभी तक मात्र एक रेप का माना गया है कि यह एक शालिनी शर्मा और उसके पति राजेश शर्मा द्वारा यह रेप एक रचना गुप्ता का हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसकी गारन्टी लेता हूं कि यह गैंग रेप का मामला है। गैंग रेप का मतलब, एक महिला के साथ एक से ज्यादा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आदमी एक साथ बलात्कार करें, माननीय गृह मंत्रीजी, तो वह 376 (डी) में आता है। और गैंग रेप को राजस्थान के गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान की पुलिस द्वारा दबा दिया गया, कुचल दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब कोई सबूत नाम की चीज नहीं रही। ऑडियो-वीडियो कैसेट की आज अलवर में यह चर्चा है जगह-जगह कि ऑडियो-वीडियो कैसेट दूसरी बना दी गयी पहले वाली को इरेज कर दिया गया। आज यह जो मामला उपजा है कि राजस्थान पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उस आधार पर यह मामला आया है? या हम लोग बोल रहे हैं इसलिए यह मामला आया है? यह मामला आया है अलवर के लीड पत्रकारों द्वारा और अलवर की जनता द्वारा उठाया गया मामला है। जिन्होंने इस मामले को उठाया मेरा यह निवेदन करना है कि एक गाय की बछड़ी के पीछे यदि कोई गंडासा लेकर हत्यारा भागे और वह बछड़ी जगह-जगह शरण लेना चाहे और हर आदमी अपना घर बंद कर दे तो हिन्दू लोग हिन्दुत्व की बात कहते हैं कि साहब हममें हिन्दुत्व है, वे लोग क्या करें जब गाय के लिये बछड़ी के लिये भी दरवाजा बंद कर दें और उनका कत्लेआम होने दें। राजस्थान सरकार के तीन मंत्रियों को शालिनी ने एक-एक का नाम एक-एक की तारीख बताता हूं, एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले शालिनी ने तीन मंत्रियों को कहा, तीन मंत्रियों के सामने रोयी, लिखित में दिया, वो रोयी, उसका पिता रोया और उसका भाई रोया और पन्द्रह दिनों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। रचना गुप्ता रोयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तारीख वाइज ब्यौरेवाइज विवरण मैं देऊंगा। मेरा निवेदन करना यह है कि यह मामला इतना गम्भीर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीरता बरती जा रही है इस बात पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक अध्यापिका ने कहा कि बच्चों बताइये चटोरी बिल्ली जलेबियों की रखवाली का अर्थ क्या होता है? तो एक छात्र ने कहा कि इसका अर्थ है कि शालिनी शर्मा जैसी कूटनियों को समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा बनाओ और कितनी ही + + + !

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपकी काल्पनिक बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरी साकार है और मूर्त रूप दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि "बी. जे. पी. के नेताओं ने समाज कल्याण के नाम पर खुद का कल्याण करवाया है। चरित्रहीन महिला शालिनी से इस प्रकार समाज का कल्याण करवाया है।" और अन्तिम बात, क्योंकि एक शालिनी शर्मा ने पहले बाल एकेडमी चलायी, फिर शास्त्री जी के नाम पर एक स्कूल चलाया और यह नवोदय कल्याण कर दिया, नया उदय हो रहा था तो यह थर्ड फेज था तीसरी संस्था थी तो स्कूल चलाया। उसके बारे में है कि-"बी. जे. पी. की शालिनी जब स्कूल में बालक-बालिकाओं को व्यभिचार और बलात्कार का पाठ पढ़ाएगी, तो कोई भी माँ अपने बच्चे-बच्चियों को स्कूल भेजने में घबराएंगी।"

मेरा निवेदन करना यह है कि मेरा जो भी कुछ कहना है दो बातों पर आधारित है एक तो यह है कि शालिनी का बी.जे.पी. से क्या लेना-देना। मैं पाइंट बताऊंगा जिनमें सिद्ध करूंगा कि बी.जे.पी. से इसलिये लेना-देना है और मैं 19 पाइंट इस बात के बताऊंगा कि—

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(116)

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपके पाइंट और शेष हैं क्या? जल्दी करिये। थोड़ी जल्दी करिये।

एक माननीय सदस्य : 20 पाइंट बोलने चाहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, मैं बोल रहा हूं। 20वां पाइंट तो आपके लिये हैं कि आप सी. बी. आई. से जांच के आदेश दें। मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो मामला आया तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अध्यक्ष ने, किसी भी संगठन ने आज तक इस बारे में कोई भी जांच की है या सहानुभूति के लिये कोई जांच दल गया है या कोई भी उसके घर पर आंसू पौंछने गये? यह बात अगर एपरेंट आन दी फेस आफ दी रिकार्ड यह सिद्ध करती है कि भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्या थी, वो पदाधिकारी थी इसलिए उसके पास जाने का अधिकार नहीं था। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अशोक गहलोत ने इस मामले को मानवीय उत्पीड़न का मामला माना और उन्होंने हमारे माननीय महामंत्री दीपेन्द्रजी को मेरे को और डॉ. निजाम को भेजा। यही नहीं हमारे युवा कांग्रेस के अश्क अली टांक साहब ने भी रूपा तिवाड़ी, ममता भूपेश और महिलाओं की टीम को भेजा। इतना ही नहीं हमारी महिला विंग जो है, उसकी भी अरुणा स्वामी गयीं। उन्होंने वहां पर जांच की और जांच के बाद पता लगाया। क्योंकि हम यह चाहते थे कि सही और वास्तविकता से वाकिफ हों। मैंने और दीपेन्द्र जी ने भी दो महिलाओं की उपस्थिति में रचना गुप्ता से करीब पौन घण्टे तक जानकारी हासिल की। और उसके आधार पर मैं आपके सामने आज बोलने की बात कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह शालिनी शर्मा पहले बनी अलवर जिला महिला मोर्चे की अध्यक्षा—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शैलेन्द्र जी कोई नये तथ्य आप बतायें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं नये तथ्य ही बता रहा हूं। मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं मैं केवल यह बताता हूं कि बी. जे. पी. के कितने पदों पर रही हैं। पहली अलवर जिला की महिला मोर्चे की अध्यक्षा 1991-92 में रही। दूसरी युवा मोर्चे की प्रान्तीय उपाध्यक्ष 1991-92 और 1993 में रही। तीसरी अलवर जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच की जो आनरेबल जज की नियुक्त की वो राजस्थान सरकार के बी. जे. पी. के खाद्य मंत्री ने की। चौथी बात है कि सदस्य राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड रही लेकिन राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की मैम्बर बनी वो सैन्ट्रल बोर्ड के कोटे में नहीं बनी बल्कि राजस्थान सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में बनीं। पांचवीं बात है वो उपाध्यक्ष समाज कल्याण विभाग राजस्थान बनीं और छठी बात यह है कि जब श्रीमती सायरा खान का बी. एड. खतम हो गया तो + + + उन लोगों ने अपनी अभिशंषा की कि इनको गैप अरेंजमेंट के लिये चेयरपर्सन बना दिया जाए। वो ही लैटर मैं पढ़ रहा हूं। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यहां से अभिशंषा की गयीं कि शालिनी शर्मा को गैप अरेंजमेंट के लिये चेयरपर्सन बनाया जाए। उसका रिप्लाई है। आप कहते हैं संक्षिप्त में, मैं इसका वन-फोर्थ ही पढ़ रहा हूं। इंग्लिश में है रेलेवेन्ट पोरशन ही पढ़ रहा हूं :—

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

"......With reference to your fax number......dated 26th March] 1996, I am directed to state that Central Social Welfare Board does not approve the appointment of Smt. Shalini Sharma, Vice-Chairperson, to discharge the duties of Chairperson, as there is no such provision in the rules. Regarding the appointment of Director, Socal Welfare, Government of Rajasthan, as officer in-charge, this is also not agreed to as Central Social Welfare Board appoints its own officer as officer-in-charge to discharge the duties of Chairperson as a stop-gap arrangement.

Yours faithfully, Deputy Director, Social Welfare."

यह डॉकुमेंट है जो इस बात को कहता है कि पिरामिड की तरह गगनचुंबी अट्टालिकाओं की ऊंचाईयों से भी ज्यादा वो लावण्यमयी वो मोहित करने वाले लोग समाज कल्याण विभाग के उच्च शिखाओं पर भारत के कल्याण के लिये जाते थे राजस्थान और अलवर का कल्याण कर लिया। और राजस्थान के कल्याण पर महती कृपा करवाना चाहते थे। ऐसी चारित्रिक रूप से गिरी हुई महिला का ये वो लैटर है और यह लैटर के अभिशंषा में राजस्थान सरकार ने लिखा है। इसके अलावा मैं लैटर दूसरा बताना चाहता हूं। मैं जो भी बात बोलूंगा डाकुमेंट की हैसियत से बोलूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने भी पांच साल वकालत की है आप घंटी बजाइये मैं डाक्यूमेंट पढ़ूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिये मैं एक लैटर पढ़ रहा हूं। 31-1-93 का, इसमें लिखा है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्य, ये सात सदस्य बने हैं इसमें कहीं भी शालिनी शर्मा का नाम नहीं है केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों में दूसरे नम्बर पर है श्रीमती शालिनी शर्मा, अलवर। तो राज्य सरकार से, बी.जे.पी. की सरकार से क्या वास्ता शालिनी का यह मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन करना है बी.जे.पी. के आधा दर्जन लोग शालिनी के कार्यक्रमों में अलवर में उपस्थित होते थे। इस मंत्रिमंडल के 4-5 मंत्रियों ने शालिनी शर्मा के अलवर में कार्यक्रमों में जो एक साल में हुए उनको अटैन्ड किया। यदि सरकार की ओर से मनाही आ जाए तो मैं नाम बता दूंगा कि किस-किस ने कब-कब अटैंड किया। आप कहते हैं नाम बताओ मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो यह भी कहा है कि सदस्य जिम्मेदारी के साथ बोलें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं हलकापन थोड़े ही दिखा रहा हूं। श्रीमान् इस तरह का जो आचरण है ये आचरण बहुत ही घिनौना है। कि एक ऐसी दुश्चरित्रा महिला जिसने कि अपने सारे नैतिक मूल्यों को ताक में रख दिया हो उसको ऊपर उठाया जाए।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने सभी मंत्रियों का नाम लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखिये मैंने कहा कुछ मंत्री।

118

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप आउट डेटेड हो चुके हैं, आपका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इनकी आशंका दूर करिये। ये आउट डेटेड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। बस बस आज विराजें। आपकी उम्र है।

(16.00)

श्री सुजान सिंह यादव : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ने सभी मंत्रियों का नाम लिया।

श्री जुबेर खान : उस पर ऐसा अन्याय कैसे कर सकते है कोई मंत्री जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखिए मैं बहुत शालीनता से काम ले रहा हूं। शालिनी ने शालीनता भंग कर दी होगी मैं शालीनता मैंन्टेन करूंगा। मेरा निवेदन करना यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के तीन मंत्रियों ने उसके यहां खाना खाया, अलवर जाकर भोज किया। मना कर दो तो नाम बता दूंगा—

श्री सुजान सिंह यादव : नाम बता ही दो आप। नहीं साहब, ऐसा कैसे क्लीयर होने दीजिए इस बात को।

श्री शैलेन्द्र जोशी : **और इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब शालिनी शर्मा को एक से अनेक पदों पर नियुक्त कर दिया** गया तो भारतीय जनता पार्टी अलवर में विद्रोह हो गया और कहा कि एक महिला को कई पद दे दिये आपने, कंजूमर फोरम का जज बना दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पुनरावृत्ति। अब आप समाप्त कर लें। अभी तो बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह बता रहा हूं कि वे कौनसे कारण हैं जिस कारण कि ये मामला सी.बी.आई. से जांच कराने के लायक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक तरह से जांच कराना। तो ऐसा ही है जैसे गाय एक हत्यारे के हाथ में दे दी गयी हो—

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है, कि श्रीमान्, मैं बताऊं एक तो यह कि यह जो कम्पलेंट है वह मेटली डिलेड है और—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का मामला है और आप एक बार भी नाम महिलाओं का नहीं ले रहे हैं आपको कोई नाराजगी है महिलाओं से तो वैसे बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कतई नाराजगी नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह मेरी बात खत्म नहीं कर सकते, मैं बोल कर रहूंगा, साहब। मैं बार-बार आप से न्याय की उम्मीद कर रहा हूं। मैं कोई रेलेवेंन्ट टॉक नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं—

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके, आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं कैसे समाप्त करूं, मैं बात तो यही कर रहा हूं। मैं पाइंट बता रहा हूं आपको—

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया, आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं, मैं बोलूंगा। यह

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कोई बात नहीं है। श्रीमान्, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास जो कुछ है सब कुछ कह दिया आपने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं नयी बात; मैं कोई रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट करते ही आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मेरा निवेदन यह है कि सी.बी.आई. से इसलिये जांच करायी जाए कि इसमें ग्रेटली डिलेड एफ.आई.आर. है। इसके अलावा मिस्टर सुनील अरोड़ा और श्रीमती नरेन्द्र कंवर बाढ़ और पानी के लिये जब अलवर गये थे। तब उसके भाई ने नरेन्द्र कुमार ने, सुनील अरोड़ा साहब को लिखित में शिकायत दी थी। 4 जून को लिखित में शिकायत दी। यह उस लड़की ने बताया, उसके भाई ने बताया और एफ.आई.आर. कटी है 16 तारीख को। दूसरा मेरा पाइंट यह है कि मदन दिलावर जी 7 और 8 जून को अलवर गये थे उस लड़की ने मेरे को बताया—

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पुनरावृत्ति हो रही है। नयी बात कहिए, यह आ चुका।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरी बात तो सुनिए आप. You cannot anticipate my version. You cannot anticipate.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा इस तरह से। आप कोई नयी बात कहना चाहते हैं तो कहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब हम त्याग पत्र दे दें विधान सभा से। हम नहीं बोलें सही बात—

श्रीमती बीना काक : महिलाओं का मामला है हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा तीसरा पाइंट यह है कि 7 और 8 जून को सुरेश पाटोदिया के माध्यम से माननीय भंवरलाल जी शर्मा को उस लड़की ने अपनी व्यथा बतायी। तीन मंत्रियों को बतायी, दिलावर साहब को बतायी, सुनील अरोड़ा जी और नरेन्द्र कंवर जी गयी थीं तो सुनील अरोड़ा जी को बतायी और सुरेश पाटोदिया के माध्यम से माननीय भंवरलाल जी को बतायी। मैं नाम ले रहा हूं आप नाम नहीं लेने देना चाहते हैं। क्या मैं त्याग पत्र दे कर चला जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। श्री जुबेर खान।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन की इज्जत करता हूं लेकिन—

श्री उपाध्यक्ष : मुझे विवश होकर यह कहना पड़ेगा कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसको लिखा नहीं जाए। आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : साहब, आप मेरे को बाहर भी निकाल दें तो मैं निकलने को तैयार हूं।

श्रीमती बीना काक : आपको कह दिया था, कुछ पूछा था आप से। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या इस तरह का कोई मेमोरेंडम दिया गया था जब आप पधारी थीं वहां अलवर?

श्री उपाध्यक्ष : अब वो सवाल हो जब पूछना, अब आप बिराजें, कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्या बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को भी दो मिनट दिये जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद—

श्री उपाध्यक्ष : यह दो मिनट की सीमा तो बताइए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 120 सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट की सीमा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 120 सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : कितनी हो चुकी, हिसाब लगाइए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो मैं सही बात नहीं कहूं? सर, उसने फिर पापा के द्वारा एफ.आई.आर. करायी। फिर 15 तारीख को उसने कोतवाल को रिपोर्ट दी तो जैसे ही सिटी कोतवाल को रिपोर्ट दी, कोतवाल ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उसी रात को, यह अलवर का बच्चा-बच्चा जानता है कि एस.पी. जयपुर आया। एस.पी. ने पूरी घटना की जानकारी दी। एस.पी. ओडियो-वीडियों कैसेट को जयपुर लाया, सरकार को सारा केस बताया और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सी.बी.आई. से जांच होगी तो मालूम पड़ेगा कि सागर होटल, दिल्ली में कौन ठहरा, राजस्थान हाउस में कौन ठहरा, यह कमल अपार्टमेंट में कौन ठहरा, इस तरह राजहंस होटल में कौन ठहरा, सारे लोगों के नाम हैं। कौन किससे लिप्त है, कौन-कौन ठहरा, किस किस के साथ ठहरा, किस-किस ने क्या-क्या रंगरेली खेली। अब मैं रिपीट कर रहा हूं कि सही बात है। मेरे पास तथ्य हैं मेरे बोलने के—

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। जुबेर खान जी, पांच मिनट में। वह समाप्त कर दिया उन्होंने। जोशी जी, आप विराज जाएं कृपया।

श्री जुबेर खान : हां, पांच मिनट में साहब। वो बैठ ही नहीं रहे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : केवल आधी मिनट—

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार आसन की अवहेलना कर रहे हैं। आप बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। आप विराजिए। यह उधर दे दीजिए गृह मंत्री जी को। श्री जुबेर खान —(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस अखबार के नीचे यह लिखा गया है कि मैंने उपरोक्त सभी—

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा नहीं जा रहा है अब जोशी जी, अब आप विराजें। कृपया बैठें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा और कोई ऐसी बात—(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा नहीं जा रहा है, आप सब लोगों को परेशान कर रहे हैं और क्यों समय बरबाद कर रहे हैं। कृपया आप विराजें। आप बहुत कह चुके हैं, काफी कह दिया आपने। मैं निवेदन कर रहा हूं अखबारों में खूब छायेगा। आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें एफ.आई.आर. का हवाला दिया है 328/96 एफ.आई.आर.। सबसे पहले तो मैं इसकी आठवीं लाइन जो लिखी हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ इस डाक्यूमेंट्स के आधार पर बात करना चाहूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि श्रीमति शालिनी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्या एवं उपभोक्ता संरक्षण मंच की सदस्य तथा राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की उपाध्यक्षा हैं। It is on record. I want to get it recorded here.

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जुबेर खान)

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. जो दर्ज हुई है। बाद में जो कार्यवाही लिखतें हैं उसमें अपराध धारा 328, 379, 294, 420, 114, 120 (बी) आई.पी.सी. लगाया है। मैं यह जानना चाहूंगा गृह मंत्री जी से कि यह जो कार्यवाही पुलिस है जो आखरी पेज पर होती है उसमें कहीं भी 376 का हवाला नहीं है। क्योंकि यह एफ.आई.आर. की कॉपी है, 376 का हवाला कहीं नहीं है जबकि यह मुख्य तौर से साफ था कि सबसे पहले बलात्कार का मामला लगाया गया।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एफ.आई.आर. तो दर्ज हुई है 17 को, उपाध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को शालिनी शर्मा को जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उसने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक दर्द भरा पत्र लिखा। मैं पूरे पत्र को तो यहां नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है लेकिन कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा। एक वर्ष से समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पद पर सक्रिय कार्य कर रही हूं। इससे पूर्व मैंने एक समाज सेवी संस्था, नवोदय समाज कल्याण विकास समिति का गठन किया था जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया था। 1995 में मैंने उपाध्यक्ष पद के उपरान्त उक्त समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। समिति के अध्यक्ष पद पर मैंने कुमारी रचना गुप्ता जो कि पार्टी कार्यकर्ता व भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हैं, को चुन लिया। इसके अंत में लिखा खाते-बाते सब शालिनी शर्मा ने लिखे हैं। उसके बाद शालिनी शर्मा लिखती हैं इस सारे प्रकरण के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनेपन में पत्र हैं। बड़ी दर्द भरी लैंगवेज हैं इसकी। इस सारे प्रकरण के बाद श्री जीतमल जैन, चेयरमैन, नगर विकास न्यास, अलवर ने अपने स्वभाव के अनुसार उसको मेरे खिलाफ, यानि रचना गुप्ता को, मेरे खिलाफ साजिश रचने का सुझाव दिया तथा मेरे चरित्र हनन की मुहिम चलवायी। इस साजिश के तहत मेरे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं, वे मुझे ब्लैकमेल करने के लिये व मेरे राजनीतिक कद को बौना करने की एक जानी-बूझी साजिश श्री जीतमल जैन के दिमाग की उपज है। श्री जीतमल जैन की नाराजगी मुझसे इसलिये है कि, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप भली भांति परिचित हैं, मैंने उनके खिलाफ एलिगेशन लगाये थे, पार्टी के केन्द्रीय लीडर्स को लिखकर दिया था और इसी आधार उनका टिकट काटा था। अन्त में वे लिखती हैं कि मैं पिछले 8 वर्ष से पार्टी की सक्रिय सेवा में हूं और मेरी पार्टी में हार्दिक आस्था है।...(व्यवधान)

मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि वे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थीं।

नम्बर 2, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31.1.95 को, इसी चिट्ठी की प्रतिलिपि, अध्यक्ष, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त समाचार पत्रों को दी गयी थी। 15-6-95 को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31/1 को उसको उप शासन सचिव, समाज कल्याण द्वारा सदस्य बनाया गया। 9-1-95 को वाइस प्रेसीडेंट बनाया गया। दिनांक 26.3.96 को राज्य सरकार ने केन्द्रीय बोर्ड को अनुशंसा की कि शालिनी शर्मा को चेयरमैन बना दिया जाए और 27 तारीख को जब केन्द्रीय बोर्ड ने कह दिया कि इनको चार्ज नहीं दिया जा सकता है, तो 15 तारीख को यह दर्दभरी चिट्ठी लिखी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भली भांति सरकार की जानकारी में थी कि इस तरह का प्रकरण चल रहा है। 17 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज होती है, 28 को 164 के बयान होते हैं और 19 तारीख की रात तक

(श्री जुबेर खान)

शालिनी शर्मा और उसके पति राजेश शर्मा अलवर में मौजूद थे।

लोगों से, नेताओं से और अधिकारियों से मिल रहे थे। एस.पी. क्या करते, क्योंकि उनको डे-टू-डे जयपुर रिपोंटिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद निर्देश लेकर आगे कार्यवाही की जाती थी।

मेरा सवाल है, गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि अगर दसवीं पास लड़की थी, उसकी एज का पता करवाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? दसवीं का सर्टिफिकेट होता है, उससे जानकारी होती है कि लड़की बालिग है या नाबालिग है। 15 तारीख को एफ.आई.आर. कोतवाल को लिखकर दे दी थी। कोतवाल ने लड़की से कहा कि इसमें बड़े लोगों के नाम हैं, मैं दर्ज नही करूंगा, एस.पी. के पास जाइये। 17 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज होती है। उसके बाद में जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है (व्यवधान)— 19 तारीख को मेडिकल कराया जाता है। जिसमें रेप भी कंफर्म हो जाता है, उम्र भी कंफर्म हो जाती है। उसके बाद 25 तारीख तक शालिनी शर्मा के घर पर छापा भी नहीं डाला जाता है। 25 तारीख को, क्योंकि शालिनी शर्मा ने कह दिया था और मैं आज दावे से कहता हूं कि शालिनी शर्मा को इन मंत्रिमंडल के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, मनमानी धनराशि नहीं दी तो शालिनी शर्मा इस तरह से नाम खोलेगी, जैसे पामेला बोर्डेस ने लन्दन में खोले थे। सच्चाई तभी सामने आएगी। शालिनी शर्मा को जानबूझकर भगाया गया, पर्दे के पीछे सरकार उसकी मदद करना चाहती थी, कर रही है, क्योंकि इसमें सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लिप्त हैं।

मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। अलवर में बी.जे.पी. की उदारवाद और आदर्श की लड़ाई शुरू होती है। लड़की को समझाया गया कि नाम मत लो, उन लोगों के मत लो जो पार्टी के सीनियर अधिकारी हैं, और नाम जानबूझकर के एक ऐसे मंत्री का लगाया गया जो कि निर्दलीय हैं, जिसका 1993 से पहले बी.जे.पी. से कोई लेना-देना नहीं था। लड़की से कहा गया, उसके बाप से कहा गया और उन लोगों द्वारा कहा गया जो कांग्रेस पार्टी से बी.जे.पी. में गये हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो उनसे द्वेष रखते हैं, कि उनके ऊपर सीधा चार्ज लगाये। लड़की ने और लड़की की मां ने कहा, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जितना हुआ है।

जिस दिन माननीय यातायात मंत्रीजी लड़की से सर्किट हाऊस में मिले, उस दिन वहां आप भी मौजूद थे। उस दिन मैं वहां मौजूद था। नगरपालिका में आपका मनोनीत अध्यक्ष संजय नरूका वहां मौजूद था और 20-25 लोग वहां मौजूद थे, जहां सर्किट हाउस में शालिनी शर्मा और रचना गुप्ता को मैंने भी पहली बार देखा था।

अब भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने यह तलवार दूसरी तरफ चलाने की कोशिश की है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यदि सरकार यहां सच्चाई लाना चाहती है, वास्तविकता सामने लाना चाहती है, तो सी.बी.आई. से जांच करायें। क्योंकि जब यह प्रकरण समाज कल्याण मंत्री महोदय की जानकारी में आ गया था तब भी उन्होंने उसके नाम की अनुशंसा केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली में की थी। इसलिये नैतिक जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। उनसे इस्तीफा लिया जाए। मुख्य मंत्रीजी, यह सब में मशहूर है कि आपके राज में आपकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जिसका स्टेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, समाज

(श्री जुबेर खान)

कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के लिये आपकी जानकारी के बगैर, मैं नहीं मान सकता कि शालिनी शर्मा का नाम दिल्ली भेज दिया गया हो। मेरा यह आरोप है सरकार पर, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनका जवाब दें।

माननीय शांति धारीवाल साहब ने सहज स्वभाव में एक बात कह दी कि यह तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने धौलपुर के नगर पालिका के चुनाव में शालिनी शर्मा को उप-पर्यवेक्षक बनाया था, तो जाना ही था उसको माननीय घनश्याम जी के साथ चली गयी तो कोई बुराई हो गयी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। समाप्त करें, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे निवेदन है कि + + + आप हमारे खानदान को जानते हैं। हम वे लोग हैं जो बाबर के खिलाफ लड़े हैं। हम राजपूतों से निकले हुए हैं। आज भी मेरे पिताजी का नाम भागसिंह है। वे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आये हैं, आज मुझे + + + कहते हैं और आप इसको एक्सपंज नहीं कराते हैं। कभी जरूरत पड़ी इस देश को तो मेव समाज ने सबसे आगे कुर्बानी दी है। गांधीजी ने चम्पारण में यह बात कही थी कि अगर इस देश में मेव कौम जैसे लोग हो जाएं तो मैं 24 घण्टे में देश को आजादी दिला दूंगा। आज मुझे पीड़ा होती है। गौ-हत्या की बात आती है, मैं सबसे पहले वकालत करता हूं कि गाय हमारी माता है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिये, सख्त से सख्त कानून बनने चाहिये। और जब कोई और बात होती है मेरा नाम चूंकि जुबेर खान है, मेरे पूर्वज रहे होंगे हिन्दू लेकिन मैं आज इस्लाम को मानता हूं। + + + कभी इस देश को खून की जरूरत पड़ी तो जुबेर खान आपसे ज्यादा खून बहाएगा। + + + इतने छोटे-छोटे लांछन लगाते हुए। मुख्य मंत्रीजी आपके, कायमखानी तो राजपूतों में से निकले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : इनको आपके सामने + + + कहा जाए तो आपका भी अनादर है और हम भी राठौड़ों में से निकले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं इसको उचित नहीं मानता।

श्री जुबेर खान : तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिऐ। मैंने व्यक्तिगत किसी पर लांछन नहीं लगाया और मैं बड़ी मर्यादा में रहता हूं (व्यवधान)_मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच करायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, सुनिये आप। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये आप। इसकी मैं जांच करूंगा कि आपको क्या कहा गया है। श्री हरिसिंह जी (महुआ)।

श्री जुबेर खान : अगर कहा गया हो तो एक्सपंज कराया जाए।

एक माननीय सदस्य : ये दोनों बातें आप दिखवा लें।_(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार की तरफ से जो वक्तव्य यहां सदन में दिया गया है। इसके मुख्यतः दो पहलू हैं।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया रिपीटिशन न हो तो, अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे अपने कर्तव्यों का भान है, आप विराजें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

124

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्षजी, इसके दो पहलू हैं एक है शालिनी शर्मा, उसका पति राजेश शर्मा, इनकी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के शासन और संगठन में कितनी पहुंच है। यह कोई बात नहीं है कि कोई महिला राजनीति में आये। कोई अपराध नहीं है। सामान्यतः सबके संविधान में बराबर का हक दिया हुआ है। कांग्रेस में भी, राजनीति में महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक महिलाएं हैं। दूसरी हैं, विदुषी हैं, राजनीति में हैं जिनकी तरफ किसी ने अंगुली नहीं उठायी। जिनके चरित्र की गरिमा है। इस माननीय सदन की सदस्य भी उनमें से आयी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1987-88 में सर्वप्रथम भारतीय युवा जनता मोर्चा की अलवर इकाई की उपाध्यक्ष बनकर के इस महिला ने राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद में 1990 में टिकट मांगा और टिकट की सिफारिश भी अलवर ने अनेक नेताओं ने की। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जब टिकट कटा, उसका पारितोषिक, उसका भरण-पोषण किया गया, उसको मुआवजा दिया गया और उसको उपभोक्ता मंच की सदस्य बना दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ आसन पर बैठे हुए लोगों को, मंत्रियों को, संगठन में बैठे हुए लोगों को उसके चरित्र के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिल जानी चाहिये थी, मिल गयी थी लेकिन उसके बाद भी उसमें जो गुण थे, उन गुणों के आधार पर वे राजनीति की सीढ़ियां दर सीढ़ियां ऊपर चढ़ती गयीं। क्योंकि उसकी सिफारिश भारतीय जनता पार्टी में उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए हैं वे ही लोग कर रहे थे, जो उसका जायज और नाजायज उपभोग कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूं, एक बहुत बड़ा मसला है समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष नोमिनेट करना और उसके बाद अध्यक्ष की सिफारिश करना। यह पूरा प्रकरण समाज कल्याण मंत्रीजी को शकों के दायरे में खड़ा करता है। क्या आपने उसकी सिफारिश करते समय, समाज कल्याण में उसका नाम उपाध्यक्ष के रूप में नोमिनेट करते समय और बोर्ड की अध्यक्ष बनाने के लिए सिफारिश करते समय क्या उसके चरित्र के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की? क्या आपने राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत को बाईपास किया? अगर आप उनकी राय लिये हुए होते तो शायद आज हमको यह बोलने का मौका नहीं मिलता। हमारा विश्वास है, भैरोंसिंह जी की उसी समय कलम चल गयी होती। लेकिन अनेक तथ्यों से उनको अंधेरे में रखा गया। आप अलवर जाते रहे और यहां पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं भाई जुबेर जी से मैं शत-प्रतिशत सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप स्वयं जानते हैं कि दो वर्ग स्थापित हो गये। एक संघ परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति और दूसरे वे जो संघ परिवार से नहीं आकर के सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी में भैरोंसिंहजी के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस बात का इस प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, संघ परिवार के लोग उन व्यक्तियों को नाजायज बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यह आंच आप तक आ जाएगी क्योंकि आप भी संघ परिवार से सम्बन्धित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ तथ्य देना चाहते हैं कि नहीं?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं यह तथ्य देना चाहता हूँ—

श्री उपाध्यक्ष : दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यही तथ्य तो मैं देना चाह रहा हूँ। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे

(श्री हरिसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं 14 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज हुई। वे लेकर गयी। थानेदार ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की और 16 को फिर एस.पी. के पास पहुंच गयी । एस.पी. साहब जयपुर भागें, जहां उन्होंने कंसल्ट किया, क्योंकि उसमें जिस प्रकार की एफ.आई.आर. थी, उसमें उच्चस्थ पदों पर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आ चुकी हैं। मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं उनका—

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सारी बातें आ चुकीं, क्योंकि माननीय दीपेन्द्र सिंह जी ने कह दिया तो हमारा बोलना तो अब अर्थहीन हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं जिस ढंग से एफ.आई.आर. दर्ज होने में, 161 के बयान लेने में और उसके बाद में कार्यवाही नहीं करने में जो लैप्सेज रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सरकार के निर्देशन में चलने वाले अधिकारी, सबकी मिलीभगत है और उसी मिलीभगत का कारण है कि उन्होंने पूरा-पूरा मौका दिया कि शालिनी शर्मा उसका पति अलवर से फरार हो जाए। यह सरकार की और अधिकारियों की मिलीभगत से ही फरार हुए हैं। मेरा सरकार पर और सरकार के अधिकारियों पर आरोप है कि 25 तारीख को वहां छापा मारने से पहले उनसे कह दिया कि आप फरार हो जाओ और 28 तारीख को बयान कलम बन्द किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. आप पढ़ लें। 161 के बयान आप पढ़ लें और फिर 164 के बयान भी आप पढ़ लें। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 164 के बयान दबाव में प्रलोभन में आकर के उस बालिका से करवाये गये हैं। सच्चाई तो वह है जो उसने एफ.आई.आर. में दर्ज कर दी। सच्चाई वह है जो 161 के बयान में उसने दर्ज कर दी। उसके बाद में मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से, अपुष्ट सूत्रों से यह समाचार मिले हैं सरकार में बैठे हुए लोग और अधिकारियों की मार्फत उनको दबाकर के उसके बाप को पन्द्रह लाख रुपये की रिश्वत दी गयी है। मामले को दबाने के लिऐ और उसको हजम करने के लिये पूरा-पूरा। हम यहां पर किसी का नाम नहीं लेते। उपाध्यक्ष महोदय, आपने पाबन्दी लगा रखी है, किसी का नाम लेंगे, आप एक्सपंज करवा देंगे। लेकिन अलवर में जो एजिटेशन हुआ, उसको एक्सपंज करवा दो। पूरे अलवर ने सामूहिक एजिटेशन किया है। सभी पार्टियों ने मिलकर के किया है। उसको एक्सपंज करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो सदन की परम्पराओं का पालन होता है न।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अखबारों में जो छापा है, उसको एक्सपंज करवा दो। पूरे हिन्दुस्तान की जनता जान गयी है कि किस प्रकार के चरित्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे हिन्दुस्तान की जनता जान गयी कि किस प्रकार के चरित्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वे अबोध बालिकाओं को बहकाकर के फुसलाकर के, ब्लैकमेलिंग कर के राजनीति में उच्च पद प्राप्त करने के लिये अपने नेताओं को मनोरंजन करने के लिये, उनको खुश करने के लिए वे क्या-क्या हरकतें कर सकते हैं, इसको पूरा हिन्दुस्तान जानता है। इसको आप एक्सपंज नहीं करवा सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हरिसिंह)

रहा हूं। **मैं थोड़ा सा निवेदन** करूंगा। **"कलेक्टर हम बिस्तर हुए"** आप इसको एक्सपंज करवा देंगे? हिन्दुस्तान के बच्चों ने यह पढ़ लिया है। यह हिन्दुस्तान अखबार, जिसकी हिन्दी की सबसे ज्यादा प्रसार संख्या है, आप इसको एक्सपंज करवा देंगे? इसमें लिखा है—शालिनी की तरक्की में छिपे हैं देह व्यापार के सूत्र, "और नाम दिये हुए हैं उन लोगों के आगे। आप इसको एक्सपंज करवा देंगे?"

श्री उपाध्यक्ष : 164 के बयानों में सब एक्सपंज करवा दिये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : 164 के बयान सब एक्सपंज करवा दिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं चूंकि सरकार के राजनीति की उच्च गलियारों में बैठे हुए लोग और शीर्षस्थ स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों की मिलीभगत है। अपराधियों को पकड़वाना नहीं चाहते। रचना गुप्ता ने जिन-जिन के नाम लिये हैं, उन पर पुलिस ने अभी तक हाथ नहीं डाला। बिलकुल हाथ नहीं डाला। उनसे जाकर के पूछताछ नहीं की। कौन-कौन उद्योगपति हैं, उनसे जाकर के पूछताछ नहीं की। किन-किन लड़कियों को जाल में फसाया हुआ है, उनसे पूछताछ नहीं की। उसने स्पष्ट उल्लेख किया है इसलिये सरकार का पूरा कण्डक्ट संदेह के घेरे में है। राजस्थान सरकार से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। राजस्थान की पुलिस से न्याय की उम्मीद बिलकुल नहीं है इसलिये हम पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से करवायी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है, जिस पर केवल विपक्ष ही नहीं, मेरे ख्याल से पक्ष को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिये। सभी तथ्य करीब-करीब सामने आ चुके हैं, बोलना तो मैं बहुत चाहती थी लेकिन दुबारा से समय बरबाद होगा इसलिये मैं नहीं चाहती कि इसका रिपीटेशन हो।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ सवाल पूछ लें आप।

श्रीमती बीना काक : जी, वही मैं निवेदन कर रही थी, उससे पहले ही आपने कह दिया। मुझे 1985-86 में जब हम उधर बैठते थे तो देवीसिंहजी भाटी एक बार एक तख्ती गले में बांध कर आये थे कि "मुख्य मंत्री की लड़की के साथ बलात्कार।" हम सभी चक्कर में पड़े उस पर नाम लिखा हुआ था "इन्दिरा" के साथ बलात्कार। हमने शिवचरणी जी से पूछा, इन्दिरा तो उनकी बच्ची नहीं है, तो उनका मानना था—

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंजू, केवल मंजू लिखा था, इन्दिरा नहीं था।

श्रीमती बीना काक : चलिये। इस विवाद में नहीं पड़ते। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे नहीं बोल रही हूं।

श्रीमती बीना काक : मुख्य मंत्री की, (व्यवधान) आप फिर सीरियस मामले में आप हंसते हैं, कसम से मुझे बहुत कोफ्त होती है। क्या मैं किसी पर आरोप लगा रही हूं? बात कहना चाह रही हूं, उसमें भी आप रोक रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हंस रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : तो मैं यह कह रही थी, उन्होंने यह कहा कि "मुख्य मंत्री की बच्ची के साथ बलात्कार।" तो हमने उनसे पूछा तो उनका यह कहना था कि—

श्री देवीसिंह भाटी : पहले आप प्रोसेडिंग पढ़ लीजिये। इस हाउस की प्रोसीडिंग, आप मैम्बर थीं। यह मिसटेक मत कीजिये। जो मैंने स्पष्ट लिखा था, वह शब्द बोलें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आगे तो सुनें, मुझे। मैं कहना चाह रही हूं—

श्री देवीसिंह भाटी : आगे नहीं, आपने बीच में ही गलत बोलना शुरू कर दिया।

श्रीमती बीना काक : नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने मुख्य मंत्री—

श्रीमती बीना काक : मैंने कहा, एक मिनट आप विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको अगर बोलना है तो मैं नहीं रोकूंगा आपको।

श्रीमती बीना काक : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। मैं नहीं बैठूंगी, बिलकुल नहीं बोलने दूंगी, मुझे बोलने दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपको रोकूंगा नहीं। वह ही बोलिये जो मैंने इस हाउस में कहा था और वह ऑन रिकार्ड है।

श्रीमती बीना काक : आपने जो कहा, वह ही बोल रही हूं। आपने जो कहा उस पर ही आगे आ रही हूं आप क्यों तैश में आ रहे हैं?

श्री रामनारायण डूडी : भाटीजी यहां विराजते थे और तख्ती पर लिखा था, "मुख्य मंत्री की बेटी के साथ बलात्कार"।—(व्यवधान)—

श्रीमती बीना काक : पहले बात तो सुन लें।

श्री देवीसिंह भाटी : उस समय क्या किया, मैंने मसला उठाया उस हरिजन महिला का और उस + + + आप प्रस्ताव लेकर आये कि इसकी सदस्यता खतम कर दी जाय। + + + ...(व्यवधान)— वही ही आप हो। यह पूनम चन्दजी विश्नोई ग्रेट हैं जिन्होंने यहां उनको सब को कहा था कि यहां + + + यह अन्याय करना मेरे को नहीं जंचता मैं स्पष्ट निर्णय दूंगा उसमें। एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, एक बार नहीं आर्मी के लोगों ने दोबारा वारदात की है, वो क्या, किस तरह से मसला उठाये, और क्या गलत कर दिया। और उसकी आप ताईद करते हो।

श्रीमती बीना काक : पहले मेरी बात तो सुन लें।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय डूडीजी बोल रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : मैडम तो आपको गलत नहीं बोल रहीं, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?—(व्यवधान)—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनें। माननीय सदस्य, विराजें।—(व्यवधान)—

श्री रामनारायण डूडी : आपने उठाया था वैसा का वैसा मामला है, यह कह रही हैं।—(व्यवधान)—

श्रीमती बीना काक : मैं कह रही हूं मेरी अरज तो सुनों, हुकम, क्यों आप तैश खा रहे हैं?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : वह क्या कह रही हैं, उनको सुनिये तो सही आप।

श्रीमती बीना काक : मतलब मुझे बोलने का मौका भी नहीं देंगे? कहें तो मैं चली जाऊं बाहर?

श्री उपाध्यक्ष : सुनाइये, आप बोलिये।

श्रीमती बीना काक : आप अरज सुनो, हुकम, बावजी, दरबार, मैं आप ऊं अरज कर रही हूं कि आपका यह कहना था कि राज्य की हर बच्ची मुख्य मंत्रीजी की बच्ची है—

श्री देवीसिंह भाटी : हां यह बात है, बात यह है न।

श्रीमती बीना काक : तो मैं इस बात पर आ रही थी कि, मुख्य मंत्री महोदय, राज्य की हर बच्ची आपकी बच्ची है। आप तो यों ही तैश खा रहे हैं। मतलब कोई बात है? मैं तो आपरी बात ऊं शुरू करायो है। मैंने तो आज आपरी वा बात याद आयगी। यूं नही करनो, हो। म्हौरे साथे मत करीजो बावजी, बाकी घणा घणा बैठा है अठै। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछ लेती हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 13 आदमी सस्पैन्ड किये थे, उनकी बात भी कहेंगी क्या? वह तो नहीं कहना है?—(व्यवधान)— मेरी उनकी बात है, बीच में मत बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, विराजें। किधर बोल रही हैं आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई बीच में बोला तो ठीक नहीं होगा।

श्रीमती बीना काक : माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत सीनियर हैं, 50 वर्ष पुराने राजनेता हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूरी उम्मीद रखती हूं और मुझे आशा है कि वे इस मामले में संवेदनशील होकर के न्याय दिलवाएंगे।

एक बार अगर हम उस औरत की जगह अपने आपको रख कर सोचें, जो बारबार सतायी जाती है तथा जोर-जबरदस्ती और अन्याय की शिकार होती है, और पूछें कि हम बिना उसकी पीड़ा बढ़ाये ईमानदारी और शीघ्रता से उसे न्याय क्यों नहीं दिला सकते। क्यों हमारी सरकार, शासनतंत्र और हम सब औरतों को न्याय दिलाने के मामले में इतने उदासीन और लापरवाह हो जाते हैं? क्यों हम पीड़ित औरत के मन में यह आत्मविश्वास नहीं जगा पाते कि वह निडर होकर न्याय पाने की गुहार कर सके और अपना पक्ष रखने में हिचके नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में यही हुआ है। पुलिस कस्टडी के अन्दर इनके बयान हुए, इनके ऊपर प्रेशर आया, सब-कुछ हुआ। तो यह आत्मविश्वास जगाने के लिये बहुत जरूरी है कि दोषी कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, उसको कितने भी बड़े और ताकतवर लोगों का संरक्षण क्यों न हो वह कानून के लम्बे हाथों से बचे नहीं। अफसोस है कि अलवर काण्ड और औरतों के अत्याचार के अन्य मामलों में कानून के हाथ बहुत छोटे हैं और दोषियों की ताकत बहुत बड़ी साबित हो रही है।

अलवर काण्ड के योन शोषण और उसकी गरिमा के हनन के कारण तो निन्दनीय हैं ही, इसकी जघन्यता और भी बढ़ जाती है कि इस अपराध में सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की संलिप्तता भी है तथा समाज सेवा के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग भी शामिल है। उपाध्यक्ष महोदय, इस काण्ड से समाज सेवी संस्थाओं के नाम भी बहुत बदनाम हुआ

(श्रीमती बीना काक)

है। मेरे चंद कुछ सवालात हैं जो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी के समक्ष रखना चाहती हूं।

एक सवाल तो यह है जो सबने पूछा है कि एफ.आई.आर. में देर क्यों हुई? 17 जून को एफ.आई.आर. दर्ज हुई और 19 जून तक शालिनी शर्मा और राजेश शर्मा अलवर में ही थे। देरी क्यों हुई? पीड़ित युवति और उसके परिवार पर कई तरह के दबाव डाले गये और उनको धमकियां दीं, ऐसी चर्चा है, जो आज भी सुनी गयीं। यहां तक कि 19.6.96 को पीड़ित युवती द्वारा धारा 164 के तहत दिये गये बयान से पहले अलवर जिला प्रमुख ने उन्हें सुना है, जैसी चर्चा है, दो-तीन घंटे तक अलग रखा और उन पर दबाव डाला गया। अभियुक्त शालिनी शर्मा और राजेश शर्मा की इस प्रकार सरकार में ऊंची पहुंच का संरक्षण का सबूत तो शालिनी शर्मा का समाज कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर मनोनयन ही है।

मेरा दूसरा सवाल है कि इस मनोनयन की अनुशंसा किसने की? हम यह जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे इस काण्ड की तह में जाने में हमें सहूलियत होगी।

मैं सरकार से उस आर्डर की प्रति चाहूंगी जिस पर समाज कल्याण मंत्री ने उर्वशी का नाम, जिसका नाम प्रपोज था, उसको अपने हाथ से मिटा कर के शालिनी शर्मा का नाम दर्ज किया। वह आपकी फाइल के अन्दर है और यह 9 फरवरी, 1994 का आर्डर है। उसकी मैं प्रति चाहूंगी। आप डिनाई कर दें कि नहीं है। अपने हाथ से उर्वशी का नाम काटा गया है और शालिनी का नाम माननीय मंत्रीजी ने दर्ज किया है। तो यह किस बिना पर किया?

इन्हीं के मंत्रित्व काल में वह उपाध्यक्ष मनोनीत हुई। 28-4-1995 को चेयरमैन की उपस्थिति में उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया। जहां अभियुक्तों को शक्तिशाली संरक्षण प्राप्त है वहां स्थानीय पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शालिनी शर्मा की नवोदय संस्था को 3 लाख 85 हजार रुपये के अनुमोदन का अनुमोदन किसने किया? यह बताया जाय। उसके अकाउंटस का ब्यौरा भी कृपया हमें बताने का कष्ट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सब सवाल पूछने दें, सवाल कितने हैं, आपने मुझे लिमिट तो नहीं बतायी कि इतने ही सवाल पूछ सकती हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी सवाल पूछ लिये।

श्रीमती बीना काक : कुछ युवतियों के, कुछ बच्चियों के नाम और दिये गये थे जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से उनके प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उन बच्चियों के ऊपर भी दबाव आ सकता है, कृपया उनको प्रोटेक्शन दिलवायें। वह चार-पांच नाम आपकी एफ.आई.आर. के अन्दर दर्ज हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। कहीं उन्हें भी इस तरह दबा कर, प्रेशर दिलवा कर आगे अगर वह कुछ कह सकती है, उनको रोका जाय।

एक सवाल यह है कि क्या यह सही है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अलवर यात्रा के समय अलवर का वह उद्योगपति, जिनका नाम इस काण्ड से जुड़ा हुआ है, मंच पर उपस्थित था एवं माननीय अटलजी की उस यात्रा का उस उद्योगपति ने स्पोंसर किया?

(130)

श्री उपाध्यक्ष : यह पुनरावृत्ति है।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यह मांग है और माननीय मंत्रीजी से मांग है जिनके ऊपर हर बार इस सदन में तरह-तरह के आरोप लगते आये हैं, मैं तो आपके द्वारा उनसे अर्ज करूंगी कि जरा सी भी आंख में शर्म हो, जरासी भी लिहाज हो तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस इम्बेरेसमेंट से बचायें और अभी की अभी सदन में इस्तीफा दें वरना + + + जिनके शासन के अन्दर यह सब हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनम चन्द जी विश्नोई।

श्रीमती बीना काक : सी.बी.आई. से जांच करवायें और इस्तीफा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया विराजें।

श्रीमती बीना काक : इम्बेरेसमेंट उन्हें झेलना पड़ता है आप जैसे मंत्रियों की वजह से।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि इस मामले में जांच आप सी.बी.आई. से करवायें। किसलिये करवायें? इसलिये कि a person in presumed to be innocent till he is proved quality. एक दूसरा वर्शन भी आया है, शालिनी का भी, कि उनको इन तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सदन में आज जो वातावरण बना हुआ है वह ऐसा बना हुआ है कि शालिनी जैसे बहुत बड़ी गुनहगार है। सारा वातावरण ऐसा बना हुआ है। क्या इस तरह के वातावरण के अन्दर यहां की जो इंवेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वह न्याय कर सकेंगी? क्या आप मानते हैं? जब उस पर मेहरबानियां थीं तो आंख मीच कर ही मेहरबानियां हो गयीं। यह पद भी मिल गया वो पद भी मिल गया और जब हुआ तो सभी उससे पल्लू झाड़ने लग गये। —(व्यवधान)— सही कह रहा हूं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि न्याय का यह तकाजा है because Shalini may be correct and her version may also be correct, यह न्याय करने के लिये, आपको याद हो हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हों तो, वारेन हेस्टिंग्स का जब ट्रायल हुआ तब बर्क ने, जैसे आज बहस की जितनी दीपेन्द्र सिंह जी ने और धारीवालजी ने तो कोई कितने ही दिन तक ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स चला। उसके वकील ने उठकर आखिरी में यही कहा कि बर्क की बहस से हाउस आफ कामंन्स इतना अधिक प्रभावित है कि मेरा और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसका फैसला तत्काल नहीं किया जाये। 15 दिन के बाद में इसका हाउस आफ कामन्स फैसला करेगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिये। सच्चाई क्या है, क्योंकि बड़े-बड़े नाम जुड़ गये हैं, इसमें कई बातें है तो यहां उसके साथ न्याय आप नहीं कर सकेंगे। कई आपको अड़चनें आएगी।

दूसरा, आपको यह कहना है कि आपकी और हमारी पार्टी दोनों को यह सौभाग्य मिला है कि दोनों ही अखिल भारतीय स्तर की पार्टियां हैं। हम नहीं हों, तो आप मजबूत होने चाहिये उसमें देश की मजबूती है। लेकिन आपमें इतनी कमजोरी कि साल, दो साल तक, पचास साल में शासन मिला है जिसमें आपस में शालिनी कुछ कहती है, वहां के भूतपूर्व

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

विधायक, जिनका टिकट कट गया वह कुछ कहते हैं और इस तरह के कांड सामने आने लग गये। एक छोटी सी बात से आपकी पार्टी में और कई तरह के आपके मतभेद चलते हैं तो यह हमारे लिये, सबके लिये बड़ी चिन्ता की बात है। लेकिन हमारे लिये भी चिन्ता का विषय है कि हमारी पार्टी कमजोर हो गयी और आपकी पार्टी है इसने शुरूआती दौड़ नहीं की कि पहले की थककर बैठने लग गयी और लाइनें छोड़-छोड़कर के रवाना होने लग गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्मानीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया है लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो आज यहां पर बहस का समय दिया है यह मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, आपने नहीं दिया। मैंने पहले दिन ही इसके बारे में बोली थी। मैं मुख्य मंत्रीजी की इस बात के लिये आभारी हूं कि मैंने जैसे ही यह मामला पहली बार उठाया तो उन्होंने कहा और मामले पर नहीं, पर इस मामले पर जरूर बहस कराएंगे। इसलिये उनको मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस मामले पर बहस करने का समय दिया है। आपने बोलने का समय बहुत मुश्किल से दिया है। उसका सदुपयोग मैं करूंगी।

जैसे कि अभी हमारे सब सदस्यों ने यहां बताया है कि जो शालिनी शर्मा का मामला है यह एक बहुत गहन और गंभीर आरोप है। अभी हमारे कुछ सदस्य कह रहे थे कि जो सुशील कांड हुआ वह बहुत गंभीर, बहुत खराब और बहुत बुरा था। हम सबको भी खेद है और हमें दुःख है और उसके सब दोषियों को सजा मिलनी चाहिये, सही बात है। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपराधीकरण को बढ़ा रही है और सारा अपराधीकरण इन्हीं के द्वारा हो रहा है। मैं आज इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में आज कौन अपराधीकरण को बढ़ा रहा है? जिसके कारण यह शालिनी शर्मा जैसे केस हो रहे हैं। इन्हीं के नेताओं द्वारा, इन्हीं के नेताओं की मदद से, इन्हीं के मंत्रियों की मदद से यह सारा किस्सा हुआ है जिसकी आज यहां चर्चा हो रही है।

जैसे कि सब तथ्य अभी बताये गये हैं, मैं उनको दुबारा क्या बताऊं। लेकिन यह बात सही है कि 22 मई को पता लग गया। उसके बाद जब मंत्री महोदय अलवर गये तब भी उनसे शिकायत की गयी। मुख्य मंत्रीजी को भी शिकायत की गयी। 15 तारीख को वह कोतवाली में गयी। उसने भी उनको वहां से भगा दिया और 17 तारीख को इस केस को रजिस्टर्ड किया गया। इन सब बातों से यह जाहिर होता है और 19 तारीख तक वह वहां रही और उसके बावजूद भी शालिनी शर्मा और उनके पति राजेश शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रात तक सारे जितने उनके ऐसे तथ्य थे, जिनसे कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती थी वह सबूत वहां से हटा लिये गये। तब वह वहां से गायब हुई हैं। तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बाद जैसा अभी बताया 25 तारीख को उनके यहां रेड की गयी। रचना गुप्ता के 10 दिन तक बयान नहीं लिये गये। बयान लिये गये उससे एक दिन पहले किसी भाई के मकान में, मैं अलवर जांच करके आयी हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस के जो नये-नये नेता अपने साथ लिये है, उनके साथ वहां के उद्योगपति, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लोगों ने मिलकर क्या मालूम क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला, पैसे

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

का प्रेशर डाला या डराया-धमकाया गया। **उसके बाद उसको तैयार करके 164** में बयान करवाये गये हैं ताकि वह बयान, यहां तक कहा जा रहा है कि वह बयान

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी,)

करवाने के लिये उसको आदमियों के वकील का कोट पहनाकर ले गये। इस तरह की बातें भी मैंने सुनी हैं। यह मैं आपको बताना चाहती हूं जहां इतना भारी प्रेशर है, जहां इतने बड़े-बड़े नेता लोग उसमें शामिल हैं तो मुख्य मंत्रीजी आप इस बात को मानेंगे और गृह मंत्रीजी भी मानेंगे कि यहां की सरकार पूरी तरह से सच्चाई से जांच नहीं कर सकती। इसलिये मेरा एक निवेदन तो यह है कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करायी जाये।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो दूसरी लड़कियों के नाम आये हैं, जिनके नाम भी मैं यहां पर आपको अभी देना चाहती हूं। उनके बयान क्यों नहीं लिये जा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उनके नाम हैं—रूपा, सुनीता, ममता, संगीता, निलिमा इन सबके राजेश शर्मा के साथ नाम आ रहे हैं। इनके बयान क्यों नहीं लिये जा रहे हैं? इनकी जांच क्यों नहीं की गयी? क्या इनको भी उसी तरह से पैसे या धमकाकर तैयार करने के बाद इनके बयान लिये जाएगें? इनके बयान जितने जल्दी हों, लिये जायें **ताकि यह भी सारे तथ्य दबाये नहीं जा सकें। इतना गम्भीर मामला है...(व्यवधान)**

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें माननीय सदस्या। कृपया विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ऐसा है, आपने मुझे समय बहुत देर से दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सारे तथ्य आ चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन मैंने जो नाम दिये हैं यह नहीं आये हैं। मैंने अभी जो नाम बताये हैं यह अभी नहीं आये हैं। इसलिये मैंने अभी यह नाम दिये हैं।

(16.45)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी बात है वह यह है कि जब उपाध्यक्ष की जगह काम करने के लिये बताया गया उस वक्त क्या मालूम नहीं था कि इनके यहां यह धंधा होता है और इतने लोग जाते हैं। जिस मंत्री ने इनको उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद देने के लिये कहा उनकी तो प्रथम जिम्मेदारी है कि वह एकदम से इस्तीफा दें और मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि इस दाग को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर से उठाने के लिये एकदम इस्तीफा लें।

दूसरा, मुझे यह कहना है कि जिनके नाम इसमें आये हैं कि मकराना में जो इनके साथी हैं, जिनके लिये कहा गया है कि इनके पास रहे, माइंस के, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक? उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा या उनको छिपाने या दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरा आपसे यह निवेदन है कि जैसा अभी हमारे बड़े नेता **विश्नोई जी कह रहे थे कि महिला ने क्या किया? यह तो यहां सब लोग बोल गये लेकिन महिला ने किस मजबूरी में किया, किन नेताओं के डर से किया कि उसने** अपने लाभ के लिये किया? यह बिलकुल ठीक है लेकिन उसको लाभ पहुंचाने के लिये जिन नेताओं ने किया उन नेताओं के लिये तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उस महिला के लिये तो यहां बहुत

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

बोले हैं। मेरा यह कहना है कि जिन नेताओं की मजबूरी से यह सब किया है उनके नाम भी और उनकी जांच भी पूरी होनी चाहिये ताकि यह पता लगे कि किन पुरूषों ने उस औरत को मजबूर किया इस तरह के काम करने के लिये। उनको भी सजा मिलनी चाहिये। (धन्यवाद)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी। मैं मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस मामले में कोई भी कंसीडरेशन को सामने न रखते हुए इसको सी.बी.आई. को देने में और सम्बन्धित मंत्री महोदय का इस्तीफा लेने में हिचक नहीं होनी चाहिये इससे आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। उसमें किसी प्रकार की इम्बेरेसमेंट आपको होने वाली नहीं है। इसलिये इस मांग को, इस प्रस्ताव को आप अवश्य स्वीकार करें।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

शासकीय वक्तव्य

अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति की पदाधिकारी के देह शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, जो अलवर जिले का यौन शोषण प्रकरण चल रहा है, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करते हुए उस चर्चा में हिस्सा लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब रचना गुप्ता ने प्रथम पत्र एस.पी. को लिखा, डी.आई.जी. को लिखा और आई.जी. को लिखा तो वह क्या एफ.आई.आर. नहीं थी, क्या वह एफ.आई.आर. नहीं बन सकती थी? जिस तरह से हवाला प्रकरण में डायरी एक पूर्ण रूप से उसका आधार प्राप्त कर गयी, तो क्या यह एफ. आई. आर. नहीं थी? उसकी राज्य सरकार ने क्या जांच की और उस पत्र पर क्या कार्यवाही की?

अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकी दर्ज की गयी उस समय शालिनी शर्मा अलवर में थी और उसके भी दो दिन बाद तक अलवर में थी, तो उसको वहां से भागने का अवसर पुलिस ने क्यों दिया, पुलिस ने इसमें लापरवाही क्यों बरती? अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से बिहार के अन्दर चारा घोटाला हुआ और उस चारे घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने की मांग इसलिऐ की गयी वहां के अधिकारी उसमें लिप्त हैं और राज्य सरकार के मंत्री भी लिप्त हो सकते हैं। इसलिऐ यहां पर भी इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है, अतः इसकी जांच भी सी.बी.आई. से करायी जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करायी जाय। क्योंकि आज मैं इस सदन में एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के ऊपर उनके चरित्र के मामले में कितने भी आरोप-प्रत्यारोप लगे हों लेकिन मैं आज कड़े शब्दों में उन लोगों की भर्त्सना करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप जो भी इस तरह के लगाये उनको न तो

(134)

(श्री मदन मोहन)

जनता ने माना है और न अदालत ने आज तक माना है इसलिऐ मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी न्याय के बारे में पीछे नहीं हटेंगे, न्याय को दफन नहीं होने देंगे। और इन गरीब महिलाओं के साथ, जो 36 महिलाएं हैं, उनके शोषण का प्रकरण है उसको दबाने का प्रकरण नहीं हो और तत्कालीन जिलाधीश, अलवर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाए, यह भी मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और मांग करता हूं कि जिस तरह से गणगौर होटल में जो कि आर.टी.डी.सी. का है, 26 मई को दो काल गर्ल्स पकड़ी गयी, दीपक अरोड़ा नामक व्यक्ति ने वहां पर लाकर उनको ठहराया और जिस अवस्था में पुलिस ने उनको पकड़ा श्री भंवरलाल शेखावत डी.वाई.एस.पी. थे और राजेन्द्र सिंह शेखावत वहां पर एस.एच.ओ. थे...(व्यवधान) साहब हो सकता है, मुझे नाम कंफर्म न हो...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का यह प्रकरण है, इस प्रकरण की मैं इस प्रकरण के साथ सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री मदन मोहन : उसमें 21 उद्योगपतियों के नाम हैं उस डायरी को उन्होंने जब्त किया लेकिन जब्त की स्थिति में आपको बताता हूं कि डायरी में से एक पन्ना फाड़ कर जब्त कर लिया और डायरी थमा दी गयी। इसलिऐ मैं मांग करता हूं कि अलवर में बिन्नी गुप्ता नामक जो सेठ हैं जिन्होंने अटलजी की सभा का आयोजन किया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस जैसा चरित्रहीन आदमी देश में पैदा नहीं हुआ होगा...(व्यवधान) उसे तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिऐ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री मदन मोहन : सहारण पम्प के मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिये, के.के. बंसल को तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय अलवर का एक और सेठ भी है वह कट्टा नाम का व्यक्ति है, उस कट्टा को भी गिरफ्तार किया जाय। इस यौन शोषण प्रकरण के ऊपर जो पर्दा डालने की कोशिश की गयी है उसका पर्दाफाश हो और आने वाले समय में जो भी ऐसा कुकृत्य करे, आज की इस स्थिति को देखते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब मिल सके, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एडजोर्नमेंट मोशन हमने दिया है उसका क्या हुआ? वहां भी उसके अन्दर नाम है और जिनका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है, उनको अगर आप बोलने की परमीशन देते है तो यह नयी परम्परा शुरू होगी। एडजोर्नमेंट मोशन दिया हुआ है।

श्री रामस्वरूप : यह आप कौनसे नियम के तहत कर रहे हैं आपने हमारा नाम नहीं बोला है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जिनके एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है उनको भी बोलने की नयी परम्परा आरम्भ कर रहे हैं आप। अतः हमें स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है, मैं कब मना कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) उसके बाद आप उनको बुलवाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है। जो प्रसंग पहले हो गया, उसको तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन मैं बहुत ही गम्भीरता और संजीदगी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के काम हमारे सामाजिक जीवन पर एक कलंक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो भाई श्री दीपेन्द्र सिंह जी ने कही है, कि ऐसे काण्ड बहुत से दब जाते हैं। लड़कियों के साथ शादी से पहले इस प्रकार के काण्ड होना, मां-बाप और लड़कियां भी जान-बूझकर ऐसे काण्डों को दबाकर, ऐसे दस काण्ड होते हैं उनमें से एक या दो काण्ड ही ऐसे होते हैं जो समाज के सामने आते हैं, बाकी इस प्रकार के काण्ड दब जाते हैं। उसमें हमारे समाज के लिऐ कम से कम सोसाइटी के लिऐ इस प्रकार के काण्ड बहुत ही कलंकित होते हैं और जो इस प्रकार से जो अलवर का काण्ड हुआ है वैसे काण्ड और भी एक दो हैं उनमें अपराधियों को जितना कठोर से कठोर दण्ड दिया जा सके वह दिये जाने की व्यवस्था हर हालत में करनी चाहिऐ और जबकि इसमें कई बड़े से बड़े आदमियों का नाम इन्वाल्व हो, तो उनको भी किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिये, निश्चित रूप से इस सदन के फ्लोर पर मैं कहना चाहता हूं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिये अपनी एक गरिमा होती है। हम जब सदन में चर्चा करें उस समय उस पूरी गरिमा के साथ उनकी चर्चा करें, हम मजाक में भी अगर पासिंग वे में कोई रेफरेंस पास कर दें उसका जो समाचार और मैसेज नीचे तक जाता है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस काण्ड में श्रीमती शालिनी शर्मा और उनके पति, अब सारे मामलों और सारे तथ्यों का गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया इस सदन के सामने। 164 का बयान हो चुका है और 161 का बयान हो चुका है जैसा कि दीपेन्द्र सिंह जी ने कहा एडीशनल एस.पी. के सामने उसका बयान हो चुका है, एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलना चाहता हूं, नैना साहनी का काण्ड हुआ, बहुत घृणित काण्ड था। कांग्रेस पार्टी का वह उच्च पदाधिकारी था, होगा लेकिन क्या इससे कांग्रेस पार्टी के सारी अध्यक्ष, प्रधान मंत्री या उसके नेता सारी दोषी हो गये। सुशील शर्मा बहुत लोगों से मिलता था, वे दोषी नहीं है। यह तो प्रसंग अप्रिय आ गया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। माननीय धारीवालजी ने कहा कि वह_(व्यवधान) मुझे मेरी बात कहने दीजिये, भाभड़ाजी से मिल गयी, ललितजी से मिल गयी, मैं कह रहा हूं_(व्यवधान) आप बात सुनें मेरी। आप दीपेन्द्रजी बोलने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सबको दोषी कौन ठहराता है। लड़कियां आपसे भी कई मिलती हैं, हमारे पास भी कई आती हैं, इससे क्या हुआ? मिलने से जुर्म नहीं हुआ है, मिलता कौन नहीं है, मिलते ही हैं_(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप ही लड़ रहे हो आपस में हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात तो स्वीकार करता हूं कि छः साल से भारतीय जनता पार्टी और जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष थी तारा भण्डारी जी महिला मोर्चे की अध्यक्ष आयीं उन्होंने उनको बदल दिया। मैं यह बात भी सदन में कहने के लिऐ तैयार हूं कि धौलपुर के चुनाव में कभी भी पार्टी ने किसी भी चुनाव में उनको उप पर्यवेक्षक नहीं बनाया। मैं यहां यह भी कहने के लिऐ तैयार हूं कि पार्टी के ओर से के मैं मेरे जीवन काल में कभी भी धौलपुर का पर्यवेक्षक नहीं बना और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि मैं पिछले छह वर्ष में धौलपुर गया ही नहीं। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें श्रीमान शांति जी धारीवाल अलवर में ज्यादा रहे, कोटा में कम रहे, + + + प्रचार में रहे मैं यह लांछन लगाने के लिये नहीं कह रहा हूं और मैं यह साफ कह रहा हूं कि इस चुनाव में शालिनी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं किया, + + + लेकिन इससे + + + पर या किसी अन्य पर लांछन नहीं लग सकते—(व्यवधान) चुनाव में कौन किसका प्रचार करता है, हमारी मेम्बर थी या नहीं थी इससे प्रचार में लगाने की बात नहीं जाती—(व्यवधान) नहीं-नहीं, मैं इस बात का आरोप नहीं लगाता कि प्रचार कर दिया जो मैं कह रहा हूं।—(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नहीं-नहीं, आपको यह जानकारी है क्या पुख्ता?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : बूथ नम्बर बताइये आप, जहां आपने देखा है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी : शांति धारीवालजी ने आपका नाम ले लिया तो क्या आपके लिये जरूरी है कि आप + + + नाम लें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं-नहीं—(व्यवधान) मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका।

श्री विष्णु मोदी : आप कम से कम लिहाज तो रखो—(व्यवधान) आप क्या बात कहना चाहते हैं? अगर आपको रड़क निकालनी है तो शांति धारीवाल जी से निकालो, + + + नाम क्यों घसीट रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : आप इसको एक्सपंज कराइये, अध्यक्ष महोदय, आप पहले—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रचार की बात कही है, आप विराजें। क्या एक्सपंज करवायें। ये केवल यह कह रहे हैं कि उसने उनका प्रचार किया था—(व्यवधान) यह कोई आरोप नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : यह आरोप कैसे नहीं है—(व्यवधान) आप एक्सपंज कराइये इसको।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आरोप नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि नाम ही क्यों लिया? नाम लेने की क्या जरूरत है?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने आरोप नहीं लगाया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यानि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे का नाम ले लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी का प्रचार करना—(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : गंदगी आपकी सडांध आपकी, हमारी पार्टी के नाम पर क्यों पोत रहे हो?

(17.00)

आपकी पार्टी तो यह काम करती है और हमारी पार्टी को क्यों बदनाम करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये शैलेन्द्र जी।

+ + + शब्द/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम बदनाम किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष जी, पाइंट आफ आर्डर__(व्यवधान)__

श्री राधेश्याम गंगानगर : उस वक्त कैसी आग लगी थी__(व्यवधान)__ तिवाड़ी जी को कैसा महसूस हुआ था उस वक्त।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह तो लोक सभा चुनाव के एक प्रसंग का जिक्र किया है। किसी पर आरोप थोड़ी लगाया है।__(व्यवधान)__

श्री जुबेर ख़ान : इस सदन के नेता महोदय के विवेक पर छोड़ता हूं कि इन्होंने जितनी भी मीटिंग लीं अलवर में भारतीय जनता पार्टी की वहां शालिनी शर्मा मौजूद थी__(व्यवधान)__

एक माननीय सदस्य : हां, मौजूद थी और हम खुद अलवर में मौजूद थे।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्री जुबेर ख़ान : जनता पार्टी के जितने भी जलसे हुए चुनाव प्रचार में, सबमें मौजूद थी और बी.जे.पी. के स्थानीय प्रत्याशी जसवन्त यादव ने हाथ रखकर मुख्य मंत्रीजी को कहा यह बड़ा अच्छा काम कर रहे है मेरे यहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को लांछित करने का कोई अधिकार नहीं है__(व्यवधान)__ हमारी पार्टी को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते हाउस के अन्दर__(व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : क्या बात कह रहे हैं आप?

श्री विष्णु मोदी : इन्होंने आरोप लगाये हैं और इनको सुनने का माद्दा भी नहीं है और लिहाज और + + + भी नहीं है। जब आसन से यह व्यवस्था हो सकती है कि + + + तो वह तो आपने एक्सपंज करा दिया और अब आप यह एक्सपंज नहीं कर सकते?__(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह एक्सपंज करवाइये, व्यवस्था दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : तो वह तो आसन एक्सपंज करा सकता है और इस बात को एक्सपंज नहीं करा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी : मैं विराज जाऊंगा पहले आप__(व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : प्रचार किया तो क्या हो गया उसमें?__(व्यवधान)__

श्री विष्णु मोदी : + + + तो उसमें क्या हो गया? जो अब प्रचार में नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह थोड़े ही कहा है कि + + + ...(व्यवधान)__ दूसरी बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी तो आपकी ही है, आपके ही काले कारनामे हैं। इस कलंक को हमारे माथे मत मढ़ो।__

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये आप। कोई बात ही नहीं है इसमें__(व्यवधान)__मोदी साहब विराजें आप।

श्रीमती कमला : आपने दो बार किया है। एक बार जब घनश्याम जी के लिये यह कहा

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

तो उसको एक्सपंज करा दिया और जब मैंने यह कहा कि इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात कही है उसको निकाले (व्यवधान) आपने इतना सीरियस उसको माना कि उसको तो निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक्सपंज करवाइये आप। आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी। यह अपनी बात कह रहे हैं कि उनका प्रचार किया है। इसमें क्या एक्सपंज करवाना रह गया? किसी की बेइज्जती की है क्या उन्होंने ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी पार्टी का नाम क्यों लिया? कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों लिया? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह + + + कह रहे हैं कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : + + + के चरित्र पर कोई बात नहीं है विराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी पार्टी का गलत नाम क्यों लिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई किसी को भी कह सकता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) हमारी पार्टी का नाम बदनाम किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हर तरह के आदमी चुनाव के अन्दर प्रचार करते हैं इसमें क्या है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका कलंक आपको मुबारक।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी विराज जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनका कलंक इनको मुबारक।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, नियम सबके लिये एक होते हैं। मैं रूल्स के अनुसार बात करूंगा। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि पहले यहां उपाध्यक्ष महोदय विराजमान थे, अब आप यहां पधारे हैं। किसी चीज को एक्सपंज करने के लिये यार्डस्टिक एक होना चाहिये, मापदण्ड एक होना चाहिये। आप अलग अलग व्यक्ति के लिये या अलग-अलग दल के लिये अलग-अलग प्रकार का मापदण्ड नहीं अपना सकते। पिछले तीन घंटों के अन्दर यहां पर मुख्य रूप से तीन चीजें एक्सपंज कराने के लिये। यहां चेयर से निर्देश हुए हैं।

एक बार तो माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी के लिये यहां से धारीवाल साहब ने जब कहा कि + + + उस वक्त उस चीज को लेकर माननीय तिवाड़ी जी काफी रोष में आये। हो सकता है उसका कुछ कारण हो और आपने स्पष्टीकरण दे दिया। मैं सन्तुष्ट हूं कि आप वहां पर नहीं गये थे। उस वक्त दस मिनट तक माननीय सदस्य उद्वेलित हुए थे और उसके कारण से बाद में उपाध्यक्ष महोदय ने उसको एक्सपंज करा दिया।

दूसरा, यहां पर जब आर.एस.एस. का नाम लिया गया तो आर.एस.एस. के नाम पर भी काफी माननीय सदस्य उद्वेलित हुए और उसके

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

बाद उसको भी एक्सपंज करवा दिया और ऐसी क्या चीज है__

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + +

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। + + + छोड़ दें। आप विराजें शांति धारीवाल जी। अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। आप बैठ जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + प्रचार नहीं किया गया है, खतम हो गयी बात।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : भाभड़ा साहब ने भी यहां पर एक बात कही। उस चीज को भी आपने यहां से एक्सपंज करवा दिया। सॉरी, उसको तो एक्सपंज करवाया नहीं जो इन्होंने इनके लिये कही कि वह + + +

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं एक्सपंज करवाना भी नहीं चाहता उसे। प्रोसीडिंग्स में आएगा तब मैं बताऊंगा उनके कारनामे।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराज जाओ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अब माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी + + + पर, जिनका कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई बात कहनी थी तो क्योंकि + + + चुनाव के अन्दर इन्होंने काम किया। + + +

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हो आप?

श्री टीकम चन्द कान्त : यह आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मण सिंह जी आप सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं सुबह से ही। यह आसन पर आक्षेप है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आसन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त : आप आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : आप मापदण्ड एक रखिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मेरा पूरा पाइंट आफ आर्डर सुनिये।

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने सुन लिया आपका पाइंट आफ आर्डर। मेरी भी बात सुनिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, परम्परा भी यही कहती है कि अध्यक्ष कभी कोई सदस्य अगर अपनी बात कम्पलीट नहीं कर रहा है तो परम्परा यह नहीं कहती है कि आप इंटरफियर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप अकेले तो बोलने वाले हैं नहीं। सात जने और खड़े हो रहे हैं बार-बार।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं बार-बार खड़ा नहीं हो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, खत्म करिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसमें तीनों चारों जो अभी यहां एक्सपंज किये गये हैं इनको आप अपने चैम्बर में मंगवाइये। उनका आप अध्ययन कीजिये और उसके बाद एक मापदण्ड बनाइये।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक बात है।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जो एक्सपंज करने का है उनको तीनों चारों को आप अपने चैम्बर में मंगवा कर फिर निर्णय कीजियेगा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है। पूरी बात तो सुन लें आप। पूरी बात ही नहीं आयी। कोई बात ऐसी होगी तो जरूर एक्सपंज करेंगे। आप विधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो आपके अननोन हों और आपका प्रचार करने लग जाएं उसमें आपका क्या दोष है। इसमें क्या एक्सपंच करना है ?

श्री विष्णु मोदी : उस वक्त आप यहां आसन पर नहीं थे। किस तरह से इन्फ्रेंस ड्रा हुआ_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा इश्यू है।

श्री विष्णु मोदी : दूसरा इश्यू नहीं है। इश्यू वही है। इश्यू जो चल रहा है वही है_(व्यवधान)_ इश्यू यह है कि इसमें घनश्याम जी के लिये जब इन्होंने कहा तो उन्होंने अपना इन्फ्रेंस गलत निकालकर ही यह नाम दिया है। इश्यू वही है दूसरा इश्यू नहीं है_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा। कोई भी असंसदीय बात होगी तो अवश्य करना उचित होगा_(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, वह + + + कार्यालय में कभी नहीं आयी, बीजेपी. के कार्यालय में जाती थी, सीएम. साहब को रिसीव करती थी और नेताओं को रिसीव करती थी।

श्री अध्यक्ष : कार्यालय की बात नहीं कही है और यह नहीं कहा है कि + + + से मिली है। नहीं कही यह बात। काहे को इतना लम्बा चौड़ा कर रहे हो इसको आप।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शालिनी जी किससे मिली और किस का प्रचार किया, आज जिस सन्दर्भ में यहां पर जो इस प्रकरण की चर्चा हो रही है सी.आर नम्बर 328/96, जो कोतवाली थाने में रजिस्टर हुआ है। यहां पर कुछ बात आयी कि वह सदस्या थी बी.जे.पी. की, आज है या नहीं है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सदस्या बनने से भी कोई तमाम पार्टी पर एस्पर्सन नहीं जाता किसी के चुनाव में जैसा कि अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य. विश्नोई जी कह रहे थे तो अब सभी श्रीमती शालिनी को अनटचेबल मान रहे हैं और जब अनटचेबल मान रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिये।

कांग्रेस के चिपकाओ। यह अध्यक्ष महोदय, + + + मैम्बर आफ लोक सभा इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उनका उसने प्रचार किया या नहीं किया यह तो मैं उनसे पूछने के बाद ही तहजीब से कोई स्टेटमैंट दे सकता हूं। लेकिन उन्होंने प्रचार किया, चौमूं से आने वाले सदस्य ने प्रचार किया और आप जैसी + + + कि हमारी डिसिप्लेन पार्टी है। सदस्य है आपके और प्रचार हमारा कर रही हैं, तो यह कैसा डिसिप्लेन है। किया या नहीं किया, मैम्बर आफ पार्लियामेंट का नाम ले रहे हैं और केण्डीडेट का जो लोक सभा का केण्डीडेट है, 8 विधान सभा के सेगमैंट (Segment) हैं, कौन किसका कर रहा है, आप कहां पर प्रचार कर रहे थे, कहां नहीं कर रहे थे। मैं आपके खिलाफ चार्ज अभी यहां

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

लगा दूं कि आपने बी.जे.पी. को सबोटेज किया। ...(व्यवधान)...यह बात अखबारों में आ जाएं, दूसरी आ जाए, मैं सुन लूं, मुझे कोई कह दे। मैं नहीं कहता उन्होंने किया... (व्यवधान)... आपके कहने से क्या होता है। 7 तारीख को फोरकास्ट करने के लिऐ जब हमको बुलाया गया था। उस वक्त आप भी थे। तब आपने कहा कि सीकर हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, सेबोटेज किया होता तो यह जीतने की बात नहीं कहते। मैंने कहा जीतोगे तो कहा आप हार चुके हो, सीकर में। मैं एक्सपर्शन नहीं लगा रहा हूं कि आपने सबोटेज किया लेकिन यह चार्ज लगा भी दें, हम क्यों लगाते, जब मुझे तथ्यों का पता ही नहीं है तो मैं आपके खिलाफ गलत चार्ज नहीं लगाऊंगा। + + + कांग्रेस पार्टी में यो किया है। तो ऐसा मत कीजिये। मैम्बर आफ पार्लियामेंट का नाम यहां लिया जा रहा है, जो अर्लियर इंडायरेक्टली था उसको भी आसन ने एक्सपंज किया है ऐसे चार्जेज की और यह डायरेक्ट चार्ज है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो कुछ भी कहा गया है और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने मैम्बर आफ पार्लियामेंट...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हटा दीजिये मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : एक्सपंज करने का निर्देश दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मदेरणा साहब से कहना है...

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं माननीय मदेरणा साहब की राय से सहमत हूं। और मैं उनकी आज्ञा हमेशा मानता रहता हूं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने जो कहा है। मेरा + + + ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरे भी आदरणीय हैं। मैं यह कह रहा था कि हमारे पास शिकायत हमारे केण्डीकेट की आयी...

श्री परसराम मदेरणा : मतलब नहीं है There are some matters which impliedly go to and some influences can be drawn and the worng impression should no go to the public.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा मतलब वह नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जैसा मदेरणा साहब ने कहा कि किसी भी पार्टी का मैम्बर होने से उस पूरी पार्टी को उसके दायरे में नहीं घसीटा जा सकता। अब दो तीन बात मैं निवेदन करना चाहूंगा जो इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो भाई जुबेर खान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके बारे में किसी ने भी कोई शब्द कहा होगा? भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बिलकुल विश्वास नहीं करती है और मुझे पता है कि मेवो का इतिहास भारत के लिये बहुत ही राष्ट्र भक्ति का इतिहास रहा है। आपके बारे में कहने का कोई मतलब नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, उठाया है। उन्होंने एक पत्र यहां पढ़ा है जो शालिनी जी शर्मा ने मुख्य मंत्रीजी के नाम लिखा है। मुझे पता नहीं है कि वह पत्र लिखा गया या नहीं लिखा गया। आपने उठाया, जुबेर खान जी ने। उस पत्र को अगर देखें तो इस केस के बारे में कई प्रकार की बातें खड़ी हो जाती हैं जिनका मैं यहां वर्णन नहीं करना चाहता जो इस केस की मैरिट को इफेक्ट करे, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता।

+ + + अभिव्यक्ति/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन वह मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय पूनमचन्द जी साहब आपकी भी इस बात से मैं सहमत हूं कि आपने तो 50 साल तक राज किया फिर भी नहीं लड़े, आप दो-तीन साल में ही लड़ने लगे, कुछ-कुछ लड़ाई हो गयी उस लड़ाई का परिणाम भी हो सकता है। अगर इस लड़ाई का परिणाम भी हो तो चरित्र हनन की सीमा तक नहीं जाना चाहिऐ। इसलिऐ वह भी एक मुद्दा है। एक मुद्दा जो एफ.आई.आर. में आया है उसमें मैं नही पड़ना चाहूंगा, उसमें रुपये का मामला भी उलझा हुआ है। रुपये का मामला उलझा हुआ है, तो रुपये का मामला भी इस मुद्दे में हो सकता है। इसलिये इसकी हाइयेस्ट लेवल पर निष्पक्ष जांच होने की परम आवश्यकता हैं....(व्यवधान).... मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाइयेस्ट लेवल पर इसकी जांच होना अत्यन्त आवश्यक है। इस जांच में से यह भी निकलना चाहिऐ जो बात आयी है, पूनमचन्द जी ने जो बात कही है वह बात ही है, जुबेर खान जी ने जो पत्र पढ़ा है वह ठीक है या हमारी केण्डीकेट ने जो शिकायत करी उसकी बात तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर आपको किसी न किसी तरह की तकलीफ होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक आरोप यहां लगाया गया कि अटलजी की मीटिंग का किस ने आयोजन नहीं किया। पार्टी के पदाधिकारी के नाते मैं एक बात साफ रूप से कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी वाजपेयी की मीटिंग में मैं गया था। उस समय दौसा और अलवर की मीटिंग थी। दोनों मीटिंग्स का इन्चार्ज मैं था और उस समय सारी व्यवस्था जो की गयी थी वह पार्टी के प्रदेश स्तर पर की गयी थी। वह व्यवस्था हमने की थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अटलबिहारी वाजपेयी, जिनको आज हिन्दुस्तान की सारी जनता एक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में मानती है उनकी सभा का आयोजन करने का ठेका हम किसी भी पूँजीपति को नहीं दे सकते, हमारे कार्यकर्त्ताओं के बल पर आयोजित करते हैं और वह मीटिंग हमारे कार्यकर्त्ताओं के बल पर आयोजित की गयी थी हमारी पार्टी के किसी भी आदमी ने आयोजित नहीं की थी।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं माननीय पूनमचन्द जी की इस बात से....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : इन दोनों से इस्तीफा लिखवालो कौनसा गलत है। यह इनके घर का मामला है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। उन्होंने अपनी बात कही है, आपने अपनी बात बता दी। विराजिये आप।....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : फोटो छपे हैं अखबारों में आगे अटलजी बैठे हैं पीछे बैनर लग रहा है स्पोन्सर्ड बाई सच एण्ड सच, अखबारों में छपा है, फोटो निकलवा लीजिये उस फंक्शन के अगर स्पोंसर्ड बाई राज सोल वर्क्स नहीं लिखा होगा तो जो घनश्यामजी कहेंगे वह सजा भुगतने के लिये हम तैयार हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, हमने किया था, उसका सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने, वहन किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उस आदमी ने पार्टी के फण्ड में पैसा लगाया भी होगा और अपराधी है, तो अटलबिहारी वाजपेयी की मीटिंग का आयोजन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने से वह अपराधी बचना भी नहीं चाहिये। इसलिऐ उस व्यक्ति ने किया भी नहीं और किसी ने कोई चन्दा दे भी दिया होगा तो किसी पार्टी ने वो रुपये का चंदा, पांच/रुपये का चन्दा, ग्यारह हजार रुपये का चन्दा देने से अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उसके बाद एक और आरोप है और वह आरोप लगाया गया उसका मुझे दुःख है। मुझे माफ करेंगे, हर मीटिंग में, हर समय में श्री मदन दिलावर को टार्गेट बनाया गया और—

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : वह तो खुद ही देंगे स्पष्टीकरण।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपने भी उनके बारे में कहा तो मुझे भी कहने का अधिकार है। टार्गेट बनाया जाता है। माननीय भाई शांतिकुमार जी धारीवाल के और उनके कोई पर्सनल विवाद हो सकते है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इसलिऐ कि यह कमजोर वर्ग के आदमी हैं—(व्यवधान)—

श्री किशन मोटवानी : यह अनुसूचित जाति को ट्युमिलियेट कर रहे हैं—(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह कह कर आप इन्हें बचा भी नहीं सकते हैं—(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं नहीं बचाना चाहता।—(व्यवधान)—

श्रीमती बीना काक : ये कहकर आप बचा ले जाएं। ये फुलझड़ी छोड़कर आप बचा लो—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कही है। उन्हें अपनी बात कहने दें। मोरदिया जी, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये इनके तबके ही आदमी है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : टाइम की लिमिट तो रखो साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अलवर चल गये और ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन पर केस रजिस्टर कराने के आदेश इन्होंने दिये—(व्यवधान)—

श्री राजेन्द्र पारीक : इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है इनके लिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये। अपनी अपनी बात कहने का हक है।—(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसी भाषा मैं बर्दाश्त नहीं करता। बिलकुल नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बार बार खड़े हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं—(व्यवधान)—बीच में कौन है कहने वाले। हम दोनों भाइयों के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीकर की इज्जत का सवाल है। यदि मेरे माननीय बड़े भाई किसी गलत मामले में पक्षपात कर रहे हैं तो मुझे तो उनको आगाह करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात एक घंटे कहें और दूसरा पांच मिनट नहीं कह सकता। बार-बार डिस्टरबेंस किस बात का है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय हम नये आये हैं। यह परम्परा आप डाल रहे हैं। आप जैसी परम्परा डालेंगे हमारे भी संस्कार आएंगे। हम तो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात कही है, इन्हें भी अपनी बात कहने दीजिये। मैं आपको इस तरह से अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप। (व्यवधान)—पारीक जी—नहीं हुआ है

(श्री अध्यक्ष)

तो आप चैलेंज करते रहना आपका पक्ष रखने की बारी आये तब आप अपना पक्ष रखना। विराजिये। हर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा हक है। बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं आप।

मैं माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि ये बार-बार डिस्टरबेंस अलाऊ नहीं होगा। क्या बार-बार खड़े हो जाते हैं। रूपाराम जी विराजिये आप।

श्री रूपाराम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने सदन की गरिमा खत्म हो रही है। कोई भी माननीय सदस्य जोर से कह सकता है कि बैठिये-बैठिये। मेरे हिसाब से यह अच्छी बात नहीं है। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूं। न तो मैं इधर का हूं और न मैं उधर का हूं। लेकिन इससे फिर संभावना बढ़ सकती है__(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं भी आपकी बात से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रूपाराम : सवेरे जो चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं वह इसी बात का अन्दाज है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रूपाराम : आपका सदन में कार्यवाही चलाने का जो तरीका है। आपको लोगों को बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे बुलवाऊंगा__(व्यवधान)

श्री रूपाराम : लोगों ने हमको भेजा है। लोगों ने यहां हमको भेजा है। कि क्या किसी के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये न। क्या कह रहे हैं आप?

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कभी भी नहीं बोल सकता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री रूपाराम : मैं जब भी खड़ा हुआ हूं आप कहते हैं विराजिये। मेरे हिसाब से रात दिन विराजिये-विराजिये ही कहते रहेंगे?

क्या घर पर भी तो इतनी स्ट्रीकनेस नहीं है?

श्री अध्यक्ष : और क्या कहूं मैं आपको। यह मैं गन्दा शब्द बोल रहा हूं?

श्री रूपाराम : मैं कभी भी खड़ा हुआ हूं तो आप कहते हैं विराजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। घनश्याम जी अपनी बात कह रहे हैं वह सुनने दें।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह जो व्यवस्था हो रही है यह अच्छी नहीं है। इसी से आपस में सदस्यों को टकराव हो सकता है, कभी यू. पी. वाली स्थिति आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : आपका मौका आऐगा आप भी बोलेंगे।

श्री रूपाराम : यह कभी भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी माननीय सदस्य बैठिये-बैठिये बोले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप यहां आकर के बोलिये और तो मैं क्या करूं। मैं आपको मना कर रहा हूं। विराजिये__बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं विराजिये। आपका मौका आऐगा आप भी बोलें।

श्री रूपाराम : मैं साल में एक दो बार खड़ा

(श्री रूपाराम)

होता हूं। मैं सदन को मेरी राय दे सकता हूं और मुझे जो अच्छा नहीं लगा वह बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे आपकी व्यवस्था है, मेरा वैसे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। आप करोगे वही होगा लेकिन बोलना मेरा भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मैंने मना कब किया आपको। विराजें आप।

श्री रूपाराम : मैं कह रहा हूं कि यह बात अच्छी नहीं है। यह जो परिपाटी चल रही है, यह परम्परा अच्छी नहीं है। आप दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को समझाएं कि बैठे-बैठे किसी को धमकी के रूप में या ऊंगली खड़ी करके नहीं बोलें। बैठ जाइए। यह बात अच्छी नहीं है। आप खुद क्यों नहीं कह रहे हमें कि बैठ जाइये। वह लोग कह रहे है बैठ जाइये। आप क्यों नहीं कह रहे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी पक्षों से निवेदन करूंगा कि बीच में टोकाटाकी न करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : विवाद ही कहां है। यह मामला तो दोनों भाइयों का है। हम दोनों आपस में कोई बात करें इस बीच में बोलने का किसी को क्या हक है?

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया आपको। विराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रूपाराम जी की इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि सदन में व्यवस्था बनाये रखनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अब यह सारा मामला इस प्रकार से सामने आ गया है, तो मैं राज्य सरकार से भी एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय किया ही नहीं जाए बल्कि लोगों को यह भी नजर आना चाहिये कि न्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि सारे मामले की इस प्रकार के अधिकारी से जांच करायें जिससे सब लोग संतुष्ट हों। आपने अपनी कही। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस ने बड़े से बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े काम की जांच भी की है। आज सी. बी. आई. में कौन है? राजस्थान से गये हुए पुलिस के सारे लोग सी. बी. आई. में भी काम करते हैं, डेपुटेशन पर जाते है और फिर वह यहां भी आ जाते है। आफिसर्स वही हैं जो काम करते हैं। मैं सी. बी. आई. में भेजने का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान पुलिस इस बात में सक्षम है और मैं कोई कारण नहीं समझता कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्य, इस प्रकार का मानवता के खिलाफ जो कृत्य है, उस मानवता के खिलाफ किये गये कृत्य में राजस्थान की पुलिस या राजस्थान की सरकार किसी भी प्रकार की कोताही कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात समझता हूं कि वही रचना गुप्ता नहीं है वह मेरी बहन है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, जो इस प्रकार के दरिन्दों के जंजाल में फंस सकती है और इस प्रकार की बात पर अगर भावना के आधार पर कार्यवाही नहीं करेंगे, अगर हमारे घर का परिवार का मैम्बर समझकर कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर एक लांछन भी लगेगा कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस इस प्रकार के मामले में भी पक्षपात कर रही है, नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा यदि मुझे इस बात का आभास हुआ कि राजस्थान की पुलिस—सुन लीजिए मैडम, प्लीज सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : बहुत जरूरी है इनका बोलना।

(१४८)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : या राजस्थान की सरकार में कोई व्यक्ति या अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश करेगा तो मैं सदन के प्रांगण पर कह रहा हूं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो मांग करेगा कि इस मामले को सी.बी.आई. को सौंप दें। लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नही हूं कि राजस्थान की पुलिस निष्पक्ष—आप बैठिये, प्लीज—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सदस्य मैं अपनी बात कह दूं आपको। आज तक भी 376 धारा नहीं लगाई गयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्लीज, विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आज तक भी 376 धारा नहीं लगाई गयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो धारा नहीं लगायी है वह धारा लगानी चाहिऐ। जो जांच नहीं हुई वह जांच होनी चाहिए, जांच में जो कमियां है उनकी पूर्ति होनी चाहिये। लेकिन मैं एक बात सब माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी सी एक चरित्र हनन की बात बिना प्रमाण के यदि सदन में आती है और उसको लोग पढ़ते है तो उसका सीधा-सीधा अर्थ लगाया जाता है। हमारे भी बाल-बच्चे हैं। परिवार के लोग हैं। हमारे में से किसी की गलती हो तो उस को बचाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है लेकिन पार्टी में सैकड़ों लोग काम करते हैं। हजारों लोग पार्टी के मैम्बर बनते हैं। आज भी मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं। 6 साल पहले मैं कह रहा हूं कि वह हमारी पार्टी की मैम्बर थी। महिला मोर्चे की अलवर जिले की उपाध्यक्ष थी, माननीय मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वह पार्टी की मैम्बर है। इतना जरूर है कि मैं प्रमाणिकता के साथ यह बात कह रहा हूं कि यह बात गलत होगी या सही होगी। हमारे केंडीकेट जसवंत सिंह यादव ने हमें यह पत्र लिखा। मैं निष्ठा पूर्वक यहां पर कह रहा हूं और अनुशासन समिति में मामला विचाराधीन है कि उन्होंने चुनाव में हमारा विरोध किया। मैं इसको टाल जाता हूं कि उन्होंने किसका पक्ष लिया किसका नहीं लिया, हमारा विरोध किया। इस प्रकार की शिकायत हमारे पास है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर यह लिखाया होगा, इतनी नीचता का काम हम नहीं कर सकते। हम इस बात को वहां तक ले जाएंगे जहां तक कि उनको सजा मिले जिन्होंने अपराध किया है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, में संक्षेप में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, सामाजिक अपराध के मामले हैं और इन मामलों को दृढ़ता और आयरन हैण्ड से डील करना चाहिऐ। मुख्यमंत्री जी कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, किसी का किसी से भी सम्बन्ध हो, किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बचाया जाना चाहिऐ और चरित्र हनन की राजनीति से ऊपर उठकर मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि आजकल यह काण्ड बहुत बढ़ गये हैं, प्रकाश में नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ काण्डों की जानकारी है। जिनमें उनके बाप मेरे पास आकर के रोये हैं, मुझे पता है इस बात का। उन काण्डों को प्रकाश में नहीं लाते। मैं तो यह कह रहा हूं कि इस प्रकार का सैल बनाना चाहिऐ, कानून में इस प्रकार का कोई परिवर्तन होना चाहिये कि इस प्रकार के काण्डों में समरी ट्रायल होकर उनमें कठोर से कठोर सजा दी जा सके, इस बात का प्रावधान हमें करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बात का प्रावधान करना चाहिये कि कैमरामय प्रोसीडिंग हो। जब बलात्कार के मामले में वकीलों के सामने क्रास एग्जामिनेशन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में महिलाओं को और बच्चों को लाकर खड़ा किया जाता है, उस समय उनकी जो परिस्थिति होती है वह मैंने अदालत में देखी है। मां-बाप की क्या परिस्थिति होती है वह हमने देखी है। मैं कहना इसलिये चाहूंगा सारे सदन से कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी माननीय सदस्य के बारे में मैंने कुछ कह दिया हो। मैं कहना चाहूंगा कि कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करते हुए हमको सोचना चाहिए कि इन घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री पूनमचन्द जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों को समाज में बहुत काम करना है और किसी एक घटना के कारण से किसी पार्टी को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, हम राजनीति में कितने ही आरोप लगा सकते हैं लेकिन माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत का 50 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं आशा नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में किसी भी प्रकार से इस काम में कोई भी ढील हो सकती है। मुझे मस्के की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह किसी ने नहीं कहा कि मस्का लगा रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, उधर से आवाज आ गयी। कोई कहने की जरूरत नहीं है और मुझे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं जहां पर हूं वहां पर ठीक हूं, जहां पर हूं मैं मेरी हैसियत से हूं, मैं किसी की कृपा से नहीं हूं और मैं वहां पर अपने आपको संतुष्ट महसूस करता हूं। इस बात को मुझसे नहीं कहा जाए तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस घटना की निष्पक्ष, उच्च स्तरीय और तटस्थ जांच कराने के लिऐ सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय मुख्य मंत्री जी और कांग्रेस के विधायकों की भावनाओं के साथ है। इसलिऐ इसकी जांच करायी जानी चाहिये और बिना किसी कारण के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को इसमें नहीं घसीटना चाहिऐ। इन्हीं शब्दों के साथ समय देने के लिऐ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी। (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप जी। बहुत ही संक्षेप में कहें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने उनकी तो पूरी कथा सुन ली और मैं बोला नहीं उससे पहले ही संक्षेप आ गया।

श्री अध्यक्ष : मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुन लीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनको कैसे इतना टाइम दे दिया?

श्री अध्यक्ष : मैं जो कह रहा हूं वह सुन लें। संक्षेप में बात करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : बोलने से पहले ही संक्षेप में?

श्री अध्यक्ष : ज्यादा हा-हुल्लड़ नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, हा-हुल्लड़ नहीं करुंगा, प्रेम से बोलूंगा। सही बात कहूंगा, आपको पसन्द आये तो सुनना नहीं तो मना कर देना।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान के पवित्र सदन में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बहुत ही महत्वपूर्ण मसला चल रहा है। एक बहन की इज्जत के सवाल का मामला सामने आ रहा है। जिस समय द्रोपदी की लाज लूटी जा रही थी उस समय दुष्शासन वगैरह आकर जब उसको लूट रहे थे, पांडव लोग वहां बैठे हुए थे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। उस समय कोई आया मदद करने तो कृष्ण भगवान आये थे और आज इस सदन में आप ही कृष्ण भगवान के रूप में अध्यक्ष महोदय बैठे हो।

श्री अध्यक्ष : आदमी आदमी होता है वह भगवान नहीं हो सकता।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे आशा है कि इसमें न्याय दिलायेंगे और जिसने भी इसमें अन्याय किया है वह उस पार्टी की सदस्या हैं यह अभी स्वीकार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आपको राम राज्य चलाने वाली पार्टी कहती है। रामजी का राज्य कैसा था, उस समय नारियों का अपमान नहीं होता था। उस समय कहा जाता था कि "यत्र नार्यास्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता", जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। लेकिन यह अलवर की पावन भूमि पर राजा भृर्तहरि की पावन भूमि पर आज यह इतना बड़ा महा काण्ड हुआ इस बात के लिये हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आपको एक आदर्श पार्टी कहते हैं। अभी आर.एस.एस. का नाम लेते ही आप लोगों को कितना दुःख हुआ था। क्या यही आदर्श है आपके? क्या यही स्वयं सेवक संघ के आदर्श हैं, क्या देवरस जी ने यही आपको सिखाया था? आप उनका नाम मत लो। आप उनके चेले नहीं हो, आप उनके सदस्य नहीं हो, + + + आप उनका नाम नहीं ले सकते। यह दुःख की बात है कि + + + जहां जिस भूमि पर हो, माननीय सदस्य बैठे हों और इस राजस्थान के सदन में बहन की इज्जत का सवाल आता हो, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मैं आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाता लेकिन मैं यह निश्चित कहना चाहता हूं कि आप समाज कल्याण मंत्री हैं, नारी की रक्षा के लिऐ आपको बनाया है। आपकी शालाओं में, आपके विभागों में जो केन्द्र बने हुए हैं, नारी की रक्षा के लिऐ बनाये गये हैं उनमें बलात्कार हो रहे हैं। पहले भी कोई मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है। ये रक्षा की रक्षक जगह हैं या उनकी इज्जत लूटने की जगह हैं? अलवर में बलात्कार हुआ, अलवर में यह घटना हुई और आज कई घटनाएं गिनायी भी गयी थी, इन्दिरा मायाराम जी ने गिनायी थी। आप मंत्री बने रहना चाहते हैं, + + + मैं आप पर लांछन नहीं लगाता लेकिन आपके समाज कल्याण मंत्री होते हुए एक बहन की इज्जत लूटी है और किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिये। आपका ऐसे पवित्र मंत्रिमण्डल में, ऐसी पवित्र जगह पर, ऐसे पवित्र विभाग में मंत्री रहना दुस्वार है। मैं मांग करता हूं कि सदन में आप निश्चित घोषणा करेंगे। आपसे गलतियां हुई हैं, आपसे सम्भला नहीं यह विभाग। इस तरह से बहनों की इज्जत लूटी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आराम से हंसते रहे, हंसलो खूब। मुख्य मंत्रीजी वह आपकी बेटी थी, गृह मंत्रीजी वह आपकी बहन थी। इज्जत लूटी है तो आपकी बेटी, आपकी बहन की लूटी है। किसी मंत्री ने उसकी पुकार को नहीं सुना, किसी ने वहां जाकर नहीं देखा।—

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। कोई बात कहना चाहे स्पेसिफिक तो कह दे वरना यह तो बात हो गयी है माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(149)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसी मंत्री ने उसकी बात को नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष : फिर यह रात को 10-11 बजे तक चलता रहेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह मेरे लिये ही सब कुछ कहा जाता है। दो मिनट मेरे लिये और दे दीजिये। मैं मात्र दो मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप कोई प्रश्न पूछे माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा राजस्थान के सदन में एक बहन की बात कह रहा हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मंत्रियों के दर पर वह आयी थी, माननीय मंत्री साहब, क्यों नहीं आप सदन में घोषणा करते कि आपके पास आयी या नहीं आयी। अगर आपके पास आयी है तो आपने उसकी बात को क्यों नहीं सुना? क्या आप भी यही चाहते थे कि उसकी इज्जत लुटे? क्या + + + इससे यह जाहिर करता है कि + + + हम सब यहां बैठे हुए हैं। आपका वही अलवर है। मेरे जिला सवाईमाधोपुर को ओर आपको प्रभारी बनाया है। मेरे सवाई माधोपुर को आप मत ले डूबना। इस प्रकार से आपके राज में आपके जिले में यह हो रहा है। इसलिये आपका भी पुनीत कर्तव्य बनता है, माननीय गृह मंत्रीजी आपका भी पुनीत कर्तव्य है, आपको इतनी जिम्मेदारी दी है। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा कार्यकर्त्ता फंसा हुआ हो, चाहे कोई मंत्री फंसा हुआ हो या कोई भी फंसा हुआ हो, आज सदन में घोषणा करें कि आप उनके खिलाफ जांच कराएगे और सी.बी.आई. के द्वारा जांच होगी। हिम्मत है तो करना आप और परीक्षा है आपकी, बहन की रक्षा के लिये आपको यह पवित्र पद दिया गया है। आप अनुसूचित जाति के हो और आपके रहते हुए एक महिला की इज्जत लूटी है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आज मुख्य मंत्रीजी इसकी घोषणा करगें कि सी.बी.आई. से इसकी जांच कराएगे।

दूसरा, मुझे आशा है कि हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी आज घोषणा करेंगे कि मैं ऐसे इसमें नहीं रहना चाहता और इतना बुरा कर्म आपके टाइम में हुआ है। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो यह समाज, देश, प्रदेश आपको नहीं बख्शेगा। कलंक आपके लग चुका है। कलंक नहीं मिटेगा। कलंक मिटाने का यही एक तरीका है।

श्री अध्यक्ष : श्री वी.पी. सिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ पुनः यही निवेदन करूंगा कि इसमें निश्चित रूप से धारा 376 लगायी जाए और इसकी जांच करायी जाए। आपने समय दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने पवित्र कार्य में मुझे शुभार किया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर मसले पर काफी चर्चा हो गयी है। मैं कोई बात दोहराना नहीं चाहता हूं।—

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : यह तो नेशनल मामला है, इन्टरनेशनल नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इन्टरनेशनल पर पहुंचा दूंगा आप चाहेंगे तो। मेरा यही निवेदन है कि इसके अन्दर दो बातें सामने आयी हैं। एक तो रचना गुप्ता की पीड़ा और दूसरी शालिनी शर्मा जैसी महिलाएं जो राजनीति

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

में प्रवेश करके आगे बढ़ती हैं। इसमें मेरे को एक ही निवेदन करना है। हमारे जो घनश्यामजी ने कहा है उस बात को दोहराऊंगा नहीं और अपनी बात को आगे बढ़ा कर कहता हूं कि आज हम चाह रहे हैं कि महिला पर्दाशील न होकर आगे आयें और आप जानते हैं कि क्या मैसेज जाएगा अगर शालिनी जैसी औरत, महिला आगे बढ़ती है और उनसे कोई बात भी करें और उनका नाम, जैसे विश्नोई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आज तो सब जने उससे पल्ला झाड़ने की बात करते हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे, हम मिले भी नहीं थे। पर आप भी विचार करें कि आपकी पार्टी के अन्दर नैना साहनी हुई है, एक पाली के अन्दर कोई मंजू भी हुई है, एक शालिनी हमारे यहां पर भी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी होंगी—(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : नाम नहीं ले कृपया। आप जैसे संजीदा और विद्वान व्यक्ति किसी महिला का नाम नहीं ले।

श्रीमती बीना काक : आपका पल्ला कहां है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन यह है कि एक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिये कि ऐसी महिलाएं राजनीति में आगे आयें। ऐसा मैसेज भी नहीं जाना चाहिये कि अच्छी महिलाएं राजनीति में नहीं आयें। तब तो आप विचार करेंगे कि किसी से हम बात कर लें, यहां पर भी महिलाएं विराजी हैं वहां भी महिलाएं विराजी हुई हैं और उनके साथ बात भी करें तो कोई बात निकल जाती है और कोई आरोप लगा देता है, कोई अस्पर्शन लगा देता, इसलिए एक तो यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का कल्चर ही ऐसा हो गया और "जी" टी.वी. का जो क्लचर हुआ है और जो कल्ट है उसके कारण भी यह शालिनी जैसी आगे आती हैं और उससे भी हमारे मोरल के अन्दर डिग्रीडेशन हो गया है। यह भी एक कारण है कि ऐसी महिलाएं हमारे यहां पर नहीं आयें। तो ऐसा मैसेज भी नहीं जाना चाहिये। इसलिऐ मैं चाहता हूं कि अच्छी महिलाएं आगे आयें और उसके लिए मैं दो प्रश्न और करना चाहता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आई.पी.सी. का गम्भीरता से विचार करें। (व्यवधान) थोड़ी सी बात तो सुने। मेरा निवेदन है कि—

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या कह रहे थे कि ऐसी औरते ज्यादा आयें ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं आनी चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यूं कहिये ना। नहीं तो लगाओ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं लगाया है मैंने। आपने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : अच्छी औरते आये यूं कहा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन यह है, मंत्रीजी से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आई.पी.सी. कोड के अन्दर ऐसा भी कोई कोड और धारा है क्या जिसके अन्दर शालिनी जैसी महिलाओं से मंत्रियों से बचने की कोई व्यवस्था है ? ऐसी कोई धारा नहीं है तो आप इस पर विचार करें। आपकी जानकारी के लिये, उन्होंने कहा कि इन्टरनेशनल की बात कहो, तो मैं इन्टरनेशनल बात भी आपको कह दूं। आपकी जानकारी के लिऐ स्केण्डीलेविया एक

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

कन्ट्री है, स्केण्डीलेविया के अन्दर तीन-चार कन्ट्रीज हैं, नार्वे हैं, स्वीडन है उनमें महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं। अगर 100 महिलाएं हैं तो 30 ही आदमी हैं और वहां पर महिलाएं आगे होकर बलात्कार करती हैं पुरुषों का आपको पता भी है या नहीं ?

ऐसी भी धारा होनी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि हमारे मंत्रियों को शालिनी जैसियों से बचाने के लिये कोई महिला सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिये। नहीं तो होगा कैसे ? उनको रोक नहीं सकेंगे। अंग्रेजी में एक सेयिंग है ऐसी शालिनी से बचाने के लिये, अगर ऐसी महिला ने किसी मंत्री को पकड़ लिया तो यही कहेंगे, + + +

श्रीमती बीना काक : इसीलिये आप मंत्री नहीं बन पा रहे अभी तक— (व्यवधान)— + + +

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं आधे घण्टे से हाथ खड़े किये बैठा हूं। अगर आप मुझे

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी दूंगा। विराजें। श्री रूपा राम जी।

श्री रूपाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले मैं बिना इजाजत ऊंचे शब्दों में बोल गया इसलिये मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यहां पर नारी के शोषण की चर्चा चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी राजनीतिज्ञ या बड़े अधिकारी पर इस बात का आरोप हो कि वह भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, असत्य बोल रहा है, अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्त्ता को ऊंचा स्थान दिला रहा है या राजनीतिक प्रभाव के लिये कुछ भी असंवैधानिक कर रहा है मेरे विचार से उस जघन्य अपराधी को दण्ड दिया जाना चाहिये।

राजस्थान की जनता ने हमको इसलिये चुनकर इस सदन में भेजा है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। जनता हमें चुनते हुए ध्यान रखती है कि प्रत्याशी ईमानदार हो, अच्छा वक्ता हो, निष्पक्ष हो, निष्ठावान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो राजनीतिज्ञ या अधिकारी चरित्रवान न हो वह कभी भी किसी भी समय इस देश को, राजस्थान को दुश्मनों के हवाले कर सकता है, बेच सकता है। यह मेरा निजी विचार है, मेरी निजी जानकारी है। जहां तक मैंने राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र पढ़े हैं उनके अनुसार चरित्र राजनीतिज्ञों की सबसे मजबूत चीज है।

जब राजस्थान के मंत्रियों और अधिकारियों के चरित्र पर आरोप लगा है तो निष्पक्ष जांच जो यहां भी हो सकती है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक बाप अपने एक बेटे को अपराध मुक्त करने के लिये दूसरे बेटे को तय करता है तो वह न्याय नहीं कर सकता और जनता भी ऐसा मान सकती है कि इससे न्याय होने की संभावना नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करायें। अभी मैंने दो मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए लिखा था कि वह आदर्शवादी, अनुशासनबद्ध, एकजुट और निष्ठावान पार्टी है। मैं अभी कहता कि नहीं लेकिन जब दो-तीन माननीय सदस्य बोले कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, न्याय हो तब मैंने सोचा कि यह तड़फ दोनों तरफ है।

आज जब हम घर जाएगे मेरे ख्याल से उम्र के हिसाब से सबके बच्चे-बच्चियां बड़े हो गये तो हमारे बेटे या बेटियां पूछेंगे कि पापा यह देह शोषण क्या होता है, नारी शोषण क्या होता

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रूपाराम)

है और हम कहेंगे कि यह होता है तो वे कहेंगे कि पापा आप तो इस पर हंस रहे थे उस समय हम क्या जवाब देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यहां हुआ उस पर मैं पूरी तरह इसलिये संतुष्ट नहीं हूं कि कार्यवाही के दौरान कई बार हंसी के ठहाके गूंजे। मैं सोचता हूं यह उन लोगों को पता है जो चरित्रवान हैं और चरित्र को समझते हैं। राजनीति में कोई भ्रष्ट आदमी आ जाए, बेइमानी करके पांच पैसे खा जाए, वह भी सहन करने लायक है चरित्रवान व्यक्ति को कोई चरित्रहीन या कुलटा स्त्री नोरूपवती हो, उसके दिखा कर कुछ भी करवा लें, यह ठीक नहीं है। इस कांड की जांच उच्च स्तर पर हो।

एक माननीय सदस्य : कविता हो।

श्री रूपाराम : कविता खतरनाक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका समय बहुत कम है।

श्री रूपाराम : एक मिनट बोलूंगा। अगर जांच उच्च स्तर पर न हो और जनता तक न्याय न पहुंचे तो मेरी यह कविता जनता समझे—

"हे बागवा के माली, तेरी वफा पर मुझको शक है,
क्यों नहीं कहूंगा, रहता हूं तेरी गली में
इसलिये कहने का हक है।"

अगर इनको बचाने की कोशिश की तो मेरी ये दो-चार लाइनें पढ़ें—

"जिंदगी बख्शने की जिनसे दुआ करते हैं,
आज उन्हीं के खौफ से आदमी मरा करते हैं,
सिसकते हैं नींद में भी और उनकी तस्वीर से डरा करते हैं,
अब सुख देने वाले ही सुख हरा करते हैं,
उठ रहा है हे राज, विश्वास तेरे दरबार से,
अब तो बचाने की ईश्वर से दुआ करते हैं।"

अब सवाल आ ही गया तो दो चार लाईनें और पढ़ देता हूं—

"अब तो मंत्री है पहले कब नहीं थे हम आजाद परिन्दे,
वजह हमारी ही है जिनसे उजड़े हैं सैकड़ों घरोंदे,
जिसको कहते हैं लोग शोषण, वह तो धंधे हैं नित इनके,
बचाने वाला है आला कमान, हम तो हैं उनके बंदे।"

जय हिन्द

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक की निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाऐ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य
अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी के देह शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती शशीदत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह मामला जो सदन के विचाराधीन है, उसमें भाग लेने के लिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की बहुत-बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से सदन में उठाया। मानवता के नाते कहिये, हमारे भाई या बुजुर्ग होने के नाते कहिये सीरियसली भाग लिया। मुझे इस बात का दुःख है, एक सदस्य होने के

(श्रीमती शशी दत्ता)

नाते महिला होने के नाते, राजस्थान की कानून मंत्री होने के नाते कि यहां पर बार-बार एक ही मुद्दे को उठाया जाता है। यह बहुत घिनौना कांड हुआ है, इसके दोषियों को जितनी सजा दी जाए, कम है। इस मामले को कमलाजी जो बहुत सीनियर विधायिका हैं और मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, बीनाजी ने इस मामले को उठाया है। इस मामले को हमारे साथी उतनी संवेदनशीलता से नहीं समझ सकते जितनी संवेदनशीलता से हम इसे समझ सकते हैं। मुझे क्यों उठना पड़ा, क्यों मुझे यह बात कहनी पड़ी कि मैं इस कानून मंत्री के औहदे पर रहते हुए कई बार बहुत सी मजबूरियां आती हैं—इसको अदरवाइज नहीं लें या पार्टीबाजी में नहीं फंसायें, कई बार हमारे सामने ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम बहुत सहनशीलता से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सदन में आपने बहुत पवित्रता से इसको उठाया है और आप चाहते हैं कि उस पर कार्यवाही भी हो लेकिन इसका हश्र क्या होगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक भंवरी देवी का काण्ड उठा था। बीनाजी जानती हैं, कमला जी भी जानती हैं और जितनी भी माननीय सदस्या हैं वह सभी जानती हैं। भंवरी देवी काण्ड भी यही बलात्कार का काण्ड था और बहुत सी मेरी साथी विधायिकाओं ने बहुत एजीटेशन भी किया और चीन तक उस मामले को ले गयी। लेकिन मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इस मामले को आप गहनता से लीजिए। इस मामले को इस ढंग से राजनैतिक प्रकरण बनाकर कोर्ट में जाकर यह मामला यह नहीं लगे कि दिस इज आल पालिटिक्ली इन्टेरोग्रेटेड। आप इसको पालिटिकल नहीं बनायें। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूं। मैं मानती हूं आप सभी दुखी हैं। यह प्रकरण भी भंवरी देवी के प्रकरण जैसा नहीं हो जाए और इस महत्वपूर्ण मामले में जिसमें आप सभी चिन्तित हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी चिन्तित हैं और समाज कल्याण मंत्री जी भी चिन्तित हैं उसका हश्र यह नहीं हो कि इसको हम भंवरी देवी जैसा काण्ड बना दें। अगर आप यह चाहते हैं कि उस महिला को न्याय मिले और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, तो उसके लिये हमको खुद को यह प्रयास करने पड़ेंगे कि इसको हम राजनैतिक रंग नहीं दें।

दूसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी, मैं महिला हूं और मैं अपनी पीड़ा से भी व्यथित हूं और जो अलवर में हुआ, अलवर से थोड़ा बहुत मेरा भी रिश्ता है। मैं भी वहां की पुत्रवधू हूं। जो काण्ड हुआ उसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगी कि कई बार ऐसे महत्वपूर्ण मामले उठे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिये हमने अलग से एक्ट बनाया। उसमें प्रावधान किया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को अगर यहां न्याय नहीं मिलता है तो आप उनके लिये अलग से कोर्ट खोलें। उनकी अलग से सुनवाई करने का मौका दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो धाराएं हैं वह अलग से अमेंड करें। इसी तरह से एक काण्ड हुआ था गुर्दा प्रत्यारोपण का जिसमें हम मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी गये। बहुत ही घिनौना काण्ड था। आप सब ने भी उसकी भर्त्सना की और हमने भी चाहे पार्टी से उठकर की हो या किसी तरह से भी की हो और उसमें हमने यह कोशिश की कि ऐसे मामलों को मानवाधिकार आयोग में ले जाया जाए। इसी तरह से मैं आप लोगों से भी यह गुजारिश करूंगी और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कि

(श्रीमती शशी दत्ता)

जो महिलाओं पर दिनोंदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो मजाक हमारा सरे आम चाहे किसी भी माध्यम से उड़ाई जा रही हो, उसे आप एक चर्चा का विषय नहीं बनायें। इसकी डीप में जाने की, गहराई में जाने की कोशिश करें कि किस तरह से इन लोगों को यह छूट दी गयी है, माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत सहृदय हैं। मैं कहूंगी कि एक ऐसा आयोग या ऐसी एक अलग से कोर्ट गठित की जाए जहां महिला जज हो, महिला ही वकील हो और उनको यह सुनने का अधिकार हो ताकि ये महिलाएं निष्पक्ष भावना से अपनी बात कह सकें। वहां महिला ही वकील हो और महिला ही जज हो और ये ऐसा आयोग हो। जिसमें वह अपनी बात कह सकें और शर्म महसूस नहीं करें। उनके मां बाप के सामने ऐसी बात नहीं आये जिससे उनके मां-बाप भी शर्म फील नहीं करें और बाकी में माननीय मुख्य मंत्री जी से और अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगी कि आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील विषय है। जिस तरीके से इस सदन ने आज इतने लम्बे समय इस पर चर्चा की माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस विषय पर गम्भीरता नहीं दिखाई गयी और इस कृत्य के ऊपर गम्भीरता नही दिखाई गयी तो निश्चित रूप से दुबारा भी रचना गुप्ता के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। इसलिये आज यह घटना घटी है। यदि हम लोग इसके लिये न्याय नहीं दे पाये तो इसकी अपराधी अब केवल शालिनी नहीं रहेगी बल्कि इसका अपराधी हमारा सदन रहेगा। आज से पहले इस काण्ड के लिए शालिनी अपराधी होगी, कलेक्टर होगा। लेकिन जब घटनाक्रम हमारे सामने आ गया ऐसा कृत्य हमारे सामने आ गया और फिर भी हम उसमें कोताई करते हैं तो 376 के मुलजिम केवल वह नहीं हम भी माने जाएंगे ऊपर की अदालत में। अदालत केवल एक नहीं है। अदालत दो हैं। एक इस धरती के ऊपर चलती है और एक उस आसमान के ऊपर चलती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन कृत्यों के पीछे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों का मुखौटा छिपा हुआ है। यह ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार हैं इन कृत्यों के लिये। भरतपुर के अन्दर भी भरत मीणा एक जिला कलेक्टर हुआ करते थे। फतेहपुर सीकरी में उसने भी देह शोषण किया था। बहुत सारे काण्ड उसके आये थे। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने एक बच्चे को अपनी कार से कुचला। आई.पी.एस. अधिकारी वहां पर मौजूद थे लेकिन मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। भरतपुर के अन्दर मनोहर कांत थे। इसकी जड़ के अन्दर आई. ए. एस. अधिकारी हैं और ब्यूरोकेसी को माफ करोगे तो इसका नतीजा बहुत खराब निकलने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे जैसे अदना सा कार्यकर्त्ता आपको दिशा देता अच्छा नहीं लगता लेकिन एक बात याद दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान की धरती पर ब्यूरोक्रेसी के सहारे अंग्रेजों ने राज किया था। कितना बुरा हाल हुआ था अंग्रेजों का। काले अक्षरों में लिखा जाता है। फिर मुझे कहने में संकोच नहीं आ रहा है कि राजस्थान के अन्दर

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

जनप्रतिनिधि राज नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है और इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोई चरित्र हनन का काम, जब कोई यौन शोषण का कृत्य आई.ए.एस. अधिकारी करता है उसको उठाकर जयपुर में बुला लिया जाता है। यही भरत मीणा के टाइम पर हुआ था और यही मनोहर कांत के टाइम पर हुआ है। मैं राजस्थान की पुलिस पर कोई बहुत बड़े आक्षेप नहीं लगाता हूं लेकिन शंका इसलिये जाहिर करता हूं? राजस्थान की पुलिस में दम होता तो 15 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने गयी तो क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज हुई? 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की? 16 तारीख तक शालिनी अलवर के अन्दर रही तो क्यों नहीं कार्यवाही की? मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान की पुलिस हन्ड्रेड पर्सेन्ट नाकारा है लेकिन कितनी ही मजबूरियां होंगी। आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का कोई संगठन होगा जिस तरीके से वह कभी भी न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए या तो माननीय विधि मंत्री महोदया ने जो प्रस्ताव रखा है उस माध्यम से इसकी जांच कराई जाए वरना इसकी जांच सी.बी.आई. के माध्यम से कराई जाए। ताकि सारे हिन्दुस्तान के उन दरिन्दों को यह मालूम पड़ जाए कि रचना गुप्ता के साथ, भारत की बेटी के साथ, भारत की मां के साथ, भारत की बहन के साथ में यौन शोषण करने वालों को इस तरह का दण्ड दिया जाता है। उसमें इस तरीके से लज्जित किया जाता है। सारे राजस्थान के और सारे हिन्दुस्तान के लोगों को शिक्षा मिले।

मैं एक बात और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इसको राजनीति से ऊपर उठकर लें। इतने हलके तरीके से इसको नहीं लें। मेरे वयोवृद्ध साथी माननीय वी. पी. सिंह ने जो एक उदाहरण दिया उसने तो मेरा हृदय कचौट कर रख दिया। भारत की संस्कृति में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि वह नारी, वह मां जिससे सारी सृष्टि का उद्‌गम हुआ है वह कभी इंसान से बलात्कार करेगी। इस तरह की भाषा इस हाउस के अन्दर रखी जाए और कार्यवाही के अन्दर लिखी जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन लाइनों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। नारी को इस तरीके से भारतीय संस्कृति के अन्दर इन्टरनेशन के नाम पर पश्चिमी देशों की संस्कृति की भाषा को इस सदन में लाया जाए, इस तरह से अपमानित किया जाए और वह भी उस नारी के लिये जिसमें से हमारा उद्‌गम हुआ है, जिसमें से भारत की संस्कृति का उद्‌गम हुआ है उसको इस तरीक से हलके तरीके से और इस मनोरंजन तरीके से नहीं लिया जाए। मेरी आखों में खून बरस रहा था जिस समय इस बात को कहा जा रहा था। मैं तो यह कहता हूं कि शालिनी के साथ भी ऐसा कृत्य करने के पहले एक दिन कोई ऐसा आया होगा कि हम जैसे कोई दरिन्दे ने भी शालिनी के साथ जबरदस्ती की होगी। शालिनी के साथ भी अत्याचार हुआ होगा। उसकी भी जांच कराई जाए। हिन्दुस्तान की नारी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती।

जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जिसकी कोख से भारत की संस्कृति का उद्‌भव हुआ हो, जो नारी भारत में पूजी जाती है, मानी जाती है, मानव से कितनी ऊंची मानी जाती है उस नारी के बारे यदि हम—

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर: इस सदन के अन्दर इस तरह की भाषा का उपयोग करें, यह कहें कि वह

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

बलात्कार करने की बात करती हैं, + + + इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ—

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजें। आप समाप्त करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं स्पष्टीकरण देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं है। बैठ जाएं।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ऐसे तरीके से सदन के अन्दर इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : दूसरी बात मैं तो यही कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय के प्रति इतनी गम्भीरता दिखायें कि इसकी जांच दो पहलुओं के अलावा तीसरे पहलू से नहीं हो। एक तो महिला अधिकारी के माध्यम से या सी.बी.आई. के माध्यम से हो जांच और इसमें कोइ कोताही बरती जाय तो चाहे हमको जन मूवमेंट करना पड़े लेकिन इसके अन्दर जो चेहरे छिपे हुए हैं उनको बेनकाब करना और दण्डित **करना बहुत जरूरी है**। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इन्होंने मेरा नाम लिया है और कहा है कि गलत कहा है। इसका मैं स्पष्टीकरण देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने पश्चिम के लिऐ कही है यह बात।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैंने तो बाहर की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : हां, आउट ऑफ इण्डिया की बात कही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अगर हिन्दुस्तान में भी होने लग जाए, क्योंकि जी टी.वी. में सीख सीखकर यह बाहर की कल्चर यहां आ रही है, वैसे ही सीख रहे हैं इसलिये अगर हिन्दुस्तान में भी होने लग जाए तो उसके लिए भी कोई आई.पी.सी. कोड के अन्दर धारा होनी चाहिऐ। यह बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो मैं भी—

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपके पास नाम भिजवाया था। यदि मुझे अनुमति हो तो मैं अपनी बात दो शब्दों में कहूं।

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया। आप दो **मिनट में कह दें।**

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो आपने इस विषय पर—

श्री अध्यक्ष : बात सब आ चुकी है। कोई पाइंटेडली बात कहना चाहें तो कहें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : वही बोलूंगा जो नहीं आयी है।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, आप तो मुझे यह बता दें कि मैंने आपके पास नाम भेजा था, जब आप अनुमति देंगे तो नहीं हो तो मैं चुप करके बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : आज जहां महिलाओं पर अत्याचार के बारे में जो अलवर का नाम लिया जा रहा है उससे पहले जो राजस्थान में घटनाएं हुई हैं, पिछले कुछ दिनों में दिवराला जो सीकर जिले का गांव है जिसकी रूपकंवर सती हुई। आज शंकाएं हो रही हैं कि इस अलवर यौन शोषण काण्ड में निष्पक्ष जांच हो जाएगी। + + + आज हमारी महिला कानून मंत्रीजी ने जिस घटना का जिक्र किया, जिस भटेरी की भंवरी देवी काण्ड का जिक्र किया है, इन दोनों घटनाओं ने पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान और राजस्थान का नाक नीचा किया है। उन्हीं घटनाओं के बाद जो यौन शोषण की घटनाएं, चाहे वह अजमेर हो, चाहे जोधपुर हो और उसके बाद घटने वाली यह अलवर की घटना हो, उनमें यह घटना इस बात से स्वयं सिद्ध होती है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में, इसके पीड़ित पक्ष द्वारा मंत्रियों से गुहार करने के बाद भी दर्ज नहीं होने में, इसके दर्ज होने के बाद कार्यवाही और उसके बयान नहीं होने और देरी से बयान होने से स्वयं सिद्ध होती है कि उसके साथ बार्गेनिंग की गयी है। पुलिस का जिसकी कई मौकों पर हमारे सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने भी धन्यवाद दिया है लेकिन यह बात भी सही है कि अत्याचार करने वाला जो ग्रुप है, राजस्थान सरकार के उच्च पदाधिकारियों और मंत्रियों से सीधा सम्बन्ध रहता है जिसके कारण पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती। इसलिये इसकी जांच जब तक सी.बी.आई. से नहीं की जाएगी तब तक पीड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पीड़ित पक्ष है और पीड़ित पक्ष ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान का जो महिला वर्ग है, उसको अगर न्याय की उम्मीद कहीं हो सकती है तो सी.बी.आई. से निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है, क्योंकि चाहे वे उच्चाधिकारी इसमें शामिल हों, चाहे वे राजनेता हों, चाहे और कोई शामिल हो जिनका प्रभाव निश्चित रूप से यहां की पुलिस पर पड़ेगा क्योंकि प्रशासनिक उच्चाधिकारी हैं, नेताओं से उनके निजी सम्पर्क हैं। इसलिये सी.बी.आई. से इसकी जांच करवायी जाए और जिन मंत्री महोदय के विभाग में यह हुआ है वह इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष : मदान साहब। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन जिस विषय के ऊपर परिचर्चा कर रहा है वह निश्चित रूप से गम्भीर विषय है। लेकिन जो परिचर्चा का प्रारूप यहां मुझे देखने को मिला, निश्चित रूप से मन को थोड़ी वेदना हुई, पीड़ा हुई और मैं उसी को ही बताने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह तो वैसे फंडामेंटल कमियां हैं, मानवीय आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई कल मुझसे पूछे कि आपको प्यास क्यों लगती है या कोई पूछे कि आपको भूख क्यों लगती है या कोई पूछे कि आपमें वासना क्यों जाग्रत होती है तो उसका प्रत्युत्तर मैं नहीं दे सकता।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अर्जुनदास मदान)

और समाज में जीने वाले जितने भी लोग हैं, यदि **आप किसी से प्रश्न पूछ** भी लें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गलती, इस प्रकार की त्रुटि समाज में केवल एक व्यक्ति करता हो, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं यह भी जानता हूं कि जो लोग बोले हैं—मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं कि उनसे भी भूलें हुई हैं और यदि कोई नाम पूछना भी चाहें तो मैं सदन में बताने के लिये तैयार हूं। लेकिन अगर 72 साल के आदमी जिन्होंने अपने जीवन में कभी स्वयं ने भी अपराध किये हों इस प्रकार के अपराधों के ऊपर कोई व्याख्या देने के लिए खड़ा हो तो लगता है कि जैसे कोई सती को वेश्या पतिव्रत धर्म का भाषण दे रही हो और आंखों के अंधे हों और बाजार में सुरमा बेचने के लिए निकलें हों। मान्यवर, मैं केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम सारे व्यक्ति जितने भी यहां पर बैठे हैं, सभी महात्मा बुद्ध नहीं हैं जो काम के तीक्ष्ण प्रहारों से अडिग रहें, सभी दयानन्द नहीं हैं जो किसी वेश्या के घर पहुंचा दिये जाने पर भी उसको मां का सम्बोधन दें, सभी रामकृष्ण परमहंस नहीं होते जो कि किसी देवी के शरीर से स्पर्श हो जाने पर अपने मनोविकारों की सम्भावित आंधी से अपनी साधना के लिये घोर प्रायश्चित करते हों। सभी ऐसे भी नहीं होते जिसे किसी सुन्दरी के रूप में जिसके चेहरे पर आभा हो, लावण्यता हो, **सुंदरता हो उसमें परमात्मा की सुघड़ रचना के दर्शन करते हों। हम सब इन्सान हैं। भूल** मुझसे भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है। प्रश्न यह नहीं है कि भूल हुई लेकिन सवाल यह जरूर आता है कि उस रचना गुप्ता के विपरीत—(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आप इसको भूल मान रहे हो ?

श्री अर्जुनदास मदान : एक मिनट। मैं नहीं मान रहा, मेरी सुन लें। आप आवेश में नहीं आयें, सुन लें। अब आगे की बात भी सुन लें। यह अधूरा था। आपका अधिकार है। मैं पूरी बात समाप्त कर दूं उसके बाद आप बोल लेना लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जो आपने यह बात कही है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस रचना गुप्ता के इस कांड में जिन जिन लोगों की इस पूरी रचना में हाथ हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो चाहे कोई भी हो उसके ऊपर आक्षेप है उसको निश्चित रूप से दण्डित किया जाना चाहिए। अभी जैसे हमारी विधि मंत्री महोदया ने कहा है, मैं तो उससे आगे बढ़कर के निवेदन करूंगा आज इस सदन से कि कृपा करके एक कानून इस प्रकार का बने, क्योंकि आज कई प्रकार के कांड होते हैं जो संसार में, समाज में सामने कोई लाना ही नहीं चाहता। उसका पति रोक देता है, उसका पिता रोक देता है, वह सोचते हैं कि यह अपने परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और वह छिप जाते हैं और उनके ऊपर एक आवरण सा समाज डाल देता है। मेरा तो इस सदन से इतना अनुग्रह है कि यदि इसके ऊपर निश्चित रूप से हम गम्भीर हैं और हम यह चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की पुनरावृत्तियां कम हो और समाज इसके ऊपर कुछ अंकुश लगा सकें तो हमें एक नया कानून बनाना पड़ेगा। **अदालत तो अपनी जगह काम करेगी ही करेगी, यह पुराने कानून आज की वर्तमान परिस्थितियों में चलने वाले नहीं हैं। एक नया कानून बने और निश्चित रूप से जैसा विधि मंत्री ने** कहा है कि उसके अन्तर्गत यदि कोई किसी प्रकार की जांच भी होती है, क्योंकि आज कई महिलाएं अदालत में आने से घबराती हैं।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मान्यवर, हर आदमी, महिला या सम्भ्रांत परिवार की बच्ची अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना, अपने मन की चुभन को सब के सामने नहीं कह सकती। उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं के अन्तर्गत जब वह जीती है, समाज के बन्धन उसके सामने हैं तो मेरा यह निवेदन है आज सदन से कि यदि हम निश्चित रूप से इसके प्रति कुछ चिन्तित हैं तो हमको कम से कम इस प्रकार का एक नया कानून बनाकर एक नये कानून के अन्तर्गत इसकी रूप रेखा हो और जिसकी ट्रायल भी हो ताकि जल्दी से ट्रायल हो, जल्दी से निर्णय हो।

अंत में मैं एक निवेदन करता हूं कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, यदि वह अपराधी है, यदि वह दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं यह मानता हूं कि जीवन में कोई बख्शा नहीं जायेगा, क्योंकि परमात्मा ने तीन प्रकार की अदालतें बनायी हैं। मान्यवर, एक तो हृदय की अदालत, अन्तरआत्मा की अदालत, जब मैं बुरा कर्म करता हूं तो मुझे मेरी आत्मा बोलती है कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूं। एक संसार की अदालत जो यहां लगी हुई है और एक ऊपर की अदालत जहां पर जाकर हम सब लोगों को जवाब देना है। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, मेरी इस सदन से केवल मात्र यही याचना है, प्रार्थना है, अर्चना है कि यदि इसके ऊपर हम निश्चित रूप से गम्भीर हैं तो हम एक बार पुनः चिन्तन करें और एक नये कानून के अन्तर्गत नये न्यायालय का निर्माण करें ताकि महिला को सही प्रकार से न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, यह डिस्कशन का विषय नहीं है, नो डिस्कशन फोर आल। हमें भी बोलने दीजिये। यह जो आज लीपापोती की भाषा बोल करके...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह नैतिकता का पाठ किसे पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ाओ।

श्री किशन मोटवानी : हमारा नाम नहीं है। हमारा नाम इसमें नहीं है किन्तु आपने ओपन डिस्कसन कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक वक्तव्य गृह मंत्रीजी ने दिया सरकार की तरफ से आज जो भी यहां पर बहस हुई, तथ्य सामने आये जिन पर सरकार अपने विनिश्चय से, अपने निर्णय से और तथ्यों के ऊपर जो भी उनकी टिप्पणी होगी उससे सदन को अवगत कराएगी। तो सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को बोलने की आवश्यकता कहां है ऐसे मसले पर?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तथ्य तो आ गये, मैं जवाब दे दूं?

श्री परसराम मदेरणा : उससे पहले एक दो मिनट मैं बोल दूं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : एक दो मिनट में मेरी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : महिला सदस्य हैं इसलिए मान नहीं रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय बहनजी, यह संवेदनशील भी है इसलिए आप बोलिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मेरी बात खत्म कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : महिला सदस्य हैं इसलिये बोलिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सारे सदस्यों ने जो बातें कहीं उसको नहीं दोहराऊंगी मगर मेरी एक जो भावना है वह प्रकट करना चाहूंगी कि वास्तव में जो यह काण्ड हुआ है इसकी हम बड़े-बड़े शब्दों में निन्दा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अगर एक बात सामने वाले सदस्यों ने कही कि सी.बी.आई. से जांच करानी चाहिए। मैं इस बात को कभी नहीं नकारती हूं। नहीं करायें, करायें, मुख्य मंत्रीजी जाने, गृह मंत्रीजी जानें। मगर जब रामनिवासजी मिर्धा के लड़के को आतंकवादी ले गये थे उस टाइम क्या सी.बी.आई. से जांच करवायी थी? राजस्थान की पुलिस ने उन को गिरफ्तार किया था। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और अगर मुख्य मंत्रीजी को मेरी बात याद है। मेरे पिताजी ने आपको पत्र लिखा था कि आपकी मां ने आपको पैदा किया है, दूध पीकर के पैदा किया है, इसलिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उनको ऐसे चंगुल में से निकाल कर लाये। वहां कहां सी.बी.आई. थी। मैं यह नहीं कहती कि सी.बी.आई. से जांच करायें या नहीं करायें, जरूर करायें, मगर राजस्थान की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसी जांच नहीं करेगी। राजस्थान की पुलिस वालों के बहन-बेटी नहीं है क्या? उनके भी तो बहन-बेटी होगी। वह भी तो देखेंगे। ऐसी क्या बात हो गयी है। मगर यह बातें अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि एक मछली समुद्र को गन्दा कर देती है अगर एक एस.पी. ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की, उस बात को बतंगड़ बना दिया। यह बात सही है कि उसको करनी चाहिये थी, एक महिला गयी है, बच्ची गयी है तो उसको जरूर करना चाहिये क्योंकि महिला उत्पीड़न व बलात्कार शोचनीय विषय है और इस दिशा में गहनता से कार्य करने की जरूरत है। मगर नहीं की है तो इस बात को अपन बड़ी शालीनता से लें। महिलाओं के साथ इस तरीके से जो बलात्कारी घटनाएं हुई हैं उनकी कड़े शब्दों में निन्दा करती हूं। मगर यह बात भी सही है कि उनको जांच करनी चाहिये थी और अगर जिलाधीश ने भी ऐसी घटना में सहयोग किया है और जैसा कि सामने वाले सदस्य बता रहे हैं तो मैं यह भी चाहूंगी मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से, ऐसे जिला कलेक्टर को तुरन्त सस्पैण्ड किया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट। सिर्फ एक मिनट।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री किशन मोटवानी : आप तो स्पष्टीकरण सरकारी जवाब में दे दीजिएगा। आप तो सरकारी जवाब आएगा तब। मैं, सर, एक मिनट बोल लूं आपकी आज्ञा हो तो?

माननीय अध्यक्षजी, इस प्रकरण के विगत में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इस बात का जिक्र करूंगा कि बार-बार हमारे कानून मंत्री और मदान साहब ने जो बात नये कानून बनाने की कही है, मैं कहता हूं, आज जो हमारा विद्यमान कानून है वह सक्षम नहीं है क्या? आज जो कानून हमारा बना हुआ है उसको अगर समयानुकूल लागू किया जाता, इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी समयानुकूल सतर्क होकर कार्य करती तो आज यह लीपापोती नहीं होती। अब कहा जा रहा है कि सी.बी.आई. को नहीं देकर यहां की ही एजेन्सी करे, इतनी इनडिपेन्डेंट एजेन्सी है तो कर लेती। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिये नये कानून का तो हमको जायजा है, हमने एस.सी.एस.टी. प्रोटेक्शन एक्ट भी

(श्री किशन मोटवानी)

बनाया हुआ है, उसका जायजा हमको मिला हुआ है, किस तरह उसका उपयोग और सदुपयोग होता है और अन्य कानून भी हमारे यहां विद्यमान हैं बनाये गये गये कानून, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नये कानून की कतई आवश्यकता नहीं है। आज का जो कानून है, अपने आप में सक्षम है, मंशा होनी चाहिये। मंशा है तो वह कानून इतना सक्षम है कि जो भी इसमें गुनाहगार थे वह पहले दिन ही पकड़े जाते। किन्तु मंशा नहीं है। आज भी मंशा मुझे लग नहीं रही है। आज 164 का रेफरेंस देकर के इसकी लीपापोती करने का प्रयास किया गया है। मैं कहता हूं, बेसिक इनवेस्टीगेशन का उसूल है कि 161 is the basic statement. उसके अनुकूल क्यों नहीं कार्यवाही की गयी? उसके अनुकूल ही कार्यवाही कर लेते ना। आपने कहा, 164 में तो नाम ही नहीं लिये हैं। जिनके 161 में नाम आये हैं, 161 में उसने जो एलीगेशंस लगाये हैं, उसके अनुकूल कार्यवाही कर लीजिये। आज हमने अदालत में कई बार उदाहरण रखे हैं कि 161 को ही मान्यता मिलती है जब इनवेस्टीगेशन स्टेज होती है। इवन वेल स्टेज पर भी 161 को ही पढ़ा जाता है, 164 तो कापरेटिव, सब्सीक्वेंटली, एट द टाइम आफ ट्रायल एण्ड जजमेंट उसका उपयोग हो सकता है। इसीलिये 164 को आप दूर रख कर के 161 में भी जो आया है उसके अनुकूल कार्यवाही करिये। पर मुझे लगता नहीं। लगता नहीं है कि उसके अनुकूल कार्यवाही होगी इसीलिये हमारी सभी माननीय सदस्यों ने, इवन, मैं कहता हूं, हां पक्ष के सदस्यों ने भी मनोभावना के साथ यह कहा है कि सी.बी.आई. को ही मैटर यदि जायेगा तो न्याय मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री किशन मोटवानी : इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको, और जो राजस्थान पुलिस की काम्पीटेंस की बात करी हमारे जोधपुर से आने वाली सदस्या ने—

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, अब बहुत हो गया है।

श्री किशन मोटवानी : उस केस में हुआ क्या है, हश्र क्या हुआ? चार्ज की बहस पर ही डिस्चार्ज हो गया वह एक्यूज्ड। यह तो है इनवेस्टीगेशन हमारे राजस्थान पुलिस की हुई।

श्री रिछपाल सिंह : जो सूर्यकांताजी ने—

श्री विष्णु मोदी : राजेन्द्र मिर्धा अपहरण काण्ड की चार्ज के स्टेज पर ही डिस्चार्ज हो गया।

श्री किशन मोटवानी : यह तो राजेन्द्र मिर्धा की कही न उसमें। कल ही तो हुआ है साहब। आज नहीं, कल ही हुआ है डिस्चार्ज एक्यूज्ड। इसीलिऐ इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी, जो यहां लोकल है उस पर अब ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए कृपापूर्वक अगर आपका मन साफ है, मंशा साफ है तो सी.बी.आई. से जांच करवाइये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मोटवानी साहब, वह डिस्चार्ज नहीं हुआ। पर्टीकुलर सैक्शन से उसको नहीं माना, बाकी दूसरे सेक्शन में चार्ज लगाये उसके ऊपर। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि डिस्चार्ज हो गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या कहना है?

श्री रिछपाल सिंह : मैं कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने अभी हमारे परिवार से सम्बन्धित बात कही है उसके बारे में कहूंगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मुझे एक मिनट।

श्री रिछपाल सिंह : एक मिनट मंत्रीजी। उन्होंने कहा कि राजेन्द्रजी मिर्धा का अपहरण हुआ उसमें मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी। उस कार्य के लिए राजस्थान पुलिस का और मुख्य मंत्रीजी का राजस्थान की जनता ने आभार प्रकट किया और उस अपहरण काण्ड में न कोई राजस्थान के मंत्री और अधिकारी लिप्त थे, कोई लिप्त नहीं था, इसलिए हम इस काण्ड की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग कर रहे हैं।—(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल लेने दो, बैठो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आप समाज कल्याण मंत्री हैं ना? तो आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो आपको तो, You are on the treasury benches. उसके बाद बोल सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी पहले भी बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह अलवर का जो प्रकरण है सी.आर. नम्बर—328, इस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया है। गृह मंत्रीजी के वक्तव्य में अभी तक पुलिस इनवेस्टीगेशन है, उससे जो तथ्य सामने आये हैं इनका वक्तव्य उस पर आधारित था। प्रश्न यह नहीं है। 17 तारीख से हिन्दुस्तान का कोई भी अंग्रेजी या हिन्दी अखबार नहीं है जिसमें इस प्रकरण की चर्चा नहीं हो और कई प्रकार के तथ्य उसमें नहीं रखे गये हैं। आज भी सदन के अन्दर जो डाकुमेंटरी, जिन डाकुमेंट्स का आपने उल्लेख किया है और सदन के माननीय सदस्यों ने जिन डाकुमेंट्स का उल्लेख, डाकुमेंट्स का उल्लेख आपने नहीं किया, वह रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजे गये हैं, दूसरी जगह भी बयान दिये हैं, कई लोगों से भी पहले इस शोषण के बारे में शोषिता ने बात कही है। इसलिए प्रश्न आज यह खड़ा होता है कि हमारी पुलिस बड़ी काम्पीटेंट है, पुलिस बहुत आनेस्ट है, पुलिस अबोव बोर्ड है, राजेन्द्र मिर्धा के मामले में सी.बी.आई. नहीं आयी, मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि राजेन्द्र मिर्धा के मामले में यहां जो कुछ भी, वह सब इंस्पेक्टर जो था मालवीय नगर का—

उसने जो एक्शन लिया माननीय सदस्या को यह पता होना चाहिये कि यह अशोक नगर थाने के अन्दर जो सभी कॉमन लोग थे यहां बैठे हुए थे। मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्री जी ने उसमें प्रयास नहीं किये, उसमें भारत की इंटेलीजेंस एजेन्सी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मुख्य मंत्री जी से कई दफे मिले हैं। यह इन्टरनेशनल बात भी हो रही थी। इसलिये पुलिस की कामयाबी को हम बिलिटल नहीं करना चाहते हैं। वो प्रश्न अपहरण का था यह मामला इनवेस्टिगेशन का है और अपहरण में आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे इसलिए प्रश्न यह था कि जिनको अपहृत किया गया, राजेन्द्र जी मिर्धा को, उनको छुड़ाया भी जाए और जिन्दा छुड़ाया जाए। इसलिये इसको उसके साथ जोड़ना या पुलिस हमारी ऐसी है, अभी जैसा—वी.पी.सिंह साहब ने अभी जो कलेक्टर के चरित्र के ह्रास की बात कही, पुलिस में भी अच्छे आदमी हैं पुलिस में डिस्होनेस्ट लोग भी हैं। 161 के जो सी.आर.पी.सी. में बयान लिये जाते हैं उसमें विटनेस के सिग्नेचर नहीं होते

(श्री परसराम मदेरणा)

और यह मानकर चला जाता है कि जो कुछ भी स्टेटमेंट वो दे रहा है सही है और वास्तव में कई दफे वो सही नहीं होते हैं। जैसा अभी हमारे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कई दफे पुलिस अगर नहीं करना चाहती है कोर्ट में जाकर के आगे जाकर के अपने आप में उस में मैटेरियम कान्ट्राडिक्शन आ जाएगा। लेकिन वो अपने तरीके से उस केस को टर्न देने के लिए स्टेटमेंट रिकार्ड कर लेते हैं, जो तफ्तीश चुनिन्दा रहे हैं उनको सब मालूम है यह बात और कई केसेज मेरे सामने आये हैं कि पुलिस 161 के बयान अपनी मर्जी से करती है। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इंसाफ और न्याय का तकाजा है, अभी माननीय सदस्या जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में बात कही, लेकिन उनको यह भी जानकारी होनी चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हाइयेस्ट कोर्ट आफ जस्टिस है इण्डिया का उसमें जो प्रतिमा लगी हुई हैं वो एक महिला की है उसके एक हाथ में तराजू है न्याय का और उसकी आंखों पर गान्धारी की तरह पट्टी बंधी हुई है। कामन पारलेंस में यह बात कही जाती है कि "ला इज ब्लाइंड", कानून अन्धा है जो कुछ भी आप इनवेस्टिगेशन करेंगे कोर्ट उस साक्ष्य के आधार पर उस पर निर्णय करेगी। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट अगर निर्णय करती है तो माननीय गृह मंत्री जी 164 के बयान पर जो आप इसको आधार मानकर के किसी का नाम नहीं लिया है। क्या उन्होंने पहले जितने भी कम्प्लेंट्स किये हैं, आज एक और बात भी आप्री विश्नोई जी ने कहा कि मैं किसी को एक्यूज्ड नहीं मानता तो जब तक यह पूर्व नहीं हो बियोंड हिल्ट कि यह गिल्टी है तो कानून उसको इनोसेंट समझता है। क्योंकि कई प्रकार की बातें आ रही हैं, जो आज वातावरण बना है यह केस इतना एम्ब्रोइड हो गया है, यह केस इतना उलझ गया है कि कई तथ्य इसमें ऐसे आ गये हैं अगर आप की जो इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सी है अगर इम्पार्सियल भी रहेगी तो हमेशा इसकी इम्पार्सियलिटी पर सवालिया निशान लग जाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगेंगे।

आज मैं आपको तीन तारीख का जुलाई का पंजाब केसरी है मैं हिन्दी के अखबार शाम को देखता हूं लेकिन आज जब लाकर सभी अखबार डाल दिये तो मैंने देखा, "अलवर सैक्स कांड में पुलिस स्वयं मुख्य अभियुक्त दम्पत्ति को बचाने में तुली" आगे परसों के अखबार में यह आया हुआ था कि उनको फरार करा दिया गया। नहीं कराया होगा लेकिन यह चर्चा है तो प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, अगर यह उठते रहेंगे तो आप कहते होंगे कि हमारे अन्दर क्या कमी हे और हमारी इनवेस्टिगेशन एजेन्सी ऐसी है और हमारी पुलिस इतनी सक्षम है। जिस तरह की आप दलील दे रहे थे अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, यही दलील लालू प्रसाद जी यादव दे रहे थे एनीमल हस्बेंडरी कांड में और पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इंडिपेंडेंड एजेन्सी को दिया जाए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय का यह तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है ताकि किसी प्रकार की शंका-आशंका की सुई इंवेस्टिगेशन के बाद होम मिनिस्टर की तरफ घूमती न रहे, इशारा नहीं करे और यह करेगी चाहे आप कुछ भी कर लीजिये Yours is a trans parent Government, very sensitive to such issues.

नारी जाति की यहां पर हमने जो चर्चा की है उसके सम्मान की, उसके स्वाभिमान की और

(श्री परसराम मदेरणा)

उसकी इज्जत की हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सभी पालिटिकल पार्टीज प्रिंसिपली एग्री कर चुकी हैं कि 33% लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिये और अगर किसी महिला को इतना भयभीत कर दिया गया अश्लील फोटो से जुड़ा हुआ है यह मामला। अजमेर का मामला भी अश्लील फोटुओं से जुड़ा हुआ था। अखबारों में पढ़ रहा हूं। मुझे मालूम नहीं है इसके फैक्ट्स क्या हैं इसके 6 विटनेसेज जो थे उनके मर्डर हो चुके हैं, विटनेसेज के। अजमेर की बात है। क्या गारंटी है कि जब तक अन्धा कानून अपना फैसला करे तो इसमें शाहादत बचेंगे या नहीं बचेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपने सहर्ष ही अपने लक्ष्य बनाये थे 5-6 शुचिता, स्वच्छ प्रशासन, स्वदेशी, सुरक्षा और स्वराज, यह "राम राज्य" और 'स्वराज' अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको सी.बी.आई. के इनवेस्टिगेशन के अलावा यह शुचिता भी नहीं रहेगी, ट्रांस्पेरेंसी भी नहीं रहेगी और आप अबोव बोर्ड कंडक्ट भी नहीं रहेगा। अगर आप यह डिफेंड करते हैं यहां सदन के अन्दर कि हमारी पुलिस से ही हम करवाऐंगे और यह तथ्य है, तो हमेशा सरकार पर भी यह आरोप लगता रहेगा। आप कहेंगे मैं तो कभी बोलूंगा नहीं और मैं इस प्रकरण पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। यह ऐसा सेसेंटिव मैटर है, धारीवाल जी जो मुंह फाड़ रहे हैं जैसे कि यह भोंपू बंद कर रहे हैं, **आपका मुंह बंद नहीं कर रहा हूं मैं मेरी बात कर रहा हूं।**

श्री नन्दलाल मीणा : आप तो फ्री हैं। ये फ्री हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ही इज फ्री लांसर। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनडिफेंसिबल को डिफेंड मत कीजिये। क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूं ऐसा, हालांकि कोल्ड स्टोरेज वाले आर्टिकल के अन्दर स्वायत्त शासन मंत्री जी के बारे में कुलिश जी ने कुछ लिख दिया उससे पहले तो मैं कह चुका हूं यहां पर कि "his face is stony and stoic." इससे मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि यह क्या है इनके कोई इमोशन नहीं है। जब उन्होंने लिखा तो मैंने कहा क्योंकि मेरे पुराने मित्र रह चुके हैं, आजकल मैं मिलता नहीं हूं तो मैं कुलिश जी से कहूंगा कि मैं इनके बारे में मेरा इनके व्यक्तित्व के बारे में, और मेरा उससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि और चेहरे से मालूम हो जाता है।

गृह मंत्री जी काफी कोशिश करते हैं लेकिन फिर तैश में आते हैं, ये खुल जाते हैं। चाहे कितना भी छिपाओ। यह खुली किताब की तरह रहना चाहिये। वाजपेयी जी ने 28 तारीख को कहा था कि "मेरी जिन्दगी एक खुली किताब है"। वो भी ब्रह्मचारी और आप भी ब्रह्मचारी, आपकी भी खुली किताब। आपकी खुली किताब मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपकी भाषा कुछ और ही है। इसलिए हमारी यह मांग है कि मेहरबानी करके आप जांच सी.बी.आई. से कराइये। हमारी पार्टी के सदस्यों ने यह भी मांग की है कि प्रभारी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये। आप क्यों ताली बजा रहे हैं। मैं यह मांग करूंगा या नहीं करूंगा। देना चाहिये, क्यों देना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसकी जो तरक्की और प्रमोशन हुआ, इसको चेयरमैन सोशल वेलफेयर **बोर्ड बनाना चाहते थे राजस्थान के समाज कल्याण बोर्ड का। इसकी तरक्की में कौन इन्ट्रेस्टेड था तो सूई उनकी तरफ जाती है और एक दफे नहीं उसको पहले डिस्ट्रिक्ट कन्जूमर** फोरम की सदस्य, फिर बोर्ड की मैम्बर्स, फिर बोर्ड की उपाध्यक्ष, मैं उसकी मैरिट में भी नहीं जाना चाहता, शायद वो इनोसेंट है और बनने

(श्री परसराम मदेरणा)

के लायक भी हो, फिर उसका बोर्ड की अध्यक्ष बनाने के लिये पत्र और उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी एडहाक, इसको जो चेरमैन बनाने की बात कही है, इस प्रकार का प्रावधान हमारे रूल्स में नहीं है। आपने पढ़ा भी था। You have got the letter, subsequent letter also. मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी के बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उसको अभी अपराधी भी नहीं मान रहा हूं। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये जो बच्ची है मिस. गुप्ता, ये इतवी भयभीत और डर गयी थी कि 164 के बयान में उसके बाप ने पूछा कि तूने ये बात क्यों नहीं कही मुझे। जिस 164 के बयान को आप आधार मानकर चलते हैं, कि मैं तो इतनी भयभीत और डर गयी थी कि या तो मैं आप से कहती या मैंने सोचा भी था कि मैं आत्म हत्या कर लूं या फिर आप से बात करूं। और जो 25 हजार का एडवरटाइजमेंट वाला पैसा जब उसको एक नहीं मिला जिसकी वह अध्यक्षा है और यहां पर 3 लाख 85 हजार के परिवार कल्याण, ऐसा कुछ है, जो दोनों के लिये लोन लिया था, वह सोचती थी कि उसका भी वही अंजाम होने वाला है जैसा इस 25 हजार रुपये में मेरे से चैक पर सिगनेचर करवा कर इलाहाबाद बैंक से ड्रा कर लिया और मुझे एक पैसा नहीं दिया। इसलिए आज मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अखबारों में आ रही है यह बात। यह बात आपसे छिपेगी नहीं और ये गलियारे की तरफ जिस तरफ आप बैठते हैं उस तरफ उसकी सूई जा रही है। इसलिये यह सरकार की ट्रांसपेरेंसी में, उसकी शुचिता के लिये और न्याय और इंसाफ का तकाजा है कि आप इस केस को सी.बी.आई. को सुपुर्द कर दें। जहां तक दिलावर साहब का प्रश्न है, वो अभी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं और अगर बहुत ही निर्दोष हैं वो तो सी.बी.आई. जो है नरसिम्हाराव जी के बेटे से भी इन्वेस्टीगेशन करती है, इनसे भी कर लेगी। तो भी उसमें आप निर्मल और पवित्र होकर निकलेंगे। इसमें बहुत आपका आचरण स्वच्छ ही है लेकिन जनता माने या नहीं माने जनता में भी यह जाना चाहिये Caerar's wife should not only be honest but she should be above suspicion.

अगर आप एबोव सस्पीसन इस केस में रहना चाहते हैं तो सी.बी.आई. से इनवेस्टीगेशन अपरिहार्य है और हमारी यह मांग है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत मन की पीड़ा के साथ इस विषय को यहां उठाया। मैं इस घृणित कृत्य की निंदा करता हूं और मैं यह भी अपेक्षा करता हूं, जैसे माननीय सदस्यों ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, मैं निष्पक्ष जांच की जो सलाह दी, उसको भी स्वीकार करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 बातें यहां आई और जो मेरे विषय में कही गयीं हैं। एक बात तो यह कही गयी है कि 11 तारीख को मैं अलवर गया, यह सच है कि 11 तारीख को मैं अलवर में समिति के कार्यक्रम में भाग लेने के लिये वहां गया था। वहां सर्किट हाउस में मेरे को रचना गुप्ता के भाई नरेन्द्र गुप्ता मिले। यहां कहा गया है कि रचना गुप्ता मेरे से मिली है। यह साफ असत्य है। मेरे से आज तक रचना गुप्ता नहीं मिली हैं, न मैं उनको जानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरे को सुनें।

156

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं तो यह चाहूंगा कि अगर वह अरेस्ट होती है और बेल हो जाती है तो दूसरे जो आरोपी हैं उससे ही मुझे मिलने में हिचक नहीं है, क्योंकि विश्नोई जी ने भी उस बात को रखा है, मिलने में तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्वयं रचना गुप्ता ने आकर के मेरे को यह कहानी बतायी, यह असत्य है। ज्यों ही मेरे को उसके भाई नरेन्द्र गुप्ता ने यह सारी बात बतायी मैंने तुरन्त अलवर के एस.पी. को सर्किट हाउस में बुलाया—

श्री परसराम मदेरणा : किस को ?

श्री मदन दिलावर : अलवर के एस.पी, पुलिस अधीक्षक को, 11 तारीख को और सर्किट हाउस में बुलाकर जीतमल जी जैन और नरेन्द्र गुप्ता की उपस्थिति में मैंने उनको कहा कि तुरन्त इसकी एफ.आई.आर. लेकर के और इसमें तुरन्त सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, कोई दोषी बचना नहीं चाहिये और मैंने कहा नरेन्द्र गुप्ता से कि जब तुम्हारी बहन का मामला है तो आपने अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करायी ? एफ.आई.आर. प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। आप दर्ज कराइये। उन्होंने कहा कि साहब मैंने अभी नहीं करायी है और मैं रिपोर्ट दर्ज करा देता हूं। एस.पी. ने कहा कि ज्यों ही यह रिपोर्ट करवाऐंगे मैं तुरन्त उस पर पूरी मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करूंगा।

मैं वहां से,जैसा बताया कि, मेरे को पत्रकारों ने बताया है, मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊं, वो उसका कार्यक्रम है, यह भी असत्य है। मेरे को उसके पहले कोई पत्रकार नहीं मिले। मैं उस कार्यक्रम से जब लौट कर आ रहा था तो उन्होंने वहां मेरे को रोका और रोक कर के पूछा कि क्या आपको नरेन्द्र गुप्ता ने रचना गुप्ता के बारे में कुछ चर्चा की हैं ? मैंने कहा कि चर्चा की है और इस प्रकार की चर्चा की है कि उसकी बहन को ब्लैक मेल किया गया है और उस समय मैंने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक, अलवर को बुला कर के निर्देश दिये हैं कि इसमें सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये। मैंने कहा यदि यह आरोप सत्य हैं तो इससे घृणित काम कोई नहीं हो सकता और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी मुस्तैदी से इस पर ध्यान रखेगी। मैंने यह भी कहा कि जो नवोदय समाज, इसकी जो समिति है इसमें जो भी वित्तीय अनियमिताएं हुई होंगी, इसकी चीफ अकाउंट आफिसर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उसकी सारी जांच करवाउंगा। मैं यहां आया फिर नरेन्द्र गुप्ता मेरे को मिले। मैंने कहा कि आप एफ. आई. आर. दर्ज करवा रहे हैं, साहब मैं करवा दूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन को लेकर मैं जयपुर में 2-4 बड़े लोगों की उपस्थिति में उसकी बात आप सुनें और पुलिस अधिकारी भी वहां रहे। उसने और हमने मिलकर के 18 तारीख तय की। 18 तारीख को रचना गुप्ता, नरेन्द्र गुप्ता, जीतमल जी जैन साहब वहां के यहां आने वाले थे और आकर के 2-4 लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में चर्चा करते कि वास्तव में क्या बात है, सारा ध्यान आता। वह 18 तारीख को नहीं आये। उन्होंने वहां एफ.आई.आर., प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। 15 को करायी थी या 17 को करायी थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं ज्योंही दौरे से लौटकर के आया, मैंने मेरी विभाग के सेक्रेटरी और डाइरेक्टर को बुलाया और कहा कि जब मैं अलवर गया था तो मेरे को शालिनी शर्मा के बारे में इस प्रकार की बात बतायी है और इस प्रकार के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। इसलिये

(श्री मदन दिलावर)

हमको यह देखना है कि शालिनी शर्मा जो हमारे बोर्ड की उपाध्यक्षा हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है।

सैक्रेटरी ने, कानून, नियम और एक्ट पढ़कर के मेरे को बताये कि शालिनी शर्मा को हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यह जो सैन्ट्रल बोर्ड हैं, उसको नियुक्त करने और हटाने का अधिकार है। हम उसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार के आरोप लगे हैं इसलिये इनको हटाना उचित है। मैंने स्वयं उसी दिन, 18 तारीख को यह लैटर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं थे, इसलिये मैंने ही उस फाइल पर एप्रूवल देकर सैक्रेटरी को निर्देश दिये कि आज यह पत्र जाना चाहिये। हमारी सचिव से किसी प्रकार से यह छूट गया था कि श्रीमती शालिनी को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाए, यह उसमें लिखा था। तो मैंने उसमें हाथ से लिखा कि उपाध्यक्ष पद से ही नहीं, उसकी प्राथमिक सदस्यता से भी उसको हटाया जाए और मेरे हाथ का लिखा हुआ है। उस पर मैंने भेजा, दो-तीन दिन में उसकी एप्रूवल आ गयी। तब हमने उसको हटा दिया।

यहां पर यह बात आयी कि उसको सदस्य कैसे बनाया? मैं सच कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में डिस्कशन हुआ था कि किस किस को सदस्य बनाना है। उस डिस्कशन में शालिनी शर्मा का नाम नहीं था। श्रीमती उर्मिश दायमा का नाम था, उर्मिश दायमा श्री जगतसिंह जी दायमा की पत्नी थीं। वे पार्टी से निकाल दिये गये थे। इसलिये हमने सोचा कि जब राजनैतिक पार्टी की दृष्टि से सब जब मैम्बर बनाते हैं, इस दृष्टि से इनको बनाना उचित नहीं है। अलवर के लोगों ने और स्वयं ने आकर के अपना आवेदन दिया और कुछ चर्चा की, क्योंकि वे अलवर की थीं और एक जिले से एक मनोनीत करना होता है इसलिये उर्मिश दायमा का नाम मैंने मेरे हाथ से काट कर शालिनी शर्मा का नाम लिखा है। दस्तख्त मैंने "मदन" ऐसा लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह मेरे हाथ से काटा गया है।

फिर एक दूसरा आरोप लगाया गया है कि उपाध्यक्षा मैंने बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्षा मैंने नहीं बनाया है। समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती सारिया खान हैं, जो कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने उसको उपाध्यक्षा बनाया है।

फिर एक चर्चा और आयी है कि समाज कल्याण मंत्री ने, तीन लाख समथिंग, कुछ ऐसा अमाउण्ट बताया है, उसकी स्वीकृति की या फाइल पर अनुमोदन किया। समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की कोई भी पत्रावली मेरे पास नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपसे नहीं दिल्ली से हुई है।

श्री मदन दिलावर : मेरी बात सुन लीजिए। मैं स्पष्ट कर लूं। मेरे पास कोई पत्रावली नहीं आयी, मेरे को कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मैं इतना कहना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग ने अभी तक उस संस्था को एक पैसा भी अनुदान नहीं दिया है। बोर्ड ने दिया होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। परन्तु जो जानकारी आयी है उस हिसाब से कह सकता हूं कि 17 हजार समथिंग अभी तक उसको अनुदान बोर्ड ने दिया हुआ है और यह स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जिस प्रकार से मेरे पर अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात ध्यान में आयी है। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए। एक आरोप और लगाया गया है कि

(श्री मदन दिलावर)

मैंने उसको अध्यक्षा बनाने के लिये रिकमण्ड **किया। यह असत्य है।**...(व्यवधान) मेरी बात सुनें। श्रीमती सारिया खान का कार्यकाल पूरा हो गया था। जब श्रीमती सारिया खान का कार्यकाल पूरा हो गया था। पूरी बात सुनिये। तो यह बात आयी, हमने तीन का पैनल बनाया। परन्तु, उसके पहले कार्यकाल ज्योंही खतम हुआ सरकार की तरफ से एक पत्र स्टीन में गया। मेरे डाइरेक्टर और सेक्रेटरी से प्रपोजल आया। उसमें कोई नाम नहीं है। उसमें यह आया कि या तो डाइरेक्टर को प्रशासक बना दिया जाए या उपाध्यक्षा को कुछ समय के लिये चार्ज दे दिया जाए। उसमें अध्यक्षा बनाने का कहीं भी नहीं है और ऐसे का ऐसा ही पत्र मेरे सैक्रेटरी के हस्ताक्षर से भारत सरकार को लिखा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कार्यकाल खतम नहीं हुआ है।

श्री मदन दिलावर : मैंने भी बड़ी शालीनता से सुना है, आप भी थोड़ा धैर्य रखिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सारिया खान और सरकार के बीच एक विवाद था। विवाद यह था कि श्रीमती सारिया खान यह कहना चाहती थीं कि मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। हम कह रहे थे कि जिस दिन से उनको नियुक्ति दी गयी है, उस दिन से तीन साल पूरे हो गये हैं इसलिये स्वतः ही उनको हट जाना चाहिये था। सरकार की भी मंशा थी **कि उनको हट जाना चाहिये। इसलिये हमने विचार-विमर्श करके उनको हटाने के लिए, उसमें ऐसा था, उपाध्यक्षा या, यह अल्टरनेटिव व्यवस्था थी**, परमानेंट नहीं थी। 3 का पैनल हमने बाद में भेजा है। उस में शालिनी शर्मा का कहीं अध्यक्ष बनाने नाम के लिए और हमने भी कहा कि आप स्वीकार करें या न करें परन्तु सरकार की तरफ से आज भी समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड पर प्रशासक हमारे डायरेक्टर नियुक्त हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई आरोप मेरे ऊपर ऐसे लोगों ने लगाये हैं, जो दुराचारी हैं। मेरे ऊपर ऐसे-ऐसे आरोप लगाये हैं, जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रचना गुप्ता मेरी बहन नहीं है, रचना गुप्ता में मेरी बेटी का स्वरूप नहीं दिखायी देगा और रचना गुप्ता में मेरी मां का स्वरूप नहीं दिखायी देगा।

तो फिर इस प्रकार के आरोप और इस प्रकार के लोग मेरे पर आरोप लगायें। मैं कहता हूं कि + + + इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाये। मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) मैं इनका पार्टनरशिप में एक पेट्रोल पम्प है, उसके आगे एक मवासा गांव है। + + + (व्यवधान) सुन लीजिए। सुन लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कहीं पर भी मेरा पेट्रोल पम्प हो या मेरे किसी रिश्तेदार का हो तो मैं इस सदन से त्यागपत्र देने को तैयार हूं या फिर इनका त्याग-पत्र ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पहले सुन लीजिए। शांतिकुमार धारीवालजी को मैंने दिल पर पत्थर रखकर सुना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्रीजी, **अगर हिन्दुस्तान में कहीं भी मेरा या मेरे रिश्तेदार का पेट्रोल पम्प हो तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं वरना अपने मंत्रीजी का त्याग-पत्र दिलवा दीजिए। (व्यवधान)** कहीं पर भी जो पेट्रोल-पम्प आप बता रहे हो, जाकर के सील करो। (व्यवधान)...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : अच्छा आपका नहीं होगा। आपका नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने— (व्यवधान) पेट्रोल पम्प सील करवाया। इसका क्या नतीजा निकला? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अच्छा, धारीवालजी यह कहना चाहते, हैं मेरी जानकारी में इनका पेट्रोल पम्प है। ये कहते हैं, इनका पेट्रोल पम्प नहीं है, मैंने मान लिया, नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं है? माफी मांगो।

श्री मदन दिलावर : मान लिया। आप कहते हैं, इसलिए मान लिया। (व्यवधान) परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रपति शासन में, मुझे तारीख तो ध्यान नहीं है, + + + (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बोलो, पेट्रोल पम्प आपके नाम कर दूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर + + + यदि मेरे ऊपर आरोप लगाये। (व्यवधान) + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर ऐसा हादसा हो गया हो (व्यवधान) मुख्य मंत्री महोदय, अगर मेरी जिन्दगी में कभी ऐसा हादसा हो गया हो और आपकी पुलिस साबित कर दे या गांव का कोई भी आदमी कहता हो तो इस सदन से मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। (व्यवधान) ये अपने बचाव के लिए असत्य बातें कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : + + +

अब मैं इस सदन के सामने कहना चाहता हूं। यह कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे फैक्ट्स की तो आप किसी से भी जांच कराइये लेकिन मदन दिलावर की भी सी.बी.आई. से जांच करवा लीजिए। यदि मैं दोषी होऊं तो मंत्री पद तो क्या मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुराचारियों को इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने एक्सप्लेनेशन देते वक्त—(व्यवधान)—

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय इस चर्चा पर माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

मुख्य मंत्रीजी के जवाब देने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति की पदाधिकार के देह शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री परसराम मदेरणा : सोशल वेलफेयर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(170)

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनिस्टर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत स्पष्ट बात कही है। It is a confessional statement. Confessional statement in the sense that on 11 th of June. गये थे न आप इस फंक्शन में, 11 तारीख को गये थे कि नहीं? आप बतायें? 11-12 को कभी गये थे और नरेन्द्र गुप्ता, उस बच्ची का भाई इनसे मिला और ब्लैक मेल की इनको बात कही। मीटिंग में नहीं सर्किट हाउस में। मीटिंग में कही थी?

एक माननीय सदस्य : लिखित में दिया।

श्री मदन दिलावर : लिखित में नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, लिखित में नहीं दिया। वह तो उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर. देने की मैंने कही थी और जब मीटिंग में आ रहे थे तो कुछ लोग और भी मिले, प्रेस वाले, तो उन्होंने कहा मुझे मिले थे, उन्होंने यह बात कही है ब्लैक मेल की और मैंने इंस्ट्रेक्शन दिये हैं और एस.पी. को मैंने निर्देश दिये हैं। क्या पुलिस कोड में और इंडियन प्रोसीजर कोड—the moment, the police officer right from the S.H.O. to the Director General of the Police, अगर उसके नोटिस में यह बात आ जाती है that the cognizable offence has been committed, cr. P.C. automatically rolls. यह ज्योति बसु के केस में हाई कोर्ट द्वारा फैसला हुआ है। उसके बाद में एस.पी. ने इस केस को रजिस्टर्ड नहीं किया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री क्या करेगा?

श्री परसराम मदेरणा : वे क्या करेंगे, वे क्या करेंगे?

एक माननीय सदस्य : जबानी था।

श्री परसराम मदेरणा : एफ.आई.आर. हमेशा राइटिंग में नहीं लिखी जाती है (व्यवधान) उसकी इनफोर्मेशन आ गयी है, उसका भाई सामने था।

एक माननीय सदस्य : जबानी था।

श्री परसराम मदेरणा : हां, जबानी लिखी जाती है। एफ.आई.आर. 60 पर्सेण्ट जबानी लिखी जाती है। लिखित बहुत कम होती हैं। ओफेंस के कमिट होते ही जाकर कोई जबानी कहता है तो यूं कि यूं एफ.आई.आर. ली जाती है। As good as an F.I.R. given in black and white. प्रोसीजर बिलकुल क्लियर है इसमें, 154 में। Section 154 of the Cr. P.C. अब उसमें आप, यह तथ्य भी सामने आया है, बच्ची के पिता ओमप्रकाश जी गुप्ता ने यह बात कही है कि 15 तारीख को मैं गया था, पुलिस कोतवाली में और मैंने जाकर यह एफ.आई.आर. दी। एस.एच.ओ. ने कहा कि नहीं, आप एस.पी. साहब को दो। यह भी कोई मैम्बर यहां पर रीअलाइज कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो लाया हूं आपके नाम लिखकर, एच.एच.ओ. साहब के। तो उन्होंने कहा, इस पर एस.पी. लिख दो ऊपर। 15 तारीख को वह कम्प्लेन एस.पी. को दे दी जाती है। यह तथ्य भी यहां सामने आया कि एस.पी. जयपुर आये थे, आये थे कि नहीं आये मुझे पता नहीं लेकिन यह एलिगेशन लगा है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आये थे।

श्री परसराम मदेरणा : 17 को जाकर के, एफ.आई.आर. के पीछे लिखा है कि यह एफ.आई.आर. कैसे आयी मेरे पास एस.एच.ओ. ने, डाक से भेजी मेरे पास, एस.पी. को पेश हुई है। इसमें कोई तारीख नहीं है। उसने लिखा है

(171)

(श्री परसराम मदेरणा)

कि मेरे पास आज 17 तारीख को आयी है और उसने केस रजिस्टर्ड कर दिया। यह कि यह एफ.आई.आर. थी, ब्लेक-मेल का मैटर था, बच्ची को डरा-धमका कर उसके साथ बलात्कार हो रहा था और कॉग्नीजीबल ओफेंस था उसके बाद में इमीजिएटली केस का रजिस्टर्ड नहीं होना और 11, 12 के बाद में, बीच में यह बात रहना, अब एस.पी., The Superintendent of Police is an I.P.S. officer who is a law knowing person.

उसके ध्यान में आने के बाद, जब कॉग्नीजीबल ओफेंस और वह जो एफ.आई.आर. आएगी जब हम लिखेंगे, यहीं पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और इम्पार्सियलिटी पर भी सवालिया निशान लगता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन सबको बरी करने के लिए, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। किसी को संरक्षण देने का सवाल नहीं है, कहने से कुछ नहीं है। तथ्य को they speak otherwise; diametrically opposite.

इसलिये मेरी दुबारा पुरजोर मांग है कि इंसाफ कराने के लिऐ, न्याय हो और हर चीज अबोव सस्पीशन रहे, यह केस सी.बी.आई. को दिया जाना चाहिये। पुलिस तो पहले बीच में इनसे मिली हुई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मान्यवर, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि राज्य मंत्री महोदय ने एक माननीय सदस्य के लिए अपमानजनक, भद्दे और इस तरह के आरोप लगाये हैं, उसका इस डिबेट से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए वे कार्यवाही हटाये जाने चाहिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही है। मैं एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं_(व्यवधान)_

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक्सपंज किये जाने चाहिये। उन्होंने कहा है तो आपको एतराज उसी वक्त करना चाहिये था। इस तरह से यह कोई_(व्यवधान)_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक्सपंज मत करवाइये साहब, मैं नोटिस दूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह विधान सभा है, राजस्थान की_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक्सपंज मत करवाइये। इन्होंने जो कहा है, उसको लिखिये आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस तरह की वार्ताएं अन्दर नहीं जाएंगी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसको लिखिये। मैं नोटिस दूंगा और नोटिस देकर के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये-विराजिये

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी इसमें रूलिंग क्या है?

श्री अध्यक्ष : जो असंसदीय है, मैं उसको निकाल दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मतलब?

श्री अध्यक्ष : जो भी असंसदीय बात है, मैं उनको निकाल दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मतलब?

श्री अध्यक्ष : जो भी असंसदीय बातें हैं मैं उनको निकलवा दूंगा।

श्री जुबेर खान : एफ.आई.आर. में लिखा हुआ है कि मैंने उक्त घटनाक्रम की जानकारी माननीय मंत्री महोदय को दी। (व्यवधान)

(172)

श्री परसराम मदेरणा : (Interruption) ......that is an allegation without notice.

श्री अध्यक्ष : असंसदीय कोई भी शब्द होंगे, मैं निकाल दूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : असंसदीय शब्द, अपमानजनक शब्द।

श्री अध्यक्ष : हां, वे सब शब्द।

श्री ज़ुबेर ख़ान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि लड़की ने...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री ज़ुबेर ख़ान : इस सदन में चर्चा लड़की के बयानों पर हो रही है। लड़की ने जो एफ.आई.आर. दर्ज की है, उसमें साफ लिखा है, इसके बाद इस घटनाक्रम की जानकारी मंत्री महोदय को दी जिससे अन्य कोई लड़की इस गिरफ्त में नहीं आ सके, मैंने दी। नम्बर दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। यह जांच की बातें हैं, आप विराजिये।

श्री ज़ुबेर ख़ान : उन्होंने कहा है कि वाइस चेयरमैन उन्होंने नहीं बनाया। वाइस चेयरमैन सारिया खान ने बनाया। रूल में क्लियर है Vice Chairman and Treasurer will be elected from the members themselves.

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री ज़ुबेर ख़ान : जब 28.4.1995 को पहली बैठक हुई है, जिसमें...

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं। विराजिये आप। कोई अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। आप विराजिये। कोई भी अंकित नहीं करे।

श्री ज़ुबेर ख़ान : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। We are not investigating Officers. विराजिये आप।

श्री ज़ुबेर ख़ान : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। कोई अंकित नहीं करें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री ज़ुबेर ख़ान : XXX

श्री अध्यक्ष : उजलाजी, आप भी विराज जाएं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसलिये उठा है, क्योंकि माननीय मंत्रीजी ने वाइस चेयरमैन को सैण्ट्रल बोर्ड को लिखने की जो बात कही है, सारिया खान बना ही नहीं सकती। She will be elected Vice Chairman from amongst the members नहीं-नहीं, कोई सारिया ने नहीं बनाया।

एक माननीय सदस्य : मैम्बर बनाया है न उन्होंने। उन्होंने कहा है यह।

श्री परसराम मदेरणा : इनको पता नहीं है। मैंने सुना नहीं था अगर यह बात कही है तो he has mis-led the House.

इसमें क्या है, आप सुनिये, सात मैम्बर तो सैण्ट्रल बोर्ड के जो नाम भेजे थे, कइयों के तो

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

रोक दिये आपने, सात का नोटिफाई उसमें किया और 14 मेम्बर नाम्स में हैं, जिनको कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी पार्लेंस में, उसका नोमिनेशन, आपने नाम दिये और उसमें एक इसका नाम भी नम्बर दो पर है। आपने काटा नहीं कास, वह लैटर क्या है, क्या नहीं है, मैं तो नोटिफिकेशन जो गजट में छपा हुआ है उसका जिक्र कर रहा था इसलिए इसमें न तो आपको लिखना था, चेयरमैन को उन्होंने बनाया नहीं। यह बात सही कह रहे हैं। इसलिये यहां इलेक्शन हुआ, पहली मीटिंग में उसको वाइस चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन सैंट्रल बोर्ड नोमिनेट करता है, उसका गजट नोटिफिकेशन पहले हो गया था। इसलिये यह कानूनी बात थी, यह कानून से अनभिज्ञ हैं, आप यों फालतू ही क्यों उलझ रहे हो इससे। —(व्यवधान)—

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई है उस चर्चा के सन्दर्भ में, मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

इस समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

श्रीमती सारिया खान, यू.आर. कोरैया, श्री पंकजा मधु, डा. एमी. त्रिवेदी, श्री के.एम. डिंडर, श्री अवतार सिंह, श्रीमती गोविन्दी पंवार, श्रीमती पुष्पा नाहटा, डॉ. मधुलिका सक्सैना, श्रीमती प्रभा कमापुरिया, श्रीमती प्रेमलता खत्री, श्रीमती भगवती रूपानी, श्रीमती किरण कोठारी, श्रीमती कमला सोनगरा, सुश्री भगवती सिंह मेघवाल, श्रीमती कमला कुशवाह, कुमारी निर्मला मीणा श्रीमति शालिनी शर्मा, श्रीमती कमलेश माथुर, श्रीमती मधु दाधीच, सुश्री सुमित्रा कांतियां, सुश्री किरण माहेश्वरी और श्रीमती रमा देवी बसु। कोशिश इस बात की की है कि हर जिले से एक-एक सदस्य इस बोर्ड की सदस्या बन जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जहां तक उपाध्यक्ष बनाने का प्रश्न है, इसकी प्रोसीडिंग्स में लिखा है—"अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बोर्ड के विधानानुसार, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन बोर्ड सदस्यों में से किया जाना है, उन्होंने इस हेतु सभी सदस्यों की राय प्राप्त कर सर्वसम्मति से श्रीमति शालिनी शर्मा, उपाध्यक्ष एवं श्रीमती भगवती सिंह मेघवाल को कोषाध्यक्ष के पद हेतु चयन किया गया।" अब इससे एक बात तो स्पष्ट हो गयी है कि चयन में, मैं बोल लेऊं, अब मैं थका हुआ भी हूं—

श्री परसराम मदेरणा : —(व्यवधान)— चेयरमैन थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो बन गयी न। —

श्री परसराम मदेरणा : और चेयरमैन होते ही उन्होंने यह कहा कि दो जो हैं उसका चुनाव करना है, तो यह चुनाव हो गया। चुनाव हो गया तो उसने घोषणा कर दी It is not a nomination.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? कौन बोला और कौन नहीं बोला? किसने नाम प्रपोज किया और किसने उसका विरोध किया? इससे मेरा मतलब नहीं है। मैं प्रोसिडिंग के आधार पर बोल रहा हूं कि उपाध्यक्ष का चयन पूरे बोर्ड ने किया है इसलिये यह बात कहना कि मंत्रीजी ने उसको उपाध्यक्ष बना दिया, यह बात बिलकुल सही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : सारिया खान ने भी नहीं बनाया। मंत्रीजी ने कहा कि सारिया खान ने बनाया, यह भी गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बोर्ड ने बनाया है। बोर्ड ने बनाया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 21 में से 14 मेम्बर बीजेपी. के और 7 मेम्बर कांग्रेस के थे केवल।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। __(व्यवधान)__

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं थोड़ी देर बोल पाऊंगा इसलिये जो कुछ मैं बोल पाऊं उसको सुन लें।

अध्यक्ष महोदय, यह मीटिंग हुई थी 28.4.1995 को। अब प्रश्न यह आया कि एक ने कहा कि एफ. आई. आर., 161 का बयान, 164 का बयान, और दीपेन्द्र सिंह जी ने कहा कि उसका स्टेटमैंट टेपरिकार्ड हुआ है या कोई कैसेट बना है। मैंने चारों को देखा है और मदेरणा साहब चाहें तो में चारों की प्रति उनको दे देता हूं, चारों में ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है जिसके कारण यह इल्जाम लगाया जा सके कि उसको दबाया गया, 15 लाख रुपये उसको दिये गये। किस की हैसीयत है 15 लाख देने की? 15 लाख रुपये दिये गया या उस पर और किसी प्रकार का प्रभाव डाल कर उसके बयान बदलवाये गये। 161 का बयान तो कोई बदल नहीं सकता, एफ.आई.आर. भी बदली नहीं जा सकती। आपका आरोप है कि 164 के बदलवाने के लिये पैसे दिये गये, तो उसके पहले एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी उसके बाद में 161 के बयान दर्ज हो गये और जिस समय 161 के बयान दर्ज हुए उसका भी उस समय एक कैसेट भी तैयार कर लिया गया। कैसेट का मेनुस्क्रिप्ट भी मेरे पास है, मैं उसका सारा तीनों को पढ़ कर, उनका कम्पेरिजन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया है कि विपक्ष के नेता यदि चाहें तो तीनों की प्रतियां उनको दे सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : वीडियो कैसेट दे दो __(व्यवधान)__

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह भी दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो खुद साइकेटिस्ट हूं मैं देख लूंगा कि उसके बयान प्रेशर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप केवल ट्रांस्क्रिप्शन मुझे दें तो उससे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं उसका फेस रीडिंग करूंगा कि यह प्रेशर में है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बता दिया न। जो मैंने वीडियो कैसेट सुना नहीं है, __(व्यवधान)__. मैं आपको बता देऊंगा__ मैं मंगा लेऊंगा, आपको दिखा दूंगा इस में कोई छिपी हुई बात नहीं है। आज जो मेरे पास है वह सब कागज मैं आपको दे देऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं तो आपके घर आ जाऊंगा। यह एक मेरे दल में ही बहुत गलतफहमी चल रही है कि यह कोई मिले हुए हैं और तमामची है। न तो मैं आपसे मिलता हूं, न मैं आपके घर आपसे मिलता हूं, न मैं ऐसा प्रयत्न करता हूं__

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मदेरणा साहब, आप मेरे घर आकर देखोगे तो लोग कहेंगे वाकई ही मिले हुए हैं। इसलिये मैं आपको__

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसकी परवाह ही नहीं करता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करनी भी नहीं चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : जब सच्चाई है तो यह लोग 20 बात कहते रहेंगे__

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करनी नहीं चाहिये, बिलकुल सही है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मेरी पार्टी और मेरे सिद्धान्तों के साथ बिट्रयल कर के और टेबल के अन्दर से आप और मैं दोनों हाथ मिलावें, न तो आप पसंद करेंगे—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो नहीं करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : और मैं स्टर्लिंग करेक्टर का आदमी हूं, न मैं ऐसा धंधा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करना भी नहीं चाहिये।

मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि मेरे पास जो वीडियो कैसेट है, मैंने उसको देखा नहीं लेकिन मैंने सुबह जब मिली—

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो यह कह रहा था कि मैं आपके घर आ जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, मैं आपको ही दे देऊंगा घर आने की कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास वी.सी.आर. नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब मुझे वीडियो कैसेट मिला, रात को मुझे कहा गया कि वीडियो कैसेट एवेलेबल है, तो मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैंने उनसे कहा कि इसका आप एक मेनुस्क्रिप्ट तैयार कर के मुझे दे दें। मेनुस्क्रिप्ट सुबह मेरे पास आ गया, मैंने सुबह देखा है और तीनों में इस प्रकार का अन्तर नहीं है कि कोई मेजर फैक्ट्स सप्रैस किये गये हों। यह जरूर है कि जो बात कही 161 के बयान में किसी प्रसंग में पहले कही है, वह बात बाद में कही, बाद वाली पीछे कही। यह इस तरह का आपको मिलता है बाकी उसमें कोई ज्यादा अन्तर आपको मिल जाए तो मैं तीनों कापी आपको दे देता हूं आप देख कर बता देना कि उसमें इस तरह का कोई अन्तर है। कोई भी बयान दे, आज विधान सभा में बोल रहा हूं, अगर 8 घंटे बाद में मेरे से आप भाषण कराओ तो मेरा सारा सन्दर्भ बदल जाएगा। इसलिये उसने यदि बयान, एफ.आई.आर. दी, सब-कुछ किया, उस स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

प्रश्न यह आता है कि यह मामला कब का है? यह मामला, मैं तारीख नहीं बता सकता लेकिन यह मामला 1995 का है और बात उठी है 1996 में। यह अचानक नहीं है कि कल बलात्कार हो गया और बलात्कार की रिपोर्ट कल किसी ने दर्ज करायी है और दर्ज कराने पर पुलिस ने उसको दर्ज नहीं की और रफा-दफा करने की कोशिश की। यह मामला 1995 से है। उसने अपने बयानों में इस बात को स्वीकार किया है—9 मई, कि पहली बार जब मैं गयी तो मुझे शराब पिलायी और जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मेरे साथ कोई न कोई कुकृत्य किया गया है। उस समय से लेकर लगातार एक वर्ष तक यह प्रसंग चलता रहा और उस प्रसंग में बारबार उसने स्वीकार किया है कि अमुख स्थान पर—

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह तो कहा ही नहीं उसने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है, है।

श्री परसराम मदेरणा : यह शराब की बात नहीं की, उसने कहा कि शराब पीने के लिये मुझे कहा तो मैंने पी नहीं—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह एक ही बात है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो कोई पानी में, कोल्ड ड्रिंक्स में कोई—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मैं उन शब्दों में नहीं जा रहा कि कोल्ड ड्रिंक में मिला कर उसको पिलाया, सीधी पिलायी लेकिन कहीं एक प्रसंग आता है कि व्हिस्की भी हमने पी। यह सब कुछ आया है—

श्री परसराम मदेरणा : वह बाद में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बाद में।

श्री परसराम मदेरणा : वह सालभर—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सालभर का चैप्टर है। सालभर के चैप्टर की 9 मई, 1995 को पहली घटना हुई और उसकी रिपोर्ट जून, 1996 में हुई। एक वर्ष तक यह इसी तरह का काम चलता रहा। काम चलता रहा, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में 161, 164 या जो भी बयान लेन थे वह मैनुस्क्रिप्ट तैयार करना था या वीडियो कैसेट तैयार करना था, वह तैयार कर लिया। उसके बाद में लगातार पुलिस पीछे पड़ी कि उसको गिरफ्तार किया जाए। मेरी जानकारी के अनुसार, ज्यादा गृह मंत्रीजी बता सकते हैं, 6 स्थानों पर उसको पकड़ने के लिये कोशिश की गयी। कोशिश करने के उपरान्त वह मिले नहीं। और मिलने के बाद मामला खतम नहीं होता। जिन-जिन व्यक्तियों के नाम इसमें हैं वह कोई भी आदमी बचेगा नहीं।

मैं एक बात से सहमत हूं सुमेरपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि बीकानेर का कोई मामला हुआ था जिसमें देवीसिंह जी भाटी तख्ती लटकाकर आये थे। मैंने ही पूछा था उस समय मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर से कि इन्होंने तख्ती लटकाकर क्या अपराध किया? अब ठीक है सदन की गरिमा में तख्ती लटका कर आना उचित नहीं है लेकिन जो कुछ लिखा है, उसमें क्या अपराध है? उस पर माननीय मुख्य सचेतक जी जो आज आपके बने हुए हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि उनकी सदस्यता सदा के लिये समाप्त कर दी जाऐ। बलात्कार का मामला ही उठाया गया। बलात्कारी मामला नहीं था। बलात्कार के साथ उसकी हत्या भी की गयी थी और उस हत्या के सम्बन्ध में इसी सदन में मांग की गयी थी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाऐ। कई माननीय सदस्यों ने मांग की थी सी.बी.आई. से इसकी जांच करायी जाऐ और मेरी जानकारी के अनुसार सब कुछ कोशिश करने के बावजूद, मैं समझता हूं आप भी उस मंत्रिमण्डल में विराजमान थे, हमारी वह मांग को स्वीकार नहीं की। हमने यह भी कहा था कि कलेक्टर और एस.पी. दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे चीफ व्हिप की जो बात आप कहते हैं, उस समय मैं खुद बैठा हुआ था। हाउस में चीफ व्हिप ने कहा था कि यह हाउस की गरिमा के खिलाफ है आप यह तख्ती लटकाकर क्यों आये हैं? यूं करके आपस में दोनों के थोड़ी-सी आल्टरकेशन हो गयी। मुख्य मंत्रीजी, आल्टरकेशन के बाद में मुझे अच्छी तरह से याद है—(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह दूसरे दिन की बात है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो शिवचरण जी माथुर के इस्तीफे की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे दिन जो बूट लेकर दिखाया था न पैर—(व्यवधान) वह क्या मामला था, वह उसी दिन ही था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना-ना, वह दूसरे दिन था।

श्री परसराम मदेरणा : (व्यवधान) हमारे किसी सदस्य को निकालने के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव ले आओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जब बोल रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपको इसका स्पष्टीकरण देना है तो चीफ व्हिप से दिलवाइये कि उन्होंने यह किया था कि नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने तो मुझे जूत बताया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जूत आप लाये नहीं थे। लेकिन आप यह बात तो स्वीकार करोगे कि इनको निकालने के लिये आपने प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव रखा था कि नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसी हरकतें करने के बाद में फिर इनको हाउस में रखते?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निकाला न...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऊंचा बूट पहनकर आये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं आपको बता देऊं। आपने मुझे भी कई बार कही है। मैंने आपसे पूछा भी है। उस दिन की बात में यह कब जूता आप पर उठाया गया? अब आपके और इनके आपस में जूते के सम्बन्ध हों, तो मैं कह नहीं सकता, बाकी और तरह के सम्बन्ध हों तो मैं कह नहीं सकता। दोनों सगे हैं। कौन किसको जूता दिखाता है, मैं उस प्रसंग में नहीं जाता। लेकिन मैंने यह उदाहरण दिया कि इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। जिस अपराध के अन्दर हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या हो गयी मंजू की और कई दिनों तक बीकानेर बन्द रहा। सारे अखबार उससे भरे हुए थे। सब कुछ हुआ लेकिन उसके बावजूद लगातार हम मांग करते रहे कि इस मामले की सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवायी जाऐ। आपने उसको स्वीकार नहीं किया।...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हमने सी.बी.आई. से जांच नहीं करायी, गलती की। आप तो उस गलती को मत दोहराओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ रहा हूं। मैं समझ इसलिये रहा हूं कि आपने गलती नहीं की। पुलिस ने जो अनुसंधान किया वह सही किया था और सही अनुसंधान करने के बाद में जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिये था, गिरफ्तार किया। यही पुलिस है कोई दूसरी पुलसि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में, जैसे आज इस सदन के माननीय सदस्यों ने मांग की कि सी.बी.आई. के अंदर मामला जाना चाहिये। इस सदन के पुराने सदस्यों को मैं साक्षी करके कहना चाहता हूं कि आसन जिलेलाव का मामला, जिसके लिये श्री हरिदेव जी जोशी ने कहा कि इसको सी.बी.आई. में दिया जाए आसन जिलेलाव का मामला, जिसमें कई कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कहा कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करायी जाए। मैं समझता हूं, वह समय परसराम जी को अच्छी तरह याद होगा, कि सी.बी.आई. से इसकी जांच नहीं करायी गयी।

एक माननीय सदस्य : उसमें कलेक्टर नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कलेक्टर का हो, और वह नहीं है। मैं आपको बता देऊं (व्यवधान) मेरी सुन लीजिए। जांच नहीं करवायी। अब इस प्रकार की कई घटनाएं राजस्थान में हुई। उन घटनाओं के सम्बन्ध में, चाहे आपकी सरकार हो, उस सरकार ने भी जांच नहीं करायी और उस समय सभी एक ही बात कहते थे कि हमारी पुलिस हर मामले की जांच करेगी, जांच की है और जांच करने के बाद में किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में आप मांग कर

(178)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं कि सी.बी.आई. से जाचं करवायी जाए। मैं समझता हूं कि आप और हम, हम तो केवल पांच वर्ष से हैं, यह पुलिस आपकी ही बनायी हुई है। इस पुलिस में जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह मेरे जमाने में नहीं थे बल्कि आपके जमाने में ही नियुक्त हुए हैं। आप ही के जमाने में प्रमोशन लिया है और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि राजस्थान की पुलिस को कोई भी कटु से कटु काम दिया जाए, कोई भी पेचीदा काम दिया जाए तो राजस्थान की पुलिस उस पेचीदा काम के अंदर निश्चित रूप से सफल होगी और होती रहेगी।

आज हम एक जनरल एटमास्फियर बना दें कि राजस्थान की पुलिस निकम्मी है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। श्रीमती बीना काक बैठी हैं, यहां उनकी बात को उदाहरण देकर मैं कहना चाहता हूं आज बीना काक ने मुझसे कहा कि उस समय के मुख्य मंत्री ने यह कहा था और मैंने कहा था कि मुख्य मंत्रीजी यह मंजू कोई दूसरी नहीं हैं आपकी लड़की है, आपकी धरम की लड़की है। मैं भी आज इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रचना गुप्ता कोई नहीं, मुख्य मंत्री के नाते मेरी धरम की पुत्री है और जिन-जिन लोगों ने इनके साथ अन्याय किया है एक-एक को कटघरे में रखकर सजा दिलाने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से उसमें मैं कामयाब होऊंगा। अब ऐसी स्थिति में हम एक एटमास्फियर बनायें और एटमास्फियर इस प्रकार का बनायें कि कोई भी महिला सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने में संकोच करने लग जाए। आप 164 के बयानों की बात कह रहे हैं, चाहे 161 की बात कह रहे हैं लेकिन हमें एक जनरल एटमास्फियर इस प्रकार का बनाना होगा क्या?

आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव हुए। नगर पालिका के चुनाव हुए। कई तो प्रमुख बन गयीं, कई जिला परिषद की डायरेक्टर बन गयीं। कई म्युनिस्पैलिटी की चेयरमैन बन गयीं। कई म्युनिसिपैलिटी की मेम्बर बन गयी और इसी तरह से पंचायत समिति में प्रधान बन गयीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहता हूं कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन 50 लगभग महिलाएं मुझसे मिलने के लिये नहीं आती हों। 50 के करीब महिलाएं आती हैं। आज अगर उन महिलाओं के सम्बन्ध में यह बात कर दी जाय कि किसी भी नेता और किसी मंत्री के पास जाएगी तो उस नेता और मंत्री के आचरण, उस महिला के आचरण पर किसी प्रकार की संदेह की उंगलियां उठायीं तो आप यह विश्वास रखकर चलिये इस मेन डोमिनेटेड युग के अंदर कोई महिला इस प्रकार से आगे नहीं आ सकेंगी। आपकी चिन्ता यह होनी चाहिये कि जिस महिला के साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय की निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो और जिन लोगों ने भी उसके ऊपर दोष मंढ़ा है...(व्यवधान) अगर यही इच्छा है तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कोई इस प्रकार का प्रसंग आये उस प्रसंग में हमें इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिये जिसका असर समाज पर पड़े। आज कई संस्थाएं हैं, कई शिक्षण संस्थाएं हैं, कई सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें कांग्रेस की सदस्या भी हैं बीजेपी की सदस्या भी हैं कहीं ऐसा न करें हम एक प्रकरण को लेकर कि वह महिलाएं भयभीत हो जाएं और फिर वो पीछे चली जाएं। उनको हिम्मत नहीं हो कि हम सामाजिक क्षेत्र में किसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार का काम कर सकें। (व्यवधान) आपकी बातें बहुत सुनी हैं। मेरी भी सुन लीजिये।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी चर्चा का मैसेज इस सदन से इस प्रकार का चला जाए कि हर राजनेता भ्रष्ट है, राजनेताओं के पास में जो महिलाएं जाती हैं वह भ्रष्ट हैं और उसमें से यह निकालें कि यह समाज ही इस प्रकार की स्थिति में जा रहा है। आज इस सामज में जिस प्रकार की स्थिति है उसमें महिलाएं भी रहेंगी, इस समाज में पुरुष भी रहेंगे, इस समाज में अपराधी भी रहेंगे, इस समाज के अंदर अच्छे चरित्रवान व्यक्ति भी रहेंगे, इस समाज में कोई गड़बड़ भी होगी तो किसी को दर्द भी होगा और गड़बड़ होगी तो कोई एक्शन लेने की भी तैयारी करेगा। इसलिये इस प्रसंग में आप इस सीमा तक मत जाइये।

मेरा केवल इतना ही निवेदन करना है जो दोषी है वह पकड़ा जाएगा, चाहे कलेक्टर का दोष है, मैं छोडूंगा नहीं, एस.पी. का दोष है, मैं छोडूंगा नहीं, किसी थानेदार का दोष है, मैं छोडूंगा नहीं और आप यह विश्वास रखकर चलिये कि जल्दी से जल्दी जितनी राज्य सरकार और पुलिस इसमें कार्यवाही कर सकती है वह करेगी और अभी जाने के बाद, यदि मैं एक अफसर का नाम भी ले लेता हूं...(व्यवधान) मैं बता देऊंगा...(व्यवधान) ये तथ्य है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर मदेरणा साहब बात करना चाहें तो मैं उनसे बात करके जिस पुलिस आफिसर के लिऐ वह कहेंगे, कि उसके हाथ में इन्वेस्टीगेशन दे दी जाए, मैं उसके हाथ में देने को तैयार हूं...(व्यवधान) जो भी आप कहेंगे। आप सी.बी.आई. की रट छोड़िये इस रट को छोड़िये यह मंहगी पड़ेगी। आज मैं सरकार में बैठा हूं इसलिए आप बोल रहे हैं, ये चीजें मंहगी पड़ेगी, ये चीजें सस्ती नहीं हैं, ये चीजें व्यावहारिक नहीं हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि कानूनी सहायता देने के लिए किस प्रकार से उसको सहायता मिले, मैं विधि राज्य मंत्री से बात करूंगा। मैं कानून के विषय में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन थे अगर कोई इस प्रकार का प्रस्ताव रखती हैं, कि महिलाओं के सम्बन्ध में अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आते हैं उनकी जल्दी से जल्दी ट्राइल हो, तो उस ट्राइल के लिये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर, एक अलग से कोर्ट स्थापित हो जाए, इसकी मैं व्यवस्था करूंगा और ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों से एक...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सी.बी.आई. केसेज के, क्रिमिनल केसेज के सेपरेट कोर्ट हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अब यहां करवा देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये वह आसान हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां करवा देऊंगा, आप बेफ्रिक रहिये।

श्रीमती बीना काक : एक सवाल मेरा है। एक छोटा सा सवाल है, सर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बैठ जाओ। ज्यादा नही। बैठ जाओ क्या मैंने कह दिया आपसे, बीच-बीच में टोकने का। जब मैंने कह दिया कि मेरा खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं बोल रहा हूं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका ?

(180)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की चर्चा होगी, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप होंगे, उससे कोई सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी। कौन सही आरोप लगाता है, कौन गलत आरोप लगाता है। मैं समझता हूं, इस सदन की गरिमा की दृष्टि से आपको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि हम सारे प्रसंग के अन्दर जो भी हमें उचित कार्यवाही करनी हो, वह करें। मैं फिर सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले की जांच में किसी प्रकार की कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, जल्दी-जल्दी लोग पकड़े जाएं, इसकी व्यवस्था करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.22 बजे गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

181

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 88 का विवरण

श्री मिट्ठूलाल चौहान, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	शिकायत कर्ता	विषय घटना	परिणाम
1.	बंदी जनरलसिंह, रेशमसिंह, बलवंतसिंह आदि की ओर से।	घटिया राशन देने के सम्बन्ध में	शिकायत जांच उपरान्त असत्य पायी गयी।
2.	प्रहरी कानाराम एवं शंकर लाल द्वारा की गयी शिकायत।	बंदियों को खराब राशन, चाय आदि दिये जाने के सम्बन्ध में	जांच उपरान्त शिकायत असत्य पायी गयी।
3.	दो शिकायत जनहितकारिणी समिति, जयपुर द्वारा की गयी।	अधीक्षक, बीकानेर द्वारा एक फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए निविदाओं में अधिक दरें मंजूर की गयी के सम्बन्ध में।	जांच जारी है।
4.	1994 से पूर्व शिकायत के जरिये विभाग को सुन्दरलाल धोबी द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि पैसे लेकर उसे नियुक्ति दी है।	श्री सुन्दरलाल धोबी ने शिकायत की कि उन्हें पैसा लेकर नियुक्ति दी गयी है।	जांच उपरान्त शिकायत सत्य पाई गयी जिसमें राज्य-सरकार द्वारा दिनांक 14.8.1995 को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत श्री मिट्ठूलाल चौहान के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है।
5.	बंदी बाबूलाल की ओर से अधीक्षक द्वारा उसे परेशान कर पैसा ऐंठने एवं काल कोठरी में डालने बाबत।	बंदी बाबूलाल को अधीक्षक द्वारा परेशान करने, पैसा ऐंठने एवं काल-कोठरी में डालने बाबत।	जांच उपरान्त प्रकरण असत्य पाया गया।

क्र.सं.	शिकायत कर्ता	विषय घटना	परिणाम
6.	बंदी गुरदीप सिंह की ओर से अधीक्षक को रिश्वत न देने के कारण उसकी पिटाई आदि करने बाबत।	बंदी गुरदीप सिंह द्वारा अधीक्षक को रिश्वत न देने पर पिटाई करने बाबत।	जिला कलक्टर द्वारा जांच की जा रही है।
7.	बंदी हरभजन सिंह की ओर से अधीक्षक बीकानेर के विरुद्ध पैरोल अनियमितता के सम्बन्ध में जो मानवाधिकार की ओर से प्राप्त हुई है।	बंदी हरभजन सिंह को पैरोल पर नहीं छोड़ने के सम्बन्ध में अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में।	जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा प्रकरण में जांच करायी जा रही है।
8.	दलित एकता परिषद, बीकानेर	दलित एकता परिषद बीकानेर की ओर से अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार बाबत	शिकायत जांच पर असत्य पायी गयी।
9.	श्री हीरालाल, सदस्य, भारतीय मजदूर संघ, बीकानेर एवं जसपाल सिंह की प्राप्त हुई।	अधीक्षक के द्वारा सी.ओ. बंदी को स्थानान्तरण एवं पैरोल पर भेजने से पूर्व पैसे मांगने बाबत	जांच जारी है।

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में पदस्थापित अधीक्षक

88. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में माह मार्च, 1994 से आज तक कौन-कौन अधीक्षक पदस्थापित रहे ?

(2) क्या इन अधीक्षकों के बारे में आज तक मुख्यालय स्तर व राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें या जानकारी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान अधीक्षक बीकानेर का श्रीगंगानगर में पदस्थापन के समय आतंकवादियों से मिले होने एवं उन्हें नाजायज सुविधाएं प्रदान करने के कारण दो बार श्रीगंगानगर से तबादला किया गया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विवादास्पद अधीक्षक के विरुद्ध आतंकवादियों से सांठगांठ रखने के सम्बन्ध में कोई जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अधीक्षक ने बंदियों की नाजायज मुलाकात और बंदियों को अपात्र होते हुए भी सी. ओ. सी. एन. डब्ल्यू. पदोन्नत कर विभाग के परिपत्रों एवं जेल नियमों की अवहेलना कर खुले आम भ्रष्टाचार किया है ?

(6) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त अधीक्षक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर दिनांक 2.3.94 से आज दिनांक तक श्री मिठ्ठूलाल चौहान, अधीक्षक पदस्थापित है।

(2) जी, हां। श्री मिठ्ठूलाल चौहान के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है, इनमें से 4 शिकायतें जांच के उपरान्त असत्य पायी गयी तथा 5 शिकायतों की जांच जारी है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(3) दिनांक 8.4.86 को श्री चौहान का स्थानान्तरण गंगानगर जेल से जहां आतंकवादी भी थे, उचित नियंत्रण नहीं रखने के कारण किया गया। दूसरी बार दिनांक 10.9.91 को कारागृह में बंद आतंकवादियों के विभिन्न गुटों में हुए झगड़े पर नियंत्रण में शिथिलता बरतने के कारण स्थानान्तरण किया गया।

(4) जी, नहीं। श्री चौहान के विरुद्ध आतंकवादियों से सांठगांठ रखने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है।

(5) केन्द्रीय कारागृह में पदस्थापित वर्तमान अधीक्षक के सम्बन्ध में इन बिन्दुओं पर जांच जारी है।

(6) जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने की स्थिति में अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

मकराना-बूड़सू मार्ग पर सड़क निर्माण

89. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना-बूड़सू सड़क वाया जुसरि से स्वीकृत है? यदि हां, तो इसकी दूरी व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। मकराना-बूडसू सड़क वाया जुसरि की कुल लम्बाई 16 किलोमीटर है। जिसमें से 4 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़क 4 किलोमीटर लम्बाई में मेटल सड़क एवं शेष 8 किलोमीटर लम्बाई में ग्रेवल सड़क है। इस सड़क निर्माण पर विभिन्न मदों में निम्नलिखित राशियां स्वीकृत हैं :—

	स्वीकृत राशि (लाखों में)
(क) किमी. 4/00 से 7/00 का डामरीकरण	3.15
(ख) किमी. 7/00 से 8/200 में दो लेयर मेटल व डामरीकरण।	5.00
(ग) किमी. 12/00 से 16/00 में एक लेयर मेटलीकरण का कार्य।	8.75

(2) जी, हां।

	पूरा न होने के कारण
(क) किमी. 4/00 से 7/00 का डामरीकरण	इन तीनों किलोमीटरों में मेटल का कार्य पूर्ण है लेकिन डामर की अनुपलब्धता के कारण डामर का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
(ख) किमी. 7/00 से 8/200 में दो लेयर मेटल व डामरीकरण।	एक लेयर मेटल का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। दूसरी लेयर का कार्य प्रगति में है। डामर की अनुपलब्धता के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ।
(ग) किमी. 12/00 से 16/00 में एक लेयर मेटलीकरण का कार्य।	पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं होने से कार्य समय पर होना सम्भव नहीं हुआ।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

90. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कितनी?

(2) वर्ष 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में किन-किन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की हरिजन बस्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा प्राप्त ऋण से हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। विद्युतीकरण हेतु राशि निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय प्रावधानों की सीमा तक निर्धारित है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम बिजाहेड़ा, पानियाला एवं शेखपुर की तीन हरिजन बस्तियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जिला जोधपुर के बांध

91. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कौन-कौन से बांध कब-कब से बने हुए हैं? इनकी भराव क्षमता क्या-क्या है एवं इनका कमाण्ड क्षेत्र कितना-कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में नये बांधों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा कहां-कहां एवं कब-कब सर्वे करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील भोपालगढ़ (जोधपुर) में चौकड़ी कला व खुर्द ग्राम में बंधे के निर्माण के लिऐ विभाग ने सर्वप्रथम कब सर्वे करवाया?

(4) क्या सरकार चौकड़ी कलां ग्राम में बंधे का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में सिंचाई विभाग के माध्यम से जिन बांधों का निर्माण करवाया गया, उनकी भराव क्षमता कमाण्ड क्षेत्र इत्यादि विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं।

(2) जोधपुर जिले में नये बांधों के निर्माण के लिये सर्वे कार्य करवाकर जो कार्य प्रस्तावित हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) भोपालगढ़ तहसील जिला जोधपुर में चौकड़ी कलां व खुर्द ग्राम में बांध के निर्माण के लिऐ सर्व प्रथम सर्वे कार्य 1994-95 में करवाया गया।

(4) चौकड़ी बांध का सर्वे सन् 1994-95 में कराया गया, लेकिन यह बांध पूर्व में बने हुये जालीवाड़ा एवं बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। इस बांध के निर्माण से पूर्व में बने हुए दोनों बांधों में पानी की आवक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः पानी की भविष्य में आवक का अध्ययन करने के उपरान्त ही इसके निर्माण पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

92. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से चिकित्सालय कहां पर संचालित हैं तथा प्रत्येक में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कौन-कौन सा पद कब-कब से रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरलाल अहारी)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में विभिन्न श्रेणियों के संचालित चिकित्सालयों तथा प्रत्येक में स्वीकृत पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूचना प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित कर दी गयी है।

(3) जी, हां। सीधी भर्ती के पदों हेतु पात्र एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर भरने की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आवासन मण्डल द्वारा भूमि का विक्रय

93. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या नगरीय एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आवासन मण्डल ने वर्ष 1992 से अब तक कितनी व कहां-कहां भूमि का किन दरों पर बेचान किया व यह भूमि मण्डल द्वारा कितनी दरों पर खरीद की गयी? मण्डल द्वारा भूमि का बेचान (नीलामी) किन प्रावधानों व नियमों के अन्तर्गत किया गया?

उत्तर

आवासन मंडल द्वारा वर्ष 1992 से अब तक नीलामी से बेची गयी भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 दिया गया है। भूमि प्राप्त करने की दर व वर्ष भी दर्शाये गये हैं।

वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक भूमि का बेचान (नीलामी) बोर्ड को 25.4.1974 की आयोजित 32वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में किया जाता है। आवासीय भूखण्डों का बेचान (नीलामी) बोर्ड के आदेश संख्या 2139, दिनांक 9.9.88 के अनुसरण में किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू (जयपुर) के अधूरे सड़क निर्माण कार्य

94. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चाकसू में करेड़ा, अकोडिया, हरिपुरा आदि ग्रामों में अकाल राहत कार्यों के तहत कराये गये सड़क निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

उत्तर

जी, हां। यह सही है कि चाकसू में करेड़ा, आकोड़िया, हरिपुरा आदि ग्रामों में अकाल राहत के अन्तर्गत सड़कों के कार्य प्रारम्भ किये गये थे। सम्वत् 2050 के स्वीकृत कार्य अभी अधूरे पड़े हैं। सम्पर्क सड़क करेड़ा (प.मु.) एवं हरिपुरा (प.मु.) को ग्रेवल सड़क द्वारा जोड़ने के लिऐ पीडब्ल्यूडी. द्वारा इसे अपनी वार्षिक योजना 1996-97 में प्रस्तावित किया गया है।

बिजौलिया (भीलवाड़ा) क्षेत्र में खानों का आबंटन

95. श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1993 से 31 मई, 1996 तक बिजौलिया जिला भीलवाड़ा के खनिज अभियन्ता क्षेत्र में किसी समिति या सोसायटी को नियमों में शिथिलता प्रदान कर अर्थात् नियम 65 का उपयोग करते हुये कुछ खानों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन समितियों को कहां-कहां पर, कितने-कितने ब्लाक (खानें) दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नियम 65 का प्रयोग कर समितियों को खानें आबंटन किये जाने हेतु कितने मामले (आवेदन-पत्र) सरकार के पास कब से विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नियम 65 का प्रयोग करते हुए बिजौलिया क्षेत्र में समितियों को खानों की शिफ्टिंग के आदेश दिये गये? यदि हां, तो किन-किन सोसायटीज की कितनी-कितनी खानों का री-शिफ्टिंग कब-कब, किस-किस के पक्ष में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। दिसम्बर, 1993 से 31 मई, 1996 तक की अवधि में किसी समिति या सोसायटी को खानों का आबंटन नहीं किया गया है। अपितु, मेनाल आदिवासी पत्थर खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति के 30 सदस्यों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-6-83 से क्षेत्र देवी निवास में 30 ब्लाक स्वीकृत किये गये थे। जिनमें से 10 ब्लाक नहरी क्षेत्र में आने से खण्डित कर दिये गये हैं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9-9-88 से पुनः एतराज रहित स्थान पर आबंटन करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालना में खनि अभियंता, बिजौलिया द्वारा दिनांक 21-9-88 को स्वीकृतियां जारी की गयी थी, परन्तु राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 15-10-88 से आदेश दिनांक 9-9-88 को पुनः विचार के लिये वापस ले लिया। अतः खनि अभियंता बिजौलिया द्वारा भी पूर्व में जारी स्वीकृतियों को वापस ले लिया गया। जिसके विरुद्ध उक्त समिति के सदस्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3477/88 प्रस्तुत की गयी। जिसके निर्णय दिनांक 19-7-89 को हुआ। इस निर्णय द्वारा खनि अभियंता, बिजौलिया के आदेश दिनांक 17-10-88 को निरस्त करते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने नियमानुसार पुनः आदेश पारित करने के राज्य सरकार को आदेश दिये। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने पुनर्विचार कर उक्त समिति के 10 सदस्यों को जिनके पूर्व में स्वीकृत ब्लाक नहरी क्षेत्र में आ गये थे, के बदले अन्यत्र आबंटन करने की अनुमति आदेश दिनांक 14.7.95 के द्वारा दी गयी। जिसकी अनुपालना में अभी तक 9 ब्लाकों के क्वारी लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं।

मकरेड़ी अनुसूचित जाति खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति के 37 सदस्यों को अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1977 के नियम 63 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 27-6-83 के द्वारा 37 ब्लाक आबंटित किये गये थे। इसी क्रम में समिति के शेष 30 सदस्यों को

(खनिज मंत्री)

अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 4-2-95 के द्वारा 30 ब्लाक की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी। किन्तु ब्लाक वन भूमि में पाये जाने से इन सदस्यों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12-4-96 द्वारा अन्यत्र ब्लाक आबंटन (शिफ्ट) करने की अनुमति दी गई है। जिनमें से 24 ब्लाक स्वीकृत किये जा चुके है।

ग्राम दानी ग्राम हेमनिवास को सर्वप्रथम 80 ब्लाक राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14-5-81 द्वारा आबंटित करने की स्वीकृति दी गयी थी। इसी क्रम में ग्राम दानी ग्रामसभा हेमनिवास को 29 ब्लाक राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6.3.90 के द्वारा आबंटित करने की अनुमति दी गई। किन्तु राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 22-3-90 द्वारा अपने आदेश दिनांक 6-3-90 को क्रियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी। जिस पर पुनर्विचार कर राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 10-11-95 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 22-3-90 से दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया। जिसकी पालना में 29 ब्लाक आबंटित किये जा चुके है।

उपर्युक्त तीनों समितियों के सदस्यों को वर्ष दिसम्बर, 1993 से मई, 1996 के दौरान आवंटित ब्लाकों की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के पास दो मामले विचाराधीन हैं। जिनमें से (1) नया नगर आदिवासी खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति का प्रस्ताव निदेशालय के पत्र दिनांक 30.10.95 द्वारा एवम् (2) जय अम्बे पिछड़ी जाति खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति के प्रस्ताव निदेशालय के पत्र दिनांक 26.3.96 से प्राप्त हुये है।

(3) सूची संलग्न परिशिष्ट—2 में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला दौसा में निर्मित सम्पर्क सड़कें

96. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला विकास अभिकरण की शासकीय बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा दौसा जिले में सम्पर्क सड़कों का कार्य मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने एवं घटिया कार्य करने की शिकायतें की गयी थीं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला दौसा की सम्पर्क सड़कों के कार्य की जांच करवा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जिला विकास अभिकरण दौसा द्वारा संलग्न सूची के अनुसार कुल 20 सड़कों की जांच करवायी गयी है। जांच कार्य हेतु जिला विकास अभिकरण दौसा ने कमेटी गठित की थी। कमेटी द्वारा जांच कार्य करके प्रतिवेदन तैयार किया गया है जो जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला विकास अभिकरण, दौसा को प्रस्तुत किया जाना है।

189

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दौसा

क्रमांक : पी.ए./शानि/बैठक/निरीक्षण/95-96/डी दिनांक : 16-1-96

कार्यालय आदेश

दिनांक 18.11.95 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दौसा की शासकीय विकास की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्न पंचायत समिति में उनके सम्मुख अंकित सड़कों की जांच निम्नानुसार कमेटी से करवाई जाती है :—

क्र.सं. नाम अधिकारी मय विभाग

1. जिला आयोजना अधिकारी जिग्राम वि.अ.
2. सहायक अभियन्ता जिग्रावि.अ.
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सा. नि. विभाग

पंचायत समिति सिकराय

1. एन एच 11 से कालवान वाया सीकरी
2. एन एच 11 से चांदेरा वाया सुरेर पाडली
3. नादरा से चांदेसा
4. सिकराया से गनीपुर
5. एस.एच. 25 से इंटका

पंचायत समिति लालसोट

1. डीडवाना से डूंगरी बस्ती में ग्रेवल सड़क
2. शिवसिंहपुरा से श्रीमा
3. रामगढ़ पंचवारा से मांग्लयावास
4. दौलतपुरा से झापदा
5. कालूवास से नीचूनिया

पंचायत समिति दौसा

1. लवाण से मोहनपुरा 2. काली पहाड़ी से सिंगपुरा 3. सिंगवाड़ा से मलारना 4. बापी से दादन का वाया चोरडी 5. भांकरी से प्रेमपुरा

पंचायत समिति महुआ

1. खेडला बुर्जग से बोल ग्रेवल सड़क 2. एस.एच. 22 से गहनोली, 3. महुवा हिन्डोन रोड से बाड़ा बुर्जुग 4. एम.एच. 11 महुआ, हिन्डोन रोड 19 मील बाडाबुजुर्ग 5. एन. एच. 11 से पाली ग्राम तक

उक्त कमेटी सड़कों के निरीक्षण/भौतिक सत्यपान के समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखे :—

1. भौतिक सत्यापन के दौरान सड़कों के विभिन्न सैक्शन पर तकमीने में दर्शाये गये स्पेसिफिकेशन मिलान करेंगे।

2. विभाग द्वारा जो कार्य किया है उसका मूल्यांकन भी करेंगे।

3. मौके पर किये गये कार्य का एमबी से भी सत्यापन करेगें।

4. सड़क की वास्तविक लम्बाई तकमीने से दर्शाई लम्बाई आदि में यदि अन्तर हो तो विवरण दे तथा सी.डी. वर्क्स के सम्बन्ध में भी विवरण देवे तथा कार्य में ली गई सामग्री के स्पेसीफिकेशन का विवरण देवे

ह.
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
दौसा

190

राजकीय छात्रावास छाणी (खैरवाड़ा) का भवन

97. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय छात्रावास छाणी, तहसील, खैरवाड़ा, जिला उदयपुर में छात्रों के रहने हेतु कमरों की व्यवस्था नहीं है? उक्त छात्रावास में कब कितने छात्रों की स्वीकृति है और उनके रहने की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह भी सही है कि कमरों के अभाव में छात्रों को बाहर बरामदे में सोना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है? यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में उक्त छात्रों के विभिन्न कक्षाओं के परीक्षा परिणाम क्या रहे?

(3) क्या सरकार इस पुराने छात्रावास के स्थान पर नया भवन बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय छात्रावास छाणी, तहसील खैरवाड़ा, उदयपुर, किराये के भवन में संचालित हैं। इसमें छात्रों को रहने हेतु एक बड़ा हाल, बरामदा व दो कमरे उपलब्ध हैं। छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या 50 है।

(2) छात्रावास के छात्र बड़े हाल एवं कवर्ड बरामदे में सोते हैं। गत तीन वर्षों में छात्रावास का कक्षावार परीक्षा परिणाम परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी, हाँ। छात्रावास हेतु नये राजकीय भवन का निर्माण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट (अ)

अनुसूचित जनजाति छाणी छात्रावास का कक्षावार परीक्षा परिणाम का प्रतिशत।

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कक्षा 9	कक्षा 10
1993-94	53 प्रतिशत	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत	55 प्रतिशत	75 प्रतिशत
1994-95	76 " "	100 " "	66 " "	73 " "	16 " "
1995-96	100 " "	90 " "	100 " "	81 " "	46 " "

नोट—छाणी में दसवीं कक्षा तक विद्यालय है।

जिला जालौर की बांकली सिंचाई परियोजना

98. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में स्थित बांकली सिंचाई बांध की नहरों को पक्का करने, मरम्मत करने, नहरों के किनारे पक्की सड़कों का निर्माण करने एवं बांध के सुधार हेतु एक योजना सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गयी है ?

(2) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना कब भेजी गयी थी ? सरकार इसे कब तक स्वीकृत करवा कर क्या-क्या कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त योजना को राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना (NWMPI) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है तथा इसके प्रस्ताव सिंचाई विभाग ने जल संसाधन मंत्रालय (MOWR) नयी दिल्ली को दिनांक 17.8.94 को भेज दिये थे। इस योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रालय व विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस योजना में नहरों की मरम्मत, रिमोडलिंग, रिशेक्सनिंग, पक्के कार्यों की मरम्मत व सुधार तथा चक्कों की साइज कम करने हेतु समानान्तर वितरिकाओं के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर इस योजना के कार्य को नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करने की संभावना हैं।

छापोली एवं मण्डावरा (झुन्झुनूं) के चिकित्सालयों में नियुक्त चिकित्सक

99. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले की छापोली तथा मण्डावरा ग्रामों में स्थित सरकारी अस्पतालों/डिस्पेंसरीज में नियुक्त-पदस्थापित डॉक्टरों के यहां से अनुपस्थित रहने बाबत शिकायतों की पिछले दो वर्षों में किन-किन अधिकारियों ने जांच की तथा जांच से क्या तथ्य सामने आये ?

(2) क्या यह सही है कि जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों, तथा की गयी तो क्या ?

(3) इन स्थानों पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापोली के चिकित्सक डॉ. आर. के. सोनी के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा की गयी एवं जांच में उक्त चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय से अनुपस्थित रहना और सप्ताह में दो-तीन बार ही उपस्थित रहना पाया गया।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरा के चिकित्सक के अनुपस्थिति रहने बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) डॉ. आर.के. सोनी के विरुद्ध उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्कालीन मुख्य

(192)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं ने उक्त चिकित्सा अधिकारी को भविष्य में मुख्यालय पर आवास नहीं करने हेतु चेतावनी दी गयी है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं मानते हुए, डॉ. सोनी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं के इतने गम्भीर तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाने के लिये स्पष्टीकरण मांगा गया है। समय-2 पर जिला अधिकारियों को चिकित्सा अधिकारियों को समय पर उपस्थिति देने हेतु परिपत्र जारी किये गए हैं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण किये जाने के दौरान अनुपस्थित पाये जाने वाले चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

नगरपालिका लाडनूं (नागौर) द्वारा निर्माण कार्य

100. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर-पालिका लाडनूं, जिला नागौर द्वारा ऐसे निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं जिसकी स्वीकृति नगरपालिका से नहीं ली गयी है? यदि हां, तो कौन-कौन से और क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका लाडनूं द्वारा कुछ निर्माण कार्यों का ठेका देने के लिये टेण्डर नोटिस समाचार पत्रों में जारी किये थे? यदि हां, तो चालू वर्ष में कौन-कौन से टेण्डर नोटिस जारी किये गये? प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त टेण्डर निर्धारित तिथि को नहीं लेकर आगे तिथि बढ़ाई गयी है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य की? आगे तिथि बढ़ाने की समाचार-पत्र में कब-कब सूचना जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि आगे बढ़ाई गयी तिथि का अखबार में नोटिफिकेशन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? तथा इसमें लेखा नियमों की किस सीमा तक अवहेलना किस के द्वारा की गयी तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। ऐसे कार्यों का विवरण संलग्न है। ऐसे कार्य पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कलक्टर के आदेशानुसार करवाये गये हैं।

(2) जी, हां। टेण्डर नोटिस की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) यह सही है कि निविदा सूचना राजस्थान पत्रिका में 14.6.1996 को प्रकाशित हुई जो देरी से प्रकाशित हुई। उक्त निविदा कि अवधि बढ़ाने के लिये दिनांक 24.6.96 को राजस्थान पत्रिका में सूचना जारी की गयीं विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(4) जी, नहीं। अवधि बढ़ाये जाने का विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.6.1996 को प्रकाशित हुआ, क्योंकि राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रकाशन देरी से किया गया। इसमें लेखा नियमों की कोई अवहेलना नहीं हुई।

(प्रतियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

तारांकित प्रश्न संख्या—101

(स्थगित)

थाना करेड़ा (भीलवाड़ा) में दर्ज उदागूजर प्रकरण

102. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना करेड़ा जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम चानसेन में उदागूजर नाम के व्यक्ति की लाश उसी के बाड़े में नीम के पेड़ से बंधी हुई मिली थी ?

(2) क्या उक्त मामले में सम्पूर्ण जांच हो गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या इस मामले में आत्म हत्या नहीं होकर श्री उदा की हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करने की सम्भावना होने का तथ्य पुलिस की जानकारी में आया है ? यदि हां, तो क्या इस संभावना पर पुलिस की उच्च अधिकारियों ने कोई जांच की है ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब इसकी कब तक जांच करवाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। जांच से मामला आत्महत्या का होना पाया गया है।

(3) जी, नहीं। उक्त मामले में अब तक के अनुसंधान से किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने की संभावना होने का तथ्य पुलिस की जानकारी में नहीं आया है। परन्तु यदि कोई इस प्रकार के तथ्य जानकारी में आये जिससे कि हत्या का संदेह हो तो पुनः अनुसंधान कराया जायेगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रकरण

103. श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राजस्थान विश्व-विद्यालय में क्या-क्या निर्माण कार्य किस एजेन्सी के द्वारा करवाये गये और इन पर कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यों की देखरेख के लिये बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो इसकी बैठकें कब-कब हुई ? गत दो वर्षों की बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ? इस कमेटी के गठन का उद्देश्य क्या था ?

(3) क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों बाबत बिल्डिंग कमेटी से स्वीकृति ली गयी थी ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इन निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का आडिट करवाया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों 1994-95 व 1995-96 में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो मुख्य निर्माण कार्य करवाये गये उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। जिसमें जिस एजेन्सी द्वारा ये कार्य करवाये गये और उन पर कितना व्यय हुआ, यह भी दर्शाया गया है।

(2) जी, हां। राजस्थान विश्वविद्यालय में बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है। भवन निर्माण समिति की अंतिम बैठक 15 फरवरी, 1993 को हुई थी। अतः गत दो वर्षों में बैठक न होने

(194)

(उच्च शिक्षा मंत्री)

से कार्यवाही विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों की संवीक्षा करना तथा निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए संस्तुति करना बताया गया।

(3) जी, नहीं।

(4) विश्वविद्यालय के वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के लेखों का अंकेक्षण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान विश्वविद्यालय अभियन्ता कार्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

वर्ष 1994-95 के प्रमुख निर्माण कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	निर्माणकर्त्ता	31 मार्च, 1995 तक का खर्चा
1.	डी "टाईप क्वाटर्स का निर्माण कार्य	मैं. गोकुल प्रसाद महावर	3,13,665.00
2.	यू.एस.आई.सी./कम्प्यूटर सेन्टर के विस्तार का निर्माण कार्य	मैं. शिल्पा कंस्ट्रक्शन	12,55,991.00
3.	महाराजा कालेज में मनोविज्ञान लेब का विस्तार निर्माण कार्य	मैं. राम लाल	2,39,937.00

ह/-
विश्वविद्यालय अभियन्ता

राजस्थान विश्वविद्यालय अभियन्ता कार्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

वर्ष 1995-96 का निर्माण कार्य सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	निर्माणकर्त्ता	31 मार्च, 1996 तक का खर्चा
1.	गृह विज्ञान विभाग के विस्तार का निर्माण कार्य	मैं. विष्णु गुप्ता	5,06,347.00
2.	यू.एस.ई.सी./कम्प्यूटर सेन्टर के विस्तार कार्य	मैं. मोना कंस्ट्रक्शन कं.	7,10,633.00
3.	महारानी कालेज के लाइब्रेरी भवन का विस्तार कार्य	मैं. शिल्पा कन्स्ट्रक्शन कं.	4,44,112.00
4.	साउथ एशिया स्टडीज सेन्टर में एक कमरे का निर्माण कार्य	मैं. शिल्पा कन्स्ट्रक्शन	3,29,819.00
5.	वि.वि. अशैक्षणिक कर्म. संघ के कार्यालय का निर्माण कार्य	मैं. चेतन लाल कान्ट्रक्टर	3,30,633,.00

क्र.सं.	कार्य का नाम	निर्माणकर्ता	31 मार्च, 1996 तक का खर्चा
6.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय के विस्तार का निर्माण कार्य	शिल्पा कन्स्ट्रक्शन्स	39,655.00
7.	लक्ष्मी बाई छात्रावास क्वाटर्स का विस्तार निर्माण कार्य	मैं. हरसहाय कंस्ट्रक्शंन	1,18,357.00
8.	डी. टाइप क्वाटर्स का विस्तार के निर्माण कार्य	मैं. शिल्पा कन्स्ट्रक्शन	9,85,357.00
9.	खेल मैदान में सिन्डर ट्रेक का निर्माण कार्य	मैं. हरि ओम कंस्ट्रक्शन	3,89,506.00

ह/:
विश्वविद्यालय अभियन्ता

उदयपुर संभाग के छात्रावास भवन

104. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उदयपुर संभाग में विभाग द्वारा संचालित कई छात्रावासों के निजी भवन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान आवासीय व्यवस्था को शैक्षणिक वातावरण के उपयुक्त समझती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्रों को अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

यह सही है कि उदयपुर संभाग में विभाग द्वारा संचालित 153 छात्रावासों से 70 छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं। विभाग वर्तमान आवासीय व्यवस्था को शैक्षणिक वातावरण के अनुकूल बनाने के लिये प्रयत्नशील है। 26 छात्रावासों के भवन निर्माणाधीन हैं। उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप प्रतिवर्ष छात्रावास भवनों को निर्माण किया जा रहा है।

बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजा

105. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र में जिन काश्तकारों की भूमि/अचल सम्पत्ति आदि डूब में आयीं उनके वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में कितने-कितने विस्थापन तथा मुआवजे की राशि के प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना शेष है?

(2) उक्त वर्षों में काश्तकारों एवं अन्य लोगों की सम्पत्तियों के मुआवजे की राशि के चुकारे के लिये कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया और कितनी-कितनी राशि का चुकारा किया गया तथा शेष रही बजट राशि को किस-किस कार्य में उपयोग में लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों के विस्थापन एवं मुआवजे की राशि की प्रक्रिया का निस्तारण का कार्य पृथक-पृथक होने तथा उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु पर्याप्त स्टाफ की कमी भी एक प्रमुख कारण रहा है? यदि हां, तो सरकार इस समस्या

(श्री विष्णु मोदी)

के निराकरण हेतु अब तक क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) उक्त वर्षों में मुआवजे के लिऐ आबंटित बजट एवं व्यय का ब्यौरा निम्न तालिका में अंकित है : —

वर्ष	आबंटित बजट लाख रु. में	व्यय लाख रु. में	शेष रही राशि लाख रुपये में	शेष रही राशि का उप -योग
1993-94	511.60	515.92	—	—
1994-95	1007.25	952.32	54.93	शेष राशि पुर्नवास कॉलोनियों के निर्माण हेतु व्यय हुई
1995-96	837.76	865.86	—	—

(3) कुछ ग्रामों के मुआवजे वर्ष 1995-96 से सम्बन्धित 270.78 लाख रुपये की राशि की सावधि जमा बैंक रसीदों के वितरण को पुनर्वास इकाई की मतभिन्नता के कारण स्थगित कर दिया गया है। इन कार्यों के निस्तारण में पुनर्वास इकाई के स्टाफ की कमी महसूस की गयी थी, जिसे दूर करने हेतु वर्ष 1996-97 की अवधि के लिऐ अतिरिक्त पद स्वीकृत करवा लिये गये हैं। वर्ष 1995 से पूर्व पुनर्वास एवं मुआवजे का कार्य करने वाले अधिकारियों का नियंत्रण पृथक-पृथक न होकर सिंचाई विभाग के अधीन ही था, जो वर्ष 1995-96 से पृथक कर राजस्व विभाग के अधीन कर दिया गया इसमें कुछ कठिनाई महसूस हो रही है। पुनर्वास एवं मुआवजे का कार्य करने वाले अधिकारियों को पूर्व की भांति सिंचाई विभाग के नियंत्रण में ही रखे जाने पर विचार किया जायेगा।

बीसलपुर बांध परियोजना के निर्माण से प्रभावित जलग्रहण क्षेत्र में वर्ष 1993-94, 94-95 एवं 95-96 में भूमि/अचल सम्पत्ति के मुआवजा का निस्तारण निम्न प्रकार है : —

वर्ष	मकान	कुएं	पेड़	जमीन	व्यय
1993-94	377	185	2096	374.71 है।	515.92 लाख रुपये
1994-95	263	136	2504	1120.07 है।	952.32 लाख रुपये
1995-96	464	306	3482	452.26 है।	865.86 लाख रुपये

बीसलपुर परियोजना के डूब के कुल अधिग्रहण क्षेत्र (315.50 मी., एवं 316.46 मी.) तक के शेष प्रकरण निम्न प्रकार हैं: —

मकान	**4387 नं.**
कुएं	**1620 नं.**
पेड़	33955 नं.
जमीन	8176 है।

राजकीय चिकित्सालय, बयाना (भरतपुर) में स्वीकृत पद

106. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय चिकित्सालय बयाना, भरतपुर में डाक्टर, मेल, नर्स, एलएचबी., एएनएम., रेडियोग्राफर्स, चतुर्थ श्रेणी, दाई एवं हरिजनों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत पद बयाना एवं आस पास के गांवों के आबादी के मद्देनजर पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना के संवर्गवार स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

(2) जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार राज्य में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक पंचायत समिति में एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर खोला जाता है। उक्त पंचायत समिति की ग्रामीण जनसंख्या 1.52 लाख (1991) की जनसंख्या के आधार पर है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्टाफिंग पेटर्न के आधार पर पद सृजित कराये जाते हैं जो उक्त ग्रामीण जनसंख्या की चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना हेतु पदों का सृजन यूएनएफपीए. परियोजना के प्रथम चरण में हुआ था, उन सभी पदों को वर्ष 1995 में समाप्त किया जा चुका है। समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पदों का पुनः सृजन कराया जाना संभव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में संवर्गवार स्वीकृत पदों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	1
5.	वरिष्ठ चि. अधिकारी	1
6.	चिकित्सा अधिकारी	1
7.	मेल नर्स-प्रथम	1
8.	स्टाफ नर्स	1
9.	मैल नर्स-द्वितीय	1
10.	एल.एच.बी.	3
11.	प्रसाविका	3
12.	रेडियोग्राफर	—
13.	च.श्रे.क.	5
14.	दाई	—
15.	हरिजन	2

बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर के भू-खण्डों का नियमन

107. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में बी.जे.एस. कॉलोनी के भू-खण्डों को नियमन करने हेतु 1990 से अब तक कितने शिविर लगाकर विकास राशि व नियमन राशि जमा की गयी ? कितने व्यक्तियों द्वारा कितने भू-खण्डों की राशि जमा कराई गयी ? उनमें से अब तक कितनों को पट्टे दे दिये गये ? शेष पट्टे अब तक क्यों नहीं दिये गये, इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नियमन की घोषणा करने के पश्चात् भी अब

(198)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

तक चार खसरे ग्रीन बैल्ट में होने के कारण भू-खण्ड धारियों को नियमन नहीं किया गया जबकि नियमन धारियों को ग्रीन बैल्ट में से आवासीय भूमि में परिवर्तन करने हेतु विधान सभा में आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो अब कब तक नियमन कर दिया जायेगा?

(3) बी.जे.एस. कॉलोनी में अब तक विकास कार्य में विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया? व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर की बी.जे.एस. कालोनी के भू-खण्डों के नियमन हेतु वर्ष 1990 से अब तक न्यास जोधपुर के तत्वावधान में दिनांक 6-6-1994, 13-6-1994, 20-6-1994, 29-6-1994, 25-8-1994 व 30-8-1994 को शिविर आयोजित किये गये। वह कैम्प बी.जे.एस. कालोनी की भूमि को राजकीय भूमि मानकर नियमित करने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29-6-1992 के अनुसरण में आयोजित किये गये। इन कैम्पों में 565 प्रकरणों में 2168338 रुपये की राशि जमा करवाई गयी व 8 पट्टा अभिलेख जारी किये गये। शेष प्रकरणों में विकास शुल्क जमा न होने एवं वर्ष 1981 से पूर्व रूपान्तरण शुल्क की राशि जमा नहीं होने एवं भूमि ग्रीन बैल्ट में होने से पट्टा अभिलेख जारी नहीं किये गये।

(2) विधान सभा में माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री द्वारा माननीय सदस्य के एक प्रश्न के उत्तर में आश्वासन 8/94 दिया गया था कि एक समस्या बी.जे.एस. कॉलोनी की बतायी। यह रूपान्तरण की है कि ग्रीन बैल्ट में आ गया इसलिये यह नियमित नहीं हो सकता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको हम परिवर्तन कर देंगे और 1981 के पहले जिनका पैसा जमा है। उनको यह लाभ मिल जायेगा, यह आपकी समस्या निपट जायेगी।

उक्त सम्बन्ध में अतिरिक्त कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 1981 से पूर्व बी.जे.एस. कॉलोनी में कहीं भी (ग्रीन बैल्ट) वाले भाग सहित भूमि रूपान्तरण की कोई राशि जमा नहीं की गयी थी। अतः माननीय मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाभ का हकदार नहीं है।

(3) बी.जे.एस. कॉलोनी में विभिन्न विकास कार्य हेतु अब तक न्यास, जोधपुर द्वारा रुपये 7064.11 की राशि व्यय की गयी है।

जिला भीलवाड़ा एवं अजमेर के राहत कार्य

108. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनवरी से मार्च, 1996 के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों के गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक जिले की तहसीलों एवं ग्रामों की सूची मय जनसंख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अकाल राहत कार्यों पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश, आदेश नियम सर्कुलर/विज्ञप्ति आदि जारी किये गये थे? यदि हां, तो इनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकारी एजेन्सी मानकर उनके अन्तर्गत कार्य स्वीकार किये गये हैं? यदि हां, तो क्या भीलवाड़ा तथा अजमेर जिले में यह कार्य पंचायतों से हटा कर स्थानीय लोगों की समितियां गठित कर, कराने के भी आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो पंचायतों के नामों का विवरण सहित इस सम्बन्ध में दिये गये आदेश/निर्देश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्वत् 2052 में 29 जिलों के 25478 गांवों को अभाव घोषित किया गया है। घोषित तहसील एवं गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी, हां। आदेश-निर्देशों आदि की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट—"ब")

(3) जी, हां। भीलवाड़ा तथा अजमेर जिले में यह कार्य पंचायतों से हटाकर निम्नलिखित स्थानों पर पंचायत समितियों द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की कमेटी के माध्यम से कार्य करवाने की स्वीकृति जारी की गयी।

क्र.सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	नाम पंचायत
1.	भीलवाड़ा	1. शाहपुरा	डाबला
			चांदा
		2. जहाजपुर	गन्धेर
2.	अजमेर	1. श्रीनगर	श्रीनगर
		2. अराई	भगवानपुरा
			अराई
			लाम्बा
			ढसक
			खीरियां

ऐसी पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर किया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह कार्य कमेटियों के स्थान पर पंचायत समितियों के माध्यम से करवाने के निर्देश दिये।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा एवं रायपुर (भीलवाड़ा) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

109. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, रायपुर तहसीलों के रैफरल पी.एच.सी. पोस्टमार्टम स्कीम, चिकित्सालयों, ऐड पोस्ट केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि पर स्टाफिंग पैटर्न का 80 प्रतिशत स्टाफ लम्बे समय से पदस्थापित ही नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? स्टाफिंग पैटर्न व वर्तमान में कार्यरत स्टाफ का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ईकाइयों (चिकित्सा) में स्टाफिंग पैटर्न की पूर्ति शीघ्र कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार की उक्त चिकित्सा ईकाइयों के भवन, स्टाफ, निवास आदि के लिये धन स्वीकृत किए जाने की योजना है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। संस्थावार स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सृजित किये जाएंगे। रिक्त पदों को पात्र एवं प्रशिक्षित

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

अभ्यार्थी प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी, हां। भीलवाड़ा जिले की रायपुर पंचायत समिति में सात उपकेन्द्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सहाड़ा पंचायत समिति में 13 उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी है। उप केन्द्रों का निर्माण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा एवं प्रा.स्वा.के. का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। शेष स्थानों पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही निर्माण कराया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विकास शुल्क

110. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में विकास के नाम पर प्रति छात्र 100/—(एक सौ रुपये) वसूल किये गये? यदि हां, तो कब से एवं इस मद में अब तक कुल कितनी राशि एकत्र हुई?

(2) उक्त राशि का व्यय किस प्रकार किया गया? व्यय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यह राशि किन नियमों एवं किसके आदेशों से एकत्रित की गयी?

(4) क्या इस राशि का आडिट भी करवाया गया? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हाँ। यह सही है कि वर्ष 1995-96 में विकास के नाम पर प्रति छात्र 100/- रूपये वसूल किये हैं। कुल राशि 1,14,71,600/- रुपये अब तक एकत्रित हुए हैं।

(2) इस राशि का विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया। इस राशि को विश्वविद्यालय में सामान्य कोष में जमा किया गया तथा सामान्य आवश्यकताओं पर व्यय किया गया। विश्वविद्यालय में आय व व्यय का एक ही खाता है तथा इस राशि में से किये गये व्यय का अलग से विवरण देना सम्भव नहीं है।

(3) यह राशि अकादमी परिषद की निश्चय संख्या-46 दिनांक 16-5-1995 को जिसे सिंडीकेट की निश्चय संख्या 17 दिनांक 20/21-5-1995 द्वारा स्वीकृत किया, के द्वारा अधिकृत किये जाने पर एकत्रित की गयी।

(4) जी, नहीं। क्योंकि विश्वविद्यालय का लेखों का वर्ष 1995-96 का अंकेक्षण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के क्षतिग्रस्त बांध

111. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष की बाढ़ में विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में कौन-कौन से बांध, नहर व अन्य सिंचाई के साधन क्षतिग्रस्त हुए हैं? क्षति का मूल्यांकन दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध व नहरों की मरम्मत करा दी गयी है? यदि हां, तो मरम्मत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह)

(3) शेष मरम्मत कार्य कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) गत वर्ष की बाढ़ से विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के जो बांध नहरें एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी सूची संलग्न हैं।

(2) अधिकतर कार्य सुरक्षित स्तर तक पूर्ण करवाये जा चुके हैं एवं शेष कार्य दिनांक 30.6.1996 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित था लेकिन माह जून में अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाने के कारण कुछ कार्य पूर्ण नहीं हो पाये। प्रत्येक कार्य की मरम्मत की अभ्युक्ति संलग्न सूची में दर्शायी गयी है।

(3) शेष कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिये जायेंगे।

वर्ष 1995 में बाढ़ से टूटे हुए मार्जीनल बांध एवं बंधली की सूची

क्र.सं.	नाम	तहसील	अनुमानित राशि
1.	आजऊ क्रोस	कुम्हेर	3.00 कार्य पूर्ण हो गया।
2.	पाऊआ क्रोस	" "	3.00 कार्य पूर्ण हो गया।
3.	किशनपुरा क्रोस	" "	5.00 कार्य पूर्ण हो गया।
4.	धनवाड़ा क्रोस	" "	4.00 कार्य पूर्ण नहीं हुआ।
5.	सत्यनगर बन्धली	" "	5.00 कार्य प्रगति पर है।
6.	कंचनपुरा बन्धली	" "	5.00 कार्य प्रगति पर है।
7.	बावैन बंधली	" "	4.00 कार्य प्रगति पर है।
8.	सत्यपुरा बंधली	" "	2.00 कार्य प्रगति पर है।
			31.00

टूटे हुए बांधों की सूची

1.	भाण्डौर बांध	कुम्हेर	8.00 लगभग कार्य पूर्ण हो गया।
2.	सेह बांध व बंधली	" "	10.00 कार्य पूर्ण हो गया।
3.	बोरई बांध	" "	12.00 ब्रीच भरवा दिये।
4.	हुसना बांध	" "	6.00 कार्य हो गया।
5.	धनवाड़ा	" "	10.00 कार्य प्रगति पर।
6.	हैलक वरुन्द बांध	" "	30.00 कार्य पूर्ण हो गया।
7.	भटावली बांध	" "	25.00 कार्य नहीं हुआ।
			101.00

क्षतिग्रस्त बांधों की सूची

1.	आजऊ बांध	कुम्हेर	6.00 स्वीकृति दी जा चुकी है।
2.	पाहुआ बांध	" "	3.50 मरम्मत कार्य इस वर्ष में कराए जायेंगे।
3.	बासरौली	" "	8.00 मरम्मत कार्य इस वर्ष में कराए जायेंगे।

क्र.सं.	नाम	तहसील	अनुमानित राशि
टूटी हुई नहरों की सूची			
1.	हिन्गोली चैनल	कुम्हेर	1.70 कार्य प्रारम्भ नहीं किया।
2.	कुम्हेर टैंक चैनल डाइवर्सन	" "	5.00 कार्य प्रारम्भ नहीं किया।
3.	लखन का माइनर	" "	1.50 कार्य प्रगति पर था।
4.	सजोला माइनर	" "	2.30 कार्य प्रगति पर था।
5.	भटावली फीडन	" "	2.30 इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
6.	कसवाड़ा चैनल	" "	1.00 इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
			13.50
क्षतिग्रस्त नहरों की सूची			
1.	भरतपुर फीडर एवं माइनर सिस्टम	कुम्हेर	25.00 कार्य प्रगति पर है।
2.	भरतपुर डिस्ट्रीब्यूट्री	" "	5.00 इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
3.	आजऊ फीडर	" "	0.80 इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
4.	पाहुआ फीडर	" "	1.00 इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5.	कुम्हेर डाईवर्सन ड्रेन से केटीसी से होम्स कैनाल	" "	4.00 इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
		योग :	35.80

जोधपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

112. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर व जिले में कितने राजकीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, एडपोस्ट व उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? उक्त की स्वीकृति कब-कब, किस-किस स्थान की हुई तथा कितने पद किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर व जिले कि किस-किस चिकित्सालय में कितनी-कितनी शैय्याएं स्वीकृत हैं? क्या उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृत शैय्याओं के मानदण्ड के अनुसार स्टाफ लगाया हुआ है? किन-किन चिकित्सालयों में मानदण्ड के अनुसार स्टाफ नहीं है? रिक्त स्थानों व सृजित पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) महात्मा गांधी चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय व मथुरादास माथुर चिकित्सालय के अध्यक्षों द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस कंपनी को कौन-कौनसी औषधियां बैन्डेज उपकरण कब-कब कितनी-कितनी राशि के क्रय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में 10 एवं जोधपुर जिले में कुल 23 राजकीय चिकित्सालय हैं। जोधपुर जिले में 10 रैफरल अस्पताल, 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 एडपोस्ट, एवं 443 उप केन्द्र कार्यरत हैं। महाविद्यालय से सम्बन्धित अस्पतालों का विवरण हैं। परिशिष्ट "क" पर एवं निदेशालय के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है जिन्हें सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जोधपुर शहर व जिले में स्थित चिकित्सालयों में स्वीकृत रोगी शैय्याओं की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। अधिकांश चिकित्सालायों में मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत शैय्याओं के अनुरूप स्टाफ के सृजित पद कम है। मानदण्डों के अनुसार जिन चिकित्सालयों में स्टाफ के पद कम सृजित हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पदों का सृजन किया जाना सम्भव हो सकेगा तथा रिक्त पदों को पात्र एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) महात्मा गांधी चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय व मथुरादास माथुर चिकित्सालयों द्वारा गत दो वर्षों में क्रय की गयी। औषधियां एवं उपकरणों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की स्वीकृत नल योजनाएं

113. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 1995-96 में कितने गांवों में नल योजना, स्वीकृत की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में स्वीकृत नल योजनाओं के मुकाबले विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कम नल योजनाएं स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हुई नल योजना की उपेक्षा के निस्तारण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में उल्लेखित वर्ष में दो हैण्डपम्प योजनाओं को पम्प एवं टैंक योजनाओं में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(2) वर्ष 1995-96 में तथा इससे पूर्व 1991 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु ही नल योजनाएं स्वीकृत किये जाने के मापदण्ड निर्धारित थे। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में 2000 से अधिक जनसंख्या केवल 4 ग्राम वर्तमान में शेष हैं जिनमें से एक की पम्प व टैंक योजना माह मई, 1996 में स्वीकृत कर दी गयी है। एक अन्य की योजना जांच की प्रक्रिया में है तथा शेष दो ग्रामों हेतु योजना बनायी जा रही है।

(3) उपरोक्त विवरण के अनुसार थानागाजी विधान सभा क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की गयी है।

अभावग्रस्त ग्रामों में सहायता हेतु विचाराधीन योजनाएं

114. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) प्रदेश में कितने जिलों के कितने ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ?

(2) सरकार ने उक्त अभावग्रस्त ग्रामों में सहायता हेतु कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की हैं ?

(3) इसमें सरकार को कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 29 जिलों के 25478 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) सरकार द्वारा अभावग्रस्त गांवों में निम्न योजनाएं प्रारम्भ की है :—

1. अकाल राहत कार्य

2. पेयजल व्यवस्था

3. पशु संरक्षण व्यवस्था

4. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जरूरत मंद लोगों को वितरण हेतु गेहूं की व्यवस्था।

5. पशुओं/मनुष्यों हेतु चिकित्सा की व्यवस्था।

(3) लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि व्यय होने की संभावना है।

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर का लेखन सामग्री प्रकरण

115. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर इकाई में लेखन सामग्री के घोटाले की घटना इस वर्ष प्रकाश में थी ? यदि हां, तो यह कितनी राशि से सम्बन्धित थी ?

(2) उक्त प्रकरण में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर इकाई में लेखन सामग्री घोटाले की घटना इस वर्ष प्रकरण में आयी थी। यह घोटाला राशि रूपये 763134/– रुपये की है।

(2) उक्त प्रकरण में राज. राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर की जांच प्रतिवेदन के आधार पर सर्व श्री गोरधन सिंह, क.लि. एवं श्री राधाकृष्णन वैष्णव क.लि. राजकीय मुद्रणालय उदयपुर के कथित रूप से दोषी पाये गये हैं। इन कर्मचारियों को निलम्बित किया जाकर विभागीय जाँच अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर से करवायी जा रही है।

डामर चोरी प्रकरण

116. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1990-91 से मार्च, 1996 तक डामर चोरी के कितने मामले पकड़े गये ? किन-किन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करके आपराधिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ?

(2) पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में से कितनों में चालान पेश किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि किन्हीं प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत पायी गयी ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1990-91 से मार्च 1996 तक डामर चोरी के 20 मामले पकड़े गये। उक्त सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है। इनमें से 19 मामलों में पुलिस/राज. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्यवाही प्रगति पर है। शेष एक प्रकरण की जांच कर केस बंद किया जा चुका है।

(2) 19 मामलों में दर्ज प्राथमिकी में से अभी तक किसी मामले में चालान पेश नहीं हुआ है।

(3) जी, हां। 11 प्रकरणों में विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है। 2 प्रकरणों में आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं, जिनकी जांच प्रगति पर है। शेष 2 प्रकरणों में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

बांकली (आहोर) बांध निर्माण प्रकरण

117. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले की आहोर तहसील के बांकली गांव के पास बांध का निर्माण कब व किस उद्देश्य से करवाया गया?

(2) बांध के मूल प्रारूप के अनुसार उसकी ऊंचाई कितने फीट रखी जानी तय थी? क्या यह सही है कि बाद में मूल प्रारूप में परिवर्तन कर बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गयी? यदि हां, तो कब व कितनी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध से सिंचाई के लिये निर्मित नहरों का डिजाइन बांध के मूल प्रारूप के हिसाब से तैयार किया गया था? तथा बाद में बांध का डिजाइन बदलने पर भी नहरों का डिजाइन नहीं बदला गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त बांध की कुल भराव क्षमता के अनुसार कुल कितने रकबे में सिंचाई की जा सकती है? क्या वर्तमान में उतने रकबे की सिंचाई हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जालौर जिले की आहोर तहसील के बांकली गांव के पास बांकली बांध का निर्माण वर्ष 1898 से 1904 की अवधि में उक्त गांव व उसके आस-पास के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से करवाया गया था।

(2) बांध के मूल प्रारूप के अनुसार उसकी ऊंचाई 19 फीट तय थी। यही सही है कि बांध की ऊंचाई 2 फीट वर्ष 1979-80 में बढ़ा कर कुल 21 फीट कर दी गयी थी।

(3) जी, हां। यह सही है कि बांध से सिंचाई के लिये निर्मित नहरों का डिजाइन बांध के मूल प्रारूप के हिसाब से तैयार किया गया था। वर्ष 1979-80 में बांध की क्षमता बढ़ाने पर बांध का सिंचित क्षेत्र 6349 एकड़ से 9305 एकड़ कर दिया गया जिसके अनुरूप नहरों की पुनः डिजाइन कर नये सिंचित क्षेत्र के अनुसार उनकी क्षमता में बढ़ोतरी कर आवश्यक निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया।

(4) उक्त बांध की कुल भराव क्षमता के अनुसार संशोधित स्वीकृत तखमीने के अनुसार 9305 एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। वर्तमान में बांध

(सिंचाई मंत्री)

अपनी क्षमता के अनुसार भर जाने पर निर्धारित सिंचित क्षेत्र में पूर्ण सिंचाई की जाती है।

जयपुर शहर का जहरीली गैस प्रकरण

118. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में हाल ही में हुए गैस काण्ड में कुल कितने आदमी बीमार हुए?

(2) क्या सरकार ने इस गैस काण्ड की जांच करायी है एवं क्या नगर निगम के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है?

(3) क्या यह हादसा मलेरिया की दवा छिड़कने के कारण हुआ है? यदि हां, तो क्या इसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में दिनांक 11.6.1996 से 19.6.96 तक कुल 923 व्यक्ति एलर्जिक, ब्रोंकाइटिस से प्रभावित हुए।

(2) जी, हां। राज्य सरकार ने इस गैस काण्ड की जांच हेतु दिनांक 16 जून, 1996 को अधिसूचना जारी कर जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश श्री बी. पी. बेरी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। नगर निगम के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई हैं।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

कोटा शहर की कच्ची बस्तियां

119. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर में वर्तमान में कुल कितनी कच्ची बस्तियां है और उनमें से कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन किया जा चुका है तथा कितनी कच्ची बस्तियों का सर्वे एवं नियमन किया जाने का कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष कच्ची बस्तियों का सर्वे एवं नियमन कार्य शीघ्र करवाकर पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार एवं जिला प्रशासन को कोटा शहर में बढ़ रहे अतिक्रमार्णो को रोकने के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या यह सही है कि कोटा शहर में बढ़ रहे अतिक्रमणों को रोकने के लिए पर्याप्त स्टाफ का न होना भी एक प्रमुख कारण रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमणों को रोकने के लिऐ नगर विकास न्यास में मजिस्ट्रेट के पद का सृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा शहर में न्यास क्षेत्र में वर्तमान में 23 कच्ची बस्तियां है। इनमें से 12 कच्ची बस्तियों को नियमित किया जा चुका है। शेष 11 कच्ची बस्तियों के नियमन की कार्यवाही शेष है।

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 1-1-1991 से पूर्व राजकीय भूमि पर बने अवैध आवासीय

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निर्माण को नियमित करने का सिद्धान्त निर्णय ले लिया है। कितने क्षेत्र का किस दर से नियमन किया जाना है, इस पर निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) यह सही है कि कोटा शहर में हो रहे अतिक्रमण के लिये स्थानीय नागरिकों की समय-समय पर शिकायतें होती रही हैं। इन शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

(4) अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमियों को दण्डित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में से वर्ष 1991 में संशोधन किया गया है। नगर सुधार अधिनियम की धारा 92(ए) के तहत ऐसी भूमि जो स्वयं की न होकर अतिक्रमण करने वाले को अधिकतम 3 वर्ष का कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रावधान से अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

जिला टोंक की पंचायतों में स्वीकृत राहत कार्य

120. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत क्षेत्रों में पंचायत समितियों के माध्यम से भी कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो टोंक जिले की छह पंचायत समितियों में कौन-कौन से काम कब से चालू किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत मैनुअल के तहत गत वर्षों के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किया जाना था? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य विभिन्न पंचायत समितियों में मंजूर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के मंजूरशुदा कार्मों में ग्राम सेवक, सरपंचों की अवहेलना कर अपनी मनमर्जी से कार्य करवा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के कार्यों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट—"अ")

(2) जी, नहीं। लेकिन सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2052 के तहत इन कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। (परिशिष्ट–"ब")

(3) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(208)

परिशिष्ट—3

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न संख्या 87 का विवरण

वर्ष 1995-96 में अनधिकृत वाहनों से दस गुना वसूली राशि का विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम	वाहन संख्या	रायल्टी रसीद सं.	खनिज की किस्म व मात्रा	वसूली राशि	बैंक में जमा चालान नं. दिनांक
1.	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री जौहरी मीना	आरजे.11/जी.0117	0150183	सेण्डस्टोन 15 टन	4500/-	14/26.10.95
2.	श्री रहीस पुत्र श्री कुट्टू खां	यू.पी.80/सी.9453	0150184	सेण्डस्टोन 15 टन	4500/-	14/26.10.95
3.	श्री रामेश्वर	(मैसी ट्रेक्टर बिना नं.)	0112065	सेण्डस्टोन 4 टन	1200/-	3/17.11.95
4.	श्री रामचरण पुत्र हुब्बाराम	ट्रेक्टर	0159538	सेण्डस्टोन 5 टन	1500/-	4/12.11.95
5.	श्री कमल सिंह पुत्र बोधाराम	ट्रेक्टर	0529022	सेण्डस्टोन 5 टन	1500/-	9/12.12.95
6.	श्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामचरण	ट्रेक	0529037	सेण्डस्टोन 15 टन	4500/-	19/14.12.95
7.	श्री बन्टी शर्मा	ट्रेक्टर	0529055	सेण्डस्टोन 5 टन	1500/-	18/20.12.95
8.	श्री अतर सिंह	ट्रेक्टर	0529056	सेण्डस्टोन 5 टन	1500/-	18/20.12.95
9.	श्री शिवराम	यू.पी.80/जी.0009	0527794	सेण्डस्टोन 15 टन	4500/-	2/16.1.96
10.	श्री रामकिशन	बिना नं. मैसी ट्रेक्टर	499111	सेण्डस्टोन 4 टन	1200/-	13/14.2.96
				योग	26400/-	

(अंके छब्बीस हजार चार सौ मात्र)

अनाधिकृत खनन कार्य से की गयी वसूल राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र	राशि	जमा
1	श्री देवीचरण पुत्र श्री जमुना लाल मीणा	धीमरी	5000/-	जी.ए.55 नं.340884/69 दि.11.11.95
		योग—	5000/-	

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची

क्र.सं.	मुक. .. एवं धारा		नाम मुस्तगिस मय पता	नाम मुलजिमान मय पता
1.	82/27.9.85 धारा-307, 324 ता.हि. 25. ‥[illegible] आर्म्स एक्ट,	न्यायालय में विचाराधीन हैं	श्री अजीत सिंह पुत्र अमर सिंह सिख, नि. गिरादड़ा की ढ़ाणी, पाली	1. बख्तावर सिंह पुत्र दीप सिंह सिख निवासी—आई.जी. की ढाणी,
2.	83/27.9.95 धारा—147, 323 ता.हि.	" "	श्री दीप सिंह पुत्र दलपत सिंह सिख, नि. आईजी की ढाणी गिरादड़ा,	1. अजीत सिंह पुत्र अमर सिंह, 2. मानसिंह पुत्र अजीत सिंह 3. संतोक सिंह पुत्र अजीत सिंह, सिख,

210

क्र.सं.	मुकदमा नं. एवं धारा		नाम मुस्तगिस मय पता	नाम मुलजिमान मय पता
				4. भैरा पुत्र मरसरा राजपूत, 5. हिम्मता पुत्र समा बावरी, निवासीगण आईजी की ढाणी गिरादड़ा,
3.	100/7.12.85 धारा—7 पीसीपी एक्ट	न्यायालय में विचाराधीन है	श्री छगीया पुत्र बीरम भील, आईजी की ढाणी,	1. दीपसिंह पुत्र दलजीत सिंह सिख निवासी—उपरोक्त,
4.	69/23.9.86 धारा—447, 427, ता.हि., थाना—गुडाएंदला,	" — "	श्री पुरखाराम पुत्र तुलसाराम भील, नि. गिरादड़ा,	1. मांगीलाल पुत्र जोरा, 2. अजीत सिंह पुत्र अमर सिंह सिख, 3. भंवर सिंह पुत्र खींव सिंह राजपूत निवासीगण आई.जी. की ढाणी,
5.	40/28.3.95, धारा—147, 148, 363, 366, 367, 323, 342, 452, 149, ता.हि.व 3(1) (10) (11) (12) (15) एससी/एसटी एक्ट	" — "	" — "	1. बखतावर सिंह पुत्र दीप सिंह सिख नि.—उक्त
6.	259/27.6.95 धारा—147, 149, 323, ता.हि. थाना—कोतवाली पाली।	" — "	" — "	1. प्रेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह राजपूत 2. छोटू सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत 3. भीका पुत्र बगता भील।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या—150 की सूची

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों की सूची जिनको मार्च 1997 तक डामर की सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

क्र.सं.	गाँव का नाम	जनसंख्या	पंचायत समिति का नाम	वर्तमान स्थिति	योजना का नाम जिसमें स्वीकृत है।
1.	अमावरा मय डूंगर पट्टी	2916	बामनवास,	एम.आर.	एम.एन.पी.
2.	बेरखण्डी	1023	" – "	एम.आर.	के.यू.एम.
3.	गण्डाल	1457	" – "	4 कि.मी. डामर 2 कि.मी. मिट्टी का कार्य	एम.एन.पी.
4.	जीवद	1557	" – "	ग्रेवल	एम.एन.पी.
5.	नारोली चोड	1210	" – "	ग्रेवल	एम.एन.पी. वर्ष 96-97 में एम.एन.पी. में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित
6.	बागरोली	1268	बोली	मिट्टी का कार्य प्रगति पर	एडी.पी.
7.	करेल	1027	" – "	एम.आर.	" — "
8.	पीपलवाड़ा	1512	" – "	डामर 4 किमी. 2 किमी. मिट्टी का कार्य प्रगति पर	एम.एन.पी.
9.	बपुई	1079	" – "	मिट्टी का कार्य प्रगति पर	एडी.पी.

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या—152 का विवरण

जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कों का विवरण

पंचायत समिति	कुल पंचायतें	पंचायत क्षेत्र जिस प्रकार की सड़क से जुड़ा हुआ है की संख्या		
		डामर	मेटल	ग्रेवल
जहाजपुर	37	22	3	12
कोटड़ी	13	9	2	2
कुल :—	50	31	5	14

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के डामर सड़क से बिना जुड़े गांवों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	गांव का नाम	जनसंख्या			सड़क जिससे जुड़ा है			विशेष विवरण
			1971	1981	1991	डामर	मेटल	ग्रेवल	
1.	जहाजपुर	आमलदा	1332	1759	1833	–	6 कि.मी.	—	खनिज सड़क में स्वीकृत
2.	"	बांकरा	1257	1423	1820	–	9 "	–	एम.एन.पी. 95-96 में आंशिक स्वीकृत (9 कि.मी. में से 5 कि.मी. स्वीकृत)
3.	"	बिलेटा	1209	1543	1668	–	–	3 कि.मी.	3 कि.मी. एम.एन.पी. 95-96 में आंशिक स्वीकृत (3 कि.मी. में से 1 कि.मी. स्वीकृत)
4.	"	गांगीथला	1066	1390	1624	–	–	5 कि.मी.	5 कि.मी. एम.एन.पी.95-96 में आंशिक स्वीकृत (5 कि.मी. में से 2 कि.मी. स्वीकृत)
5.	"	भरनी कलां	1126	1309	1624	–	--	7.5 कि.मी.	7.5 कि.मी.एम.एन.पी. में 95-96 में आंशिक स्वीकृत (7.5 कि.मी. में से 2.5 कि.मी. स्वीकृत)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या—153 का विवरण

विगत तीन वर्षों में महिला महाविद्यालयों को जो अनुदान का भुगतान हुआ उसका विवरण

क्र.सं.	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	वर्तमान में देय प्रतिशत	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर	90%	60,84,000	61,20,000	73,80,000
2.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता	90%	12,33,000	13,05,000	10,79,000
3.	कनोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	90%	52,58,000	68,70,000	67,50,000
4.	सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ (चूरू)	90%	7,19,000	8,80,000	11,69,000
5.	आदर्श डिग्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर	90%	5,88,000	7,00,000	8,70,000
6.	सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर	90%	22,87,000	30,60,000	34,80,000
7.	श्री सत्यसाई कॉलेज फार वुमेन, जयपुर	90%	21,97.000	27,10,000	28,60,000
8.	श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर	90%	12,34,000	16,20,000	21,59,000
9.	श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय, सीकर	90%	6,04,000	8,37,000	9,46,000

1	2	3	4	5	6
10.	सेठ रामकिशन धानूका कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर-सीकर	90%	4,80,000	7,06,000	6,33,000
11.	श्रीमति कमला देवी गौरीदास मित्तल कन्या महा वि. सरदारशहर, चुरू	90%	2,40,000	7,10,000	9,40,000
12.	चुरू कन्या महाविद्यालय, चुरू	90%	2,58,000	5,40,000	9,52,000
13.	श्री खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	90%	–	9,26,000	8,10,000
14.	वैदिक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	90%	–	5,44,000	15,30,000
15.	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	90%	–	3,78,000	5,04,000
16.	संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	90%	–	6,81,000	8,55,000
17.	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर)	90%	–	3,26,000	5,22,000
18.	आर्य कन्या महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)	90%	–	5,21,000	6,30,000
19.	श्री निर्मला महा विद्यालय, जोधपुर	90%	–	10,37,000	14,40,000
20.	श्री भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय, जयपुर	70%	–	3,01,000	7,70,000
21.	मीरा कन्या महाविद्यालय, सांगरिया	70%	–	3,66,000	7,20,000
22.	सरस्वती कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़ जंक्शन	70%	–	4,48,000	5,60,000
23.	जे.श्री. शाह कन्या महाविद्यालय, झुंझुनूं	70%	–	4,02,000	6,16,000
24.	बिनानी कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	70%	–	1,12,000	1,40,000
25.	सेठ रामजीदास मोदी कालेज फार वुमेन, कोटा	90%	–	–	4,21,000

1	2	3	4	5	6
26.	गांधी महिला महाविद्यालय, किशनगढ़-रैनवाल, जयपुर	70%	–	–	1,55,000
27.	श्रीमती गिन्नी देवी सत्यनारायण सेकसरिया कन्या महाविद्यालय, चिड़ावा	90%	–	–	2,75,000
28.	दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर)	90%	–	–	2,52,000
29.	श्री बांके बिहारी कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)	90%	–	–	1,97,000
30.	महर्षि दयानन्द कन्या महाविद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)	90%	–	–	2,68,000
			2,11,82,000	3,21,10,000	3,98,63,000

परिशिष्ट–8

(प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव)

[श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)]

विकास कार्यों के भुगतान में भेदभाव

अलसीसा पंचात समिति जिला झुंझुनूं के सरपंचों को विकास कार्यों के भुगतान में बहुत भेद भाव किया जा रहा है। अपनी पसन्द के चुनिन्दा सरपंचों को पंचायत समिति के अधिकारीगण नकद भुगतान कर देते हैं जबकि जिन पर उनकी कम मेहरबानी है उनको चैक के द्वारा भुगतान किया जाता है। जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी प्रकार के भुगतान (Payment) चैक के द्वारा ही किए जावें। परन्तु इस समिति में सरकारी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। ऐसा क्यों करते हैं इस का स्पष्ट कारण उनके निहित निजी स्वार्थ हैं जिनके वशीभूत होकर वे इस प्रकार की भेदभाव पूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं। जिन सरपंचों को नकद भुगतान किया जाता है वे रकम अपनी निजी Cash book में जमा कर लेते हैं तथा सचिव की रोकड़ में उसका इन्द्राज नहीं किया जाता है तथा वे अपने ढंग से काम करते हैं। ग्राम पंचायत, पाटौरा प.स. अलसीसा के सरपंच विकास कार्यों के भुगतान उठा कर ले गये तथा उनकी जमा खर्च अपनी पंचायत की रोकड़ में जमा खर्च नहीं किया है तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। सब कार्य अधूरे पड़े हैं तथा काम बन्द पड़े हैं। बालिका विद्यालय भवन का भुगतान ले गये तथा मजदूरों का भुगतान नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उस भवन पर ही कब्जा कर लिया तथा उसमें रहना प्रारम्भ कर स्कूल की बालिकाओं के उपयोग से उन्हें वंचित कर दिया है। सब काम अधूरे पड़े हैं। सरकार से मांग है कि इसकी जांच की जावे, तथा जिन लोगों ने धन के भुगतान में प्रक्रिया में भेदभाव किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावें, ग्राम पंचायत, पाटोदा के सरपंच से काम पूरे करवाये जावें तथा बालिका प्रधानाध्यापिका को कब्जे में दिया जाये।

[श्री रूपाराम (मकराना)]

बोरावड़ कुमारी (मकराना) खान की बहाली

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि खान संख्या 49/ए बोरावड़ कुमारी मकराना क्षेत्र में स्थित है, के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त खान को खनि अभियन्ता मकराना द्वारा मकराना बोरावड़ बाई पास में अन्डरकटिंग करने के कारण खालसा कर दी गयी थी व कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है, वर्तमान में जिला कलक्टर नागौर द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मकराना बोरावड़ बाई पास रोड़ के केन्द्र से 50 फुट दोनों ओर खान मालिकों द्वारा किये गये खनन को मलबा डालकर फिलिंग। भराई करने व पक्का बीड़ा चुनने हेतु नोटिस खनि अभियन्ता, मकराना द्वारा दिये गये है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त खान के चारों ओर मार्बल के स्टोक वाई. आर. के. मार्बल्स, भगवती मार्बल्स, राका मार्बल्स, मार्बल शोरूम राकेश मार्बल्स प्रालि. कार्यालय एवं आवास इत्यादि है, व साथ ही ब्लास्टिंग होने से खान के पत्थर पास में स्थित मकानों पर एवं मार्बल गोदामों में गिरते हैं, हाल ही में 20 लाख रुपये का राकेश मार्बल्स प्रा. लि. का माल अन्डर कटिंग होने से दीवार टूट जाने पर खान में गिर गया। जिसका समाचार राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ है। अतः कृपया उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थिति में खान को न्यायालय में बहाल नहीं की जावे। हाल ही में जिला कलक्टर नागौर के आदेश से स्टेट राज्य मार्ग नं. 2 पर स्थित सभी खानों को अतिक्रमण हटाने व उसके साथ पक्का बीड़ा चुनकर वापस सड़क सीमा में समतल करने का आदेश दिया है। इसी मार्ग पर सभी मार्बल गोदाम व करोडों की लागत से बने भवन अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क सीमा की 100 फीट की परिधि में तोड़ दिये गये है और मार्ग को चौड़ा कर दिया गया है। साथ ही इस खान की दीवार तोड़ने से भंयकर दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है और जनता में आक्रोश है। इस बारिश में सड़क का कुछ भाग वर्षा से और ढह गया इसलिए जनता के जनहित को मध्य नजर रखते हुए एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से रोजाना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें व मार्बल देश के कोने-कोने में जाने वाले मार्बल के भरे हुए वाहन व आम जनता इस मार्ग से गुजरते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई भयंकर दुर्घटना घटित हो जाए इसलिए इस खान को सड़क सीमा की 50 फीट की परिधि में किये गये अवैध खनन से करीबन 50,000 घनफीट खनिज मार्बल, जिसकी अनुमानित लागत 25 लाख रुपये होती है का राज्य सरकार को खनिज अवैध खनन द्वारा निर्गमन किया गया है।

इसी प्रकार से टैक्स, रोयल्टी व एक्साइज की भी चोरी की है, इसलिए सर्वश्री एवरेस्ट मार्बल माइन्स के दस्तावेजों की जांच करायें, आज तक खनिज के सम्बन्ध में इस फर्म का ब्यौरों की जांच करायी जावे, सरकार के किये हुए 25 लाख के अवैध खनन की वसूली का नोटिस जारी करायें, और इस खान को सुरक्षा की दृष्टि से बहाल नहीं करें और मलबा डालकर जनहित में समतल करावें।

अत : मेरा आपसे करबद्ध शब्दों में निवेदन है कि इसकी जांच के सम्बन्ध में मुझे भी साथ लेकर जांच करवायी जाए तथा इस मार्ग पर आने वाली खानों के सम्बन्ध में मुझे जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिये जाने बाबत अवगत कराया गया है

इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से मुझे अवगत कराने की कृपा करायें।

सधन्यवाद।